

प्रकाशक,
मार्तण्ड उपाध्याय, मन्त्री,
सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली

—: सस्करण :—

मार्च, १९३९ • १०००

मूल्य

डेढ रुपया

मुद्रक—

हरनामदास गुप्ता

भारत प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली

प्रकाशक की ओर से

प्रो० हेरल्ड लास्की की यह पुस्तक बहुत असें से हमारे यहा रखी हुई थी। अंग्रेजी में अपने विषय की यह उत्तम पुस्तक मानी जाती है, लेकिन इतने बड़े विषय को थोड़े-मे पृष्ठों में लिखने की वजह से मूल में ही क्लिष्ट होगई है। और उसका अनुवाद तो आशा में भी अधिक क्लिष्ट होगया। इतने दिनों तक इसे इसी इरादे से रख छोडा था कि किसी उपयुक्त सज्जन को देकर इसे कुछ सरल बना सकेंगे लेकिन इसका सम्पादन करना इतना कठिन काम था कि कोई इसके लिए राजी न हुए। अतः हमें लाचार होकर ज्यों-का-त्यों ही प्रकाशित कर रहे हैं। इसके बारे में अगर पाठक कोई सूचना करेंगे तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और अगले संस्करण में इसको पूरी तरह सम्पादन करके छापेंगे।

—मन्त्री

लेखक की भूमिका

इस छोटी-सी पुस्तक के लिखने का प्रयोजन यह है कि राजनीति की मूल समस्याओं को इस रूप में रख दिया जाय कि साधारण रुचि रखनेवाले पाठक भी सुगमता से समझ सकें। मैंने यथाम्भव पाणिभाषिक भाषा को बचाने का प्रयत्न किया है। मैंने जान-बूझकर पूर्णविकसित प्रणाली को विश्लेषण करके बताने का प्रयत्न नहीं किया है। सर्वसुगम व्याख्या करने में कितनी कठिनाई होती है, यह इस प्रकार की छोटी-सी पुस्तक लिखने से ही प्रतीत होता है। मैं आशिक सफलता से अधिक की आशा नहीं कर सकता, परन्तु यदि इसे पढ़कर कुछ लोगों में इस विषय की ऊँची पुस्तकें पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत हो तो मुझे बहुत सन्तोष होगा। यहाँ मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि कुछ विचार, जिनपर यहाँ विवेचन किया गया है, मेरी पुस्तक 'ग्रामर आव पोलिटिक्स' (राजनीति-व्याकरण) में अधिक पूर्णता के साथ प्रकट किये गए हैं।

क्रोचेम-ए-माँसेल,

क्रि. १९३१

एच० जे० एल०

विषयसूची

१.	राज्य-संस्था का स्वरूप	•	••	•	३
२.	वृहत् समाज में राज्य-संस्था का स्थान				३०
३.	राज्य-संस्था का संगठन	•••	•	••	७०
४.	राज्य-संस्था और अन्तर्राष्ट्रीय समाज		•	•	११६
५.	पुस्तकों के विषय में सूचना	••	••	••	१३९

राजनीति प्रवेशिका

राज्य-संस्था का स्वरूप

१

आधुनिक संसार का प्रत्येक नागरिक किसी-न-किसी राज्य की प्रजा है। कानूनन वह राज्य-संस्था की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य है। उसकी जीवनविधि की रूप-रेखा राज्य-संस्था के नियोजित किये हुए आदर्श-नियमों से ही निश्चित रहती है। ये निर्देश ही कानून हैं, और इनको अपनी सीमा में रहनेवाले सब लोगों पर लागू करने की शक्ति ही राज्य-संस्था का मूल तत्व है। जहाँ अन्य सब संस्थायें स्वनिर्मित होती हैं और किसी व्यक्ति के लिए उसके नियम तभी लागू हो सकते हैं जब वह अपनी मरजी से उनका सदस्य बने; लेकिन यदि वह एक बार किसी राज्य का निवासी हो जाता है तो उसको कानूनन राज्य के नियमों को मानने के सिवाय दूसरा चारा नहीं रहता। कानूनन, उसके लिए इन आज्ञाओं का पालन करना दूसरी किसी संस्था के नियमों के पालन करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि आधुनिक समाज-रूपी भवन का शिखर राज्य है। यही इसकी विशेषता है। समाज

मे जितने प्रकार के संघ या संगठन हैं उन सबमे इमकी सत्ता सर्वोपरि है ।

इस प्रकार राज्य लोगों के व्यवहारो को नियन्त्रित करने की एक विधि है । राज्य के स्वरूप की छान-चीन करके देखने से पता चलता है कि मनुष्यो को आचरण सम्बन्धी जिन मिद्धान्तो के द्वारा अपनी जीवन-विधि को संचालित करना जरूरी है, उनको सत्ता-पूर्वक लागू करने का तरीका ही राज्य है । राज्य हमे चोरी न करने की आज्ञा देता है, वह हमे उसके आदेशो की अवज्ञा के लिए सजा देता है । वह विधि-निर्देशो को निश्चित कर देता है, और उनका पालन कराने के लिए बल का प्रयोग करता है । उसके दृष्टिकोण से उन विधि-निर्देशो की प्रामाणिकता स्वयंनिर्मित है । वे कानूनन मान्य हैं इसलिए नही कि वे अच्छे, या विवेकपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि वे उसके आदेश है । समाज की सर्वोपरि शक्तिके ये कानूनी आदेश है जिनके द्वारा मनुष्य को अपना आचार-व्यवहार रखना चाहिए ।

परन्तु विधि-निदेश न अपने आपको स्वयं प्रकट करते हैं न स्वयं लागू होते है । किसी-न-किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय ने उनको बनाने की इच्छा की है, और किसी न किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय को उनका पालन कराना पड़ता है । जब हम आज-कल की राज्य-संस्थाओ को देखते है तो हमे सब जगह एक दृश्य दिखाई देता है । हम देखते हैं कि एक सुनिश्चित प्रदेश मे बहु-संख्यक मनुष्य सदा कुछ दूसरे अल्पसंख्यक मनुष्यो की आज्ञा पालन करते हैं । चाहे ग्रेट-ब्रिटेन की तरह यह अल्पसंख्यक

मनुष्य (पार्लमेण्ट-समेत राजा) सर्वाधिकार-सम्पन्न हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) की तरह उनके लिए आजापालन कराये जाने के विषय तथा पद्धतियों दोनों सीमावद्ध कर दी गई हो, फिर भी देखा जाता है कि यह इन प्रकार के है कि यदि कोई उन विधि-निदेशों का भंग करे तो यह थोड़े से मनुष्य अपनी सत्ता की रक्षा करने के लिए समस्त आवश्यक बल-प्रयोग कर सकते हैं। सक्षेप में, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य-संस्था सरकार और प्रजाजन में बंटा हुआ एक प्रदेश-वद्ध समाज है। सरकार—राज्य के अन्दर—उन व्यक्तियों का समुदाय है जो राज्य-संस्था के आधारभूत विधि-निदेशों को लागू करते हैं, और वे इनके पालन कराने के लिए बलप्रयोग करने का अधिकार रखते हैं। परन्तु इससे भिन्न, उस प्रदेश-वद्ध समाज के अन्दर, व्यक्तियों का किसी प्रकार का भी अन्य संगठन या समुदाय बलप्रयोग करने का अधिकार नहीं रखता।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक राज्य-संस्था में एक ऐसी इच्छाशक्ति है जो अन्य सब इच्छा-शक्तियों के ऊपर कानूनन सर्व-प्रधान है। वह समाज के अंतिम निश्चयों व निर्णयों को करती है। शास्त्रीय वाक्य में कह सकते हैं कि वह सर्वोपरि इच्छाशक्ति है। न वह दूसरी किसी इच्छा-शक्ति में आजाये पाती है, न अन्ततः अपनी सत्ता किसी दूसरी शक्ति के हाथ में छोड़ सकती है। उदाहरणतः ऐसी इच्छाशक्ति ग्रेट-ब्रिटेन में पार्लमेण्ट समेत राजा की है। उसके प्रदेश की सीमा के अन्दर, वह जो कुछ निर्णय करती है वह उस प्रदेश के अन्दर रहनेवाले

सब निवासियों पर बाध्य होता है। वे भले ही उसके निर्णयों को अनैतिक या अबुद्धिपूर्ण समझे, फिर भी कानूनन उसका पालन करने के लिए बाध्य है। यदि ब्रिटेन का कोई प्रजाजन अपनी धर्मसंस्था (चर्च) के किसी निर्णय को पसंद न करे, तो वह उस को छोड़ सकता है; धर्मसंस्था अपने निर्णय को जबरदस्ती उसमें मनवा नहीं सकती। परन्तु, ब्रिटेन का कोई प्रजाजन आय-कर सम्बन्धी कानून को पसंद न भी करे, तो भी वह कानूनन उसका पालन करने के लिए बाध्य है। यदि वह उस कानून की मत्ता के विरोध करने का प्रयत्न करेगा, तो तुरन्त ही उस प्रयत्न का फल भोगने के लिए, किसी न किसी रूप में, बलपूर्वक मजबूर किया जायगा।

इस प्रकार राज्य-संस्था व्याक्तियों का एक ऐसा समाज है जो एक निश्चित जीवन-विधि से चलने के लिए, आवश्यक हो तो बल-प्रयोग से भी, विवश है। समाज में सारा आचरण उस विधि के अनुसार ही होना चाहिए। समाज के स्वरूप को निर्धारित करने वाले नियम ही राज्यसंस्था के कानून (विधान) हैं और, स्पष्टतया, यह अन्य समस्त नियमों की अपेक्षा आवश्यक रूप से प्रधानता रखते हैं, अर्थात् सर्वोपरि है। इस समाज में जो व्यक्ति नियम बनाते और उनका बलपूर्वक पालन करवाते हैं वे सरकार (शासन) कहलाते हैं। और नियमों का वह भाग जो यह निर्धारित करता है कि (क) इस प्रकार के नियम किस प्रकार बनाए जाने चाहिए (ख) वे किस प्रकार से बदले जा सकेंगे (ग) उनको कौन बनाएगा, राज्य-संस्था का शासन-विधान है।

यह राज्य-संस्था को शुद्ध कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से देखना हुआ। यह तो केवल इस बात का वर्णनमात्र है कि किसी आधुनिक समाज में सामाजिक सम्बन्ध एक दूसरे से किस प्रकार मिले हुए या व्यवस्थित हैं, इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि वर्तमान पद्धति का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसके क्या-क्या प्रयोजन सिद्ध होते हैं, और उसके काम का महत्व कितना है और उसके साथ खतरे क्या-क्या हैं।

स्पष्टतः, ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान राज्य-संस्था का स्वरूप उस इतिहास का परिणाम है जिसमें से होकर राज्य-संस्था गुजरी है, और उस इतिहास की दृष्टि से देखे बिना समझ में नहीं आसकेगा। राज्य-संस्था की शक्ति बिना प्रयोजन या उद्देश्य के प्रयुक्त नहीं होती। वह कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए काम में लाई जाती है, और उसके नियम, समय विशेष पर अच्छे समझे जानेवाले किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन लोगों द्वारा, वस्तुतः, परिवर्तित भी कर दिये जाते हैं, जिसके पास उसकी शक्ति को काम में लाने का कानूनी अधिकार है। और, इस प्रकार की राज्य-संस्था किन-किन उद्देश्यों को पूर्ण करना चाहती है, और उनको किस तरीके से पूर्ण करना चाहती है, इन प्रश्नों को हम जिस दृष्टि से देखेंगे, उसी पर उसके महत्व और खतरो सम्बन्धी हमारे विचार भी अधिकांश निर्भर रहेंगे।

यहाँ मैं राज्य-संस्था का इतिहास विस्तार से नहीं बता सकता।

केवल यही एक महत्वपूर्ण बात बताना देना पर्याप्त होगा, कि राज्य-संस्था का यह स्वरूप कि वह सर्वोपरि संस्था है, ऐतिहासिक घटनाओं की एक लम्बी शृङ्खला का परिणाम है। इन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि (यूरोप में) रिफॉर्मेशन के युग में एक ऐसी श्रेणी के संगठन को तलाश करने की आवश्यकता हुई जो अपनी-अपनी सत्ता की प्रधानता का दावा करनेवाली संस्थाओं के दावों के विषय में अन्तिम निर्णय दे सकें। अन्य सब संगठनों की अपेक्षा राज्य-संस्था ने प्रधानता इस कारण पाई कि उसने उस समय व्यवस्थापित शान्ति की इतनी आशा डिलाई जितनी कि दूसरा कोई संगठन दिलाने का दावा नहीं कर सका था। धार्मिक मतों के पारस्परिक विरोध से लड़ाई-भगड़े के विवाय कोई सत्परिणाम दिखाई नहीं देता था, आर्थिक संगठन स्वरूपतः अपने-अपने स्थान पर बहुत छोटे-छोटे और पृथक्-पृथक् थे और वे व्यापक नियम बना सकने योग्य न थे उस समय की संस्थाओं में से, राज्य-संस्था ही एक ऐसी निकली जो ऐसे विधि-निदेशों को स्थापित करने में समर्थ हुई जिनका सारी जनता सम्मान करे। वह जीवन-विधि को व्यवस्थित करने में समर्थ हुई, क्योंकि, यदि उसकी आज्ञाएँ न होती तो विलकुल व्यवस्था ही न रहती। यद्यपि प्रतिद्वन्द्वी संस्थाओं ने लोगों की निष्ठा को अपनी ओर आकर्षित करने का कम तीव्रता से प्रयत्न नहीं किया, फिर भी राज्य-संस्था ही विजयी हुई उसकी विजय मनुष्यों से बलपूर्वक अपनी इच्छा का पालन करवाने की योग्यता में ही अन्तिर्हित थी।

वह अपनी इच्छा का पालन कराने में क्यों समर्थ हुई ? इस स्थान पर हम राज्य-संस्था को शुद्ध कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से देखना छोड़ देते हैं, और अब उसे दार्शनिक विश्लेषण का विषय बनाते हैं। स्पष्ट, हमें उसे दो भिन्न भिन्न दृष्टि बिन्दुओं से देखना चाहिए। हमें प्रथम तो यह बताना है कि राज्य-संस्था का प्रयोजन, सामान्य स्वरूप में, क्या दिखाई देता है, अर्थात् वह किसी विशेष समय जिस प्रकार के कानूनी विधि-निदेशों को बलपूर्वक लागू करती है वे उस प्रकार के ही क्यों होते हैं। और, हमें एक ऐसी कसौटी भी ढूँढ निकालनी है जिसके द्वारा हम यह जान सकें कि उन कानूनी विधि-निदेशों का स्वरूप, सामान्य शब्दों में, क्या होना चाहिए। संक्षेप में, किसी विशेष राज्य-संस्था की प्रवृत्तियाँ विशेष प्रकार की क्यों पड जाती हैं। उदाहरण के लिए क्रान्ति से पहले के फ्रान्स के 'पुराने शासन' को ही लीजिए। उसकी विशेष-विशेष प्रकार की ही प्रवृत्तियाँ क्यों पडी थी, और किन कारणों से हमें यह कहना पड़ता है कि 'पुराने शासन' के समय की फ्रान्सीसी राज्य-संस्था की कृतियाँ उस प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त थीं, जिसके लिए राज्य-संस्थाओं का अस्तित्व होना चाहिए।

राज्य-संस्था से अमुक-अमुक कार्य-सम्पादन करने की जो मांगें की जाती हैं, उनको सन्तुष्ट करने का कर्तृत्व ही राज्य-संस्था की सत्ता है। उदाहरण के लिए उसके प्रजा-जन चाहते हैं कि उनके शरीरों और सम्पत्ति की रक्षा की जाय, तो, राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निदेश उम इच्छा को सन्तुष्ट करने के लिए प्रयुक्त किये जाते

है। उसके प्रजा-जन अपने-अपने ढंग से ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, और यह नहीं चाहते कि किसी भी विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वास पर कोई रुकावट लगाई जावे। यदि हम माँग पर किसी की भी आपत्ति नहीं हो सकती, तो राज्य-संस्था सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता को अपना एक कानूनी विधि-निदेश बना लेती है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति का कारण केवल यह था कि उस समय के 'पुराने शासन' द्वारा स्थापित किये हुए विधि-निदेशों में उन माँगों का पूर्ण होना असम्भव था जिनकी पूर्ति राज्य के सदस्य उसकी संस्थाओं से चाहते थे।

दूसरे शब्दों में कहे तो कार्य-साधनार्थ उपस्थित की जानेवाली माँगों को पूरा करने की क्षमता ही कानूनी विधि-निदेश है। विधि-निदेश हमेशा उन लोगों की इच्छा के अनुरूप होंगे, जो राज-नैतिक शक्ति के केन्द्र में अपनी इच्छाओं का अनुभव करवाने का ढंग जानते हैं। किसी विशेष राज्य-संस्था के कानून उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न होगा, और जिस हद तक माँगें स्वीकृत हो सकेंगी वे भी उसी हद तक कार्य-साधक या सफल हो सकेंगी। अर्थात्, कानूनी विधि-निदेश बनाने के लिए राज्य-संस्था के सदस्यों की उसके सामने आनेवाली बहुसंख्यक प्रतिद्वन्द्वी इच्छाओं में से, कुछ चुन ली जाती है, और अन्य नहीं चुनी जाती। इनको चुनने का सिद्धान्त सदा एक-सा नहीं रहता, या तो समय के अनुसार या स्थान के अनुसार यह सिद्धान्त काम में आता है। पाश्चात्य सभ्यता के मातहत किसी भी ऐसी राज्य-संस्था की हम कल्पना तक नहीं

कर सकने, जो राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति चलाने के लिए अपने सदस्यों पर कर नहीं लगाती हो। परन्तु डेढ़ शताब्दि पहले डम वात की कल्पना तक नहीं हो सकती थी कि इस काम के लिए किसी राज्य-संस्था को अपने सदस्यों को धन देने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। जो माँग उस समय आवश्यक हुई, वह कालान्तर में अनिवार्य हो गई है।

यह क्यों हुआ ? क्योंकि जो लोग राज्य-संस्था की सत्ता का संचालन करते हैं, उन्होंने शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति की माँग की पूर्ति करना आवश्यक या बुद्धिमत्ता-पूर्ण या न्याय-संगत समझ लिया है। परन्तु हमें इस बात का पता लगाना है कि किसी विशेष समय और विशेष स्थान पर इस प्रकार की माँग क्यों सफल होती है। स्पष्ट, इसका उत्तर यह नहीं हो सकता कि माँग उचित थी। राज्य-संस्था ने उचित माँगों को कार्यान्वित करने से, बहुधा, इनकार कर दिया है, और ऐसी माँगों को स्वीकार कर लिया है जिनको बुद्धि थोड़े विचार से भी कभी उचित नहीं बता सकती। यह बात भी नहीं हो सकती कि उनके तत्व में बुद्धिमत्ता रही है, क्योंकि राजनीतिज्ञ लोग सदा बुद्धिमत्ता से ही काम नहीं किया करते। आवश्यकता का होना एक अधिक स्पष्ट कारण मालूम होता है। परन्तु, फिर हमें यह जानने की आवश्यकता है कि किसी विशेष समय और स्थान पर एक विशेष माँग ही राज्य-संस्था द्वारा क्यों आवश्यक समझी जाती है और दूसरी क्यों नहीं।

जिन हेतुओं से प्रेरित होकर राजनीतिज्ञ लोग काम किया

करते हैं वे निःसन्देह दृढ़तन जटिल और मिले हुए होते हैं कि उनको सरलता से बताना बहुत ही कठिन है। कोई भी एक कारण ऐसा नहीं है जिसमें अन्य कारणों का समावेश बिलकुल न होता हो। तथापि सामान्य नियम यह माना जा सकता है कि किसी विशेष राज्य-संस्था का स्वरूप, स्थूलतः, उम्मीद प्रकार का होगा जिन प्रकार का आर्थिक सङ्गठन उस राज्य-संस्था द्वारा नियन्त्रित समाज में मौजूद होगा। किसी भी प्रकार के सामाजिक सङ्गठन को देखिए, उसमें मालूम होगा कि वह एक तरह से आर्थिक शक्ति पर नियन्त्रण पाने के लिए एक सङ्घर्ष है। क्योंकि लोगों के हाथ में यह शक्ति जिन मात्रा में होती है, उसी मात्रा में वह अपनी माँगों को कार्यान्वित करवा सकते हैं। तब कानून ऐसे सम्बन्धों का एक समूह बन जाता है, जिनमें उन लोगों की जरूरतों का कानूनी स्वरूप प्रकट किया जा सके। इसलिए जिस ढंग से किसी विशेष समय और स्थान पर आर्थिक शक्ति बँटी हुई होगी उसीके अनुरूप उस विशेष समय और स्थान पर लागू किये जानेवाले कानूनी विधि-निदेशों का स्वरूप होगा। इन परिस्थितियों में राज्य-संस्था—जिन लोगों का आर्थिक-प्रणाली पर प्रभुत्व होता है, उनकी आवश्यकताओं का मूर्त रूप है। कानूनी व्यवस्था एक ऐसा परदा है जिसके पीछे, जिन लोगों के आर्थिक हित दूसरे सब आर्थिक हितों पर प्रभुत्व रखते हैं, वे राजनैतिक सत्ता का लाभ उठाते हैं। राज्य-संस्था अपने कार्य द्वारा जान-बूझकर सामान्य न्यायपूर्णता या सामान्य उपयोगिता ही साधित करने का ध्यान नहीं रखती, परन्तु समाज

के प्रभावशाली वर्ग के हितों (विस्तृत अर्थ में) को साधित करने का ध्यान रखती है ।

परन्तु ध्यान रहे कि इस विचारसरणी का जितना अर्थ है या यह जहाँ तक उचित है, उससे अधिक इसका तात्पर्य नहीं समझना चाहिए । उपर्युक्त विवेचन में इस बात पर ही विचार किया गया है कि राज्यसंस्था के सामान्य स्वरूप का कारण क्या है, हम राज्यसंस्था के कार्यों के व्यौरे में नहीं गए हैं । यह विचारसरणी बताती है कि स्थूलतः सम्पत्ति के स्वामित्व के साथ ही विशेषाधिकार रहते हैं, और सम्पत्ति से बहिष्कार हो जाने का परिणाम होगा विशेषाधिकारों से बहिष्कार हो जाना । इससे यह पता चलता है कि समाज में सम्पत्ति के स्वामित्व का पलड़ा जिस ओर भारी होता जाता है उसीके अनुसार राज्यसंस्था के कार्यों का पलड़ा भी नए साम्य की अवस्था को कायम रखने के लिए परिवर्तित होता जाता है । निश्चय ही, वह परिवर्तन तत्काल तो बहुत ही कम होता है और पूर्ण तो कभी नहीं होता । ऐतिहासिक प्रगतियों में समय की शिथिलता हुआ ही करती है, जिसके कारण सारी परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन आंशिक ही होते हैं । जिन-जिन वर्गों ने शक्ति प्राप्त करली है वे उसका प्रयोग उग्ररूप से प्रायः कभी नहीं करते । उनको अपने विरोधियों को रियायतें देकर उनकी, नई साम्यावस्था के प्रति, सहमति खरीदनी पडती है । और उन्हें स्वयं बहुत बार यही अनुभव करना पडता है कि उनका शक्ति प्राप्त कर लेना मात्र ही सन्तोषजनक है । जिस प्रकार वे पहले शक्ति से स्वयं बहिष्कृत

थे उसी प्रकार अब दूसरो को बहिष्कृत कर देने का प्रयत्न नहीं करते। परन्तु जो कोई राज्य-संस्था के कानूनो का अभ्ययन करेगा, वह इस बात में सन्देह नहीं कर सकता कि जो वर्ग राज्य-संस्था के नाम से शासन करता है, उसकी माँगों के अनुरूप ही कानून होते हैं। इङ्गलैण्ड में ट्रेड यूनियन कानून, अमेरिका में इक्वैलिटी की स्वतन्त्रता का कानून और प्रशिया में कृषको सम्बन्धी कानून, इन सबका इतिहास इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार कोई प्रभावशाली आर्थिक वर्ग अपने हितों की सबसे अच्छी तरह रक्षा करनेवाले विधि-निदेशों को बनवाने के लिए राज्य-संस्था का उपयोग करता है।

यहाँ, एक क्षण के लिए भी इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि शासन करनेवाले वर्ग में बुद्धिमत्तापूर्वक या न्यायपूर्वक कार्य करने की इच्छा होती है। परन्तु जिन लोगो का जीवन भिन्न-भिन्न प्रकार का है, वे विचार भी भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं। और समष्टिरूप से समाज के हितसाधन के लिए कौन कौन से विधि-निदेश अन्ततः अभीष्ट हैं, इस समस्या पर करने के लिए प्रत्येक वर्ग अपने मस्तिष्क के भीतर कुछ और अर्धसंज्ञात तर्क (Major Premise) रखता है और उसी दृष्टि से विचार करता है, और इन्हींसे उसके बुद्धिमत्ता या न्यायपूर्णता सम्बन्धी विचार प्रायः बनते हैं। धनवान मनुष्य बात का सदा कम अन्दाज लगाते हैं कि सुख-प्राप्ति कराने में सम्पत्ति में कितनी शक्ति है। धार्मिक मनुष्य सदा नैतिक

पर श्रद्धा रखने के प्रभाव का अधिक अन्दाज लगाते हैं। विद्वान् लोग विद्वत्ता का बुद्धिमत्ता से सम्बन्ध है इस 'वात को प्रायः' उचित से अधिक महत्त्व देते हैं। हम सब अपने-अपने अनुभवों के बन्दी हैं। और चूँकि हमारे अनुभव का मुख्य भाग अपने जीवन-निर्वाह का प्रयत्न करते हुए ही प्राप्त होता है, इसलिए जिस ढंग से यह आजीविका उपार्जित की जाती है उसके अत्यधिक अनुरूप ही, क्या अभीष्ट है और क्या अभीष्ट नहीं है, इस सम्बन्धी हमारी भावनाये बनती है। जॉन ब्राइट फैक्ट्री-कानूनों की महत्ता को कभी नहीं समझ सका, क्योंकि वह खुद कारखानेदार होने की हैसियत से जिन अत्यन्त कटु अनुभवों को उसने प्राप्त किया था उनके विरुद्ध वे कानून पड़ते थे। और, लार्ड शैफ्ट्सबरी जैसा भूमिपति जिसे फैक्ट्री कानूनों की न्यायपूर्णता का समझना कठिन न था, खेत के मजदूरों की अवस्थाओं को सुधारने के लिए कानून बनाने की न्यायपूर्णता को कभी नहीं समझ सका। संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) के दास-स्वामी पूर्ण सचार्ड के साथ विश्वास करते थे कि दासता की प्रथा से तो दासों का ही हित होता है।

कोई-कोई यह आपत्ति करते हैं कि यह सिद्धान्त उस समाज के लिए तो ठीक हो सकता है जिसमें सत्ता थोड़े मनुष्यों के हाथ में हो, उदाहरणतः जिस इंग्लैण्ड में मताधिकार मध्यमवर्ग के मनुष्यों के लिए ही सीमित होगा, उसमें स्वभावतः ही प्रधानतया मध्यम-वर्गीय स्वरूप के कानून बनेंगे। परन्तु जहाँ राज्य-संस्था बालिग मताधिकार के आधार पर प्रजातान्त्रिक है, वहाँ, राज्य के

शासक समष्टिरूप से समाज द्वारा चुने जाते हैं यह तथ्य, ज्त आर्थिक व्याख्या को निकम्मा कर देती हैं कि सम्पत्ति की शक्ति राज्य के स्वरूप को मुग्न्यत निश्चित करती है।

परन्तु यह आपत्ति ऊपर से देखने से जितनी तान्विक मालूम होती है उतनी नहीं है। यह सत्य है कि एक प्रजातन्त्रीय राज्य संस्था जनसमुदाय की ओर अल्प-जन-सत्तात्मक राज्य-संस्था की अपेक्षा सामान्यत अधिक उदार होगी। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों में इंग्लैण्ड में बने क्लानूनो के बीच में जो अन्तर है उसमें ही यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है। परन्तु ये अन्तर तथ्य के मूल में कोई आघात नहीं पहुँचाते। सत्ता की प्रवृत्तियाँ अपने कार्यों के लिए, अपने पास क्या है इस बात के ज्ञान, संगठन करने के अभ्यास, और तात्कालिक प्रभाव डालने की योग्यता पर निर्भर रहती है। प्रजातन्त्रीय राज्य-संस्था में, जहाँ कि आर्थिक शक्ति की बड़ी-बड़ी विपमताये होती है, निर्धन मनुष्यों में मुख्य विशेषता तो यही होती है कि उनमें ये बातें नहीं होती। वे नहीं जानते कि उनके पास भी कुछ शक्ति है। वे इस बात का बहुत कम अनुभव करते हैं कि अपने स्वार्थों को संगठित कर लेने से क्या परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। उनकी सीधी पहुँच अपने ऊपर शासन करनेवाले व्यक्तियों तक नहीं होती। प्रजातन्त्रीय राज्य में भी यदि श्रमिक वर्ग कोई कार्य करते हैं, तो उस काम से जितना लाभ होना निश्चित होता है उसकी अपेक्षा उनकी आर्थिक निश्चिन्तता बहुत अधिक स्तरों में पड़ जाती है। उनके हाथों में वे साधन

कचित ही होते हैं जिनसे वे अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। वे यह भी नहीं जानते कि इनका किस प्रकार विधिवत् व्यक्त किया जाय और किस प्रकार इनका समर्थन किया जाय। वे नीचेपन की भावना से सदा दवे रहते हैं जो कि आज्ञाओं का सदा पालन करते रहने से पैदा होती है, और आज्ञा देने के अभ्यास द्वारा उत्पन्न आत्मविश्वास के समस्त अनुभवों से वे वंचित रहते हैं। वे भूल से समझ बैठते हैं कि जिन संस्थाओं को उन्होंने उत्तराधिकार में पाया है, वे समाज के अनिवार्य आधार स्तम्भ हैं। वास्तव में, प्रत्येक प्रकार से यह आशा की जा सकती है कि सार्वजनिक मताधिकार की भित्ति पर बनी हुई राज्य-संस्था से, अन्य किसी प्रकार की राज्य-संस्था की अपेक्षा, जनसमुदाय को अधिक विस्तृत रिश्तायते मिलेगी, परन्तु ऐसा कोई ऐतिहासिक कारण नहीं है जिससे यह अनुमान किया जा सके कि आर्थिक-रूपेण विपन्न समाज के जो सामाजिक परिणाम होते हैं उनको ऐसी राज्य-संस्था स्वयं सीधी तरह से मूलतः परिवर्तित करने में समर्थ हो सकेगी।

तात्पर्य यह है कि, हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि किसी विशेष राज्य-संस्था में जो विधि-निर्देश बनते हैं उनका स्वरूप उन कार्यसाधनार्थक माँगों के अनुरूप होता है जिनका सामना राज्य-संस्था को करना पड़ता है, और फिर ये माँगें भी, सामान्य रूप से, उन्नी प्रकार की होती हैं जिन प्रकार की उन्नी राज्य-संस्था द्वारा नियन्त्रित समाज में आर्थिक शक्ति बटी हुई होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक शक्ति जितनी समानता से

विभक्त होगी उतना ही घनिष्ट सादृश्य समाज के साधारण हितों और राज्य-द्वारा लागू किये हुए कानूनी विधि-निदेशों के बीच होगा। क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि आर्थिक शक्ति समान होने से कार्य-साधनार्थक माँग भी समान होती है और उस अवस्था में राज्य की इच्छाशक्ति एक दिशा की अपेक्षा दूसरी दिशा की ओर विशेष पक्षपात लिये हुए नहीं होती। और यदि राज्य-संस्था माँग को पूरा करने के लिए एक संगठन माना जाय तो जिस शक्ति का उसे सामना करना पड़ता है वह जितनी समानता में विभक्त रहेगी उसकी पूर्ति भी राज्य-संस्था की ओर से उतनी ही व्यापक होगी।

कुछ भी हो इतिहास का सामान्य अनुभव तो यही मालूम होता है। कुलीन जन-सत्तात्मक राज्य इसलिए चलता रहा कि उसके लाभों से बहिष्कृत रहनेवाले लोगों की संख्या, जो उस राज्य की भित्तियों का विरोध करने की अपनी शक्ति को पहचानते भी थे, इतनी कम थी कि उसका कुछ परिणाम नहीं हो सकता था। और वह इसलिए नष्ट हो गया कि उत्पत्ति-प्रणाली में परिवर्तन होजाने से राज्य में सम्पत्ति का विभाजन इतना बदल गया कि जो लोग सत्ता से बहिष्कृत थे, वे नई समाज-व्यवस्था में अच्छी तरह हिस्सा लेने पर राज्य-संस्था द्वारा लागू किये जानेवाले कानूनी विधि-निदेशों के दायरेको अपने लाभ के लिए बढ़वा सके।

अतः इस स्थान पर अब हम इस बात की जाँच कर सकते हैं कि राज्य-संस्था को शुद्ध कानूनी व्यवस्था मानने का क्या अर्थ है। ऐसा मानने से यह मालूम नहीं होता कि कानूनी क्षेत्र के बाहर

भी राज्य-संस्था की प्रामाणिकता है या नहीं। कानूनी विधि-निदेशों के समूह की हैसियत से राज्य-संस्था शक्तियों का एक अस्थायी समानान्तर चतुर्भुज है और जैसे-जैसे इसके क्षणिक स्वरूपों को निर्धारित करनेवाली शक्तियाँ बदलती रहती हैं वैसे-वैसे ही इसका स्वरूप भी बदलता रहता है। इसके कानून इसी दृष्टि से प्रामाणिक है कि किसी विशेष समय पर वे वास्तव में बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं। यदि, उनका मूल उद्गम राज्य-संस्था है, इसके अतिरिक्त अन्य आधार पर हम उनके प्रामाणिक होने का कभी दावा करते हैं, तो हम कानून के क्षेत्र का उल्लङ्घन करके उस प्रदेश में आ जाते हैं जहाँ दूसरे ही हेतु प्रधान हैं। तात्पर्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र की कॉंग्रेस या ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी कानून कानूनी क्षेत्र में माननीय किये जाने का दावा केवल इसलिए करता है कि वह उस कॉंग्रेस का या पार्लियामेंट का कानून है। यदि वह अन्य आधारों पर मान्यता पाना चाहे, उदाहरणतः यदि वह इस कारण मान्य होना चाहे कि वह बुद्धिमत्ता-पूर्ण है या न्याय पूर्ण है, तब तो इस आधार की दृष्टि से उद्गम स्थान के कारण मान्य होने की उसकी बात असङ्गत होगी। क्योंकि फिर तो वह अपने आपको मूल्य-सम्बन्धी सिद्धान्त के शब्दों में उपस्थित करता है, जो कानून के शुद्ध क्षेत्र में उचित नहीं हो सकता।

३

यहाँ राज्य-संस्था सम्बन्धी तत्व-ज्ञान का दूसरा पहलू सामने आता है, जिसका उल्लेख पहले ही कर दिया गया है। हमने बताया

है कि कुछ लोगों का एक समुदाय, जिनका सामूहिक नाम सरकार है, विधि-निदेशों को बल-पूर्वक लागू करता है, और राज्य-संस्था की दृष्टि में कानून-गमे ही विधि-निदेशों का समूह है। हमने यह मालूम किया है कि विधि-निदेशों का वास्तविक स्वरूप आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप ही बनता है, और कानूनी व्यवस्था का, जो कार्य-साधनार्थक माँगों को पूर्ण करती है, आधार किसी भी विशेष समय पर यह आर्थिक व्यवस्था ही होती है। परन्तु, स्पष्टतः, इससे हमें शुद्ध-वस्तुस्थिति के सिवाय अन्य कुछ ज्ञात नहीं होता। इससे यहाँ ज्ञात होता है कि कोई राज्य-संस्था किसी विशेष स्वरूप के कानून को क्यों बनाती है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि राज्य-संस्था के कानूनों का स्वरूप, तत्त्वतः, कैसा होना चाहिए।

कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य-संस्था की शुद्ध कानून-परक व्याख्या उसके उद्गम-स्थान के कारण ही माननीय है। परन्तु यदि मैं प्रश्न करूँ कि मुझसे राज्य-संस्था का आज्ञा-पालन करने की आशा क्यों की जानी चाहिए, तो स्पष्टतः, मुझे यह बताया जाना काफी नहीं है कि तुम्हें उसका आज्ञा-पालन इसलिए करना चाहिए कि वह राज्य-संस्था है। मैं प्रश्न करूँगा, जैसा कि भूतकाल में लोगों ने प्रश्न किया है, कि राज्य-संस्था के निर्देश-पालन किये जाने योग्य क्यों हैं, और यदि वे, जो कुछ मैं विचारता हूँ, जो-जो आशाये रखता हूँ और जिस-जिस बात का अनुभव करता हूँ, उन सबके विरुद्ध जाते हैं, तो मैं यही परिणाम निकाल सकता हूँ, जैसा कि भूतकाल में लोगों ने निकाला था, कि मेरे सामने इसके सिवाय

दूसरा चारा नहीं है कि जो आज्ञा-पालन मुझसे इस प्रकार चाहा जाता है मैं उससे इनकार कर दूँ ।

इसलिए राज्य-संस्था की आज्ञाएँ इस कारण मान्य नहीं हैं कि वे राज्य-संस्था की हैं परन्तु उनके औचित्य के लिए और भी कारण होने चाहिए। ऐसे उद्गम स्थान से तो इतना ही ज्ञात होता है कि वे कहाँसे निकली हैं। उससे यह तो ज्ञात होता है कि आज्ञापालन कराने के लिए बल-प्रयोग करना, सामान्यतः, उनके अधिकार में होगा। परन्तु उससे और अधिक कुछ ज्ञात नहीं होता। वह यह नहीं बताता कि इन आज्ञाओं को निकालकर राज्य-संस्था ने उचित कार्य किया। इस प्रकार राज्य की कानून-परक व्याख्या न्याय्यता-परक व्याख्या नहीं है, जबतक कि वह कानून की व्याख्या से कुछ अधिक नहीं बनती। हमें इस बात की जांच करनी होगी कि कानून है किस लिए, वह किस उद्देश्य को सिद्ध करने का दावा करता है, वह ऐसा क्यों समझता है कि वही हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए। इसके पश्चात् ही हम राज्य-संस्था की ऐसी व्याख्या प्राप्त कर सकेंगे जो राजनैतिक तत्व-ज्ञान के प्रयोजन के लिए उपयुक्त हो सकेगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमें कानून के साथ उसका प्रयोजन भी लगाना होगा, जिससे वह मनुष्यों को स्वीकार्य हो सके।

कानून के प्रयोजन प्रायः उतने ही भिन्न-भिन्न हैं जितने कि मनुष्य-जाति के ऐतिहासिक अनुभव। परन्तु मनुष्य जिन संस्थाओं के अधीन रहे हैं उनका औचित्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने किस प्रकार प्रयत्न किया है, यह जानने के लिए कुछ मुख्य-मुख्य विचारों

का भेद नमस्कृतेना उपयोगी होगा। मानव जाति की आरम्भिक अवस्था के अनुभवों का जो अन्यन्त सामान्य दृष्टिकोण रहा है वह देवी कहा जा सकता है। कानून जैसे देवी नियमों का समूह है जो उनकी अधीनता में रहनेवाले मनुष्यों के लिए किसी परमेश्वर या देवताओं की ओर से मिले हैं, अतः वे पालन करने योग्य हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति देवी है। स्पष्टतः मूसा का कानून या सूर्य देवता द्वारा पूर्ण व्योरेवार दिया हुआ हम्मूरावी का कानून ऐसा ही था। लोगों से उनका पालन करने को इमलिए कहा जाता है कि उनका भंग करने पर देवी प्रकोप होगा। अथवा, इसमें एक क्रम आगे बढ़े तो हमें कानून जैसे प्राचीन रीति-रिवाजों का समुदाय मिलता है, जो सम्भवतः लिखे नहीं गये परन्तु जिनकी एक पुरोहित जाति ने परम्परा से रक्षा की है, और वे अपना पालन इसलिए चाहते हैं कि उनको तोड़ने से देवी-अप्रसन्नता का भय है।

ऐसे सिद्धान्त, अधिकांश, मानव जाति के प्रारम्भिक इतिहास के समय के हैं। अधिक परिपक्व युग में, उदाहरणतः रोम के न्याय-विज्ञान (कानून-शास्त्र) के समय में, कानून का पालन करना इमलिए अच्छा बताया गया है कि समस्त पदार्थों और तथ्यों का जो मूल स्वरूप है उससे कानून के सिद्धान्तों की उत्पत्ति हुई है, अतः मनुष्यों का व्यवहार उनके अनुकूल होना चाहिए। ऐसी सृष्टि-रचना शास्त्रीय दृष्टिकोण टॉमस एकिनास के दृष्टिकोण से मिलता-जुलता है। टॉमस एकिनास के विचारानुसार कानून एक ऐसा दर्पण है जिसमें विश्व की रचना और शासन करनेवाली देवी बुद्धि का

प्रतिविम्ब है। मनुष्यो को उसका पालन करना चाहिए, मनुष्य उसके पालन द्वारा स्पष्टतः उस योजना के अनुकूल अपना व्यवहार बनाते हैं जिस पर ससार की अच्छी व्यवस्था निर्भर है। केएट की विचार-दृष्टि भी इसीके समान है। उसके मतानुसार कानून उन नीति-नियमों का समूह है जिनसे प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को भी वैसी ही स्वतन्त्रता देता हुआ अपनी अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है। हेगेल इसी विचार को सृष्टि-रचना-शास्त्र पर घटा देता है। उसने प्रतिपादन किया है कि इतिहास का क्रम अधिकाधिक बढ़नेवाली स्वतन्त्रता के विकास के सिद्धान्त का व्यक्त रूप है, और वह सिद्धान्त राज्य-संस्था के विकास के रूप में पूर्ण होता जाता है।

इन सब व्याख्याओं में एक सामान्य विशेषता है। उनके अनुसार कानून की प्रामाण्यता मनुष्य की नियन्त्रण-शक्ति के परे है। चाहे वे ईश्वर का प्रकोप मानें, चाहे विश्व की आन्तरिक योजना का पूर्ण करना मानें, चाहे बढ़ती हुई स्वतन्त्रता की प्राप्ति करना मानें, परन्तु वे यह कभी नहीं मानते कि मनुष्य एक स्वाधीन अवयव है जो स्वयं अपने अनुभव से इच्छापूर्वक और जानता हुआ कानूनों के निर्माण को रूप देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कानून का तत्व 'दूर अन्यत्र, रहता है, और उसका पता लगाना मनुष्य का काम है। अच्छाई इसी बात में है कि मनुष्य ऐसे व्यवहार-शास्त्र के अनुकूल आचरण करे जिसके निर्माण करने में उसका कोई हाथ न रहा हो। उससे कहा जाता है कि वह

नीति-नियोगों के ऐसे समूह पर विश्वास करे जिसमें सृष्टि-क्रम के अनिवार्य परिणाम समाविष्ट हैं अथवा ऐसे परिणाम समाविष्ट हैं जिनसे वह मुक्ति-रूपी मूल्य देकर ही छुटकारा पा सकता है।

विलकुल स्पष्ट है कि ऐसी व्याख्याएँ काम की नहीं हैं। ऐतिहासिक अन्वेषण ने उन सब व्याख्याओं का खण्डन कर दिया है जो दैवी प्रामाण्यता के आधार पर बनी हुई थीं। उनके दिव्य-संदेशोवाला ईश्वर ऐसे रहस्य की भाषा में बोलता है, जो उसके स्वयं-नियुक्त भक्तों के सिवाय और किसीके लिए आकर्षण नहीं रखता। इसके अतिरिक्त, सृष्टि-क्रम की, जो प्रकृति या दैवी बुद्धि का व्यक्त रूप है, कल्पित युक्ति के आधार पर बनी हुई व्याख्याएँ, स्पष्टतः सामाजिक जगत में अचेतन प्रकृति के ये कानून ढँढ निकालने के प्रयत्न का फल है। परन्तु यह प्रयत्न असफल रहा है। इसमें यह बात भुला दी गई है कि सामाजिक जगत केवल निरन्तर गतिशील ही नहीं है परन्तु निरन्तर नवीनता-शील भी है, और व्यक्तिगत मनुष्यों की सक्रिय इच्छाशक्तियाँ ही उसके समीकरण के अङ्ग हैं, और व्यक्तिगत मनुष्य आकस्मिक परिणामों की छानबीन करके उनको बदलने में भी समर्थ हैं। वे इच्छापूर्वक परिवर्तन करते हैं। इसलिए भौतिक-विज्ञान और रसायन-विज्ञान जैसे प्राकृतिक कानूनों के समान दृढ़ नित्यता रखने वाले कानून राजनैतिक क्षेत्र में काम नहीं दे सकते। प्रकृति के अनुकूल सामाजिक जीवन हो इसमें, स्टोइकवाद (वैराग्यवाद) की भाँति, यह भुला दिया गया है कि सम्यक् संसार में कला ही

मनुष्य की प्रकृति है। और, कला के उच्चतम सिद्धान्तों के अनुकूल जीवन सुन्दरत्व या शिवत्व सम्बन्धी उस दृष्टिकोण पर निर्भर है जो सर्वत्र घटित हो सके।

अब बात यह है कि कानून की जिन व्याख्याओं पर हमने ऊपर विचार किया है उनमें से अधिकांश उस समाज-व्यवस्था का समर्थन करती है जिसमें बहुत लोग थोड़े लोगों के लाभ के लिए जीते हैं। उदाहरण के लिए हेगेल यह मानता था कि प्रशिया के राजा का आज्ञापालन करना ही मनुष्य की स्वतन्त्रता का उच्चतम विकास है। यह कहना उसकी राज्य-संस्था सम्बन्धी व्याख्यान का हास्यजनक चित्र न होगा। संक्षेप में, आंशिक और पक्षपातपूर्ण अनुभव के आधार पर बनी हुई धारणाओं को शेष समाज की इच्छाओं पर लाद देने से ही ऐसी विचार-दृष्टियाँ बनी हैं, इनमें यह जानने का प्रयत्न नहीं किया गया है कि इन धारणाओं के परिणाम से उनके अनुभव कहाँ तक मिलते हैं। यही कारण है कि लोग कानून की उस व्याख्या की ओर आकर्षित होते हैं जो प्राचीन यूनान के समय से अब तक लोगों पर मोहिनी डाले हुए है।

वह व्याख्या, कम-से-कम अपने मूल-तत्वों में तो, सरल है। उसके अनुसार कानून मनुष्यों के लिए तब तक माननीय नहीं है जब तक वे उसको माननीय स्वीकार न कर लें। इसलिए, किसी भी दृग की राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निर्देशों को प्रामाणिकता इस बात ने दी है कि मनुष्यों ने उन आधारभूत सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है जिन पर वे बने हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यदि

मनुष्य अपनी-अपनी की हुई प्रतिज्ञाओं का पालन न करे तो जीवन असम्भव होजाय और इसलिए यदि राज्य-संस्था की नाव सर्व-स्वीकृति पर स्थित हो तो उसके निर्मित कानून नागरिकों के लिए वाह्य हो सकते हैं। अन्यथा, स्पष्ट, वह नग्न बल-प्रयोग होगा और उसको कोई नैतिक आधार नहीं दिया जा सकता।

मोटे तौर पर कहे तो यह सामाजिक ठहराव का सिद्धान्त है। मतलब यह है कि मनुष्य मिलकर राज्य-संस्था बनाने पर राजी होते हैं, और उसके हाथ में आज्ञाये निकालने की शक्ति देते हैं। कभी-कभी, जैसा कि हॉब्स का मत है, यह शक्ति अपरिमित और अनुल्लङ्घनीय होती है, मनुष्य अराजकता के भीषण त्रास से बचने के लिए एक निरङ्कुश स्वच्छाचारी को अपना स्वामी बना लेते हैं। कभी-कभी, इसके विरुद्ध, जैसा कि लॉक का मत है यह शक्ति परिमित और लङ्घनीय होती है; मनुष्य राज्य-संस्था के लाभो को समझते हैं, परन्तु वे उसे सर्वाधिकार-सम्पन्न बनाने के लिए राजी नहीं होते। यदि उसे क्रान्ति के खतरे से बचना हो तो उसे एक 'लिमिटेड कम्पनी' के समान बिलकुल अपने 'मेमोरेण्डम आव् एसोसिएशन' की सीमा के भीतर रहना चाहिए। और कभी-कभी, जैसा कि रूसो का मत है, राज्य-संस्था मनुष्यों की सहमति से सर्वाधिकार-सम्पन्न ही बनती है, परन्तु जब वह कार्य करती है तो ज्यो-ज्यो वह एक-एक कार्य करती जाती है त्यों-त्यों उन मनुष्यों की प्रत्येक इच्छा उसकी ही इच्छा बनती जाती है। राज्य-संस्था निरन्तर सर्वसम्मति-

निर्धारण द्वारा सञ्चालित हो रही है, और उसके कानून उसके सदस्यों के लिए इसलिए पालनीय होते हैं कि वे सदस्य ही स्वयं कानून के तत्वों का निर्माण कर रहे हैं।

मेरे विचारानुसार, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो व्याख्याएँ कानून के पालनीय होने के दावे को, इस दृष्टि से कि वह स्वीकृति से बना है, उचित ठहराती हैं वे अन्य समस्त प्रतिद्वन्द्वी व्याख्याओं की अपेक्षा बहुत सबल हैं। उनके कथनानुसार, व्यक्ति कानून को स्वीकार कर लेने से अपनी बाध्यता को स्वयं उत्पन्न करता है और इस प्रकार यह स्पष्टतः युक्तियुक्त है कि वह अपने को इस प्रकार बाध्य समझे। परन्तु इन व्याख्याओं में जो गम्भीर त्रुटियाँ हैं, उनकी ओर से हमें आँख नहीं बन्द करना चाहिए। इस व्याख्या में जिस प्रारम्भिक सामाजिक ठहराव का जिक्र है उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, राज्य-संस्था बनाई नहीं गई है, किन्तु विकसित हुई है। और, उसके कार्य केवल स्वीकृति की भित्ति पर ही सञ्चालित नहीं किये जा सकते थे। न केवल किसी विशेष अवसर पर भिन्नमतावलम्बी अल्पपक्ष को बलपूर्वक भुक्ताना ही पड़ता है, बल्कि जब हम एक बार छोटे नगर-राज्य से आगे बढ़ जाते हैं तब राज्य का आकार बढ़ा होने के कारण, किसी-न-किसी रूप में, प्रतिनिधिसत्तात्मक सरकार ही एक ऐसा स्वरूप रह जाता है जिसके द्वारा राज्य-संस्था की इच्छाशक्ति व्यक्त हो सकती है। यहाँ यह ठहराव के मिद्धान्त के प्रतिपादक लोग कहते हैं कि स्वीकृति मौन होती है। परन्तु चूँकि स्वीकृति में मन

के इच्छापूर्वक कार्य करने का भाव रहता है, इसलिए इसमें कुछ अधिक निश्चित बात का होना आवश्यक है। और उम कानून के विषय में हम क्या कहेंगे जिम पर मनुष्य उसके वनत समय स्वीकृति दे देता है और बाद में उसके कार्यपरिणाम का अनुभव करके अपनी स्वीकृति वापिस ले लेता है ? क्या वह कानून उसके लिए फिर भी प्रामाणिक है ? क्या स्वीकृति वापिस ले लेने की शक्ति शासन-सञ्चालन के कार्य को असम्भव न बना देगा ? निःसन्देह विधि-निदेशों का वही समूह अच्छा होता है जिममें कम-से-कम बलप्रयोग करना पड़े, फिर भी किसी ऐसे आधुनिक समाज की कल्पना करना असम्भव है जिसका उद्देश्य, कम-से-कम उसके कुछ नागरिकों पर ही, बल का प्रयोग किये बिना सिद्ध हो सके।

४

हम अपने मुख्य प्रश्न को दूसरी तरह रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, राज्य-संस्था मानवीय आचरण-व्यवहार को नियन्त्रित करने की एक विधि है। वह ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसके आदर्श-नियम मनुष्यों को एक विशेष प्रकार से ही व्यवहार करने के लिए बाधित करते हैं, और अन्य प्रकार से व्यवहार नहीं करने देते। उसका कार्य मूलतः विधि-निदेशात्मक कार्य है, जिससे बचने का हक कानूनन उसके किसी भी नागरिक को नहीं है। उसे यह शक्ति क्यों उपलब्ध है ? इसके लिए इसकी कर्तृत्व-सम्बन्धी व्याख्या के अतिरिक्त अन्य कारण मिलना कठिन है। राज्य-संस्था की शक्ति जो-कुछ करना चाहती है उसके अनुरूप ही उस (शक्ति)

का औचित्य हो सकता है। उसके कानून का औचित्य, जिन माँगों को वह पूर्ण करना चाहता है, उनकी दृष्टि से ही ठहराया जा सकता है। राज्य-संस्था व्यक्तिगत और सामूहिक, प्रतियोगी और सहयोगी, अनेक प्रकार के बहुसंख्यक स्वार्थों पर अधिष्ठातृत्व करती है। उसका मनुष्यों की ओर से निष्ठा प्राप्त करने का अधिकार स्पष्टतः सामाजिक माँग को अधिक-से-अधिक पूर्ण कर सकने की उसकी शक्ति पर निर्भर रहता है। उसे स्वार्थों में समतोलता इस प्रकार प्राप्त करनी चाहिए कि जो पर्याप्त (मतोप-प्रदान-रूपी) परिणाम उत्पन्न हो वह किसी भी दूसरे कार्यक्रम के परिणाम से अधिक हो। समतोलता किस प्रकार प्राप्त की जाय इसके लिए हम कोई स्थायी सिद्धान्त नहीं बता सकते, केवल इम कारण कि भिन्न-भिन्न युगों में बातों का मूल्य भी भिन्न-भिन्न होता है, और यदि वास्तविक मूल्य का कोई निरपेक्ष सूत्र बनाया जायगा, तो वह वनते ही निकम्मा हो जायगा। हम इतना ही कह सकते हैं कि यदि कानूनी विधि-निदेशों के कार्यान्वित होने से हम कम-से-कम बलिदान करके अधिक-से-अधिक मानवीय आवश्यकता को पूर्ण कर सकें तो वे लागू किये जा सकते हैं। अतः जिन संस्थाओं द्वारा राज्य-संस्था कार्य करती है उनका निर्माण हमें इस प्रकार करना होगा कि जिससे वह इस उद्देश्य को सर्वोत्तम प्रकार से पूर्ण कर सके।



: २ :

बृहत् समाज में राज्य-संस्था का स्थान

१

मैंने बताया है कि राज्य-संस्था की शक्ति उसी मात्रा में औचित्य रखती है जिस मात्रा में वह कम-से-कम बलिदान करके मानवीय आवश्यकताओं को अधिक-से-अधिक पूर्ण कर सके। इस कर्तव्य को वह जितनी खूबी के साथ सम्पन्न करती है उसे, शुद्ध कानूनी से अतिरिक्त, निष्ठा प्राप्त करने का हक भी उतना ही होता है।

इसके तात्पर्य को ठीक-ठीक समझने के लिए हमें बृहत् समाज में राज्य-संस्था के स्थान को समझ लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा है वह मानवीय व्यवहारों को नियन्त्रित करने की विधि है, स्पष्ट नियन्त्रण-नियमों का औचित्य राज्य-संस्था के व्यक्तिगत सदस्यों के जीवन में होनेवाले उनके परिणामों से सिद्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने का निरन्तर प्रयत्न करते हुए सुख प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए राज्य-संस्था ही ऐसी सर्वोपरि संस्था है जिसके बनाए हुए नियमों के अन्दर रहकर ही

वह अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए कार्य कर सकता है। सम्भव है उसके कुछ विधि-निदेशों को वह पसन्द करे और कुछ को वह विलकुल नापसन्द करे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राज्य-संस्था कुछ ऐसे कार्य कर सकती है जिनको उसके प्रति नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य करना भूल सकती है जिनको उसके प्रति करना चाहिए। वह राज्य-संस्था की इच्छा को तत्त्वतः इस प्रकार संस्कृत करना चाहता है कि जहाँतक हो सके वह अपने निज के अनुभव की शिक्षा के अनुरूप होजाय।

क्योंकि व्यक्ति केवल राज्य-संस्था का सदस्य ही नहीं है। जिस समाज का वह एक अङ्ग है, उसमें असंख्य स्वार्थ-घटक हैं जिनसे उसका सम्बन्ध हो सकता है। वह धर्मसंस्था (चर्च) का सदस्य, तीव्र व्यवसाय-संघवादी (ट्रेड-यूनियनिस्ट), फ्री-मेसन लॉज का उत्साही सभासद, अनिवार्य शीतला-टीका लगवाने के आन्दोलन का जवरदस्त समर्थक हो सकता है; वह शान्तिवादी हो सकता है जिसको सैनिक नौकरी के विरुद्ध धार्मिक आपत्ति रखना ही जीवन का मुख्य सिद्धान्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह साथ-साथ ऐसे सङ्घों से सम्बन्ध रखता है जो अपने पृथक्-पृथक् स्वार्थों की उन्नति करना चाहते हैं। वे सङ्घ अधिकतर राज्य-संस्था द्वारा निर्धारित नियमों की सीमाओं के अन्दर ही रहते हुए अपना कार्य करते हैं। राज्य-संस्था की इच्छा उस सीमा को निश्चित करती है जिनके अन्दर उन सङ्घों की इच्छाओं को कार्य करना चाहिए। क्रान्त की दृष्टि में, उनकी इच्छायें उनके सदस्यों

पर केवल उसी हद तक बाध्य होती है, जहाँतक वे राज्य-मंस्था के निश्चित किये हुए कानूनी विधि-निदेशों के अनुकूल हों।

परन्तु, चूँकि, व्यक्ति केवल राज्य-मंस्था का मदम्य ही नहीं है, इसलिए, वह केवल इसी कारण कि राज्य-मंस्था कानूनन समाज का सर्वोपरि सङ्गठन है, उसकी आज्ञापालन करने के लिए अपने को बाध्य नहीं समझता। उसका, निज का अनुभव भी महत्व रखता है। वह राज्य-संस्था के कार्यों का परीक्षण करता है। उसके अन्दर एथेनेशियस की वृत्ति भी है जो उसे राज्य-संस्था के कार्यों से अलग भी करती है और जोड़ती भी है। यदि उसकी धर्मसंस्था का संघर्ष राज्य-संस्था से होता है, तो वह निर्भय करता है, और वही निर्भय कर सकता है, कि उसकी निष्ठा दोनों में से किसकी ओर जानी चाहिए। यदि राज्य-संस्था उसके व्यवसाय-सङ्घ का दमन करने का निश्चय करती है तो उस दमन को स्वीकार किया जाय या नहीं इस बात के निर्णय करने में वह सहायता देता है। तात्पर्य यह है कि राज्य-संस्था सदा अपने कार्य सापेक्षता के वातावरण में करती है। उसमें सफलतापूर्वक बलप्रयोग करने के लिए सफलतापूर्वक समझाने की योग्यता भी होनी चाहिए। उसे व्यक्ति को यह अनुभव करवाना चाहिए कि उसकी भलाई उन कानूनी विधि-निदेशों के साथ संलग्न है जिनको वह स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है। वह उसकी निष्ठा को, राज्य-संस्था होने की हैसियत से नहीं, बल्कि राज्य-संस्था की हैसियत से जो कुछ करना चाहती है, उससे प्राप्त करती है।

हम इस बात का अनुभव, कि राज्य-संस्था का निष्ठा-प्राप्ति का अधिकार कुछ शर्तों पर निर्भर है, साधारणतः कदाचित् इसलिए नहीं करते कि सामान्यतः व्यक्ति आज्ञापालन करने में तर्क-वितर्क नहीं करता। राज्य-संस्था की शक्ति महान् है। जब उसका आघात उसके अस्तित्व के मूल पर ही पहुँच जाता है तभी वह उसकी सत्ता पर प्रहार करने की आवश्यकता का अनुभव करता है। परन्तु कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय आन्दोलनों के सामान्य इतिहास पर, या क्रान्तिकारी नेताओं और उनके सञ्चालित दलों के जीवनो पर, या १६१४ से पहले के इङ्गलैण्ड के स्त्री-मताधिकार सम्बन्धी हलचल के समान आन्दोलनों पर विचार करेगा उसे ज्ञात हो जायगा कि जब राज्य-संस्था की प्रवृत्तियाँ व्यक्ति की न्याय्यता की भावना पर प्रबल आघात पहुँचाती हैं तभी, अन्तिम सारासार-निर्णय करके, वह और उसके ही समान मत रखनेवाले उसके साथी उसके कार्यों से मतभेद प्रकट करने को तैयार होते हैं।

और, हम उनके मतभेद को तबतक निन्दित नहीं ठहरा सकते जबतक हम यह सिद्धान्त स्वीकार न करले कि व्यवस्था ही संसार में सबसे कल्याणकारी बात है। निश्चय ही, इस बात को कोई नहीं मानेगा। व्यवस्था अपने अभीष्ट प्रयोजन के कारण अच्छी है, स्वतः ही अच्छी नहीं है। जहाँ राज्य-संस्था के कार्यों से नागरिकों पर निरन्तर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ व्यवस्था कायम रखना, जिन बातों से जीवन जीवन-योग्य है, उनकी ही हत्या करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम राज्य-संस्था को अपनी निष्ठा सदा

इस शर्त पर देते हैं कि उसके उद्देश्य, हमारे अपने मामने स्थापित किये हुए उद्देश्यों को पूर्ण करते हो। उसका सर्वोपरित्व इस शर्त पर आश्रित है कि हम उसके शक्ति-प्रयोग को स्वीकार करें। उसे अपने कार्यों द्वारा हमारे अन्दर यह भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि उसका कल्याण होने में हमारा कल्याण भी समाविष्ट है। हमें यह अनुभव होना चाहिए कि उसके निश्चित किये हुए नियम उसके अन्य सदस्यों के लिए जितने सुखसाधक हो सकते हैं उससे कम हमारे लिए नहीं हैं। परन्तु जब वह इस प्रकार कार्य करने लगती है कि उसके कार्य हमारे गहरे अनुभवों के विरुद्ध पड़ते हैं, तो हमारे लिए उसका विरोध करना, यदि हम विरोध को परिणामकारी बना सके, आवश्यक होजाता है।

यही बात दूसरी तरह कही जा सकती है। राज्य-संस्था अपने नियमों की रक्षा इसलिए नहीं करती कि वे नियम हैं, बल्कि इसलिए कि उनसे व्यक्तिगत जीवनो पर कुछ विशेष परिणाम होता है। उसका प्रत्येक सदस्य सुखी होना चाहता है। इसलिए उस सदस्य को ऐसी अवस्थाओं की आवश्यकता होती है जिनके बिना सुख अप्राप्य है, और वह राज्य-संस्था विषयक अपना विचार अपने लिए उन अवस्थाओं को प्राप्त करा सकने की उसकी योग्यता के अनुसार बनाता है। परन्तु स्पष्ट है कि राज्य-संस्था प्रत्येक व्यक्ति के सुख प्राप्त होने का अभिवचन नहीं दे सकती, केवल इसी कारण कि कुछ अवस्थाएँ जिनपर सुख निर्भर है उसकी शक्ति के बाहर हैं। सम्भव है कि कोई व्यक्ति यह अनुभव करे कि किसी अमुक

स्त्री का प्रेम सम्पादित किये बिना उसका जीवन जीवन-योग्य नहीं है, परन्तु कोई नहीं कहेगा कि उसे राज्य-संस्था द्वारा उस स्त्री के प्रेम-सम्पादन का विश्वास दिलाए जाने का अधिकार है। हम इतना ही कह सकते हैं कि सुख-प्राप्ति के लिए कम-से-कम कुछ ऐसी सामान्य बातों की जरूरत है जिनका सब नागरिकों से समान सम्बन्ध है और जिन पर सन्तोष-जनक सामाजिक जीवन अवलम्बित है। राज्य-संस्था को, कम-से-कम ये बातें तो अपने सदस्यों को प्राप्त करानी ही चाहिएँ, यदि वह उनसे अपने नियमों का निरन्तर पालन कराने की आशा रखना चाहती है।

संक्षेप में, राज्य-संस्था के बनाये हुए नियमों से मालूम होता है कि उसके प्रति कुछ माँगे भी होनी चाहिएँ। क्योंकि, वह राज्य-संस्था क्या कर सकती है, यह बात स्पष्टतः उसके उद्देश्य से मर्यादित है, और इस उद्देश्य में राज्य-संस्था के समस्त नागरिकों के अधिकार भी समाविष्ट हैं, ताकि उद्देश्य सुरक्षित रह सके। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अधिकारों के सिद्धान्त से हमारा क्या तात्पर्य है, यह एक ऐसी शर्त है जिसके बिना, ऐतिहासिक अनुभव की दृष्टि से, व्यक्ति को विश्वास नहीं हो सकता कि वह सुख प्राप्त कर सकेगा। अर्थात्, हम यह तो नहीं कह सकते कि व्यक्ति के अधिकार नित्य हैं, स्पष्टतः वे समय और प्रदेश के अनन्तार मापेज हैं। परन्तु इस मापेक्षता के रहते हुए भी व्यक्ति को राज्य-संस्था में उमकी आज्ञाओं के पालन के लिए शर्त-स्वरूप उन अधिकारों की स्वीकृति पाने का अधिकार है।

इसका अभिप्राय समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका सम्भवतः यह है कि हम अपने जैसे समाज में एक सामान्य नागरिक की स्थिति की कल्पना करें। वह शारीरिक सुरक्षिता के बिना सुख की आशा नहीं कर सकता, समाज की साधारण और प्रतीक्षित अवस्था ही ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसे विश्वास रहे कि वह शारीरिक आक्रमण से सुरक्षित रहेगा। उसके पास जीविका के साधन होने चाहिए, इसका अभिप्राय यह है कि या तो उसका काम पाने का अधिकार अथवा, उसके तथा उसके अभाव में, योग्य भरण-पोषण पाने का अधिकार स्वीकृत किया जावे। परन्तु मोटे तौर पर यह कहने से कि काम पाने का हक है सभ्य जीवन की आवश्यकताये पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए इसका अर्थ यह होगा कि उसका अधिकार है कि उसे उचित वेतन पर और इतने निश्चित श्रम-घण्टों का काम मिले जिससे वह अपनी आजीविका प्राप्त करने के अतिरिक्त भी समाज में अपना महत्व प्राप्त कर सके। मेरा कहना है कि उचित वेतन मिले, इससे तात्पर्य है कि इतना पुरस्कार मिलना चाहिए कि जिससे सामान्य शारीरिक आवश्यकतायें पूर्ण हो सकें, और मनुष्य की अन्य आध्यात्मिक मांगों की पूर्ति में भी रुकावट न पड़े। मेरा कहना कि श्रम-घण्टों की उचित मर्यादा निश्चित होने का अधिकार भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी सभ्यता के अन्दर जिसमें यान्त्रिक औद्योगिक कलाओं की प्रधानता है, अधिकांश नागरिक अपने व्यक्तित्व की पूर्णता श्रम के समय में नहीं बल्कि विश्राम के समय में ही प्राप्त

कर सकते हैं। जो राज्य-संस्था कारखानेदारों को लोगों से उस प्रकार का अविश्रान्त श्रम लेने देगी, जिस प्रकार की 'औद्योगिक क्रान्ति' के प्रारम्भिक दिनों मे प्रायः लिया जाता था, वह उनके सुखप्राप्ति की सम्भावना को नष्ट ही कर देगी। इसलिए विश्राम-प्राप्ति के अधिकार के सम्बन्ध मे कानूनी विधि-निर्देश बनाने पर प्रत्येक सुव्यवस्थित राज्य-संस्था को जोर देना चाहिए।

परन्तु यदि राज्य-संस्था मे प्रत्येक व्यक्ति का सुख अवश्य विचारणीय हो तो उसे इससे भी कुछ अधिक की आवश्यकता है। उसे दूसरे मनुष्यों से अपने सम्बन्ध का ज्ञान होना चाहिए और उसे स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह इस सम्बन्ध के अपने अनुभव के परिणाम को व्यक्त कर सके। इस उद्देश्य-पूर्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और इसलिए शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार भी नागरिकता के लिए मूलभूत है। कारण कि, सामान्यतः, शिक्षा के बिना मनुष्य महान जगत मे, जिसे वह समझने मे असमर्थ होता है, हक्का-बक्का रह जाता है, वह अपने को अधिक-से-अधिक उपयोगी नहीं बना सकता, वह अनुभव के परिणाम की ठीक-ठीक छान-बीन नहीं कर सकता। आधुनिक सभ्यता की जटिलताओं के बीच अशिक्षित मनुष्य अन्धे के समान है, जो कारण और कार्य का सम्बन्ध नहीं समझ सकता। जो राज्य-संस्था अपने नागरिकों के लिए शिक्षा देने से इनकार करती है वह उनको उनके व्यक्तित्व की पूर्णता के साधनों से वञ्चित रखती है।

परन्तु अकेली शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। सम्भव है, वह नागरिक को ज्ञान प्रदान करे परन्तु फिर भी उसे अपने ज्ञान का उपयोग करने के अवकाश से वञ्चित रखे। और चूँकि उपयोग करने का अधिकार न देने का सामान्यतः अर्थ है लाभ उठाने का अधिकार न देना, इसलिए इस विषय में भी नागरिक के हित का संरक्षण करना आवश्यक है। इसके लिए चार अधिकार आवश्यक हैं। उसे स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपने मन के भाव को व्यक्त कर सके, उसे किसी उद्देश्य या उद्देश्यों की उन्नति के लिए अपने समान बुद्धि रखनेवाले अन्य नागरिकों के साथ, जो उम उद्देश्य या उद्देश्यों से सहमत हों, सम्मिलित होने का अधिकार होना चाहिए। उसे उन लोगों के चुनने में सहायता देने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए जो उस पर शासन करेंगे, और इस बात की स्वतन्त्रता भी होना चाहिए कि, यदि वह दूसरों को राज़ी कर सके कि वे उसे चुने, तो राज्य-संस्था के शासन-कार्य में स्वयं भी भाग ले सके।

इसका परिणाम दूसरे शब्दों में यह होगा कि कोई भी राज्य-संस्था अपने उद्देश्य को जिसके लिए उसका अस्तित्व है, तबतक पूर्ण नहीं कर सकती जबतक वह सार्वजनिक मताधिकार पर स्थित प्रजातन्त्र न हो, उसमें भाषण और सम्मेलन की स्वतन्त्रता न हो, और यह बात स्वीकार न की जाय कि जाति, मत, जन्म और सम्पत्ति नागरिक अधिकारों के प्रयोग में बाधक न होंगे। हमें यह बात केवल इसलिए माननी पड़ती है कि इतिहास का

अनुभव है कि मनुष्यों के किसी समुदाय का शक्ति से वञ्चित रहने का परिणाम यह होता है कि कभी-न-कभी वे शक्ति के लाभो से भी वञ्चित होजाते हैं। जो सरकार अपनी सत्ता की वल वृद्धि के लिए जिन लोगो का आश्रय लेती है, वह सदा उनकी मांगो के अनुरूप ही राज्य-सस्था की इच्छा को कार्य-परिणत करती है। इसलिए उस आश्रय-क्षेत्र को समस्त नागरिक-समूह के साथ मिला देने से ही इसकी सम्भावना अधिक-से-अधिक बढ़ सकती है कि सम्पूर्ण आवश्यकताओं का खयाल रक्खा जायगा। हमें इससे इनकार करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रजातान्त्रिक पद्धति में कुछ स्वाभाविक कठिनाइयाँ हैं, परन्तु राजनीति का कोई भी तत्व-ज्ञान, जबतक यह स्वीकार न करे कि सब नागरिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाने के लिए समान-रूप से अधिकारी है तब तक व्यक्ति की मांगो को पूर्ण करने का गम्भीर दावा नहीं कर सकता। और नागरिक की इच्छाये निरन्तर जोर के साथ राज्य-सस्था की इच्छा-शक्ति पर प्रभाव डाल सकें, इसके लिए एकमात्र तरीका यही है कि राज्य-सस्था की सरकार शासन-विधान के द्वारा उनका निश्चित-रूप से ध्यान रखने के लिए बाधित की जाय।

भाषण और सम्मेलन की स्वतन्त्रता के विषय में भी दो शब्द कहना आवश्यक है। राज्य में इससे अधिक आवश्यक बात दूसरी नहीं है कि मनुष्यों को उसकी समस्याओं पर अपने मन की बात स्वच्छन्दतापूर्वक प्रकट करने और जिन उद्देश्यो पर वे सहमत हैं उनकी पूर्ति के लिए मम्मिलित होकर स्वच्छन्दतापूर्वक कार्य करने

की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यदि ये बातें दण्डनीय कर दी जायँगी तो हमें निश्चय है कि अनुभव के परिणामों से मनु यों को बञ्चित रखा जायगा। राज्य-संस्था अरुचिकर सम्मति का दमन करेगी, और वह जिन उद्देश्यों को पसन्द नहीं करती उनकी पूर्ति चाहने-वाले स्वेच्छा-निर्मित सद्दों का सङ्गठन होना रोक देगी। चूँकि अनुभव भिन्न-भिन्न हुआ करता है इसलिए उसके परिणामों के अनुसार कार्य करने का अधिकार व्यक्तित्व-पूर्णता के लिए मूलभूत है। निःसन्देह, इस बात में बड़ी सचाई है कि राज्य-संस्था की अवस्था की परीक्षा इस कसौटी के अतिरिक्त और किसी प्रकार नहीं हो सकती कि वह अपने कानूनी विधि-निदेशों से भिन्न या विरुद्ध विचारों को सहन करती है या नहीं। दमन का प्रत्येक प्रयत्न, वास्तव में, इच्छा की पूर्ति रोकने का प्रयत्न है जो कभी महत्व प्राप्त कर सकता है। दमन के प्रयत्न से राज्य-संस्था का रुख समाज के केवल एक भाग के लाभ की ओर झुक जाता है।

तथापि हम नहीं कह सकते कि इन स्वतन्त्रताओं के उपभोग का अधिकार अपरिमित है। चूँकि राज्य-संस्था का कर्तव्य व्यवस्था को कायम रखना है इसलिए उसको चिन्ता रखनी चाहिए कि शान्ति स्थापित रहे। इसलिए उसे यह कहने का अधिकार है कि कोई भी उद्गार जो तात्कालिक अव्यवस्था को प्रत्यक्षत प्रोत्साहित करेगा दण्डनीय होगा; और, यह कहने का भी अधिकार होगा कि जो संस्था ऐसा कोई कार्य करेगी जिससे व्यवस्था की रक्षा कठिन हो जायगी तो वह भी दण्डनीय होगी। उदाहरणतः, इस बात को

लेकर वह किसी पुस्तक या पुरतिका का दमन कभी नहीं कर सकती, परन्तु मान लीजिए कि ट्रेफलगर चौक में कोई वक्ता उत्तेजित भीड़ को डाउनिंग स्ट्रीट पर धावा करने के लिए कहता है, तो वह उसको दण्डनीय कर सकती है। वह टॉलस्टॉय मत के अराजकवादियों की समिति को नहीं दवा सकती, क्योंकि स्व-परिभाषा से ही उनके सिद्धान्त बलप्रयोग के विरुद्ध हैं; परन्तु 'अल्स्टर स्वयंसेविकाओं' की भाँति यदि कोई समिति राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निदेशों का बलपूर्वक विरोध करने के लिए ही जान-बूझकर संगठित होगी, तो उसे दबाने का उसको अधिकार होगा। सामाजिक शान्ति के खतरे में पड़ने की सम्भावना से स्वतन्त्रता की सीमा सदा मर्यादित रहती है। जहाँ ऐसी आवश्यकता नहीं है वहाँ राज्य-संस्था का हस्तक्षेप करना अधिकार-वञ्चन मात्र है।

हम उन अधिकारों की उपेक्षा भी नहीं कर सकते जो व्यक्तित्व के हितों की रक्षा के लिए हैं। मनुष्य जिस धार्मिक मत को मानना चाहे उसे मानने का उसको अधिकार है, और जबतक उस मत-सम्बन्धी आचरण से सार्वजनिक शान्तिभंग होने की आशङ्का नहीं होती, तबतक राज्य-संस्था को उसमें हस्तक्षेप करने का भी अधिकार नहीं है। उसे न्याय-विचार सम्बन्धी पूर्ण संरक्षण पाने का भी अधिकार है। दोहरे खतरे की-सी बातें अर्थात् व्यक्ति क दण्ड देने के लिए किसी कृत्य के होजाने के बाद उसको अपराध की परिभाषा में लेना, विधिवत वारण्ट के बिना उसके मकान की

तलाशी होना, न्यायालय-सम्बन्धी व्यय की ऊंची दरों का रकमा जाना जिसमें निर्धनो के लिए न्यायालय पहुँचना ही अमम्भव हो जाय, ये सब ऐसे कार्यों के उदाहरण हैं जो व्यक्ति को अपने अधिकार-पूर्ति से वंचित करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व के हितार्थ भी भाषण-स्वातन्त्र्य पर एक निश्चित मर्यादा लगाना आवश्यक हो जाता है। अपने पडौसी के विषय में लांछनात्मक बातें कहने का अधिकार मुझे तबतक नहीं होना चाहिए, जबतक कि मैं यह सिद्ध न कर सकूँ कि (१) लगाया हुआ लांछन सत्य है, और (२) सार्वजनिक हित के लिए उसका प्रकाशन होना आवश्यक है, अन्यथा मैं दण्ड पाने का अधिकारी होऊँगा।

२

ऐसे अधिकारों का राज्य-संस्था में होना आवश्यक है, जिससे नागरिक को उपयुक्त व्यवहार पाने का विश्वास हो सके। इनके बिना वह स्वतन्त्र न होगा; तात्पर्य यह है कि इन अधिकारों के बिना उसे अनुभव होगा कि उसके व्यक्तित्व के व्यक्तीकरण पर लगाई हुई मर्यादायें उसकी पूर्णता-प्राप्ति की सम्भावना में भयङ्कर-रूप से बाधा पहुँचाती हैं। और, ये अधिकार जबतक सामान्य नहीं होते तबतक उसे आशा नहीं हो सकती कि उसे दूसरे मनुष्यों के समान समझा जाने का अभिवचन मिलेगा।

किसी भी समाज में, जहाँ इस प्रकार के अधिकारों का उपभोग करनेवाले मनुष्य संख्या में परिमित होते हैं, फिर चाहे संख्या किसी भी सिद्धान्त के असन्तार परिमित हो, वहाँ परिणाम यह पाया

जाता है कि राज्यके कार्यों का लाभ विशेषाधिकार-धारियों के लिए ही सीमित रहता है।

अधिकारों की इस भावना का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि किसी भी एक नागरिक को दूसरे नागरिक की अपेक्षा, केवल नागरिक होने की हैसियत से, अपनी माँगों की पूर्ति पाने का अधिक अधिकार नहीं है। जिन कानूनी विधि-निदेशों से नागरिकों के किसी समुदाय को भेदभाव-पूर्वक विशेष लाभ पहुँचे, उनसे जब तक यह सिद्ध न किया जासके कि इस भेदभावपूर्ण लाभ-प्राप्ति और समस्त समाज के कल्याण-प्राप्ति के बीच प्रत्यक्ष कारण-कार्यात्मक सम्बन्ध है, तबतक उनसे राज्य-संस्था के प्रयोजन पर आघात पहुँचता है, और उसका उद्देश्य खण्डित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राज्य-संस्था माँगों की पूर्ति में भेदभाव की रक्षा करती है तो उसे यह सिद्ध कर सकना चाहिए कि ये भेदभाव सर्व-साधारण के हित के लिए वाञ्छनीय हैं।

जो कोई आधुनिक सामाजिक जीवन की अवस्थाओं का विश्लेषण करेगा वह इस बात से अवश्य प्रभावित होगा कि व्यक्तिगत माँग की पूर्तियाँ अगम्य होती हैं। प्रयत्न और पुरस्कार के बीच विलकुल अनुपात नहीं है। राज्य-संस्था जो सुरिक्तता अपने नागरिकों को प्रदान करती है उसके समानीकरण करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। उसके कानूनी विधि-निदेशों के कार्य वर्तमान विशेषाधिकारों की वृद्धि की अपेक्षा रक्षा अधिक करते हैं। समाज के धनी और निर्धन, दो विभागों में विभक्त होजाने के

कारण राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निदेशों से धनिकों को ही लाभ पहुँचता है। और इसका तात्पर्य है कि जिस साम्प्रतिक प्रणाली के नीचे हम रहते हैं उसका परिणाम यह होता है कि मनुष्यों के जीवनो को सञ्चालित करनेवाले कानूनी विधि-निदेशों का अर्थ-निर्णय पक्षपात-पूर्ण होजाता है। इससे समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों की माँग की शक्ति इतनी भिन्न-भिन्न होजाती है कि, डिज्ब्रेली के प्रसिद्ध शब्दों में, वर्ग एक ही राष्ट्र की अपेक्षा दो भिन्न-भिन्न राष्ट्र के मालूम होने लगते हैं।

राजनैतिक तत्वज्ञान इस परिस्थिति से यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि यदि नागरिकों की स्थिति में बड़े-बड़े वास्तविक भेद होंगे तो राज्य-संस्था के उद्देश्य की रक्षा नहीं हो सकेगी। धनिकों और निर्धनों में विभक्त हुआ समाज वैसा ही है जैसे कोई कुटुम्ब अपने आपके विषय में विभक्त हो। जिस प्रकार निर्धनता से नीचेपन का भाव उत्पन्न होता है वैसे ही सम्पत्ति से वृथाभिमान उत्पन्न होता है। धनिक वर्ग अनिवार्य-रूप से अपने अधिक-से-अधिक लाभों की रक्षा का प्रयत्न करता है; और निर्धन लोगों को बाधित होकर उन लाभों के परिणामों का उपभोग करने के एकमात्र उपाय-स्वरूप उन पर आक्रमण करना पड़ता है। इसलिए यदि राज्य-संस्था अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहती है, तो उसे बाधित होकर अपने कार्यों को इस प्रकार संगठित करना पड़ता है कि जिससे इस वास्तविक विपत्ति के परिणामों को जान-बूझकर कम किया जा सके। कर-शक्ति के द्वारा उसे निर्धनों की माँगों

को पूर्ण करने के लिए धनिको से रुपया लेना पडता है। जो कोई यह देखेगा कि किस प्रकार पिछले पचास वर्षों मे उन्नीसवीं शताब्दि का पुलिस-राज्य बीसवीं शताब्दि का समाज-सेवा-राज्य बन गया है, उसे ज्ञात होगा कि विषमता अपने अस्तित्व को रिआयते देना स्वीकार करके ही क्लायम रख सकी है, जिसके लिए उसे व्यय भी देना पडता है। और ये रिआयते परिमाण मे बढ़ती ही जाती हैं। क्योंकि गरीबों के लिए शिक्षा या स्वास्थ्य या मकानों के प्रत्येक सुधार से अधिक रिआयतों की माँग तेज होजाती है। वे अनुभव करते हैं कि जो सामाजिक प्रणाली जीवन के श्रम और पुरस्कार को उचित अनुपात से सम्बन्धित नहीं करती वह अनुपयुक्त है। संक्षेप में, समानता की आकांक्षा मानवीय स्वभाव का स्थायी रूप है। जबतक कोई राज्य-संस्था इस भावना को सन्तुष्ट करने योग्य व्यवस्था नहीं करती तबतक वह सुरक्षित नहीं रह सकती; वह अपने सदस्यों को यह बात समझाना स्थगित कर सकती है कि उसके कानूनी विधि-निदेश, बाह्यरूप मे ही नहीं बल्कि वास्तव में, न्याय की सामान्य प्राप्ति के लिए हैं, परन्तु इसको बिलकुल टाल नहीं सकती। //

यहाँ हम कुछ सिद्धान्त उपस्थित करते हैं जो पूर्व-विचारित अधिकारों के दृष्टिकोण से उत्पन्न होते हैं। कानूनी विधि-निदेशों का कोई समूह स्थिर नहीं रह सकता। प्रति दिन वह भिन्न-भिन्न और प्रायः नवीन-नवीन परिस्थितियों पर प्रयुक्त किया जाता है। और नत्वज्ञान मे यह मानी हुई बात है कि जो लोग नियमों को कार्या-

न्वित करते हैं वही वास्तव में उनके स्वामी होते हैं। कानूनी विधि-निदेशों का सदा अर्थ-निर्णय करना पड़ता है। स्वतन्त्रता-पूर्ण भाषण की सीमा-रेखा कहाँ खींचनी चाहिए, कोई संस्था समाज के शान्तिपूर्ण जीवन के लिए ठीक कब विघ्न-स्वरूप हो जाती है, कोई विशेष कानून वाञ्छनीय है या नहीं है, क्या, उदाहरणतः, मजदूर-सङ्घों के स्वरूप से यह निष्कर्ष निकल सकता है या नहीं कि पार्लमेण्ट में उनको प्रतिनिधित्व मिले; क्या, जैसा कि संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) में हुआ, श्रम के घण्टों के निश्चित कर देने से डक़रार की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का भङ्ग हो जाता है या नहीं, इन और ऐसे ही अनेक प्रश्नों पर निर्णय करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में स्वार्थों के समानीकरण की बात समाविष्ट है; और इस बारे में स्पष्ट दृष्टि रखना सबसे पहले आवश्यक है कि यह समानीकरण कैसे प्राप्त किया जाता है।

जिस राज्य-संस्था में वर्गों के बीच में बड़े-बड़े वास्तविक वैपम्य हैं वहाँ होता यह है कि राज्य-संस्था के उद्देश्य धनिकों के हितों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। धनिकों की शक्ति अपनी इच्छाओं को राज्य-संस्था के कार्य कर्त्ताओं से सर्वप्रथम विचारणीय बनवा लेती है। उनकी कल्याण-सम्बन्धी विचार-दृष्टि शासन-तन्त्र के मानसिक वातावरण में अज्ञात रूप से व्याप्त हो जाती है। वे राज्य-संस्था के तन्त्र पर प्रभाव डाल लेते हैं। न्याय से उनका तात्पर्य होता है उनकी मांगों की पूर्ति। इतिहास की शिक्षाओं से उनका अभिप्राय होता है उनके अनुभव का संग्रह। उदाहरणार्थ

जो कोई इङ्गलैण्ड के मजदूर-सङ्घ सम्बन्धी कानून का वहाँ के न्यायाधीश क्या अर्थ लगाया करते थे इसके इतिहास पर विचार करेगा, विशेषतः प्रसिद्ध ऑस्वॉर्न मामले के फैसले के समान प्रकट किए हुए अर्थों पर विचार करेगा, वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि मध्यम वर्ग के न्यायाधीशों का मस्तिष्क श्रमिक वर्ग की आवश्यकताओं में प्रवेश ही नहीं कर सकता। जो कोई संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) के 'चौदहवें संशोधन' के इतिहास को देखेगा, वह यह कहे बिना नहीं रह सकता कि न्यायालय व्यापारी लोगों के साम्यवादी कानूनों की वृद्धि के विरुद्ध संग्राम करने के लिए हथियार रहे हैं। हाल में ही फिनलैण्ड में जो मताधिकार की अवस्थायें बदली गई हैं उसका इतिहास इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के कारखानेदारों को मजदूरी की दरे घटाने की सुविधा देने के लिए व्यवसाय-सङ्घ के सङ्गठन पर आघात किया गया है; इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य-संस्था के शासन-विधान की सारी व्यवस्था परिवर्तित की गई है। कम-से कम आधुनिक समय में तो, ऐसा बहुधा नहीं होता, कि प्रजातान्त्रिक मशीनरी को विकृत करने का इतना नग्न प्रयत्न इतने बल-पूर्वक किया जाय।

मैंने कहने का निष्कर्ष यह है कि जहाँ मांग को परिणामकारी बनाने की शक्ति राज्य-संस्था के सदस्यों में बहुत भिन्न-भिन्न होती है, वहाँ राज्य-संस्था का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता, और ऐसा वैषम्य आर्थिक व्यवस्था के कारण होता है। इस दृष्टि से राज्य-

संस्था कानूनी विधि-निदेशों के कार्यों के लिए, मित्राय कानूनी औचित्य के, अन्य औचित्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति-समूह को अधिकार है कि वह उनकी प्रामाणिकता के विषय में अपना मत बनावे, और अपने निर्णय के परिणामों के अनुसार कार्य करे।

इससे कानून की एक व्याख्या निकलती है, जो राजनैतिक तत्वज्ञान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रतीत होता है कि कानून समाज की उस इच्छाशक्ति की पूर्ति है जिम्ने अपने आपको परिणामकारी बनाने की विधि जान ली है। कानून को मान्यता पाने का अधिकार केवल इसीलिए नहीं है कि वह बलवान है। उसका मान्यता पाने का अधिकार उस परिणाम के कारण है जो वह व्यक्तिगत नागरिकों के जीवनो पर करती है। इस परिणाम की जाँच भी केवल नागरिक ही कर सकते हैं; और इसीलिए कानून की न्याय्यता उसके सम्वन्ध में उन लोगों के निर्णय पर निर्भर है। इसलिए अपने उद्देश्यों के स्वरूप के कारण, राज्यसंस्था को अपनी अन्तर्गत संस्थाओं का इस प्रकार संगठन करना पडता है, कि उसके कानूनी विधि-निदेशों पर उसके नागरिकों का निर्णय पूर्णतया प्रकट हो सके, और उसको समानतया महत्व दिया जा सके। क्योंकि, अन्यथा राज्य-संस्था के परिणाम उपयुक्त बलशाली रीति से मालूम नहीं हो सकते। उसकी पूर्ति बलशाली नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रह जाती है; और चूँकि उनका अनुभव शेष समाज के स्वार्थों से भिन्न है, अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वह पूर्ति उनके ही लाभ की ओर

प्रवृत्त होती है। ऐसी परिस्थिति में, राज्य-संस्था को मान्यता पाने का जो हक्क मिल सकता है वह उसकी सत्ता के विरोध के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होनेवाली गडबडी के आधार पर ही मिल सकेगा। हम यह मान सकते हैं कि यह हक्क जबरदस्त है। चूँकि सत्ता के विरोध का मूल्य बहुत अधिक होता है इसलिए वह सदा अन्तिम शस्त्र होना चाहिए। यहाँ जिस दृष्टिकोण का ग्रहण किया गया है उसके अनुसार यह मानना कि वह कभी काम में नहीं आना चाहिए गलत होगा। कानून का विरोध करने का अधिकार समाज की एक ऐसी सञ्चित शक्ति है जिसके द्वारा जिन मनुष्यों की माँगों की पूर्ति नहीं की जाती, वे वैध रूप से राज्य-संस्था में शक्तियों के तारतम्य को बदलने की इच्छा कर सकते हैं।

इसलिए कानून माननीयता पाने का दावा करनेवाली एक ऐसी शक्ति है जिसकी प्रामाणिकता उसके परिणामों के अनुभव पर निर्भर है। कानून के दावे, और किसी व्यक्ति या व्यक्ति-सङ्घ के अनुभवों से निकले हुए किसी नियम के दावे के बीच, सिवाय इसके कि अपनी आज्ञाओं का पालन कराने के लिए राज्य-संस्था के पास बलप्रयोग है, अन्य कोई स्वाभाविक अन्तर नहीं है। राज्य-संस्था द्वारा बनाये हुए नियमों की प्रामाण्यता केवल बल के कारण है; और बल में स्वतः नैतिकता नहीं है। इसलिए जहाँ राज्य-संस्था किसी धर्म-संस्था के या किसी व्यवसाय-सङ्घ के या कम्यूनिस्ट दल जैसी किसी संस्था के सङ्घर्ष में आती है, वहाँ राज्य-संस्था को केवल इसलिए कि वह राज्य-संस्था है निष्ठा प्राप्त करने का हक्क

नहीं है। उसका हक, उस संघर्ष से सम्बन्ध रखनेवाले मनुष्यों के तद्विषयक दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। उसको विजय पाने का अधिकार तभी है जब वह अपने नागरिकों को यह सिद्ध करदे कि उसके कानूनों के परिणाम-स्वरूप उनके जीवन अधिक तत्त्वपूर्ण होजायेंगे। उसका सर्वोपरित्व अपने सदस्यों के जीवनो को उत्तम बनाने की शक्ति के कारण है।

३

इस व्याख्या पर भिन्न-भिन्न कारणों से भिन्न-भिन्न आपत्तियाँ की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह कोई ऐसी सुन्दर व्याख्या नहीं है जिससे पूर्ण सुसम्बद्ध सामाजिक संस्थाओं का नमूना उपस्थित होता हो। यह न केवल अराजकता के लिए ही गुंजाइश रखती है, प्रत्युत बताती है कि ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जब अराजकता उचित हो सकती है। यद्यपि यह राज्य-संस्था को कानूनी व्यवस्था की हैसियत से सर्वोपरि बताती है, तथापि तत्काल ही उस सर्वोपरि सत्ता में से शुद्ध कानूनी से अतिरिक्त सब प्रकार के महत्व को छीन लेती है। इस व्याख्या के अनुसार राज्य-संस्था को समाज की अन्य सब संस्थाओं के साथ नागरिकों की निष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता करनी चाहिए; और यह जहाँ उनके बीच संघर्ष हो वहाँ राज्य-संस्था को विजय का अभिवचन नहीं देती। यह राज्य-संस्था के कानून को न्याय से विलकुल पृथक् बताती है; और यद्यपि राज्य-संस्था का तात्वज्ञानिक प्रयोजन बताती है, तथापि उस प्रयोजन को उसके कार्यों में स्वाभाविक-रूपेण अन्तर्निहित नहीं मानती।

मैं यह नहीं कहता कि क्लान्न् की उदर्युक्त व्याख्या पर यहाँ गिनाई हुई सब आपत्तियाँ उत्पन्न नहीं होती। परन्तु क्या उनमें से एक भी आपत्ति महत्वपूर्ण है? कुछ भी हो, जीवन की समस्त अभिव्यक्तियाँ इतनी जटिल और भिन्न-भिन्न हैं कि वह एक सूत्र में बाँधी नहीं जा सकती। राज्य-संस्था में अराजकता की कुछ-न-कुछ सम्भावना तो तबतक अवश्य रहेगी जबतक मनुष्य पर-स्पर-विरोधी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भिन्न-भिन्न रीति से प्रयास करते रहेंगे; और यह कोई नहीं कह सकता कि राज्य-संस्था की आज्ञा पालन करने से इनकार करना सदा औचित्य-रहित है। यह सत्य है कि इस व्याख्या के अनुसार राज्य-संस्था का सर्वोपरि स्वरूप केवल नैयमिक उद्गमस्थान बताने के लिए है। इसको इसके प्रतिरिक्त और कुछ मानना निश्चय ही तबतक असम्भव है, जब तक यह न पाना जावे कि उसके सब कार्यों में सदा बुद्धिमत्ता ही रहती है, जो अनुभव के प्रत्यक्ष विरुद्ध है। यह भी सत्य है कि इस विचार-सरणी के अनुसार राज्य-संस्था को नागरिकों की निष्ठा प्राप्त करने के लिए समाज की अन्य सब संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। परन्तु, फिर भी, क्या यह बात वास्तव में स्पष्ट नहीं है कि राज्य-संस्था इस प्रकार प्रतियोगिता करती है? जो कोई, विस्मार्क और रोमन कैथॉलिक मत के बीच, सिनफीन और ब्रिटिश सरकार के बीच, रिसार्जीमेण्टो के समय में ऑस्ट्रिया और उसके इटैलियन नागरिकों के बीच, अथवा अन्तिम उदाहरण-स्वरूप जारशाही रुम और क्रान्तिकारी संस्थाओं के बीच, के जैसे संघर्षों

के इतिहास पर विचार करेगा. उसे सचमुच यह कहना कठिन होगा कि जबतक राज्य-संस्था के सदस्यों की माँग अपूर्ण रहती है तबतक वह अन्य शर्तों पर जीवित रही है या रह सकती है। और अमेरिका के मद्य-निषेध के अनुभव से यह बात विलकुल स्पष्ट होजाती है कि जहाँ राज्य-संस्था के विधि-निर्देशों का तत्व उन लोगों को न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिनपर वे लागू किये जाते हैं, वहाँ वह उनको उपयुक्त रीति में पालन करा सकने की आशा नहीं कर सकती।

कहा जाता है कि यह व्याख्या कानून को न्याय से पृथक् कर देती है। यह सचमुच एक को दूसरे से पृथक् करती है, परन्तु उसी प्रकार करती है जिस प्रकार हम जीवन-व्यवहार में करते हैं। जब हम कहते हैं कि अमुक कानून अन्याय-पूर्ण है, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कानून और न्याय के बीच में कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है, इन दोनों के बीच की सन्धि-पूर्ति कानून के परिणाम द्वारा होती है वे जब इसे न्यायपूर्ण स्वीकार करते हैं, तब यह न्यायपूर्ण बनता है। सक्षेपत बनाया हुआ कानून स्वभावतः न न्यायोचित होता न अन्यायोचित, उसका न्यायपूर्णता का गुण उसके प्राप्त करनेवाले द्वारा आरोपित किया जाता है। चूँकि कानून का प्रयोजन माँग को पूर्ण करना है, इसलिए वह अपने कर्तृत्व को पूर्ण करने की सफलता या असफलता के कारण ही अच्छा या बुरा बनेगा। और यह बात इसी प्रकार मालूम हो सकती है कि जो लोग इसके सम्पर्क में आवे वे इसके कार्य के

परिणामों पर अपना मत प्रकट करे। उदाहरणतः, यदि मनाधिकार सम्बन्धी कानून मत-प्रदान के अधिकार को केवल पुरुषों के लिए ही सीमित रखता है और यदि स्त्रियाँ उसको अन्यायपूर्ण कहकर निन्दित ठहराती हैं, तो हम यह नहीं कह सकते कि कानून न्याय-पूर्ण है। यदि १६२७ के ब्रिटिश-व्यवस्था-संघ सम्बन्धी कानून को व्यवसाय-संघ-वादी लोग व्यापकरूप से वर्ग-विशेष का हितरक्षक बताकर निन्दित ठहराते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि वह न्यायपूर्ण है। यह दोनों विधान कानून हैं, क्योंकि यह उम सत्ता द्वारा प्रकाशित किये गये हैं जिसको इस विषय में कानून बनाने का नियमानुसार अधिकार है, परन्तु दोनों तबतक न्यायोचित नहीं हो सकते जबतक कि जिन लोगों पर इनके परिणाम होंगे वे इन्हे स्वीकार न करे।

राज्य-संस्था का अस्तित्व जिस तात्वज्ञानिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए है वह इस व्याख्या के अनुसार इसके कार्यों में नहीं पाया जाता, इस आपत्ति से भी हमें प्रभावित होना आवश्यक नहीं है। यह भी प्रत्यक्ष वास्तविकता है। क्या आजकल की परिस्थिति में प्रत्येक नागरिक का जीवन ऐसा है कि वह अपनी सारी निहित शक्तियों को पूर्ण विकसित कर सके? तात्पर्य यह है कि क्या राज्य-संस्था वास्तव में उसको वह समस्त अधिकार दे देता है जिनके बिना उसके व्यक्तित्व की पूर्णता का होना मैंने असम्भव बताया है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे हम ठीक तरह से राज्य-संस्था के स्वरूप का निर्णय कर सकें। कोई भी व्यक्ति ईसा-

नदारी से नहीं कह सकता कि सन् १७८६ में पहले की फ्रांस की राज्य-संस्था या सन् १६१७ से पहले की रूस की राज्य-संस्था अपने मारे प्रजाजन के हितकारी कानूनी विधि-निर्देश बनाती थी, और उसके प्रजाजन उनको हितकारी समझते थे। यदि इसका यह उत्तर दिया जाय कि राज्य-संस्था को इतना श्रेय तो देना ही चाहिए कि उसमें कल्याण भावनाये या यथाशक्ति प्रयत्न करने की इच्छा तो थी, तो निश्चय ही इसका प्रत्युत्तर यह होगा कि इस मामले पर केवल उसके कार्यों के परिणामों पर रहनेवाले लोग ही निर्णय दे सकते हैं। १७८६ में फ्रान्सवासियों और १६१७ में रूसवासियों ने स्पष्टतया निर्णय किया था कि जिस पद्धति के नीचे हम रहते हैं वह हमारी माँगों को पूर्ण नहीं करती, जिनके पूर्ण होने का अधिकार हमारे मतानुसार हमको है। मैं नहीं समझता कि हम कैसे इस निर्णय के विरुद्ध जा सकते हैं।

४

निष्कर्ष यह है कि यदि किसी राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निर्देशों को न्यायोचित मानना हो तो उनको राज्य-संस्था जिस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहती है उस दृष्टि से देखना चाहिए, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे हेतुहेतुमद् रूप में लिखे हुए स्थायी निबन्ध हैं। और यदि हम राज्य-संस्था को इस दृष्टि से देखें तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वह एक निक्षेप (ट्रस्ट) है, और उसकी सफलता (वचनपूर्ति) का निर्णय वे लोग करेंगे जिनको अधिकार है कि उसके कार्यों से लाभ पाने की आशा करें।

अब यदि सूक्ष्म विवेचन करके देखे तो कह सकते हैं कि सरकार कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो राज्य-संस्था के नाम से आज्ञाये निकालते हैं। उनके हाथ में शक्ति का रहना उनकी बुद्धिमत्तापूर्वक आज्ञाये निकालने की योग्यता पर निर्भर है। वे भिन्न-भिन्न अंश में गुरुता रखनेवाली असंख्य मांगों से घिरे रहते हैं, जो उनसे पूर्ति चाहती हैं। सरकार की हैसियत से उनके कार्यों की बुद्धिमत्ता मांगों की अधिक-से-अधिक पूर्ति करने की योग्यता पर निर्भर है। और मांगों की अधिक-से-अधिक पूर्ति करने के लिए, वे अपने प्रजाजन के मतो और इच्छाओं को जितनी अधिक पूर्णता से जानेंगे उतनी ही अच्छी तरह वे अन्दाज लगा सकेंगे कि उन्हें कौन-सी नीति ग्रहण करनी चाहिए। इसी कारण समाज में स्वतन्त्रता और समानता महत्वपूर्ण हैं। स्वतन्त्रता के कारण ही यह सम्भव है कि मांगों विधिवत उपस्थित की जा सकें, और समानता के कारण ही हमें यह विश्वास हो सकता है कि उनपर उचित गौर किया जायगा।

स्वतन्त्रता और समानता दोनों तभी रहती हैं जब कि वे अधिकार, जिनका मैंने वर्णन किया है, राज्य में सक्रिय रूप से प्रयोग में आते हों। परन्तु चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है इसलिए यह भी सत्य है कि राजनैतिक रूप से वह परम्परा के हाथ की कठपुतली है। वह व्यक्ति की हैसियत से अपनी शक्ति को प्रायः नहीं पहचानता, और यदि पहचानता हो तो भी व्यक्ति की हैसियत से अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान आकर्षण करने योग्य

प्रायः विलकुल नहीं होता। आधुनिक राज्य आकार-विस्तार में इतने बड़े हैं कि व्यक्तिकी आवाज़ तो उनमें अरण्यरोदनके समान होजाती है। व्यक्ति जब अपने समान विचार रखनेवाले अन्य व्यक्तियों के साथ अपने अधिकारों को मनवाने के लिए मज्झिठ होता है, तभी आशा हो सकती है कि उसकी माँग परिणामकारी होगी। इसीलिए संस्थाओं या संघों का बहुत बड़ा महत्व है। वे इस बात का ज्ञान कराते हैं कि जिस अनुभव पर कदाचित् अन्यथा ध्यान न दिया जासके उसका कितना महत्व है। वे मनुष्यों के स्थयं किये हुए उन प्रयत्नों के फलस्वरूप हैं जिन्हें उन्होंने दुनिया में अपने लिए स्थान प्राप्त करने के लिए किया था। निःसन्देह सभी प्रकार के संघ राज्य-संस्था के प्रयोजन के लिए सज्जत नहीं हैं, उदाहरणार्थ, क्रिकेट-सङ्घ प्रायः राजनैतिक सम्बन्ध नहीं रखता। परन्तु कई संस्थाओं की सफलता अपने प्रयत्नों के परिणाम को राज्य-संस्था के कानूनों के रूप में परिवर्तित करने की अपनी शक्ति पर ही निर्भर है। कारखानेदारों का संघ, मजदूर-संघ और राष्ट्रीय अभिनय-शाला की उन्नति करनेवाली संस्था, ये सब अपनी इच्छाओं को राज्य संस्था की इच्छा में समाविष्ट करवाना चाहती हैं। उनके अस्तित्व की सार्थकता राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निदेशों के तत्व को बदलने का प्रयत्न करनेके कारण ही है।

और, स्वेच्छानिर्मित सङ्घ आवश्यकताओं को पूर्ण करने की अपनी शक्ति द्वारा जीवित रहते हैं। राज्य-संस्था उन्हें जीवन-प्रदान नहीं करती: और वे १८२४ से पहले के ब्रिटिश मजदूर-सङ्घों की

भाँति बहुधा राज्य-संस्था की अप्रसन्नता के होते हुए भी जीवित रहते हैं। वे मनुष्यों की अनुभवजन्य आवश्यकताओं के स्वयमुद्भूत व्यक्तरूप हैं। चूँकि समाज की जीवन-प्रवृत्ति इतनी विस्तृत है कि उसपर केवल राज्य-संस्था द्वारा ही शासन होना चाहे अभीष्ट भी हो पर असम्भव है, इसलिए उसकी प्रगति का बहुत कुछ भाग इन सद्बलों पर ही निर्भर है। सचमुच यह कहा जा सकता है कि समाज में सद्बल-जीवन जितने विविधप्रकार का होगा, उसको मिलने-वाला संतोष भी उतना ही पूर्ण और उत्कृष्ट होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य-संस्था सद्बलों के जीवनो में जितना कम हस्तक्षेप करेगी, दोनों के लिए उतना ही अच्छा होगा। उसकी सर्वोपरि सत्ता उनके ऊपर यथाशक्य केवल नैयमिक (formal) और अप्रदर्शित रहनी चाहिए। उसे उनके अस्तित्व रखने के स्वाभाविक अधिकार को स्वीकार करना चाहिए, और उसे यह भी मानना चाहिए कि जीवन के कुछ ऐसे पहलू भी हैं, उदाहरणतः धार्मिक पहलू, जिनपर यदि वह अपनी प्रधानता का जोर डालने का प्रयत्न करेगी तो उमका परिणाम सामाजिक अवनति होगा। क्योंकि जहाँ मौलिक विश्वासों का सम्बन्ध है, वहाँ नागरिकों के लिए अपनी विचार दृष्टि को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छापूर्वक चुने हुए मद्बल जितना आकर्षण रख सकते हैं उसके सामने राज्य-संस्था की आज्ञा मारहीन और निरर्थक प्रतीत होगी। इस सम्बन्ध में, राज्य की सर्वोपरि सत्ता इतनी भावनायुक्त नहीं होती कि उसके प्रति परिणामकारी और सफल निष्ठा होमके।

इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि वास्तव में प्रत्येक समाज स्वरूपतः बहुघटनात्मक (मूर्धन्य) है। नैयमिक कानून की बात छोड़ दे तो राज्य-संस्था अन्य संस्थाओं के समान ही एक है, उनसे अधिक और उच्च नहीं है। उनके कानूनी विधि-निर्देशों को सफलता इसलिए मिलती है कि उनका अन्य संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों के लिए बनाये हुए विधि-निर्देशों के साथ सजीव (आनन्दप्रद) सम्बन्ध होता है। और राज्य-संस्था को वास्तव में अधिकांश-रूप से उन्हीं संस्थाओं में पाई जानेवाली उन माँगों को कानून का रूप देना चाहिए जिनसे समाज में सबसे अधिक सम्पूर्ण सन्तोष हो सके। और उसे, जिन मनुष्यों पर कानून के कार्यों का परिणाम होनेवाला है, उनसे विचार-विमर्श का पूर्ण प्रयत्न किये बिना कानून बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि सफल कानून प्रायः सदा वही होता है जिसके साथ अधिक-से-अधिक अनुभव का संग्रह हो। उदाहरणतः प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इंग्लैंड की 'स्वास्थ्य-बीमा' जैसी योजना को सफलता तभी मिली है जब उसके बनने से पहले प्रत्येक बात पर डाक्टरों के संघों और प्रतिष्ठित संस्थाओं से विचार-विमर्श किया गया था। इस कानून ने अच्छा काम इसलिए दिया है कि उसको लागू करते समय प्रत्येक पद पर जिन मनुष्यों को उसके विषय का अनुभव है या जिनका उसके कार्य के परिणाम से सम्बन्ध है उनको पूर्ण विश्वास दिलाने का हर तरह प्रयत्न किया गया है। जिन लोगों पर कानून का परिणाम

होता है उनके साथ होनेवाला विचार-विमर्श, चाहे मतैक्य पैदा करे, कम-से-कम उसके मन पर इतना प्रभाव तो उत्पन्न करता ही है कि निर्णयो के करने में उनके ज्ञान का प्रयोग किया गया था। कानून बनानेवाली इच्छाशक्ति तो राज्य-संस्था की ही रही, परन्तु कानून बन जाने तक का क्रम ऐसा रहा जिससे नागरिकों में यह भावना उत्पन्न नहीं हुई कि राज्य-संस्था उनसे ऊंची या उनके विरुद्ध है। वे अपने अन्दर उत्पादक आनन्द की उस भावना को अनुभव करते हैं जो कानून-निर्माण-क्रम के सक्रिय और आवश्यक अङ्ग होने के फलस्वरूप पैदा होती है।

यह उदाहरण एक महत्वपूर्ण सत्य का दिग्दर्शन कराता है। चूंकि समाज आवश्यकरूप से बहुघटनात्मक है, इसलिए कानून का अद्वैतसत्तात्मक रूप जितना शुद्ध नैयमिक रहेगा समाज के लिए उतना ही अच्छा होगा। स्वार्थघटक, जिन्हें हम संस्थाये (या सघ) कहते हैं, शासनक्रम के साथ, जितना पूर्णता से सम्बन्धित रहेंगे, उतना ही सफल न केवल बनाये जानेवाले कानून का तत्व ही होगा बल्कि उसके बन जाने के बाद उसका कार्य भी शासन-विधानानुसार चुनी हुई सरकार, जबतक वह सरकार है, अपने निर्णय स्वयं करने के अधिकार को छोड़ नहीं सकती; परन्तु साथ ही यह बात भी माननी पड़ेगी कि सम्भवतः वही सरकार सरकार रह सकती है जो अपने नागरिकों को यह विश्वास दिला दे कि वह उनकी माँगों को पूर्ण करने के प्रयत्न करती है।

लेते हैं तो उस विश्वास को उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन संस्थाओं को शासन-संचालन के क्रम के साथ प्रत्यक्षत और पूर्णतः सम्बन्धित कर दिया जावे। जिम परिवर्तन का जिन मनुष्यों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसके विषय में यदि उनसे विचार-विमर्श नहीं किया जाता तो उनके हृदय में उसकी न्याय्यता के विषय में विश्वास या उसकी सम्भावनाओं के विषय में सदिच्छा उतनी नहीं हो सकती जितनी उन मनुष्यों के हृदय में हो सकती है, जो यद्यपि जानते हैं कि उनके अनुभव को ग्रहण नहीं किया गया फिर भी अनुभव करते हैं कि उनकी विचार-दृष्टि को समझने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। आधुनिक सरकारों की बहुत कुछ असफलता इस कारण हुई है कि उनकी संस्थाएँ, जिन स्वार्थों को सन्तोष देना चाहिए, और अपनी कार्य-प्रगति से जिनको सहयोग और रक्षा प्रदान करना चाहिए, उनके विरुद्ध पड़ती हैं।

इसके अतिरिक्त, इस मत से, एक और सिद्धान्त निकलता है जिसका महत्व कुछ कम नहीं है। चूँकि समाज स्वरूपतः बहुघटनात्मक है इसलिए राज्य-संस्था में शक्ति जितने व्यापक रूप से बिखरी हुई होती है उसके कार्य भी उतने ही सफल होते हैं। इसके औचित्य के लिए तीन मौलिक कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्यों पर कानूनो के परिणाम के लिए जितना उत्तरदायित्व होगा, वे उसके परिणाम के विषय में उतनी ही रुचि रखेंगे। अत्यन्त केन्द्रीकृत राज्य-संस्था में, आज्ञापालन सजीव

(आनन्दप्रद) कभी नहीं होता । वह जडवत् और निष्क्रिय होता है, और उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की भावना जो गुरुतापूर्ण अवसरों पर मदा आवश्यक होती है, आवश्यकता पडने पर नहीं पाई जाती । दूसरी बात यह है कि केन्द्रीकरण समान-रूपता पैदा करता है; उसमे काल और देश का ध्यान नहीं रहता । उसके कार्य इतने बडे परिमाण मे होते है कि नये प्रयोगों का होना दुष्कर होजाता है, और असफलता का मूल्य प्रायः इतना अधिक होता है कि कोई भी शासन-संचालक, जिसका प्रथम सिद्धान्त कम-से-कम गलती करना हो नवीनता की ओर आकर्षित नहीं हो सकता । और अन्तिम बात यह है कि केन्द्रीकरण का परिणाम होता है शासन-कार्य मे समय की समस्या के साथ न चल सकना । मन्त्रि-मण्डल और व्यवस्थापिका सभा जैसी संस्थाये दिन मे निश्चित घण्टे ही काम कर सकती हैं । केन्द्रीभूत प्रणाली मे उनके निघटाने के लिए बहुत अधिक संख्या मे और बहुत प्रकार के प्रश्न रहते है । इस कार्यभार का फल यह होता है कि जिन अनेक बातों पर विचार किया जाना चाहिए उनपर विचार ही नहीं किया जाता, और बहुधा जिस बात पर पूर्णतम विचार करने की आवश्यकता होती है उसपर जल्दी-जल्दी में बहस कर ली जाती है । इस स्थिति मे उत्पन्न होनेवाले खतरों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्राजकल ब्रिटेन की राजनैतिक मन्थाये उपस्थित करती हैं । जिस पार्लमेण्ट पर भारतवर्ष का उत्तरदायित्व है, उसको उसके प्रश्नों पर ध्यान करने के लिए वर्ष मे सामान्यत केवल दो दिन मिल पाते

है; और मन्त्रिमण्डल बजट को पहली बार हाउम आव कामन्स में पेश होने के कुछ घण्टे पहले ही देख पाता है ।

सौ वर्ष पहले तो केन्द्रीकरण आजकल से कम भयङ्कर था, क्योंकि उस समय राज्य-संस्था के कार्यों का क्षेत्र बहुत ही छोटा था । आजकल की भाँति, जहाँ राज्य-संस्था की उँललियाँ समाज-रूपी भवन के प्रत्येक कोने और सन्धि में गहरी पहुँचती हैं, वहाँ तो शीघ्र और स्थित्यनुकूल कार्य करना आवश्यक होता है, परन्तु इसके लिए मेरे विचारानुसार एक ऐसी निष्केन्द्रीभूत राज्य-संस्था होनी चाहिए, जिसके अन्तर्गत ऐसी संस्थाये हो, जिनका उसके कर्तृत्वो से उपयुक्त सम्बन्ध हो । इस समस्या का स्वरूप केवल भौगोलिक ही नहीं है । निःसन्देह यह तो आवश्यक है कि लन्दन और मेचेस्टर, न्यूयार्क, बर्लिन और पेरिस नगर स्थानीय स्वरूप के मामलो में केन्द्रीय सरकार के प्रति पूर्ण उत्तरदायी और उसकी ओर से पूर्ण स्वतन्त्र होने चाहिएं; और उन्हे स्थानीय मामलो में नवीन-नवीन प्रयत्न करने के लिए उस सरकार से अधिकार लेने की आवश्यकता न रहनी चाहिए । परन्तु, समानरूप से, यह समस्या कर्तृत्व सम्बन्धी भी है । जिस तरह लङ्काशायर या कान्सस या वेडन को शासन-सम्बन्धी अपनी उचित संस्थाओ की आवश्यकता है, उसी प्रकार सूती वस्त्र-व्यवसाय जैसे स्वार्थ-घटको को भी अपने योग्य शासन-सम्बन्धी संस्थाओ की कम आवश्यकता नहीं है । उनका भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें, उपयुक्त संरक्षणो के साथ, उनको अपने शासन-कार्य के लिए ठीक उसी प्रकार के

नियम बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार वीयना या लिवरपूल या टोकियो नगर को। सारे कानून-निर्माण को, अथवा सारे ही न्याय-विज्ञान को प्रादेशिक आधार पर रखना समाज में काम करनेवाले स्वार्थों के स्वरूप को गलत समझना होगा। जबतक हम राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निदेशों को समय-समय पर उन के लिए उपयुक्त होनेवाली संस्थाओं से सम्बन्धित नहीं कर सकेंगे। आधुनिक सभ्यता की बहुत कुछ उद्विग्नता इस कारण रही है कि, राज्य-संस्था जिस समाज का सूत्र-सञ्चालन करती है उममें उसकी संस्थाये, अन्य परिवर्तनों, विशेषतः आर्थिक परिवर्तनों, के साथ नहीं चल सकीं।

५

इस विवेचन का सार यह है कि राजनैतिक तत्त्वज्ञान में हमें सबसे अधिक आवश्यकता राज्य-संस्था सम्बन्धी ऐसी व्याख्या ढूँढ निकालने की है जिसका लक्ष्य कानून का निरन्तर समाजीकरण (Socialisation) करना हो। आधुनिक राज्य-संस्था की निर्बलता उन धारणाओं के कारण है जिन पर उसके कानूनी विधि-निदेश अवलम्बित हैं। वह समस्त सामाजिक प्रणालियों की भाँति न्याय के किमी विशेष विचार को लेकर सङ्गठित है। परन्तु उस विचार के अनुसार व्यक्ति सम्पत्ति का स्वामी माना जाता है, और उसमें उसकी रक्षा करने का ही सबसे अधिक ध्यान रक्खा गया है। वह अठारहवीं शताब्दि का तत्त्वज्ञान है, वह स्वेच्छाचारी शक्ति के आवरण में अपने आपको मरक्षित करने की मध्यमवर्ग की

अभिलाषा का व्यक्त रूप हैं। परन्तु जो स्वतन्त्रता और सामानता उसके अनुसार मिलती हैं वह सम्पत्ति-स्वामी की स्वतन्त्रता और सामानता हैं; इस विचार-दृष्टि से जो कोई फ्रान्स् और जर्मनी के दीवानी कानूनो का परीक्षण करेगा उमें उनके आधारभूत सिद्धान्तो पर से यह जानना कठिन होगा कि ऐसे स्त्री पुरुष भी बहुत हैं जिनके पास काम मे लाने के लिए अपनी श्रम-शक्ति के सिवाय अन्य सम्पत्ति नहीं है। उस विचार के अनुसार ऐसे मनुष्यों की इत्तरार की स्वतन्त्रता सुरक्षित की गई है। परन्तु यह कल्पना करना कि इनके हाथो मे इनको काम देनेवाले कारखानेदारो के मुक्तावले मे इत्तरार की स्वतन्त्रता रहती है केवल भ्रम है। इसलिए हमारे सामने आवश्यकता इस इस बात की है कि जो विशेषाधिकार हमारे विधि-निदेश प्रदान करते हैं उनको वास्तव मे सारे नागरिको के समूह के लिए विस्तृत कर दिया जाय।

वास्तव मे आज हमारी स्थिति, रोम के साधारण वर्ग के लोगो की जो स्थिति विशेष न्यायमण्डल और 'वारह टेबल' के कानून की व्यवस्था द्वारा संरक्षण मिलने से पहले थी, उससे कुछ भिन्न नहीं है। ये दोनो व्यवस्थाये न्याय के विचार के क्षेत्र को अधिक विस्तृत करने के प्रयत्न थे। जिस प्रकार पहले जिन साधारण लोगो के पास कोई खास सम्पत्ति नहीं थी उनके वास्ते कानून भी नहीं थे, ठीक इसी प्रकार आजकल जो नागरिक सम्पत्तिहीन है वह उन अधिकारो को वस्तुतः उपयोग नहीं कर सकता जो सिद्धान्ततः उसको मिले हुए है। और चूँकि वह मानसिक और आर्थिक दोनो

प्रकार की स्वतन्त्रताओं को अधिकाधिक पहचानता जाता है, और उमने राष्ट्रीय शिक्षा और मजदूर-संघ इन दोनों को राज्य-संस्था से स्वीकार करवा लिया है, इसलिए वह राज्य-संस्था के न्याय-सम्बन्धी विचार को इस प्रकार विस्तृत करवा रहा है कि जिन्में उसके स्वार्थों का समावेश सम्पत्ति-स्वामियों से कम न हो। नि मन्त्रेह, मार्ग में अनेक बाधाये हैं। उसकी माँगों पर जो रिश्ता-यत्ने-पूर्ति प्रदान की जाती है वह उतनी ही आंशिक होती है जितनी कि रोम के कुलीन-वर्ग के मनुष्य साधारण-वर्ग के मनुष्यों के लिए प्रदान करने को तैयार थे; किसी भी एक पक्ष पर एक ही रीति से प्रणाली नहीं बदलती। उदाहरणतः, मजदूर-संघों द्वारा निश्चित की हुई आदर्श कोटि की शर्तों के बाहर व्यक्तिगत श्रमजीवी की इत्क़रार-स्वतन्त्रता के रक्षण से मजदूर-मालिक के विशेषाधिकारों का संरक्षण भी उतना ही होजाता है, जितनी कि रोम की व्यवस्था-पिका-सभा में वहाँ के कुलीन-जनों की प्रधानता के कारण उन्हें प्राप्त था। अब भी न्याय-विज्ञान में परम्परा और रूढ़ियाँ श्रमिक-वर्ग के विरुद्ध उतनी ही पडती हैं जितनी कि उम समय जब कि रोम के पुरोहित-वर्ग ने क़ानून के नियमों और क्रमों को एक रहस्य बना रक्खा था और जिन्हे फ्लेवियस के समय से पहले कोई भी नाधारणवर्ग का मनुष्य समझ नहीं सकता था।

रोमन क़ानून का परिणाम यह हुआ कि जन्म के समय व्यक्ति की जो पद-मर्यादा निश्चित थी उममें उमकी मुक्ति तो हुई, परन्तु क़ानून पड़ेगा कि वह आशिक मुक्ति ही थी। हमारे साथ

भी ऐसा ही हो रहा है। नई आर्थिक व्यवस्था का मतलब ही यह है कि कानूनी विधि-निर्देशों के तत्व में भी परिवर्तन होगया है; उसके कारण कानूनी विधि-निर्देशों को अधिक विस्तृत भागों की पूर्ति का प्रयत्न करना पडता है, अन्यथा वे कानूनी विधि-निर्देश ही न रहें। नई आर्थिक व्यवस्था का परिणाम होगा सार्वजनिक मताधिकार, सार्वजनिक मताधिकार का परिणाम होगा राजनैतिक संस्थाओं को काम में लाने की शक्ति पर जनसमुदाय का अधिकार वे निश्चय ही उस शक्ति से कानूनी विधि-निर्देशों का इस प्रकार प्रयोग करेंगे कि जिससे राज्य-संस्था की प्रवृत्तियों के कारण अभी तक अपूर्ण रही हुई उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जो बातें एक ही पीढ़ी पहले राजनीतिज्ञों द्वारा अव्यवहार्य समझी जाती, वही उनकी सत्ता के कारण स्वाभाविक न्यायपूर्ण प्रतीत होने लगती हैं। जिस तरह उनके पूर्वाधिकारी अपनी प्रधानता के हितों के अनुकूल अवस्थाएँ समाज पर लादते थे ठीक उसी प्रकार वे भी लादते हैं कानून, सदसद्-विचार, धर्म, यह सब जीवन की नई धारा की दृष्टि का अनुसरण उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार अन्य वर्गों के पास शक्ति होने के समय करते थे। उन्हें जिन विचारों की आवश्यकता होती है, उनको वह उसी प्रकार पूज्यता के पद पर पहुँचा देते हैं जिम प्रकार पूर्ववर्ती सामाजिक पद्धतियों में अन्य विचारों को वह पद प्राप्त था। क्योंकि जो वर्ग राज्य-संस्था पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है, वह जिन लोगों से शक्ति छीनता है केवल उनको लूटने की शक्ति ही नहीं चाहता, बल्कि आजकल

के सोविएट रूस की तरह यह भी चाहता है कि उसकी लूट न्याय्यता के अनुकूल समझी जाय; और जिन लोगों के विशेषाधिकारों का जिन सिद्धान्तों के अनुसार हरण हुआ है वे ही लोग उन सिद्धान्तों की न्यायोचितता को स्वीकार करे। अतः, भूतकाल में समाज सम्पत्ति पर होनेवाले आक्रमण को घोरतम पाप समझता था, और वह उस मनुष्य को आदरणीय समझने को तैयार था जो अपने पड़ोसी की चीजे लेने की अपेक्षा अपने स्त्री और बच्चों को भूखों मरने देता था।

जैसा कि मैंने दर्शाया है आजकल जो हो रहा है वह है कानून के क्षेत्र का विस्तार। जिन अधिकारों का होना मैंने आधुनिक सामाजिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूपेण आवश्यक बताया है, वे केवल नैतिक दावे न रहकर अब निश्चित कानूनी कर्तव्य बनते जा रहे हैं। व्यक्ति की सम्पत्ति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य-संस्था द्वारा जान-बूझकर छीनी जा रही है। सम्पत्ति-स्वामित्व से होनेवाली जिन सुविधाओं का उपभोग आजकल सम्पत्ति-स्वामी राज्य के शक्तियोग के बिना भी करते हैं, उनकी व्यवस्था अब राज्य-संस्था द्वारा उन्हीं सम्पत्ति-स्वामियों के स्वर्च पर जनसमुदाय के लिए अधिकाधिक हो रही है। और यह अधिकार-पूर्ति, सामाजिक पद्धति में, आर्थिक शक्ति के महत्व में परिवर्तन होने के कारण, न्याय सम्बन्धी अधिक विस्तृत विचार फैल जाने का परिणाम है।

अन्त में दो बातें और कहने योग्य हैं। यह समझने का कोई कारण नहीं है कि उक्त क्रम अनिवार्य ही है; और न हम आवश्यक रूप से यह मान सकते हैं कि वह शान्तिपूर्वक ही पूर्ण हो जायगा। पहली बात के विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि वर्तमान आर्थिक विकास का स्वरूप ही इस प्रकार का है कि जिसके कारण सत्ता जनसमुदाय के हाथ में जा रही है, और उसके साथ-साथ कानूनी विधी-निदेशों का बल किसी छोटे वर्ग के स्वार्थ के स्थान पर जनसमुदाय के स्वार्थ की ओर अधिक होता जा रहा है। परन्तु यदि आर्थिक पद्धति किसी अप्रतीक्षित दिशा में अचानक बदल होजाय तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप जिनके हाथ में शक्ति पहुँचेगी, वे निश्चय ही अधिकारों के तत्व को अपने हित के लिए परिवर्तित कर लेंगे।

इसी प्रकार हम परिवर्तन के निश्चय ही शान्तिपूर्वक होजाने के विषय में भी विश्वास नहीं कर सकते। मनुष्य न्याय-सम्बन्धी अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं; और प्रायः ऐसा नहीं होता कि वे अपनी शक्ति को स्वेच्छा से त्याग देते हों। प्रतीत होता है कि कानूनी सत्ता और राजनैतिक शक्ति के बीच सादृश्य उत्पन्न करने के लिए माँग-पूर्ति करते जाने का सतत-प्रयास ही शान्ति है। जहाँ यह सादृश्य किसी शासन-विधान की रचना के अन्दर रहते हुए प्राप्त नहीं किया जा सकता, वहाँ नई व्यवस्था अपनी इच्छा को बलपूर्वक लागू करती है। ऐसा परिवर्तन सर्वनाश के समान प्रतीत हो सकता है; क्योंकि आधुनिक सभ्यता ऐसे जटिल

और क्षिप्र-भङ्गुर तन्त्रों पर निर्भर है कि जिन पर यदि किसी पर्याप्त परिमाण में बलप्रयोग किया जाय तो वे बच नहीं सकती। इस-लिए बुद्धि तो यही बताती है कि सन्तत सुधार की नीति रक्खी जानी चाहिए, परन्तु मनुष्य पूर्णतया केवल विवेकशील प्राणी ही नहीं है, और इसका भी कोई विश्वास नहीं है कि विवेक ही विजयी होगा।

: ३ :

राज्य-संस्था का संगठन

१

राज्य-संस्था के सङ्गठन की समस्या उसके प्रजाजन और कानून के बीच के सम्बन्ध की समस्या है। सम्भव है कानून के बनाने में प्रजाजन का हाथ हो, इस दशा में राज्य-संस्था भिन्न-भिन्न अंश में प्रजातन्त्र राज्य-संस्था होगी। अथवा, सम्भव है कि कानून-निर्माण में प्रजाजन का कोई भाग न हो और वह उनपर लादा जाता हो; इस दशा में राज्य-संस्था भिन्न-भिन्न अंश में एक-तन्त्र राज्य-संस्था होगी।

दोनों प्रकार के सङ्गठन शुद्ध रूप में नहीं रह सकते। पूर्ण प्रजातन्त्र राज्य-संस्था निर्णयार्थ उठनेवाले सब मामलों में अपने सब नागरिकों से सलाह लेगी; और शुद्ध एकतन्त्र राज्य-संस्था राज्य के सारे विधि-निदेशों को स्वयं ही बनायगी और स्वयं ही लागू करेगी। आधुनिक आकार-विस्तार के समाजों में दोनों प्रकार के सङ्गठनों को इस आधार पर कार्य करना व्यावहारिक रूप से असम्भव है।

सामान्य जीवन में तो वास्तव में हमें सम्मिश्रित रूप की राज्य-संस्था मिलती है। कुछ समाजों में, जैसे फ्रांस या ग्रेट-ब्रिटेन में, प्रजातान्त्रिक तत्व प्रधानता रखता है; कुछ समाजों में, जैसे रूस या इटैली में, एक-तान्त्रिक तत्व का बल अधिक स्पष्ट है। जितने प्रकार के सम्मिश्रण हो सकते हैं, सब पाये जाते हैं। कहीं तो, प्रजातन्त्रीय व्यवस्थापिका के साथ-साथ ऐसी कार्यकारिणी होती है जिसकी शक्तियाँ एकतन्त्र-प्राय होती हैं। कहीं, स्वीजर-लैंड की भाँति, व्यवस्थापिका, जो स्वयं निर्वाचक-मण्डल द्वारा नियन्त्रित है, कार्यकारिणी पर पूर्ण प्रभुत्व जमाये हुए है। और कहीं, संयुक्त राष्ट्र (अमेरिका) की भाँति, व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी दोनों के अधिकार का निर्णय न्याय-विभाग (न्याय-कारिणी संस्था) करता है, जिसकी शक्ति स्वयं भी वैधानिक संशोधन के अधीन है।

प्रत्येक विद्यमान राज्य-संस्था के रूप उसकी ऐतिहासिक परम्पराओं द्वारा निर्धारित हुए हैं, और प्रत्येक जाति के अनुभवों में उनके जीवन-व्यवहार को जो पृथक्-पृथक्, थोड़ा-थोड़ा अन्तर रखनवाली, सुन्दर-सुन्दर विशुद्धताये प्राप्त हुई हैं, उनके कारण यह कहना असम्भव है कि एक विशेष पद्धति दूसरी पद्धति से श्रेष्ठ है। हम इतना ही कह सकते हैं कि, सामान्यतः एकतन्त्रीय की अपेक्षा प्रजातन्त्रीय रूप अधिक अनुकूल है, कम-से कम पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्तियों के लिए। क्योंकि, प्रजातन्त्र पद्धति में चाहे कितनी ही कमजोरियाँ हों, उसमें राज्य के विधि-निर्देशों का रूप-निर्माण

करते समय अधिक-से-अधिक माँगों पर विचार करना शक्य हो-जाता है। यह पद्धति कानूनी विधि-निदेशों के कार्यों की समा-लोचना का ही उनके जीवन का आधार बना देती है। यह उत्तर-दायित्व की भावना को विस्तृत करके स्वयं विचार और कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। यह नागरिक को निर्णय में भाग लेने की भावना ही नहीं, प्रत्युत, उसके तत्त्व पर प्रभाव डालने का अवसर भी प्रदान करती है। यदि यह मान भी ले कि अन्य पद्धति की अपेक्षा प्रजातन्त्रीय पद्धति, जैसा कि अनुभव से सूचित-सा होता है, अवश्य धीरे कार्य करेगी, क्योंकि, उसके सामने उपस्थित होनेवाली माँगें बहुत ही भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं, तो भी, अन्य कोई ऐसी पद्धति नहीं है जिसके पास राज्य के सिद्धान्तभूत उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कोई सस्था-सम्बन्धी योजना हो।

परन्तु यह कहना कि राज्य-संस्था का स्वरूप प्रजातान्त्रिक होना चाहिए, उस स्वरूप को प्रकट करनेवाली संस्थाओं को ही निश्चित करना नहीं है, क्योंकि, मोटेतौर पर यह कहना गलत नहीं है कि प्रजातन्त्र प्रणाली अभी, किसी विशेष रूप में, अपने लिए उपयुक्त संस्थाओं को ढूँढ नहीं सकी है। यदि कानूनी विधि-निदेशों के समूह का विश्लेषण किया जाय तो प्रतीत होता है कि तीन प्रकार की सत्ता की आवश्यकता है जैसे (१) हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो या यो समस्त नागरिक-समूह के लिए या समस्त नागरिक-समूह से स्पष्टतः भिन्न निश्चित स्वार्थ रखनेवाले नागरिक-समूह के किसी भाग के लिए लागू होनेवाले साधारण

नियम बनाता है। ऐसी संस्थाओं का स्वरूप व्यवस्थापनात्मक होता है। वे, या तो पार्लियामेंट-सहित राजा की भांति, सर्वोपरि व्यवस्थापिका हो सकती है, या मेजिस्ट्रेट नगर-शासन-सभा की भांति, अ-सर्वोपरि क्लान्न् बनानेवाली संस्था हो सकती है, जिनका अधिकार-क्षेत्र उनको सत्ता देनेवाले विधान द्वारा निश्चित रहता है।

(२) हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है, जिनका कर्तव्य है जिस व्यवस्थापिका के नीचे वे कार्य करती हैं, उनके निश्चित किये हुए नियमों के अपेक्षित लक्ष्यों को कार्यान्वित करना। ऐसी संस्थाओं की मुख्य विशेषता यह है कि वे सामान्यतः अपने अधिकार-क्षेत्र को स्वयं निश्चित नहीं करतीं। जिन सिद्धान्तों के अधीन वे रहती हैं वे उनके लिए उम व्यवस्थापिका द्वारा निश्चित किये जाते हैं जिसके प्रति वे सामान्यतः उत्तरदायी होती हैं। इस प्रकार की व्यवस्थापिका अधिकारों का जो क्षेत्र निश्चित कर देती है उसके अन्दर ही उनके कार्यों का स्वरूप सीमित रहता है। उनका कार्य गजनेतिक जीवन की रूप-रेखा का रूप-निर्माण करनेवाले कानूनी विधि-निदेशों को कार्यान्वित करना है। (३) हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो दो प्रकार के झगड़ों को निवटावे। नागरिक और कार्यकारिणी के बीच झगड़े होते हैं, उदाहरणतः, नागरिक यह दावा पेश करता है कि कार्यकारिणी का अमुक कार्य उमके अधिकार-क्षेत्र में बाहर जाना है। यह स्पष्ट है कि यदि कार्यकारिणी को ही अधिकार हो कि वह अपने अधिकार-क्षेत्र का स्वयं निर्णय करले, तो वह जिन कानूनी विधि-निदेशों में जीवित

रहती हैं उनकी वास्तव में स्वामिनी हो जावे। ऐसे भगडों के निर्णय का अधिकार कार्यकारिणी से बाहर मौपने से प्रामाणिकता की यथार्थता मालूम की जा सकती है। और, दूसरे प्रकार के भगडे हैं नागरिकों के बीच के भगडे। 'क' का दावा है कि 'ख' ने उसे हानि पहुँचाई। यहाँ यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि जिस व्यवहार की शिकायत 'क' करता है वह राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निदेशों द्वारा वास्तव में निषिद्ध है या नहीं, यदि वह इस प्रकार निषिद्ध है तो, कानून की दृष्टि से ही, किसी उपयुक्त ढण्ड को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है।

कम-से-कम अरम्भ के समय से तो, राजनीतिक तत्वज्ञान ने बराबर यह माना है कि प्रत्येक सुव्यवस्थित राज्य-संस्था में यह तीनों प्रकार की संस्थाएँ, अपने कर्तृत्व के विषय में भी और अपने अन्तर्गत व्यक्तियों के विषय में भी, एक-दूसरे से पृथक्-पृथक् रहनी चाहिएं। मान्टेस्क्यू जैसे कुछ विचारक यहाँ तक आगे बढ़ गये हैं कि उनका दावा है कि इनके पृथक्करण में ही राजनैतिक स्वतन्त्रता का रहस्य है।

हम इतने कट्टर मत को स्वीकार नहीं कर सकते। पहले तो, शुद्ध सिद्धान्त के आधार पर न्याय-विचार सम्बन्धी कर्तृत्व, पूर्ण युक्ति, व्यवस्थापिका का काम माना जा सकता है; क्योंकि जो व्यक्ति कानून को बनाता है उसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति उसके अर्थ को जाननेवाला नहीं माना जा सकता। इसके अलावा व्यवहार में भी कठोर पार्थक्य रखना असम्भव है। व्यवस्था-

पिकायें अपने कर्तव्य को तबतक उचित रीति से पूर्ण नहीं कर सकती जबतक उन्हें कानून के कार्यान्वित करने में हस्तक्षेप करने और यथावसर न्यायाधीशों के निर्णयों को, जो व्यापक रूप से असन्तोषजनक प्रतीत होते हों, विधान द्वारा बदलने की स्वतन्त्रता न हो। कार्यकारिणी को कानून का प्रयोग करते समय, सामान्य सिद्धान्तों को व्योरे का जामा पहनाना पड़ता है, और आधुनिक राज्य-संस्था में इस कर्तृत्व का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसका व्यवस्थापिका के कार्य से पृथक् करना प्रायः कठिन हो जाता है। अन्तिम बात यह है कि, न्याय-कारिणी जब कार्यकारिणी के अधिकार-क्षेत्र का निर्धारण करती है (इस दशा में वह व्यवस्थापिका की इच्छा के तत्व का निर्धारण करती है), या दो नागरिकों के बीच के झगड़े का निर्णय करती है (इस दशा में वह राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निदेशों के कार्य का क्षेत्र बढ़ाती है, या यह बताती है कि उन विधि-निदेशों में जो कार्यक्षेत्र घेर लिया है वह उसकी सीमा में बाहर का है), तब वह ऐसा कर्तृत्व पूर्ण करती है जो स्वरूपतः व्यवस्थापनात्मक है। उदाहरणतः, इंग्लैण्ड और अमेरिका में जो कानून न्यायाधीश-निर्मित कहलाता है, और ठीक ही कहलाता है वह विधान के कानून से अधिक व्यापक क्षेत्र घेरे हुए है, और अमेरिका में इस कारण कि वहाँ व्यवस्थापिकायें स्वरूपतः अमूर्त-परि हैं, क्योंकि उनकी सत्ता लिखित शासन-विधानों से जिनको वे नहीं बदल सकती, उत्पन्न होती है, उन शासन-विधानों का अर्थ-निर्णय करनेवाले न्यायाधीशों के हाथ में व्यवस्थापिका में भी

अधिक शक्ति है (उदाहरणतः उन मामलों में जहाँ किंगी विधान पर या किसी कार्य कारिणी की सत्ता पर शङ्का है) कारण कि न्यायकारिणी इच्छा ही व्यवस्थापिका के अधिकार की सीमाओं को निर्धारित करनेवाला मुख्य अवयव है ।

प्रत्येक संस्था का पृथक्-पृथक् विश्लेषण प्रारम्भ करने से पहले सामान्य प्रकार के दो और सिद्धान्तों पर विवेचन करना आवश्यक है । प्रत्येक सुव्यवस्थित राज्य-संस्था के पास ऐसा शासन-विधान होता है जो उसके कानूनी विधि-निदेशों के बनाने के मूल तरीके को निश्चित करता है । इस प्रकार के शासन-विधान दो तरह से विभक्त किये जा सकते हैं । वे लिखित या अलिखित हो सकते हैं, और, वे कठिनतया-परिवर्तनीय या सुगमतया-परिवर्तनीय हो सकते हैं । उदाहरणतः संयुक्त-राष्ट्र (अमेरिका) का शासन-विधान एक ऐसा पत्रक है जो व्यवस्थापिका कार्यकारिणी और न्यायकारिणी के पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित करता है, और इनमें से कोई भी जबतक यह सिद्ध न कर दे कि जो शक्ति वह ग्रहण करना चाहती है वह उस पत्रक की धाराओं से उत्पन्न होती है, तबतक कार्य करने का अधिकार नहीं रखती । दूसरी ओर, ब्रिटेन का शासन-विधान अनेकों विधानों, न्याय-कारिणी के निर्णयों, और अलिखित प्रथाओं का बना हुआ समूह है, जिनका पारस्परिक सम्बन्ध नियमतः इस बात से निर्धारित होता है कि पार्लियामेंट-सहित राजा के हाथ में उनमें यथोचित परिवर्तन करने की शक्ति है, पारिभाषिक शब्दों में कह सकते हैं कि

साधारण कानून और शासन-विधान सम्बन्धी कानून दोनों समान श्रेणी के हैं। उदाहरणतः संयुक्त-राष्ट्र (अमेरिका) की कॉंग्रेस को राष्ट्रपति के कर्तृत्वों में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, परन्तु पार्लियामेंट-सहित राजा जब उचित समझे ब्रिटेन की कार्यकारिणी की शक्ति को परिवर्तित कर सकता है।

आधुनिक संसार में लिखित शासन-विधान ही अधिकाधिक नियमरूप होते जाते हैं, यह अनुभव किया जाता है कि राज्य-संस्था में शक्ति का विभाजन इतना महत्वपूर्ण मामला है कि जिस के विषय में बहुत ही निश्चितता की आवश्यकता है, जो लिखित शासन-विधान ही प्रदान करता है। सब मिलाकर विचार करे तो अनुभव यह बताता है कि इस दृष्टिकोण में वस्तुतः तथ्य है, क्योंकि शासन-विधान सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनपर जितना जोर दिया जाय कम है। दूसरी ओर यह विलकुल अवांछनीय बात है कि शासन-विधान का स्वरूप कठिनतया-परिवर्तनीय हो। समाज की आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं, और उसके लिए जो रूपरचना आवश्यक होती है वह भी आवश्यकताओं के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हुआ करती है। उदाहरणार्थ, अमेरिका के शासन-विधान की दृढ़ता कुप्रसिद्ध है, वह तभी बदल सकता है जब कॉंग्रेस की दोनों खण्ड-सभाओं में से प्रत्येक की दो-तृतीयांश सम्मति हो, और उसपर अमेरिकन संघान्तर्गत तीस-चतुर्थांश राज्य स्नात वर्ष के समय के अन्दर स्वीकृति दे। अनुभव ने प्रकट किया है कि कार्यपद्धति सशोधित

करने की शक्ति को इतना दृढ़ कर बना देने का परिणाम यह है कि, जब कोई आवश्यक परिवर्तन स्पष्ट वांछनीय होजाने है तब वे नहीं किये जा सकते। उदाहरणत, मयुक्त-राष्ट्र (अमेरिका) में शक्ति के प्रारम्भिक विभाजन के कारण मजदूरी-सम्बन्धी और दाम्पत्य-सम्बन्धी कानूनों में एक-रूपता लाना प्रायः असम्भव हो जाता है, जो आजकल की दुनिया में आवश्यक है। अमेरिकन-संघ के पिछड़े हुए राज्यों में प्रतिगामी कारखानेदार लोग अनुचित रूप से लाभ में रहते हैं, और शासन-विधान की "पूर्ण ईमानदारी और साख" वाली धारा के कारण व्यावहारिक रूप में धनिकों को तो तलाक की सुविधायें मिल जाती हैं परन्तु निर्धनों को नहीं मिल पाती। अनुभव से यह सिद्ध होता है कि शासन-विधान लिखित होना, वांछनीय है, जो स्पष्ट और सीधे क्रम से संशोधित किया जा सके। सब बातों पर विचार करते हुए सम्भवत सर्व-श्रेष्ठ उपाय यही हो सकता है कि व्यवस्थापिका ही शासन-विधान में संशोधन करे, परन्तु शर्त यह रखनी जानी चाहिए कि किसी प्रस्तावित परिवर्तन के लिए काफी ऊँचे अनुपात में सदस्यों का समर्थन मिले।

कभी-कभी कहा जाता है कि प्रजातान्त्रिक पद्धति में शासन-विधान में मौलिक प्रस्ताव उपस्थित कर सकने, तथा समुपस्थित प्रस्ताव पर सार्वजनिक-सम्मति-निर्धारण करने की विधियाँ समा-विष्ट रहनी आवश्यक है। इस पक्ष के समर्थक कहते हैं कि यदि कानूनी विधि-निदेशों के निर्माण के कार्य में किसी जनता का भाग

केवल इसी हद तक परिमित हो कि वह उन विधि-निदेशों के तत्व के लिए उत्तरदायी मनुष्यों को चुन दे तब तो वह अपने जीवन पर वास्तव में नियन्त्रण नहीं रखती। मौलिक प्रस्ताव उपस्थित कर सकने की रीति से सर्वसाधारण की इच्छा निश्चित रूप ग्रहण कर सकती है, और समुपस्थित प्रस्ताव पर सार्वजनिक-सम्मति-निर्धारण करने की रीति से जनता अपने प्रतिनिधियों के उन कार्यों को रोक सकती है जिनके साथ वह सहमत नहीं है। इस पक्ष के लोगों का दावा है कि प्रतिनिधि-स्वरूपात्मक पद्धति के साथ प्रत्यक्ष शासन आवश्यक होना चाहिए, अन्यथा जैसा कि अंग्रेज जनता के विषय में रूसो ने कहा था, वह केवल चुनाव के समय में ही स्वतन्त्रता होती है।

परन्तु कहा जा सकता है कि इस मत में जिन समस्याओं पर निर्णय करना है उनके स्वरूप, तथा जिस स्थान पर सार्वजनिक सम्मति का अधिक-से-अधिक मूल्यवान परिणाम हो सकता है, उन दोनों बातों को गलत समझा गया है। समस्त आधुनिक राज्य-संस्थाओं में निर्वाचक-मण्डल आवश्यक-रूप से इतना बड़ा होता है कि जनसाधारण, समष्टिरूप से, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते कि प्रत्यक्ष शासन उनके मामले जिन प्रश्नों को उपस्थित करे उन पर वह 'हाँ' या 'ना' के रूप में प्रत्यक्ष उत्तर दे दे। परन्तु प्रान्त बनाने का कार्य जितना सिद्धान्त-सम्बन्धी है, व्योम-सम्बन्धी भी उन्मत्त कम नहीं है, और कोई भी निर्वाचक-मण्डल अपने-अपने विचारार्थ उपस्थित किये हुए मामलों के व्योम में नहीं जा

सकता। वास्तव में, प्रत्यक्ष शासन आधुनिक शासन के प्रयोजन के लिए अत्यन्त भद्र साधन है। वह, जिस स्थान पर वाद-विवाद आवश्यक है उस स्थान पर उसको उपयोगी नहीं बना सकता, और वह संशोधन के क्रम के लिए अवकाश नहीं देता। यह मत्य है कि, विजली देने का काम राष्ट्रीय होना चाहिए या व्यक्तिगत इस प्रकार के सिद्धान्त-सम्बन्धी विशेष मोटे प्रश्नों को तो सार्वजनिक सम्मति के लिए छोड़ा जा सकता है, परन्तु अन्य सब प्रश्न इतने नाजुक और जटिल होते हैं कि निर्वाचक-मण्डल में, अ-विशिष्ट निर्वाचक-मण्डल के रूप से, न तो इतनी रुचि होती है और न इतना ज्ञान कि वह उपयुक्त निर्णय कर सके।

इतना ही नहीं। केवल यही नहीं कि अधिकांश प्रश्न इस रूप में बनाए जा सकते कि जिससे प्रत्यक्ष शासन उपयोगी हो सके, परन्तु इस पद्धति के अवान्तर परिणाम भी असन्तोषजनक होते हैं। उदाहरणतः यह प्रतिनिधि-सभा की पद्धति के अविरोध नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार कार्यों का मुख्य उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका के बाहर रहता है। उत्तरदायित्व के इस प्रकार के विभाजन से प्रयत्न की सु-सम्बद्धता नष्ट होजाती है, जिसके द्वारा सर्व-साधारण अपने प्रतिनिधियों के काम का उचित रीति से निर्णय कर सकती हैं। और, इस पद्धति में यह बात मानी गई है कि लोकमत कानून बनाने के क्रम के विषय में भी और उसके परिणामों के विषय में भी विद्यमान है। परन्तु शासन की वास्तविक समस्या यह नहीं है कि जिन कार्यों के विषय में निर्वाचक-मण्डल

को घनिष्ठ ज्ञान होना सम्भव न हो, उनपर भी निर्वाचक-मण्डल का अ-विशिष्ट और अरुचिपूर्ण मत बलपूर्वक लिया जावे। बल्कि शासन की समस्या तो यह है कि लोकमत का वह भाग जो कानूनी विधि-निर्देश बनाने से पहले उसके तत्व से सम्बद्ध है और जो उसके विषय में योग्यता रखता है कानून-निर्माण-क्रम से सयोजित कर दिया जाय। इसके लिए प्रत्यक्ष शासन आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक यह है कि किसी तरीके से समाज के सम्बद्ध स्वार्थ-घटको को, जिन कानूनों से उनके जीवनो पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, उनके निर्माण-क्रम से सम्बन्धित कर दिया जाय। उदाहरणतः स्वास्थ्य-वीमा सम्बन्धी किसी राष्ट्रीय योजना पर, यदि व्यवस्था-पिका सभा में वहस होने से पहले डाक्टरों, मजदूर-सङ्घों और इसी प्रकार की संस्थाओं को अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवकाश देकर उनसे विचार-विमर्श करने की पद्धति न रखी जाय और मार्वाजनिक-सम्मति ली जाय तो उसकी अपेक्षा इसके परिणाम बहुत कम मूल्यवान् होंगे। संक्षेपतः, शासन के प्रयोजन के लिए परिणामकारी सम्मति प्रायः सदा जन-समुदाय की सम्मति से भिन्न विशेष ज्ञान रखनेवाली संगठित और विशिष्ट सम्मति होती है। मार्वाजनिक-सम्मति स्वरूपतः प्रायः निषेधार्थक के विवाय अन्य परिणाम नहीं दे सकती, और अनुभव की शिक्षा यही प्रतीत होती है जैसा कि विन्गेपत स्विट्जरलैंड का इतिहास बताता है कि वह परम्परा-गत प्रवृत्तियों में इतनी जकड़ी हुई रहती है कि वह एक बाहरी मरुद्भित शक्ति होती है, तब उसके

कारण कोई भी सामाजिक प्रयोग करना कठिन होता है ।

२

यदि राज्य-सम्था की व्यवस्थापिका अपने अङ्गों में अपनी सत्ता बलपूर्वक मनवाना चाहती है तो उसे आधुनिक परिस्थितियों में सार्वजनिक सत्ताधिकार पर आधारित होना चाहिए । वह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके सदस्य निर्वाचक-मण्डल के साथ काफी दृढ सम्पर्क में रह सके, और इतनी छोटी होनी चाहिए कि समुचित वाद-विवाद किया जा सके । उदाहरणतः, रूस की सोविएट सरकार की कांग्रेस के समान किसी बड़ी परिपद में वाद-विवाद में समस्त व्यक्तित्व डूब जाता है, और परिपद सबसे अधिक प्रभाव रखनेवाले दल की इच्छा को कानून का रूप देनेवाला साधन-मात्र बन जाती है । उसे, एक निर्धारित काल के बाद, जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में स्वयं नहीं बदल सकती, अपना दुवारा निर्वाचन स्वयं करवाना चाहिए । यह काल इतना लम्बा होना चाहिए कि दो परिणाम प्राप्त होसके, एक तो यह कि व्यवस्थापिका अपने आपको काफी विस्तृत कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी बना सके, और दूसरा यह कि उसके सदस्यों को इतना काफी समय मिल सके कि वे उसकी कार्यपद्धति से अपने आपको पूर्ण परिचित कर सके । परन्तु यह काल इतना अल्प भी होना चाहिए कि व्यवस्थापिका का अपने अवयवों से सम्पर्क छूट न जाय । इंग्लैण्ड में १६११ से पहले दो निर्वाचनों के बीच में सात वर्ष के काल की जो प्रणाली प्रचलित थी, वह बहुत लम्बी थी, क्योंकि उसके कारण

व्यवस्थापिका को इतना दीर्घ जीवन मिल जाता था कि जिससे उमपर लोकमत के प्रवाह का प्रभाव नहीं पड़ता था। दूसरी ओर, संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) की प्रतिनिधि-परिषद् का दो वर्ष का काल भी बहुत छोटा है, क्योंकि ज्योही कोई सदस्य निर्वाचित होजाता है त्योही उसके दूसरे चुनाव का विचार उसके मस्तिष्क को घेरने लगता है, और वह इतने थोड़े समय में परिषद् के कानून बनाने की तरिकों को सीखने की आशा भी नहीं कर सकता। सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाँच वर्ष का काल इन आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है।

सामान्यत व्यवस्थापिका परिषद् का सदस्य किसी-न-किसी दल के समर्थक के रूप में निर्वाचित होगा। आधुनिक राज्य-संस्था में निर्वाचक-मण्डल इतना बड़ा होता है और स्वार्थी की संख्या इतनी भिन्न-भिन्न होती है कि निर्णयों पर पहुँचने के लिए उनको संगठित करना आवश्यक है। इस कर्तृत्व को, राज्य-संस्था में राजनैतिक दल पूर्ण करते हैं, वे विचारों के दलाल हैं। वे ऐसे सिद्धान्तों को चुन लेते हैं, जो उनके विचारानुसार पूर्ण सम्भवतया निर्वाचक-मण्डल को स्वीकृत होंगे, और उन सिद्धान्तों पर आरुढ़ होजाते हैं और यथाशक्य उनको कानून के रूप में परिवर्तित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि प्रतिनिधि-स्वरूपात्मक शासन के लिए दल-पद्धति आवश्यक आधार है। दल-पद्धति के बिना हम न तो कानूनों का सुसम्बद्ध कार्यक्रम प्राप्त कर सकेंगे, और न उनके लिए व्यवस्थापिका परिषद् में कानून बन सकेंगे

योग्य आवश्यक मात्रा में सङ्गठित समर्थन ही पा सकेंगे। उन दलों में चाहें कितने ही दोष हों वे कार्यसाधनार्थक नागरिक-मैंगों के कारण उत्पन्न होनेवाली जीवन-व्यवहार की एक रीति के व्यक्तरूप हैं।

दलों का विभाजन, वास्तव में, राज्य-संस्था के मद्दम्यों में जिस प्रकार मत विभाजित रहता है, ठीक उसीके अनुरूप नहीं होता। इस अनुरूप विभाजन के अभाव के कारण दो मिद्धान्त प्रायः स्थापित किये जाते हैं, जोकि अपने दावों में दोनों ही असन्तोषजनक हैं। जहाँ किसी राज्य-संस्था के जीवन पर किसी दल-शासन का प्रभुत्व होता है, वहाँ मत को विभाजित करने की रीति स्पष्टतया अत्यन्त कृत्रिम है। उदाहरणतः, इंग्लैण्ड में यदि अनुदार और मजदूर दो ही दल हो तो अनेक नागरिकों को दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, चाहे दोनों के साथ उनकी पूर्ण और सजीव सहानुभूति न हो। इसलिए कोई-कोई यह सूचित करते हैं कि बहु-दल-पद्धति जो बहुधा समुदाय-पद्धति कहलाती है लोकमत के विभाजन से अधिक अनुरूपता रखती है।

परन्तु जैसा कि फ्रांस और जर्मनी में हुआ, समुदाय-पद्धति के अनुभव से यह प्रतीत होता है कि उसके साथ दो भयङ्कर दोष हैं। सबसे बड़ा दोष तो यह है कि जहाँ यह पद्धति कार्य करती है वहाँ व्यवस्थापिका को नियन्त्रण में रखने के लिए समुदायों का ऐसा मेल बनाना पड़ता है जिससे व्यवस्थापिका पर प्रभुत्व डालने योग्य बहुमत बन जाय। इसका परिणाम यह होता है कि कपट-चातुर्य उत्तरदायित्व का स्थान ग्रहण कर लेता है और नीति में जो

सुसम्बद्धता और व्यापकता होनी चाहिए, जिससे नीति ठीक-ठीक जाँची जा सके, वह उसमें नहीं रह पाती। दूसरा दोष जो प्रधान-तया फ्रांस में देखा जाता है, यह है कि समुदाय-पद्धति शक्ति को सिद्धान्तों पर नहीं बल्कि व्यक्तियों के हाथ में इकट्ठा कर देती है। उदाहरणतः फ्रांस में सामान्य मत-दाता राज-तंत्रवादी और साम्यवादी के अन्तर को समझ सकता है, परन्तु इन दोनों प्रकारों के बीच में ऐसे प्रकार के लोग बहुत संख्या में हैं जिनका सूक्ष्म भेद ठीक-ठीक शब्दों में कहना कठिन है। परिणाम यह होता है कि, जहाँ एक ओर ग्रेट-ब्रिटेन और संयुक्त-राष्ट्र (अमेरिका) में मत-दाता जिस प्रकार के परिणाम को चाहता है उसको स्पष्टतया जानता है, और यह मान सकता है कि यदि उसके दल की जीत होगी तो उस परिणाम के अनुसार कानून बनेंगे, वहाँ दूसरी ओर, फ्रांस में जबतक शासनाधिकार नरम और गरम दलों के उग्र लोगों के हाथ में नहीं होता तबतक निर्वाचक-मण्डल की व्यक्त इच्छा और जिस प्रकार के शासन के नीचे उसे रहना पड़ेगा इन दोनों के बीच में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त, एक यह भी दोष है कि व्यवस्थापिका परिषद् में सरकार की हार सिद्धान्त के मतभेद पर उतनी निर्भर नहीं रहती जितनी कि भिन्न-भिन्न समुदायों के शासनाधिकार से अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने विशेष-विशेष प्रकार के मेल बनाने के झगड़ों पर रहती है।

दूसरी ओर, विभाजन की अनुरूपता के इस अभाव के कारण कुछ लोगों का आग्रह यह है कि व्यवस्थापिका परिषद् में सदस्यों

की संख्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। वे कहते हैं कि व्यवस्थापिका परिषद् में भिन्न-भिन्न दलों का बल उतना-उतना ही होना चाहिए जितना-जितना समर्थन उन्हें निर्वाचक-मण्डल से मिला है, यदि किसी अन्य प्रकार में चुनाव किया जायगा तो निर्वाचकों की प्रकट इच्छा के विरुद्ध होगा, और परिणाम-स्वरूप जो कानून बनेगे वह लोकमत के निषेध-स्वरूप होंगे। ग्रेट-ब्रिटेन में जिम् प्रकार की पद्धति है वह तो राज्य-संस्था के प्रदेश को मोटे तौर पर बराबर-बराबर अनेक निर्वाचक-अवयवों में विभक्त कर देती है, और जिस उम्मेदवार को सबसे अधिक मत मिले हो उसको व्यवस्थापिका का स्थान प्रदान करती है। इस पद्धति का दुष्परिणाम यह हो सकता है कि किसी दल को सारे देश में कुल जितना समर्थन मिले, उसकी अपेक्षा उसे बहुत अधिक स्थान मिल जाँय, और इसके अतिरिक्त यह भी हानि हो सकती है कि लोक-मत की कई बड़ी-बड़ी श्रेणियाँ प्रतिनिधित्व से अपने बल की अपेक्षा बिल्कुल वञ्चित रह जाँय। उदाहरणतः सन् १९२४ के सार्वजनिक निर्वाचन में हाउस ऑफ़ कामन्स में अनुदार दल का बड़ा बहुमत था, परन्तु समस्त मतों की अपेक्षा वह काफी अल्प-मत में था, परन्तु जिस उदार दल ने अपने पक्ष में लाखों मत प्राप्त किये थे, उसको अपने समस्त वास्तविक समर्थकों की संख्या की अपेक्षा केवल परिहास-जनक अल्प अनुपात में थोड़े से स्थान मिले थे।

स्पष्ट', इस समालोचना में वास्तविक तथ्य है। परन्तु हमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के केवल सैद्धान्तिक गुणों पर ही विचार नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसके वास्तविक कार्य पर भी विचार करना चाहिए। जहाँ-जहाँ यह काम में आ रहा है वहाँ-वहाँ इसके दो मुख्य परिणाम हुए हैं जैसे (१) इससे सदा दल-तन्त्रों की शक्ति बढ़ती है, (२) यह व्यवस्थापिका परिपद् में दलों के बल को इस प्रकार समतोलित कर देता है कि प्रायः अल्पमत-पक्ष की सरकार बन जाती है, जिसके कारण सुसम्बद्ध कानून-निर्माण अगम्य हो जाता है, अथवा सम्मिलित सरकार बनानी पड़ती है, जिसके कार्यों में समुदाय-पद्धति की सारी बुराइयाँ रहती हैं। इसके अतिरिक्त वास्तविक व्यवहार में एक-सदस्य पद्धति के कारण कोई भी सरकार अनुचित रूप से अपना बहुमत (जिसका सम्मान न करना कठिन है) बनाकर जो कार्य कर सकती है, उसमें मर्यादा का बन्धन लग जाता है। उदाहरणतः १९२४ में इंग्लैण्ड में अनुदार सरकार के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वह चाहती तो हाउस ऑफ़ लार्ड्स का सुधार कर सकती थी, तथा सरक्षणात्मक कर लगा सकती थी, और इन दोनों कार्यों को उसके समर्थक हृदय से चाहते थे। परन्तु वास्तव में वह दोनों कार्य न कर सकी, क्योंकि उसका बहुमत जिस प्रकार का था उसके कारण उसमें इन कार्यों को करने के लिए यथेष्ट नैतिक बल नहीं था, और उसे आगामी सार्वजनिक निर्वाचन में इस प्रयत्न के परिणाम का भी भय था। उसके अतिरिक्त किसी एक प्रकार के मत की शक्ति केवल सार्व-

जनिक निर्वाचन में मत-संख्या पा सकने की योग्यता से ही नहीं नापी जा सकती। कानूनी-निर्माण के वास्तविक क्रम में उसकी सत्ता का निर्माण करनेवाले अवयव, जितने वर्तमान पद्धति के समालोचक मानने को तैयार हैं उनकी अपेक्षा अधिक बहुसंख्यक भी और अधिक सूक्ष्म भी हैं। यह कहना उचित भी होगा कि जो सरकार अपनी वास्तविक सत्ता की अभीष्ट सीमाओं से आगे बढ़ जायगी, अर्थात् अपने बहुमत का अनुचित रूप से प्रयोग करेगी, उसे निश्चय ही न केवल आगामी सार्वजनिक निर्वाचन में दण्ड भुगतना पड़ेगा, प्रत्युत, उसके स्थान पर जो नई सरकार आयगी वह उसके बनाये कानूनों को भी संशोधित कर देगी।

यदि व्यवस्थापिका परिषद् की सदस्यता के अधिकार पर कोई बन्धन लगाये जायें तो वह ऐसे होने चाहिएँ जो समस्त नागरिक-समूह पर समानता से लागू हो, और सामान्यतः जहाँ तक हो सके कम होने चाहिएँ। परन्तु योग्यता के जो लक्षण साधारणतया लगाये जाते हैं उनसे अधिक कठिन लक्षणों की माँग करना हमारे लिये असंभव न होगा। आजकल यदि आयु-सम्बन्धी लक्षण पूरा होजाता है तो व्यावहारिक रूप से किसी अन्य गुण की आवश्यकता नहीं होती। व्यवहार में इसका परिणाम यह होता है कि जिनके पास सम्पत्ति या (उच्च-कुल का) जन्म होता है या ग्रेट-ब्रिटेन-खनिक-सङ्घ के समान किसी शक्तिशाली स्वेच्छा-निर्मित सङ्घ से सम्बन्ध होता है, या कानून जैसा कोई पेशा होता है जो व्यवस्थापिका परिषद् की सदस्यता के विशेष अनुकूल पडता है, उन्हें ऐसा विशेष

अवसर मिल जाता है जो अन्य नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। मेरे विचारानुसार यह कहना युक्तियुक्त ही होगा कि जो व्यक्ति व्यवस्थापिका परिषद् की सदस्यता चाहे उसे सिद्ध करना चाहिए कि व्यवस्थापिका परिषद् जिस प्रकार का कार्य करती है उसके विषय में उसे अनुभव है। उदाहरणतः, यदि हम यह माँग करें कि निर्वाचन से पहले प्रत्येक उम्मेदवार के लिए म्युनिसिपल कौमिल या ऐसी ही किसी संस्था में निश्चित वर्षों तक काम कर चुकना आवश्यक है, तो असम्भव नहीं कि सदस्य अधिक उत्तम कोटि के प्राप्त हो सकें। यह भी आवश्यक है कि सदस्यों को वेतन मिलना चाहिए। अन्यथा निर्धन मनुष्य तो चुने जाने की आशा ही नहीं कर सकते, और धनिकों के सिवाय कोई भी व्यक्ति व्यवस्थापन-संबन्धी कार्यके लिए पूरा समय न दे सकेगा।

व्यवस्थापिका परिषद् सामान्यतः एक-खण्डात्मक होनी चाहिए। परीक्षण से ज्ञात होगा कि जहाँ किसी एक घटनात्मक राज्य-संस्था में द्वि-खण्डात्मक पद्धति विद्यमान है, वहाँ उसकी प्रवृत्ति, इङ्गलैण्ड के हाउस ऑफ़ लार्ड्स की भाँति, राज्य के किसी विशेष स्वार्थ के हितसाधन की ओर होती है। वास्तव में सिद्धान्त-दृष्ट्या, दूसरे खण्ड के पक्ष में युक्तियाँ दिखाई ही नहीं देती, जैसा कि वेन्हम ने कहा था, यदि दूसरे खण्ड की मम्मति प्रथम खण्ड के अनुसार है तो वह अनावश्यक है, यदि उसकी मम्मति विरुद्ध है तो वह अनिष्ट-कारी है। विशेष न्यायों के प्रभुत्व की बात को दृढ़ रखते हुए, दूसरे खण्ड के पक्ष में सामान्यतः दो

युक्तियाँ दी जाती हैं। कहा जाता है कि उनकी आवश्यकता प्रथम खण्ड के जल्दवाजी में और पूर्णरीति में विचार न किये हुए कानूनों का बनाना रोकने के लिए है, और यह भी आवश्यक है कि एक ऐसी संस्था हो जो सरकार के प्रस्तावित कानूनों पर विशेषज्ञता पूर्ण आवश्यक पुनर्विचार कर सके। पर, इन युक्तियों में तो दूसरे खण्ड (क) की रचना और (ख) उसके कर्तृत्व तथा अधिकार क्षेत्र के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रसङ्गवश यह भी कहा जा सकता है कि बहु-घटनात्मक (सङ्घीय) राज्य-संस्था में भी, द्वि-खण्डात्मक पद्धति का परिणाम यही हुआ है कि दोनों खण्डों में से एक खण्ड, संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) की सीनेट की भाँति, आवश्यक-रूपेण प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है।

हम पहले रचना पर विचार करेंगे। हाउस ऑफ़ लार्ड्स, या केनेडा की सीनेट की भाँति, विशुद्ध नामजद किये हुए दूसरे खण्ड को, कम-से-कम प्रजातन्त्रीय राज्य-संस्था में तो, इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वह निर्वाचित परिषद् की इच्छा का विरोध करे, और उसकी सदस्यता, जबकि उसमें कोई स्थान रिक्त होगा, उन लोगों की इच्छा पर निर्भर होगी जिनके हाथ में उस समय नामजद करने का अधिकार होगा। निर्वाचित द्वितीय खण्ड की भी स्थिति इससे कुछ अच्छी न होगी। यदि उसका निर्वाचन प्रथम खण्ड के निर्वाचन के ही समय और उसके ही समान मताधिकार पर होगा, तो वह केवल उसकी रचना का ही प्रतिबिम्ब होगा; यदि भिन्न समय और विशेषतः यदि भिन्न मताधिकार पर होगा, तो उससे सम्भ

वत उस समय की सरकार के कार्यों में विघ्न पड़ेगा, और जैसा कि फ्रांस की सीनेट में होता है, वह मताधिकार जितना अधिक परिमित होगा, उस परिमित मताधिकार से महत्व पानेवाले स्वार्थों को उतना ही अधिक संरक्षण प्रदान करेगा। कोई-कोई कहते हैं कि प्रादेशिक आधार पर नामजदगी या निर्वाचन दोनों बातें मन्तोपजनक नहीं हैं, और दूसरा खण्ड विशेष पेशेवालों के स्वार्थों के आधार पर बनना चाहिए। परन्तु विशेष पेशेवालों के स्वार्थों को उचित अनुपात में महत्व देने की कोई रीति अभी तक मालूम नहीं हुई है, और उदाहरणतः, यदि इङ्ग्लिनियरिंग पेशेवाले लोग इस प्रकार की संस्था में अपना एक सदस्य भेजें तो उसकी इङ्ग्लिनियरिंग सम्बन्धी सम्मतियों का इस संस्था को अधिकांश जिस प्रकार के निर्णय करने पड़ते हैं उनसे कुछ भी सम्बन्ध न होगा। मञ्चेपत, मुसम्बद्धता प्राप्त करने के लिए पेशेवाले द्वितीय खण्ड को दल की भित्ति पर अपने सदस्य चुनने पड़ेंगे और इससे तो पेशेवालों के प्रतिनिधित्व से जो प्रयोजन सिद्ध होना अभीष्ट था वही नष्ट हो जायगा।

कर्तृत्व और अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी समस्याएँ भी सरल नहीं हैं। यह तर्क गभीर नहीं माना जा सकता कि एक देर लगाने का पानि रखनेवाला खण्ड भी होना चाहिए। क्योंकि प्रथमतः तो कोई भी सरकार बड़े परिणाम में कानून बनाने का प्रयत्न तब तक नहीं करती जब तक कि उसके तत्व पर खूब बहस न होगई हो, और दूसरी बात यह है कि यदि देरी काफ़ी होती है तो प्रारम्भिक

युक्तियों दी जाती है। कहा जाता है कि उम्की आवश्यकता प्रथम खण्ड के जल्दवाजीमें और पूर्णरीतिमें विचार न किये हुए कानूनो का बनाना रोकने के लिए है; और यह भी आवश्यक है कि एक ऐसी संस्था हो जो सरकार के प्रस्तावित कानूनो पर विशेषज्ञता-पूर्ण आवश्यक पुनर्विचार कर सके। पर, इन युक्तियों में तो दूसरे खण्ड (क) की रचना और (ग) उसके कर्तृत्व तथा अधिकार-क्षेत्र के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रसङ्गवश यह भी कहा जा सकता है कि बहु-घटनात्मक (सङ्घीय) राज्य-संस्था में भी, द्वि-खण्डात्मक पद्धति का परिणाम यही हुआ है कि दोनों खण्डों में से एक खण्ड, संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) की सीनेट की भाँति, आवश्यक-रूपेण प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है।

हम पहले रचना पर विचार करेंगे। हाउस ऑफ़ लार्ड्स, या केनेडा की सीनेट की भाँति, विशुद्ध नामजद किये हुए दूसरे खण्ड को, कम-से-कम प्रजातन्त्रीय राज्य-संस्था में तो, इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वह निर्वाचित परिपद की इच्छा का विरोध करे, और उसकी सदस्यता, जबकि उसमें कोई स्थान रिक्त होगा, उन लोगों की इच्छा पर निर्भर होगी जिनके हाथ में उस समय नामजद करने का अधिकार होगा। निर्वाचित द्वितीय खण्ड की भी स्थिति इससे कुछ अच्छी न होगी। यदि उसका निर्वाचन प्रथम खण्ड के निर्वाचन के ही समय और उसके ही समान मताधिकार पर होगा, तो वह केवल उसकी रचना का ही प्रतिविम्ब होगा, यदि भिन्न समय और विशेषतः यदि भिन्न मताधिकार पर होगा, तो उससे सम्भ

वत उस समय की सरकार के कार्यों में विघ्न पड़ेगा, और जैसा कि फ्रांस की सीनेट में होता है, वह मताधिकार जितना अधिक परिमित होगा, उस परिमित मताधिकार से महत्व पानेवाले स्वार्थों को उतना ही अधिक संरक्षण प्रदान करेगा। कोई-कोई कहते हैं कि प्रादेशिक आधार पर नामजदगी या निर्वाचन दोनों बातें मन्तोपजनक नहीं हैं, और दूसरा खण्ड विशेष पेशेवालों के स्वार्थों के आधार पर बनना चाहिए। परन्तु विशेष पेशेवालों के स्वार्थों को उचित अनुपात में महत्व देने की कोई रीति अभी तक मालूम नहीं हुई है, और उदाहरणतः, यदि इञ्जीनियरिंग पेशेवाले लोग इस प्रकार की संस्था में अपना एक सदस्य भेजें तो उसकी इञ्जीनियरिंग सम्बन्धी सम्मतियों का इस संस्था को अधिकांश जिस प्रकार के निर्णय करने पड़ते हैं उनसे कुछ भी सम्बन्ध न होगा। संचेपत, सुसम्बद्धता प्राप्त करने के लिए पेशेवाले द्वितीय खण्ड को दल की भित्ति पर अपने सदस्य चुनने पड़ेंगे और इससे तो पेशेवालों के प्रतिनिधित्व से जो प्रयोजन सिद्ध होना अभीष्ट था वही नष्ट हो जायगा।

कर्तृत्व और अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी समस्याएँ भी सरल नहीं हैं। यह तर्क गभीर नहीं माना जा सकता कि एक देर लगाने की शक्ति रखनेवाला खण्ड भी होना चाहिए। क्योंकि प्रथमतः तो कोई भी सरकार बड़े परिणाम में क़ानून बनाने का प्रयत्न तब तक नहीं करती जब तक कि उसके तत्व पर खूब बहस न होगई हो, और दूसरी बात यह है कि यदि देरी काफी होती है तो प्रारंभिक

खण्ड का कार्य अधिकांश व्यर्थ चला जाता है। जिम्को मंगल होगा कि ग्रेट-ब्रिटेन में मताधिकार संबन्धी सुधार, आयरलैण्ड के स्वशासन, या राष्ट्रीय शिक्षा जैसे बड़े-बड़े कानूनों के बनाने में कितनी देर लगी है, उसे तो कानून-निर्माण में देर लगाने की अपेक्षा जल्दी करनेवाली किमी पद्धति की माँग करने का ही प्रलोभन होगा। इस मत में कोई तत्व नहीं है कि विशेषज्ञतापूर्वक पुनर्विचार का कार्य करने के लिए एक द्वितीय खण्ड की आवश्यकता है। यह कार्य, स्वरूपतः, मसौदा तैयार करने का कार्य है, जिम्के लिए एक खण्ड की नहीं प्रत्युत इस कला के थोड़े से विशेषज्ञों की सेवा की आवश्यकता है। अधिकार-क्षेत्र की समस्या पर केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि द्वितीय खण्ड को पहले खण्ड की सत्ता तबतक नहीं मिल सकती जबतक उसका निर्वाचन भी प्रथम खण्ड के ही समान न हुआ हो, और यदि उसे कम सत्ता दी जाय तो तुरन्त, एक तो रचना की समस्या उत्पन्न होगी, जिसका कि सन्तोपजनक हल होना, मैं पहले बता ही चुका हूँ, कठिन है, और दूसरी समस्या उत्पन्न होगी प्रथम खण्ड के अपनी इच्छा शक्ति को प्रधान बनाने के अधिकार की।

बहुघटकात्मक (सङ्घीय) राज्य-संस्था में द्वितीय खण्ड की स्थिति के विषय में भी दो शब्द कहना आवश्यक है। द्वितीय खण्ड का होना दो कारणों से आवश्यक माना जाता है। (१) सङ्घ के अङ्गभूत घटकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और (२) शासन-विधान द्वारा किये हुए अधिकारों के विभाजन को

आक्रमण से बचाना चाहिए । परन्तु प्रथम युक्ति निश्चय ही अनावश्यक है, क्योंकि अङ्गभूत घटक अपनी-अपनी सरकारों द्वारा, शासन-विधान द्वारा सिपुर्द किये हुए मामलों में, पहले ही नियन्त्रण रखते हैं; और अधिकारों के विभाजन की आवश्यक रक्षा तो दूसरे खण्ड के बिना भी ऐसा नियम बनाने से हो सकती है कि समस्त घटकों की, जिनका अधिकार-क्षेत्र बदलना हो, बड़े अनुपात में स्वीकृति होने पर ही शासन-विधान का संशोधन हो सके । अमेरिका की सीनेट के जो इस प्रकार की एक श्रेष्ठ संस्था है, अनुभव पर से मेरे विचारानुसार गम्भीरता-पूर्वक यह नहीं कहा जासका कि उसके कारण अति-केन्द्रीकरण से कुछ महत्वपूर्ण संरक्षण मिला हो, और आस्ट्रेलिया का अनुभव इस पद्धति में यह खतरा बताता है कि यह जहाँ वास्तव में समानता नहीं है वहाँ कृत्रिम समानता पर बल देकर उचित समय पर उचित परिवर्तन करना रोकती है ।

मैं यहाँ व्यवस्थापन-संबन्धी संगठन के व्योरे में नहीं जा सकता । मैं केवल कुछ ऐसे सामान्य सिद्धान्तों को ही बता सकता हूँ जो अनुभव से निश्चित रूप से स्थिर हुए प्रतीत होते हैं । ब्रिटेन की प्रसिद्ध पद्धति, जिसमें कि राजनैतिक कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका परिषद् की सबसे प्रभावशाली दल की समिति के रूप में, व्यवस्थापिका का समवायी भाग है और उसके कार्य को सञ्चालित करता है, अमेरिकन पद्धति (जो इतिहास का आकस्मिक परिणाम है) से श्रेष्ठ है, जहाँकि व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी पृथक्-

पृथक् है। ऐसे सम्मिश्रण से सुसम्बद्ध योजना बनाना ही नहीं, परन्तु स्पष्ट उत्तरदायित्व लेना भी सम्भव होजाता है, और इसके कारण व्यवस्थापिका कार्यकारी उत्तरदायित्व के स्थानों के लिए योग्य मनुष्य चुनने का मुख्य साधन बनाई जा सकती है, जोकि उचित भी है। दूसरी बात यह है कि व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य में, मिद्धान्त की बहस और व्योरे की बहस के बीच भेद करना आवश्यक है। मिद्धान्त पर बहस करना समष्टिरूप से व्यवस्थापिका का काम है; व्योरे पर बहस करने का काम उसके सदस्यों की छोटी-छोटी कमेटियों के सिपुर्द करना ही सबसे अच्छा है, पर वह ब्रिटेन के हाउस ऑफ् कामन्स के डेढ़ से नहीं, परन्तु इंग्लैण्ड की लन्दन काउण्टी कौंसिल जैसी गौण परिपदों द्वारा विकसित किये हुए डेढ़ से होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह भी है कि व्यवस्थापिका परिपद और शासन-सञ्चालन-क्रम के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हो। इसके लिए राज्य-संस्था के प्रत्येक विभाग के साथ-साथ व्यवस्थापिका परिपद के सदस्यों की एक-एक परामर्श-दायिनी समिति होनी चाहिए, जिसको यह अधिकार हो कि उससे व्यवस्थापन-संबन्धी योजनाओं में सलाह ली जावे, वह सिपुर्द किये हुए व्यवस्थापन-कार्य की सफलता या असफलता पर रिपोर्ट करे, और विभाग की जिन समस्याओं पर जांच होना आवश्यक हो उनकी जांच करे। अपने विभाग की नीति का उत्तरदायित्व मन्त्री पर ही रखना आवश्यक है, परन्तु अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके कार्य और व्यवस्थापिका के कार्य के बीच अधिक घनिष्ठ

सम्बन्ध होना जरूरी है। अन्यथा, व्यवस्थापिका परिषद्, सिवाय कभी-कभी उन अवसरों के जब वह विद्रोह कर दे, सामान्यतः कार्यकारिणी की आज्ञाओं को कानून के रूप में परिणत करने का एक साधन-मात्र बन जाती है।

मैंने बताया है कि व्यवस्थापिका का जीवनकाल लगभग पाँच वर्ष होना उचित है। परन्तु, संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) की भाँति, यह वांछनीय नहीं है कि यह निश्चित काल ही हो। ऐसे अवसर उत्पन्न होजाते हैं जब लोगों की राय लेना वांछनीय होजाता है, उदाहरणतः, सम्भव है कि कभी कोई नवीन और अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार सामने आजाय। इस प्रयोजन के लिए, और जब सरकार की हार होजाय और वह विश्वास करती हो कि व्यवस्थापिका का सम्पर्क लोकमत से छूट गया है, तब उस परिषद् को पुनर्निर्वाचन के लिए भंग करने की शक्ति का रहना आवश्यक है। यह शक्ति किसके हाथ में रहनी चाहिए? मेरे विचारानुसार इस शक्ति का मन्त्रि-मण्डल के सिवाय अन्यत्र रहना उपयोगी न होगा। मन्त्रि-मण्डल ही कानून-निर्माण की आवश्यकरूपेण प्रेरक शक्ति है, उसकी नीतियों पर ही मुख्यतया वाद-विवाद हुआ करता है। परिषद् भङ्ग करने की शक्ति यदि राज्य-संस्था के नैयमिक प्रधान पुरुष के हाथ में रक्खी जाय तो उसकी निष्पक्षता-संबन्धी बड़ी-बड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो जायँगी; और यह आशा नहीं की जा सकती कि कोई भी व्यवस्थापिका अपने ही भङ्ग के विषय में बुद्धिमत्ता-पूर्वक मत देगी। इस शक्ति का दुरुपयोग होना भी सम्भव नहीं

हैं। क्योंकि इसका अयुद्धिमत्ता-पूर्ण उपयोग होने से न केवल निर्वाचक-मण्डल की असहमति ही प्राप्त होगी, किन्तु युद्धिमत्ता-पूर्ण उपयोग न कर सकनेवाले अन्ततः, अपने ही दल के समर्थको द्वारा उस अधिकार से निश्चय ही वंचित कर दिये जायेंगे। अचानक परिपक्व-भंग करने की शक्ति का यह भी एक लाभ है कि इस के द्वारा कार्यकारिणी अपने समर्थको को (और विरोधियों को) सचेतन रख सकती है; और इसके आक्रामिक गुण के कारण व्यवस्थापिका की कार्यवाही में निर्वाचक-मण्डल की निरन्तर रुचि रहती है। इस दृष्टिकोण से यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि व्यवस्थापिका सर्वोत्तम काम प्रायः तभी करती है जब सरकार के पक्ष का बहुमत इतना अधिक हो कि वह व्यापक कार्यक्रम पूरा कर सके, परन्तु इतना अधिक भी न हो कि उसको अत्यधिक सत्ता मिल जाय। राजनीति में जनता की रुचि सबसे अधिक तभी होती है जब राज्य-संस्था की सरकार सम्भवनीय हार के वातावरण में रहती है।

मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि आधुनिक बड़े परिमाण की राज्य-संस्था यदि अपना कार्य सजीव ढङ्ग में करना चाहे तो उसे बड़े परिमाण में निष्केन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है। यह तो स्पष्ट है कि व्यवस्थापिका ही एक ऐसा नैयमिक स्थान रहना चाहिए जहाँ राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निदेशों का स्वरूप-निर्णय हो, परन्तु, साथ ही वह तबतक अच्छी तरह नहीं चल सकती जब तक कि उसकी शक्तियों का काफी भाग अन्य अधीन सस्थाओं

को समर्पित न कर दिया जाय। यह कार्य सर्वोत्तम-रीत्या तीन प्रकार से हो सकता है। (१) वह सब मामले जिनका स्वरूप भौगोलिक है, जैसे, स्थानीय माल का लाना-लेजाना, स्थानीय निर्वाचित परिषदों के सिपुर्द कर देना चाहिए जो उपयुक्त क्षेत्र का नियन्त्रण करे। इनके हाथ में परिमित शक्तियाँ नहीं, बल्कि यह अधिकार होना चाहिए कि ये उन सब मामलों में कार्यवाही कर सकें जो स्पष्टतया उनके अधिकार-क्षेत्र से बाहर निर्धारित नहीं कर दिये गए हैं। इन्हें समान प्रयोजनों के लिए सम्मिलित होजाने का अधिकार भी होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैसे कुछ मामलों में द्रव्य-सहायताओं और निरीक्षण-अधिकार के द्वारा उनसे अपना सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए। (२) उद्योग-धंधों के लिए केन्द्रीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित कुछ सामान्य प्रकार की न्यूनतम शर्तों की सीमा के अन्दर, छोटी व्यवस्थापिकाएँ बना देनी चाहिएँ जिनको नियम बनाने की शक्ति भी दी जाय जो, उचित सरक्षणों के साथ, आवश्यक-रूप से काम में लाई जा सकें। तात्पर्य यह है कि हमको उद्योग-धंधों के लिए भी उचित परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार के स्वशासन को विकसित करना चाहिए जैसा कि कानून और डाक्टरी पेशों के लिए विद्यमान है। (३) संयुक्त-राष्ट्र (अमेरिका) के अन्तर-राज्य-वाणिज्य-कमीशन तथा ग्रेट-ब्रिटेन के विद्युत-कमीशन जैसी छोटी संस्थाओं के हाथ में, उन औद्योगिक तथा वैज्ञानिक स्वरूप के मामलों में नियम बनाने की व्यापक शक्तियाँ दे देनी चाहिएँ (क)

जिन पर व्यवस्थापिका सुगमता से वाद-विवाद नहीं कर सकती और (ख) जिनका परिणाम किसी स्पष्ट और निश्चित निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर सीमित नहीं रहता। तीनों अवस्थाओं में, स्वभावतः ही अन्तिम निरीक्षण करने की शक्ति तो केन्द्रीय व्यवस्थापिका के अन्तर्गत ही रहनी चाहिए, परन्तु साधारण नियम यह हैं कि वह जितनी कम और नैयमिक रखी जा सकेगी, शासन-सञ्चालन भी उतना ही उत्तम हो सकेगा।

३

राज्य-संस्था की कार्यकारिणी के दो पहलू हैं—एक राजनीति-सम्बन्धी दूसरा राज्य-विभाग सम्बन्धी। वह, एक ओर तो, व्यवस्थापिका के सामने स्वीकृति के लिए एक नीति उपस्थित करनेवाले और उसके स्वीकृत होजाने के बाद उसको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व रखनेवाले कुछ राजनीतिज्ञों का छोटा-सा समूह है, और दूसरी ओर, राजनीतिज्ञों के किये हुए निर्णयों को कार्यान्वित करनेवाले पदाधिकारियों का बड़ा भारी समूह है। स्पष्टतः इन दोनों वर्गों में शक्ति की अपेक्षा व्यक्ति सम्बन्धी भिन्नता अधिक है, क्योंकि दीर्घकालीन अनुभव रखनेवाला एक महत्वशाली पदाधिकारी यद्यपि नियमानुसार अपने राजनैतिक मुखिया का अधीनस्थ होता है, तथापि राजनैतिक मुखिया की दृष्टि में उसका बड़ा महत्व रहेगा और निर्णयों के करने में उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

राज्य-संस्था के राजनैतिक मुखिया लोग ही साधारणतः मन्त्रिमण्डल कहलाते हैं। यह उचित है और अच्छे शासन के लिए

वास्तव में आवश्यक भी है कि वे व्यवस्थापिका परिपद के सदस्य हों। वे उस स्थान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं और उम स्थान पर ही उस शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि, सामान्यतः, मन्त्रि-मण्डल एक ही ढल का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि केवल इसीसे दृष्टिकोण की वह एकता हो सकती है, जिससे नीति की सुसम्बद्धता रहना सम्भव है। मन्त्रि-मण्डल छोटा होना चाहिए, अनुभव यह बताता है कि यदि उमकी संख्या लगभग १२ से अधिक होजाती है तो उमके अन्दर अन्तर-रिक्त सम्बद्धता नहीं रह पाती। उमके अधिकांश सदस्यों पर शासन, वैदेशिक नीति, अर्थनीति, और व्यापार-व्यवसाय के किमी-न-किसी बड़े कर्तृत्व का भार होना चाहिए। परन्तु उममें सबका सञ्चालन करनेवाला और सबको संयोजित करनेवाला एक मस्तिष्क भी होना चाहिए जिस पर किमी विशेष राज्य-विभाग का विशेष भार न हो; और कम-से-कम एक और भी ऐसा सदस्य होना चाहिए (जिसका नाम सामान्यतः विभाग-रहित मंत्री होता है) जिसकी सेवाएँ विशेष कार्यभार आ पड़ने पर काम में आसके।

मन्त्रि-मण्डल का प्रधान, या तो संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) की भाँति राज्य-संस्था का भी नैयमिक प्रधान-पुरुष हो सकता है, या इंग्लैण्ड और फ्रांस की भाँति उसका पद भिन्न हो सकता है, और राज्य-संस्था का प्रधान-पुरुष मुख्यतः शिष्टाचारार्थक व्यक्ति हो सकता है जिसका राजनैतिक कर्तृत्व शासन सञ्चालन जारी रखना ही है। दोनों पद्धतियों में से किसी में भी एक दूसरे से मौलिक

श्रेष्ठता नहीं है, परन्तु इङ्गलैण्ड व फ्रान्स का तरीका अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें प्रधानमन्त्री के रूप में मन्त्रिमण्डल का प्रधान व्यवस्थापिका परिपद् में सरलता में भाग ले सकता है। वह सामान्यतया उस दल का नेता होता है जिम्मे उम परिपद् में प्राधान्य प्राप्त किया है। उसके सहकारियों का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए ? अधिकांश राज्य-संस्थाओं में वह स्वयं अपने सहकारियों को उन लोगों में से चुनता है जो उसके विचारानुसार सम्मिलित-रूप में शासन-सञ्चालन के सर्वोत्तम साधन हो सकेंगे, परन्तु आस्ट्रेलिया में मजदूर-दल अपने मन्त्रिमण्डल को अपने दल के अधिवेशन में चुनता है।

मेरे विचारानुसार, इसमें अधिक संदेह का अवकाश नहीं है कि प्रधान-मन्त्री को अपने सहकारियों को चुनने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। किसी सरकारी विभाग का सञ्चालन करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वह ऐसे नहीं होते कि उनका निर्धारण निर्वाचन द्वारा होसके। इसमें सहयोगी-भाव और समुच्चय-कार्य (team-work) की समस्याएँ उठती हैं, जिसका अर्थ है कि विवेचना-पूर्वक चुनने की पद्धति की आवश्यकता है, जिसके लिए बहुमत द्वारा निर्वाचन का क्रम अत्यन्त अपूर्ण साधन है। यदि मान भी लिया जाय कि प्रधानमन्त्री न केवल गलतियाँ ही करेगा बल्कि व्यक्तियों को अनुचित महत्व भी प्रदान कर देगा तो भी वह सम्भवतः उतनी गलतियाँ नहीं कर सकता जितनी कि आस्ट्रेलिया का मजदूर-दल या अमेरिका की जनता सभापति के चुनाव में करती

है, आस्ट्रेलिया और अमेरिका की यह पद्धति लॉटरी से बहुत अधिक समानता रखती है, और वेगहॉट के कथनानुसार लॉटरी में सफलता होजाना उस पद्धति के लिए साधक युक्ति नहीं है। और प्रधानमन्त्री जिन-जिन हेतुओं का ध्यान रखता हुआ सहकारी चुनता है, वे स्वयं ही सामान्यतः यथेष्ट संरक्षण हैं। प्रत्येक दल में ऐसे मनुष्य होते हैं जो उससे कम प्रतिष्ठा और स्थिति के नहीं होते। उसें उनको चुनना पडता है और उनका समर्थन तभी मिल सकता है जब वह अन्य नियोजनाएं भी बुद्धिमत्ता-पूर्वक करे। यह मानते हुए कि मन्त्रि-मण्डल के स्थानों के लिए चुने हुए लोग व्यवस्थापिका परिषद् की कठिन उम्मेदवारी में से गुजरते ही हैं, उनमें से अधिकांश जिन स्थानों को प्राप्त कर लेते हैं वे उनपर नियोजित होने योग्य ही होते हैं।

कार्यकारिणी शासन के अ-राजनैतिक पहलू के कारण दूसरे ही प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। मोटे तौर पर, उससे तीन प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं, (१) उसकी रचना और सङ्गठन किस प्रकार होना चाहिए ? (२) उसका कर्तृत्व क्या होता है ? (३) वह जिस जनता की मूलतः सेवा करता है उससे उसके क्या-क्या सम्बन्ध होने चाहिए ? स्पष्टतः, इनमें से दूसरे प्रश्न पर हमारा जो उत्तर होगा उसीसे प्रथम और तृतीय प्रश्न उत्पन्न होंगे। राज्य-सस्था के पदाधिकारी लोग अपने राजनैतिक मुखिया की आज्ञाओं को कार्यान्वित करते हैं। मन्त्रियों का कर्तृत्व यह होता है कि वे ऐसी नीति का निर्माण करें जो अधिक-से-अधिक व्यापक सार्वजनिक

माँग को पूर्ण करें, और व्यवस्थापिका द्वारा उमके स्वीकृत होजाने पर उमको अधिक-से-अधिक परिणामकारी बनावे। यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक राज्य-संस्था जिस बड़े परिमाण की है, उममें वे इस कार्य पर सामान्य ध्यान में अधिक नहीं दे सकते। उन्हें सार्वजनिक माँग के परिज्ञान के लिए, उमको पूर्ण करने के शक्य मार्गों की सविस्तर सूचना के लिए और कानून को प्रतिदिन और व्योरेवार कार्यान्वित करने के लिए अपने पदाधिकारियों पर निर्भर रहना पडता है। शासनाधिकारारूढ दल का स्वरूप कुछ भी हो, यह सब काम न्यूनतम सङ्घर्ष के साथ होने चाहिये।

इस उद्देश्य के लिए पदाधिकारियों का तटस्थ होना आवश्यक है, उनको प्रत्येक अधिकारारूढ दल की पूर्ण हार्दिक रूप से और कुशलता से समान सेवा करनी चाहिये। तटस्थ रहने के लिए, उन्हें कार्य-योग्यता के प्रतिबन्ध के साथ, इस बात का अभिवचन दिया जाना चाहिए कि उनकी सेवाएँ स्थायी रखी जायँगी, और यथाशक्य श्रेष्ठतम कार्य के प्रोत्साहन के लिए पदोन्नति की पद्धति होनी चाहिए, जिससे योग्य व्यक्तियों का पता लग सके और उन्हें योग्यतानुसार उत्तरदायित्व को कार्यान्वित करने का अवसर मिल सके। ऐसे गुणों को उपलब्ध करने के लिए, पदाधिकारियों की नियुक्ति का कार्य सदा सामायिक सरकारों से स्वतन्त्र एक कमीशन के हाथ में होनी चाहिए, उसपर सामायिक सरकार जितना कम दबाव डाल सके राज्य-संस्था के लिए उतना ही अच्छा होगा। साधारणतः, कमीशन को पदाधिकारी चुनने का तरीका ऐसा ग्रहण करना

चाहिए जिससे पदानुग्रह-भाव न्यूनतम होजाय, और मोटे तौर पर इस उद्देश्य-पूर्ति के लिए, विशेषज्ञता सम्बन्धी पदों के अतिरिक्त अन्य सब पदों के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षाएँ सर्वोत्तम साधन हैं। एक बार जब उम्मेदवार सेवा में प्रविष्ट कर लिया जावे, तो, यदि वह कार्ययोग्य और सद्वृत्त हो, उसे निश्चय रहना चाहिए कि उसका पद सेवा-निवृत्ति की वय तक क्लायम रहेगा। यह वय काफी नीची आयु पर निश्चित की जानी चाहिए, ताकि राज्य-विभागों के लिए ऐसे स्थायी प्रधानाधिकारी प्राप्त होसके जो अपनी पीढ़ी के नये विचारों के सम्पर्क में रहते हो।

यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि पदाधिकारी जगत की निश्चित धारणाये यथाशक्य अधिक-से-अधिक परिवर्तनशील होनी चाहिए। नागरिक सेवा-श्रेणी (सिविल सर्विस) में नौकर-शाहीपन का खतरा रहता है, और इसको उत्पन्न करनेवाले कारण दैनिक-कार्य-पद्धति की दुष्परिवर्तनशीलता और पुरानेपन के अनुसार पदोन्नति देना हैं। पदाधिकारियों के विषय में सदा इस बात की आशङ्का रहती है कि वे दैनिक कार्य-निर्वाहन को कार्यकुशलता और पुरानेपन को अनुभव समझ बैठते हैं। वे स्वतः कार्य करने की प्रवृत्ति और नवीन प्रयोग से डरते हैं, और प्रायः यह समझ लेते हैं कि आलोचना से बचे रहना ही सुव्यवस्थित राज्यविभाग का प्रमाण है। सेवा-श्रेणी की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि इन खतरों में बचने के लिए संरक्षणों की व्यवस्था की जाय। वास्तव में इनके निवारण के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। राजनैतिक

मुग्वियाओं की बुद्धिमत्ता पर बहुत कुछ निर्भर हैं, और कदाचित् इससे भी अधिक सेवा-श्रेणी की ही 'समूहान्तर्गत ऐक्य-भावना' पर निर्भर हैं। परन्तु ध्यान देने योग्य नियम यह है कि पदाधिकारियों को अपना कार्य तर्कशील और विचार-क्षम लोकमत के वातावरण में करना चाहिए।

चूँकि, पदाधिकारियों को सेवा जनता की ही करनी है, इसलिए जनता द्वारा ही उनका गुण-दोष-परीक्षण होना चाहिए। यदि सेवा और गुण-दोष परीक्षण दोनों का उचित रूप से होना आवश्यक हो, तो शासन-पद्धति के साथ लोकमत को उचित रूप में सम्बद्ध किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परामर्श-दायिनी समिति की तरफ़ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जहाँ-जहाँ किसी राज्य-विभाग का किसी सामाजिक स्वार्थ के साथ सम्पर्क आता हो, वहाँ-वहाँ, जो संस्थाएँ उस स्वार्थ की हितसाधक हों, परामर्श-सम्बन्धी सहयोग के लिए राज्य-विभाग से सम्बद्ध कर दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, शिक्षा-विभाग के कार्य का, प्रत्येक पद पर, शिक्षको, डाक्टरों, मनोविज्ञानज्ञों, माता-पिताओं आदि के सङ्गठित सङ्घों से निरन्तर सम्पर्क बना रहना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि उपयुक्त साधन-तन्त्र न होंगे, तो शासन-सञ्चालन के कार्य में न केवल सजीवता ही न होगी, बल्कि अपने परिणामों के विषय में तीव्र सचेतनता भी न होगी, जो उसकी उत्तमता की सच्ची कसौटी है। नागरिक सेवा-श्रेणी वालों और जनता के पारस्परिक शिक्षण के लिए परामर्श-दायिनी समिति

से अच्छा उपाय और कोई नहीं है। सेवा-श्रेणीवाले लोग तो समझा करके शासन करने की कला सीखते हैं, और जनता को यह ज्ञात होजाता है कि किस स्थान पर उनकी वास्तविक माँगों में उनके स्वाभाविक भावोद्वेग और प्रचार के कारण विरूपता उत्पन्न होती है। वैध सरकार का बहुत कुछ भविष्य इस साधन को काम में लाने की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है।

अन्त में, पदाधिकारियों की तटस्थता, और राज्य-संस्था के सेवकों के रूप में उनकी स्थिति के कुछ परिणामों का थोड़ा-सा विवेचन करना आवश्यक है। मेरे विचारानुसार, यदि सरकार और साधारण समाज दोनों को उस तटस्थता में विश्वास रखना हो, तो यह आवश्यक है कि नीति-निर्माण में भाग लेनेवाले सब नागरिक-सेवा-श्रेणीवालों को राजनैतिक जीवन में भाग न लेना चाहिए। यह वहिष्कार निम्न-पदस्थ कर्मचारियों पर लागू होना आवश्यक नहीं, परन्तु उदाहरणतः, अनुदार विचार के किसी भी मन्त्री को अपने स्थायी सेक्रेटरी पर सहसा विश्वास नहीं हो सकता, यदि उसे यह ज्ञात होजाय कि वह अपना सायं-समय नित्य उग्र साम्यवादी प्रचार में व्यतीत करता है। राजनैतिक उम्मेदवारों के लिए भी युक्ति यही बन्धन लागू होता है, कोई उच्च-पदाधिकारी व्यवस्थापिका परिषद् में प्रवेश करने और हार जाने पर सेवा-श्रेणी में लौट आने की आशा नहीं कर सकता। यहाँ पदाधिकारियों के विषय में जो बात कही गई है, वही राज्य-संस्था की सेनाओं और पुलिस के बारे में अधिक उपयुक्तता के साथ लागू होती है।

उनके अन्दर राजनैतिक प्रवृत्तियों का बढ़ना नागरिक आजादियों की उस निःशङ्क स्वीकृति के लिए घातक होगा जिसपर सामान्य अवस्था में राज्य-संस्था का कल्याण निर्भर है। ऐसे नाजुक स्थान पर विशेष पक्षपात या धारणा का होना, कभी-न-कभी, पदाधिकारियों को प्रीटोरिया की रक्षा-सेना बना देगा, और फिर वहाँ से एकतन्त्र शासन की ओर क्रम बढ़ना उतना ही अनिवार्य होगा, जितना वह अचिरस्थायी होगा।

इससे, स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि राज्य-संस्था के पदाधिकारियों को समेत्तन की स्वतन्त्रता किस सीमा तक है। यह समस्या जटिल है; और मैं यहाँ कुछ निष्कर्षों का केवल सूत्र रूप में वर्णन करूँगा। सशस्त्र सेना और पुलिस का राज्य-संस्था से जो सम्बन्ध है, उसके कारण यह आवश्यक होजाता है कि उनके हड़ताल करने के अधिकार का कानूनन निषेध किया जाय, परन्तु इसके बदले में उनको एक ऐसे स्वशासन को पूर्ण विकसित करने का अधिकार होना चाहिए जिसमें उनकी प्रत्येक टुकड़ी को अपने कार्य करने की अवस्थाओं का निर्णय करने में पूर्ण भाग मिल सके, और जिन बातों में उनके और सरकार के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाय, उनमें उन्हें इङ्गलैण्ड के इण्डस्ट्रियल कोर्ट जैसी किसी स्वतन्त्र न्याय-पञ्चायत द्वारा निर्णय कराने का अधिकार हो। नागरिक सेवावालों के लिए मेरे विचारानुसार, ऐसा निषेध लागू नहीं हो सकता, और यदि इसका काम में लाना आवश्यक भी होजाय तो भी सफल नहीं हो सकता। निश्चय ही, राज्य-संस्था को ऐसा

तन्त्र स्थापित करने का अधिकार है जिसके सामने सरकार और उसके सेवको के भगडे, सेवको के हड़ताल करने से पहले, निर्णय के लिए अवश्य लाये जाने चाहिएँ, और बहुत सम्भव है कि ऐसा तन्त्र सामान्यतः सफल होगा। परन्तु, मेरे विचारानुसार सेवा लेनेवाले की हैसियत से, राज्य-संस्था को अपने सर्वोपरि-सत्तात्मक स्वरूप पर जोर देने का अधिकार नहीं है। इस अवस्था में उसका, प्रत्येक मजदूरी करानेवाले व्यक्ति की भांति, यही कर्तव्य है कि वह अपने सेवको को अपने नियमों की न्याय्यता समझाकर उनकी निष्ठा प्राप्त करे, और उन लोगों को अधिकार है कि जिन सामान्य उपायों से एक मजदूर-सङ्घ अपने श्रम की अवस्थाओं को सुधारता है, उनका प्रयोग करे। और इसका भी कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता कि, राज्य-संस्था के निम्न-पदस्थ कर्मचारियों को, अन्य बाहर के उद्योग-धन्धों में अपनी समान अवस्थावाले श्रमिकों के साथ, अपने इच्छित योग्य उपायों से अपनी अवस्था सुधारने के लिए सम्मिलित होने का समान अधिकार क्यों न हो। सरकारी पद पर काम करने के गौरव से, क्लर्कों या पोस्टमैनो को जो अपने प्रति अन्यायोचित व्यवहार प्रतीत होता है उसकी उपयुक्त क्षतिपूर्ति नहीं होती।

४

मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों शासन-कार्य को कार्यान्वित करने में न्यायकारिणी का स्वतन्त्र होना महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तीन सिद्धान्त ध्यान देने योग्य हैं। (१) नियुक्ति

का तरीका ऐसा होना चाहिए कि न्यायाधीशों के चुनने में राज-
नैतिक हेतुओं की सम्भावना न्यूनतम होजाय, (२) जिन व्यक्तियों
की नियुक्ति हो उनको, वर्णते कि उनका व्यवहार ठीक रहे, अपने
पद के स्थायित्व का आश्वासन मिलना चाहिए । (३) पदोन्नति
में केवल कानूनी उत्कर्ष का ध्यान रखा जावे । प्रथम सिद्धान्त में
न्यायाधीशों के चुनने में जनता द्वारा या व्यवस्थापिका द्वारा
निर्वाचन का तरीका ठीक नहीं ठहरता, न्यायाधीश के पद के लिए
जिन गुणों की आवश्यकता होती है वह निर्वाचन-पद्धति के लिए
उपयुक्त होनेवाली कर्मौटी से भलीभाँति नहीं जाँचे जा सकते ।
तब सम्भवतया तीन तरीके शेष रहते हैं । पहला तरीका, फ्रांस
की भाँति, यह है कि प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा न्यायाधीशवृन्द
चुना जावे, और ऊँचे पदों पर उन्नति योग्यता के प्रमाणों पर
निर्भर रहे । इस तरीके के विषय में काफी कहा जा सकता है
निश्चय ही इससे फ्रांस को बड़ा विद्वान न्यायाधीश-समाज मिला
है, जिसमें अपने पेशे की प्रतिष्ठा की उच्चतम भावना है । इस
तरीके में मेरी शङ्का यह है कि प्रथमत तो न्यायाधीशोचित गुणों
में कई ऐसे गुण हैं जिनकी जाँच प्रवेश के तरीके से नहीं हो
सकती, और, इंग्लैंड के न्यायाधीश की अपेक्षा फ्रांस के न्यायाधीश
की दृष्टि केवल कानूनी और सङ्कुचित रहती है । फ्रांसीसी न्याया-
धीश सामान्यत अच्छा न्यायाधीश होता है, परन्तु जिस सङ्कुचित
अनुशासन में होकर उसका जीवन व्यतीत होता है उसके कारण
वह न्याय-सम्बन्धी अनुभव के अतिरिक्त सब प्रकार के अनुभव

से अनुचित रूप से पृथक् होजाता है। दूसरा तरीका वह है जो इङ्गलैंड में, और सङ्घीय नियुक्तियों के लिए संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) में है, जहाँकि नीचे और ऊपर के दोनों ही न्यायालयों के न्यायाधीश कार्यकारिणी द्वारा नियोजित किये जाते हैं। इस पद्धति ने हमें नि.सन्देह बहुत से अच्छे-अच्छे न्यायाधीश दिये हैं, जैसा कि मैन्सफील्ड और मार्शल, जैसेल और वॉवेन और होम्म जैसे नामों से स्पष्ट प्रकट होता है, परन्तु जो कोई पिछले सौ वर्षों की नियुक्तियों का सूक्ष्म निरूपण करेगा उसे सन्देह न रहेगा कि उनमें राजनैतिक हेतुओं का बहुत अधिक भाग है। मैं इन दोनों की अपेक्षा एक तीसरा ही तरीका पसन्द करूँगा, जिसमें कि न्यायाधीश लोग स्वयं ही कार्यकारिणी के सामने एक छोटी-सी नाम-सूची उपस्थित करें, जिसके बाहर कार्यकारिणी अत्यन्त अपवाद-स्वरूप परिस्थितियों में ही जावे। इसी प्रकार न्यायाधीशों को पदोन्नति की सिफारिशें स्वयं ही करनी चाहिए, और उसमें केवल यह बन्धन रहे कि जो व्यक्ति केवल पाँच वर्ष से ही न्यायाधीश है या जो पाँच वर्ष के अन्दर सेवा से निवृत्त होनेवाला है वह नियोजित किये जाने योग्य न समझा जाय। मेरे विचारानुसार यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीश राजनैतिक पद लेने से वञ्चित रखे जायँ, और राजनैतिक पद पर रह चुकनेवाला कोई भी व्यक्ति जबतक कि उसको पद से निवृत्त हुए तीन वर्ष न बीत चुके न्यायाधीश पद के लिए नियोजित न किया जाय। मेरे विचार, यह बात भी महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीशों को मत्तर

आयु पर आवश्यकरूपेण निवृत्त कर दिया जाय, साथ ही उन्हें यह भी स्वतन्त्रता हो कि वे पन्द्रह वर्ष न्यायाधीश पद पर सेवा करने के बाद स्वेच्छापूर्वक निवृत्त हो सकें।

ऐसी पद्धति के गुण स्पष्ट हैं। इस पद्धति के कारण हमारा ऐसे न्यायाधीशों के खतरों में संरक्षण होजाता है, जो संकुचित और विशेष पेशेरूप जाति के सदस्य होने के कारण प्रारम्भिक यौवन के समय से ही निरन्तर शोष संसार में पृथक् रहे हैं। यह पद्धति किसी कानूनपेशा व्यक्ति के राजनैतिक सेवा के बदले में पदोन्नति या नियुक्ति प्राप्त कर सकने के अवसर को न्यूनतम कर देती है। प्रथमतः तो, न्यायाधीश-मण्डल द्वारा कार्यकारिणी के विचारार्थ नाम चुनवाने से यह बात मान ली जाती है कि जिन लोगों को पेशे सम्बन्धी योग्यताओं का सबसे अधिक अनुभव है उनको ही उन योग्यताओं का महत्व-निर्धारण करने का अधिकार होना चाहिए, और कार्यकारिणी के हाथ में एक के बदले में दूसरे को चुनने का अपवाद-स्वरूप अवसरों पर काम में लाया जाने वाला अधिकार होने से न्यायाधीश-मंडल के पदानुग्रह-भाव का खतरा परिमित होजाता है। यह भी कहना आवश्यक है कि मेरे विचारानुसार इंग्लैंड की-सी वह पद्धति अवाञ्छनीय है, जिसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति, सामान्यतः छोटी-मोटी राजनैतिक सेवाओं के बदले में, छोटा न्याय पदाधिकारी बनाया जा सकता है, सामान्य व्यक्ति के लिए उचित स्थान अधिक-से-अधिक, फौजदारी मामलों के सहायक न्याय-मण्डल ज्यूरी में हो सकता है।

सामान्य सहायक-न्याय-मण्डल का महत्व भी उन मामलो में संदिग्ध है, जहाँ हुण्डी (विल आव् एक्सचेञ्ज) इत्यादि के व्यापारादि सम्बन्धी अत्यन्त विशेषज्ञतापूर्ण बातों के सम्बन्ध में निर्णय करना होता है। इस क्षेत्र में, जहाँ सहायक न्याय-मण्डल पद्धति रखी गई है, वहाँ ऐसे व्यक्तियों का एक विशेष मण्डल रखना अधिक अच्छा होगा, जिनके विशेष अनुभव के कारण उपस्थित मामलो पर दिये जानेवाले निर्णयों को विशेष महत्व मिलता हो।

किसी भी सुव्यवस्थित राज्य-संस्था में न्यायकार्य के सञ्चालन में चा. सिद्धान्त दिखाई देगे। सरकार के अपराधों पर भी ठीक वही उत्तरदायित्व होगा जो साधारण नागरिक के अपराधों पर होता है, कोई भी राज्य-संस्था वास्तविक रूप में न्याय के शासन के अधीन नहीं कही जा सकती जहाँ उसके कार्यकर्ताओं के दुष्कार्यों के लिए उनका प्रमुख पुरुष दोष-योग्य न हो। सर्वोपरि मत्ता के कारण उमके नाम पर काम करनेवाले व्यक्तियों को उत्तरदायित्व-हीनता न मिल जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहाँ कार्यकारिणी के हाथ में समर्पित व्यवस्थापन-शक्ति हो, वहाँ उस शक्ति की कानूनी सीमा का प्रश्न सदा साधारण न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। तृतीयतः, यह आवश्यक है कि न्याय-सम्बन्धी प्रणाली कभी इतनी खर्चीली नहीं होनी चाहिए जिसमें निर्धन नागरिक न्यायालयों तक पहुँचने से ही वञ्चित रह जाये, मनुष्यों में डम विश्वास के उत्पन्न होने देने की अपेक्षा, कि साधनाभाव के कारण हम न्याय प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह

अच्छा होगा कि तुच्छ महत्वहीन मामले भी बड़ी मंथ्या में पेश होने दिए जायें। अन्तिम बात यह है कि कानूनी तरीकों के सुधार करने की ओर राज्य-समस्या का निरन्तर ध्यान रहना चाहिए। इसके लिए, न केवल यही आवश्यक है कि न्याय-सम्बन्धी समस्याओं के कार्य की विशेषतः फौजदारी अदालतों की, निरन्तर जाँच होती रहे; प्रत्युत यह भी आवश्यक है कि उन समस्याओं के मञ्जालन में जिन-जिन का भाग रहता हो, वे अपने अनुभव को लेखबद्ध करते रहें। कानून-सुधार के विषय में एक स्थायी कमीशन रखना, जिसमें न्यायाधीश वकालत-पेशा और साधारण लोग सभी समान रूप में भाग ले सकें, आजकल के समयकी एक सबसे बड़ी आवश्यकता है।

५

मैंने, यहाँ, लोकमत के महत्व का निरन्तर वर्णन किया है और यह विवेचन तबतक पूर्ण नहीं हो सकता जबतक कि लोकमत सम्बन्धी कुछ अत्यन्त आवश्यक समस्याओं का थोड़ा-सा उल्लेख न किया जाय। दो बातें स्पष्ट हैं, लोकमत की उत्तमता उसको प्राप्त होनेवाले समाचारों की सत्यता पर निर्भर रहती है; और वह जितना ही सङ्गठित होगा उतनी ही उसकी प्रभावोत्पादन-शक्ति होगी। अथवा, दूसरा सिद्धान्त कदाचित् सर्वोत्तम शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि सामान्य लोकमत जैसी कोई वस्तु प्रायः ही नहीं। प्रायः होता तो यह है कि, जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उनपर लोक-सम्मतियों की शृङ्खला का विकास हुआ

करता है, और इन लोक-सम्मतियों की मापेज शक्ति उन्हें इन और सङ्गठन प्राप्त कर सकने की शक्ति पर निर्भर रहती है।

अब जो कोई आधुनिक समाज में समाचारों की सन्ध्या की समस्या पर छानबीन करेगा, उसे प्रथम तो यह ज्ञान होगा कि यह समस्या बड़ी जटिल है, और दूसरी बात यह कि समाचारों के संग्रह करने और वितरण करने में तथ्यों को यथावत् प्रकट करने का प्रयत्न नहीं होता। यदि समाचार के तत्व में नीति पर प्रभाव पड़ सकता हो तो वह प्रचार बन जाता है और विद्यमान पूरे समाज में समाचार का रुख आर्थिक-शक्ति-वर्गियों के लिए लाभदायक बना लिया जाता है। अधिकांश मनुष्यों को समाचारों के लिए समाचार-पत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह समाचार-पत्र मिलनेवाले विज्ञापनों पर अवलम्बित रहते हैं, और उनका निरालना इतना व्ययपूर्ण होता है कि केवल धनिक वर्ग ही उनको प्रारम्भ कर सकते हैं। परन्तु चूँकि वह विज्ञापक पर अवलम्बन रखते हैं, इसलिए उन्हें अधिकांश ऐसे समाचार छापने पड़ते हैं और इस प्रकार टिप्पणियाँ लिखनी पड़ती हैं कि जिससे जो लोग विज्ञापक द्वारा बेची जानेवाली वस्तुएँ खरीदते हैं उनको सन्तोष मिले, अन्यथा वे अपने पत्र की विक्री उन लोगों में नहीं कर सकते जिनकी कार्य-साधनार्थक माँगों की शक्ति काफी बड़ी है। परिणाम यह होता है कि जिन समाचारों के सच्चे रुख के कारण धनिक वर्गों को कष्ट होना सम्भव है वे सम्बद्ध-रूप से पक्षपात-पूर्ण ढंग से दिए जाते हैं। रूग्नी क्रान्ति, या किसी बड़ी हड़ताल, या किसी

राष्ट्रीय-कृत कारखाने का कार्य-विवरण आदि घटनाओं को इस तरह से तोड़-मोड़ दिया जाता है कि जो नागरिक इनके स्वरूप का ज्ञान अपने समाचार-पत्र से प्राप्त करता है उसपर उनके विषय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके। वह वास्तविकताओं को मानते एक ऐसे दर्पण में से प्राप्त करता है जिसमें उनका स्वरूप किसी विशेष स्वार्थ के बहुत अधिक अनुकूल बन जाता है। जबतक नीति के परिणाम में लोगों के स्वार्थ विपरीत रहते हैं, तबतक उनको मिल सकनेवाले समाचारों को इस प्रकार चुना और महत्व दिया जाता है कि जिसमें उनका सच्चा अर्थ न निकल सके। केवल समानता-पूर्ण समाज में ही सत्य बात छापना लाभदायक होता है।

अन्ततः, लोकमत जितना अधिक सङ्गठित होता है उतना ही अधिक बलवान होता है, और सङ्गठन आर्थिक शक्ति के अनुरूप होता है। धनिक खान-मालिकों के एक छोटे समूह को सङ्गठित करना, निर्धन मजदूर-सङ्घ-वादियों के एक बड़े समूह को सङ्गठित करने की अपेक्षा अधिक सुगम है। थोड़े से खान-मालिकों को सुसम्बद्ध और एकता-पूर्ण बनाये रखना भी अधिक सरल है। इनमें गलती होजाने से आघात का अनुभव कम तेजी से होता है, और सफलता के परिणाम बहुत अधिक प्रत्यक्ष होते हैं। आर्थिक शक्ति अपनी निजी बुद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक ज्ञान पर अधिकार कर सकती है। उसमें प्रतीक्षा करने का भी सामर्थ्य है, और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होने पर उसके सामान्य जीवन की रूप-रेखा के बहुत बदल जाने का अनुभव उसे नहीं होता। परन्तु

जिन लोगों के पास आर्थिक शक्ति नहीं है उनके संगठन को इनसे से प्राय एक भी सुविधा नहीं होती। उनके मुख्य जाल जैसा हडताल में होता है, इतने व्ययपूर्ण होते हैं कि वह उनके जाल करने का सामर्थ्य नहीं रखता। ज्ञान को सर्वोद्वेग की उम्मीद न्यून होती है, क्योंकि प्राय ऐसे संगठन को जिन ज्ञान की आवश्यकता होती है उससे उस ज्ञान को रखनेवाले लोगों की मनोवैज्ञानिक रुचियाँ विरुद्ध पडती हैं। संज्ञेपन विरुद्ध समाज में लोकमत नैतिकता की दृष्टि में अपने दावे नहीं कर सकता। विपमता-पूर्ण शक्ति के कारण स्वार्थ जिन हद तक नोटे मोडे जाते हैं उसीके अनुसार उन दावों की न्याय पूर्णता होती है। इसलिए, जबतक आर्थिक शक्ति के विभाजन में गहरी विपमतायें रहेगी, तबतक कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने नागरिकों की माँगों को समानता से पूर्ण नहीं कर सकती, न सम्भोगता-पूर्वक उनके अधिकारों को समान रूप से स्वीकृत करने का प्रयत्न कर सकती है।

: ४ :

राज्य-संस्था और अन्तर्राष्ट्रीय समाज

१

अभीतक राज्य-संस्था की समस्याओं पर केवल इसी दृष्टि से विचार किया है मानो उनका सम्बन्ध केवल उस राज्य के नागरिकों से ही है। परन्तु वास्तव में एक राज्य-संस्था अन्य राज्य-संस्थाओं से विल्कुल अलग नहीं बल्कि उन्हीं में से एक है। अतः हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वे उन राज्य-संस्थाओं के पारस्परिक सम्बंध से उठनेवाली समस्याएँ हैं, जो उस समय पैदा होती हैं जबकि एक राज्य-संस्था और उसके नागरिकों को दूसरी राज्य-संस्था और उसके नागरिकों से काम पडता है। पूर्वगृहीत मूल-सिद्धान्तों के अनुसार कोई भी राज्य-संस्था दूसरी राज्य-संस्था को आज्ञा नहीं दे सकती, क्योंकि यदि ऐसा होजाय तो आज्ञा पालनेवाली राज्य-संस्था के विधि-निदेशों का स्वरूप वह न रहेगा, जिसपर कि, पूर्व विवेचनानुसार, राज्यतत्त्व का आन्तरिक स्वरूप निर्भर रहता है।

इसके अतिरिक्त, राज्य-संस्थाओं के पारस्परिक सम्बंधों को नियन्त्रित करने की भी आवश्यकता है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियमों का समूह है जिनके द्वारा विविध राज्य-संस्थाओं और उनके नागरिकों के पारस्परिक सम्बंधों को व्यवस्थित किया जाता है। यह नियम समाज में रहनेवाले मनुष्यों पर इस कारण लागू किये जाते हैं कि यदि यह न हो तो राज्यत्व के आन्तरिक स्वरूप से बाह्य स्वरूप पर पहुँचने पर हमारे सामने ऐसी अवस्था उत्पन्न होजाय जिसके लिए अराजकता शब्द ही प्रयुक्त होसके। यदि राज्य-संस्थाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून बाध्य न हो तो अपने-अपने मन के अनुसार काम करने की इच्छा के अतिरिक्त उनके परस्पर के लिए अन्य कोई नियम ही न रह सकेंगे। और, वास्तव में, हॉब्स जैसे कई बड़े-बड़े विचारक ऐसे हुए भी हैं जिन्होंने यही निष्कर्ष स्वीकार किया है। उन्होंने अपने हेतुओं और उदाहरणों से विलकुल युक्तिपूर्वक यह बताया है कि, चूँकि मनुष्यों की कोई भी संस्था राज्य-संस्था को आज्ञा नहीं दे सकती इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून के समान प्रामाणिक मानना असम्भव होजाता है। उनका कहना है कि यदि राज्य-संस्था के कानूनी विधि-निर्देश सर्वोपरि हैं तो, युक्तिः, अन्य कोई भी विधि-निर्देश उनसे बड़े नहीं हो सकते। तो परिणाम यह निकलता है कि किसी भी राज्य-संस्था के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून उसी अंश तक प्रामाणिक है जिस अंश तक वह उसके तत्व को मानने को तैयार हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्तर-राष्ट्रीय कानून विशेष

राज्य-संस्थाओं द्वारा कानून मान लिया जाने पर मचमुच कानून बन जाता है। उसमें स्वतः कोई बाध्य करनेवाला बल नहीं है, उसको सत्ता इस बात से मिल जाती है कि व्यक्तिगत राज्य उसके प्रत्येक नियम को कानूनी विधि-निर्देश के रूप में ग्रहण कर लेते हैं।

परन्तु ऐसे प्रबल निष्कर्ष को स्वीकार कर लेने से पहले उसके आधारों का परीक्षण कर लेना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण बातें उत्पन्न होती हैं। (१) कोई भी नई राज्य-संस्था, जब वह अस्तित्व में आती है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिष्ठित नियमों में से केवल कुछ को चुनकर पसन्द नहीं कर सकती। उसपर वे ठीक उसी प्रकार बाध्य होते हैं मानों वह उनके बनाने के लिए उत्तरदायी रही हो। अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाजों, संधियों और पञ्चायतों के समझौतों के कारण बहुत से ऐसे सुप्रतिष्ठित सिद्धान्त उत्पन्न होगए हैं कि जो राज्य-संस्थाओं के सामान्य पारस्परिक व्यवहार में उनके कार्यों को उन्हीं प्रकार मर्यादित करते हैं जिस प्रकार इंग्लैण्ड का कानून अपने नागरिकों के कार्यों को मर्यादित करता है। (२) राज्य-संस्था का सर्वोपरित्व एक ऐतिहासिक परिणाम है जिसका जन्म मध्ययुग के मध्ययुगी पोप-सत्ता (*respublica christiana*) के टूट जाने पर हुआ था। मॉन्टेसकिए पर, रिफॉर्मेशन युग से पहले राज्य-संस्था की इच्छा सर्वोपरि स्वरूप की नहीं थी, वह ईश्वर के कानून और प्रकृति के कानून द्वारा स्वाभाविक रूप से मर्यादित मानी जाती थी, इनके सिद्धान्तों के विरुद्ध राज्य-संस्था का कोई भी विधान स्वभावतः मल्यहीन

होता था। आजकल हम उस अवस्था का दर्शन कर रहे हैं जो भूमण्डलीय सघ का पुनर्निर्माण कहा जा सकता है, जिसका खल मध्य-युग के विचारक देखा करते थे। हमने जान लिया है कि वैज्ञानिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण सामान्य संसार-सम्बन्धी मामलो में व्यक्तिगत राज्य को अपना-अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र छोड़ना असम्भव होगया है। निर्णायक अवसरों पर ऐसे बंधन-रहित आत्मनिर्णय से युद्ध होजाता है, और जिस कारण अपने प्रदेश के अंदर राज्यसंस्था की इच्छा को अन्य सब सभा-संस्थाओं से प्रधानता मिली, उसी कारण राज्य-संस्थाओं के समाज में भी ऐसी सामान्य इच्छाशक्ति का होना, जो प्रत्येक विशेष राज्य-संस्था की इच्छा के ऊपर प्रधानता रखती हो, एक राजनैतिक आवश्यकता बन गई है। इसलिए परिणाम यह निकलता है कि जिस प्रकार व्यक्तिगत इच्छा राज्य-संस्था के निर्धारण किये हुए कानूनी विधि-निदेशों के अधीन है, ठीक इसी प्रकार सामान्य सम्बन्धी सामान्य मामलो में राज्य-संस्था की इच्छा भी एक प्रधान इच्छाशक्ति के अधीन होनी चाहिए।

यही बात, सम्भवतः, सर्वोत्तम रीति से हम प्रकार पता की जा सकती है। सन् १५०० और १७०० के बीच में व्याप्त एक राज्य-संस्था इसलिए सर्वोपरि बन गई कि उसके व्यापक प्रायः किमी दूरी से उसके नागरिकों के जीवनो को मानव जीवन चिन्ता निश्चित रूप से न दी जा सकती थी। इसके प्रायः पतन-तत्त्वज्ञान दृढ़नेवाले विचारकों को हमने अपने प्रायः पतन-तत्त्वज्ञान

दिखाई दी वह यह थी कि इसने अपनी इच्छाशक्ति को सब बाह्य नियंत्रणों से स्वतंत्र कर लिया था। इसलिए स्वभावतः उन्होंने यह मान लिया कि राज्य-संस्था ही सामाजिक संगठन का अंतिम घटक है। परन्तु, परिस्थिति, विशेषतः पिछली अर्ध-शताब्दि में, पुनः बदल गई है। संसार इतना परम्पराधीन होगया है कि किसी भी राज्य-संस्था में अनियंत्रित इच्छाशक्ति का होना अन्य राज्य-संस्थाओं की शान्ति के लिए घातक है। यदि हम इंग्लैंड को, अपनी राज्य-सीमाओं और सैनिक शक्ति, अपनी आयात-निर्यात कर पद्धति, और श्रमपद्धति, अपने न्यायालयों में विदेशियों को दिये जानेवाले अधिकार, इतर राज्यों से होनेवाले झगड़ों का निर्णय करनेकी विधि आदि बातों का स्वयं ही निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दे, तो अनिवार्य परिणाम होगा अन्तर्राष्ट्रीय विपत्ति। राज्य-संस्थाओं की परस्परधीनता के कारण, एक ऐसा भूमंडलीय समाज, राज्य-संस्थाओं का समाज, मानने की आवश्यकता है, जिसके अपने ही पृथक् कानूनी विधि-निर्देश हों और उनके सामने अन्य सब नियमों को झुकना पड़े। थोड़े में कह सकते हैं कि आधुनिक परिस्थितियों के कारण सामान्य सम्बन्ध के मामलों के लिए सार्वव्यापी कानून निर्माण शक्ति को मानना भी उतना ही स्पष्टतया आवश्यक होजाता है जितना कि राज्य संस्था के प्रदेश के अन्दर उसके प्रभुत्व को मानना। संक्षेपतः, कानून की दृष्टि से म्युनिसिपल कानून अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अधीन है।

इसलिए, इस प्रतिज्ञा को लेकर कि कानून का मूल उद्गम राज्य-संस्थाओं के समाज की इच्छाशक्ति है, और आधुनिक सभ्यता में यह इच्छाशक्ति अन्य सब इच्छा-शक्तियों के ऊपर प्रधान है, कानून सम्बन्धी व्याख्या बनाई जा सकती है। ऐसी प्रतिज्ञा के अनुसार, राज्य-संस्थाओं के समाज से किसी विशेष राज्य-संस्था का सम्बन्ध अधीनता का सम्बन्ध है, यह वैसा ही है जैसा कि अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र से न्यूयार्क का है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनपर न्यूयार्क स्वयं अपना कानून बना सकता है, और कुछ अन्य ऐसे विषय हैं जिनपर उसे संयुक्तराष्ट्र का निर्णय मानना पड़ेगा। इस दृष्टि के अनुसार राज्य-संस्था सर्वोपरि नहीं रहती। वह जिन ससार-व्यापी परिस्थितियों में स्वयं परिगृहीत है उनके निष्कर्षों को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसकी बंधन-रहित स्वच्छन्दता की माँग स्वीकार करना उतना ही असम्भव है जितना कि व्यक्तिगत नागरिक की नियंत्रण-रहित इच्छा रखने के कानूनी अधिकार की माँग को मान लेना। सामान्य आवश्यकताएँ होने का अर्थ है पारस्परिक अधीनता होना, और जहाँ पारस्परिक अधीनता है वहाँ, ऐतिहासिक या पारिभाषिक भाव में, सर्वोपरि राज्य-संस्था का होना असम्भव है।

उपर्युक्त दृष्टिकोण में इन संदेहरहित बातों से भी कोई दोष नहीं आता कि (क) राज्य-संस्थाएँ कानून को तोड़ देती हैं, और (ख) राज्य-संस्थाओं के समाज ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून की वृद्धि के लिए कोई भी सतोषजनक साधन, विशेषतः व्यवस्था-

पन क्षेत्र मे, विक्रमित नहीं किये है । अन्तर्राष्ट्रीय कानून का किमी विशेष व्यक्ति द्वारा भंग होना उतना ही महत्व-पूर्ण या महत्व-शून्य है जितना कि म्युनिगिपल कानून का किमी विशेष व्यक्ति द्वारा भंग होना, जबतक कानून सामान्यत और प्रवृत्तित बल-पूर्वक लागू किये जाने योग्य होता है तबतक वह कानून रहता है । यह हम मान सकते है कि राज्य-संस्थाओं के समाज की सस्थाये अभीतक इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अनुपयुक्त है । इसके दो उपयुक्त कारण है । प्रथमत तो, अन्तर्राष्ट्रीय परस्पराधीनता के सिद्धान्त की मान्यता अपेक्षाकृत नई है, इस सिद्धान्त की यथारीत्या मान्यता १६१६ की वार्सेलीज के सधिपत्र से पहले की प्राय नहीं कही जा सकती । द्वितीयत, इस परस्पराधीनता के लिए उपयुक्त संस्थाये बनाने के प्रत्येक प्रयत्न का सर्वोपरि राज्य-संस्था के द्वारा विरोध हुआ है, जो अभीतक अपने अधिपत्य के खण्ड-हरो को अपने ही हाथ मे बनाये रखने का उत्कट प्रयत्न कर रही है । उदाहरणतः, राष्ट्रमंघ का इतिहास, सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय परस्पराधीनता के नगं सिद्धान्त तथा उसके परिणामो के साथ सर्वोपरित्व के पुराने सिद्धान्त के सङ्घर्ष का लेख-प्रमाण हो । इस पुराने सिद्धान्त को मानने की इच्छा के परिणाम-स्वरूप ही राष्ट्रसङ्घ मे एकमत से निर्णय करने का नियम है जो राष्ट्रसङ्घ की सफलता को बहुत-कुछ नष्ट करता है, अन्तर्राष्ट्रीय परस्पराधीनता के परिणामो को स्वीकार करने की आवश्यकता के फलस्वरूप ही 'विकल्प' (ऑशन) सम्बन्धी धारा,

सामान्यतः पंचायत द्वारा भगडे निवृत्ताने का एक और नैतिक की जैसी परस्पर अभिवचन देनेवाली मंथियाँ हुई हैं और इससे सर्वोपरित्व के सिद्धान्त पर निश्चित और सुस्पष्ट अर्थ है, क्योंकि इन तीनों का अर्थ है कि जिन राज्य-संस्थाओं ने स्वीकार कर लिया है, वह वास्तव में, अपनी इच्छानुसार करने में स्वतंत्र नहीं हैं। इसी प्रकार शासन-निदेशों (लेटर्स) के सिद्धान्त तथा राष्ट्रसङ्घ के कुछ सदस्य-राज्यों की अलग-अलग जातियों को प्रतिज्ञात किये हुए अधिकारों द्वारा यह बात स्पष्ट है कि राज्य-संस्था की स्वाधीनता के दिन निश्चित नहीं चुके हैं। हम आधुनिक राज्य-संस्थाओं में, उनको सामान्य संस्था के अधीन किये बिना परस्पर आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और, इस अधीनता का परिणाम यह है कि श्रेष्ठ संस्था के बनाये हुए कानूनी विधि-निर्देश उनको प्रभाव देनेवाली सब इच्छाशक्तियों पर प्रधानता रखते हैं।

ऐसी स्थिति में कुछ प्रतिष्ठित विचारकों ने इसका पुराने दृष्टिकोण में दो प्रकार में सामंजस्य करना चाहा है। एक और तो वे यह कहने लगे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून तो राष्ट्रीय कानून ही है, क्योंकि वह व्यक्तिगत राज्य संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हो जाने पर ही लागू हो सकता है, और दूसरी ओर उनका यह कहना होगया है कि जहाँतक अन्तर्राष्ट्रीय कानून सचमुच कानून है वहाँतक वह सब एक पूर्ण व्यवस्था है, जो व्यक्तिगत राज्यों की इच्छाशक्ति में स्वतन्त्र है और उसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

परन्तु यह दोनों दृष्टिकोण संतोषजनक नहीं हैं। प्रथम विचार के दो उत्तर दिये जा सकते हैं। प्रत्यक्षत, राज्य-संस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को इसलिए स्वीकार नहीं करती कि वे उन्हें स्वेच्छा से पसन्द करती हैं, परन्तु इसलिए कि वास्तव में उनके पास दूसरा चारा नहीं है, और स्वीकृत-सिद्धान्त को, जो वास्तव में अधिकांश काल्पनिक है, कायम रखने में कोई लाभ नहीं है। और कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्भवतः तबतक काम में नहीं आ सकता जबतक कि उसके प्रजाजन उसका लागू किया जाना स्वीकार न करे; परन्तु यह बात तो स्वयं राज्य-संस्था के कानून के विषय में भी सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायविज्ञान की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कानूनी स्वरूप को उसके लागू किये जा सकने की सफलता पर निर्भर बताना, उसपर प्रामाणिकता सम्बन्धी वह कसौटी लगाना है जिन्हे कोई भी न्याय-विज्ञान-विशारद राष्ट्रीय कानून पर स्वप्न में भी नहीं लगाता। न्याय-विज्ञान-विशारद के ही माने हुए सिद्धान्तों के अनुसार कानूनीपन के लिए इतना ही आवश्यक है कि उसके उद्गमस्थान को इतनी अधिकार-शक्ति होनी चाहिए कि वह सम्बन्धित नियमों को बना सके। उसके लिए कानूनीपन शुद्ध अधिकार-शक्ति का प्रश्न है, और उसे अन्य-कारणाश्रित कसौटियों के आधारों को त्यागना पड़ता है। और, यह विचार भी कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून से स्वतन्त्र एक स्वावलम्बी व्यवस्था है, अधिक संतोषजनक नहीं है। क्योंकि, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सारा प्रयोजन परिभाषा के अनुसार,

राज्यो में, रहनेवाले, नागरिकों के आचरण-व्यवहार को नियन्त्रित करना है। वह राज्य-संस्थाओं की इच्छा-शक्ति को अपने उद्देश्यों के लिए बाधित जिसे बिना अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता। राज्य-संस्थाओं की इच्छा-शक्ति को बाधित करने के लिए राज्य-संस्था की इच्छा-शक्ति ने उसकी स्वाभाविक श्रेष्ठता का होना अनिवार्य है और हमें यह जानना पड़ता है कि न्युनिसिपल कानून उन्हीं निद्वान्तों पर आधारित है जिनपर अन्तर्राष्ट्रीय कानून है।

एक और युक्ति पर, जो अन्तिम है, विचार करना भी आवश्यक है। कहा जाता है कि राज्य-संस्था को कानूनी व्यवस्था मानना तो मरल है क्योंकि उसमें तो ऐसे मनुष्यों का समुदाय प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिनको उनके नागरिकों पर उसके कानूनी विधि-निदेशों को लागू करने का अधिकार, अपनी स्थिति के कारण, होता है; परन्तु राज्य-संस्थाओं के समाज में कानून को लागू करवानेवाली शक्ति इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यदि उसका एक भी नियम भङ्ग किया जाता है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसपर कानून-भङ्ग के दण्ड का प्रयोग करने का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हो। परन्तु, इस आलोचना को घातक मान लेने से पहले, इसके अभिप्रायार्थ का समझ लेना आवश्यक है। इसमें यह माना गया है कि कानून राज्य-संस्था के ऐसे अङ्ग द्वारा निर्मित होता है जिसके पास आवश्यक होने पर दण्ड का प्रयोग करने की शक्ति होती है। वास्तव में, इसका अर्थ है हॉव्स और ऑस्टिन से आई हुई सर्वोपरित्व सम्बन्धी प्रसिद्ध व्याख्या को ज्यों-का-त्यों मान लेना, और जैसा कि

हम देख चुके हैं वह व्याख्या आधुनिक समाज की जटिल परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं होती। हम ऐसी सामान्य श्रेष्ठ शक्ति को, जिसकी उच्छ्वासे से सारा कानून बनाया जाता है, ढूँढने की अपेक्षा सामाजिक जीवन के भिन्न-भिन्न विभागों के लिए आवश्यक कानून बनाने के लिए उपयुक्त सहाय्य प्राप्त करने की चिन्ता अधिक है, हमें कर्तव्यों के एकीकरण में नहीं किन्तु विभाजन में मुख्य रुचि है। इतना ही नहीं। हम यह भी कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनेक नियम राज्य-संस्था के माध्यम से न्यायालयों द्वारा सामान्यतया और स्वाभाविकतया प्रयोग में लाये जाते हैं, और जमोरा (zamora) में लार्ड पार्कर का प्रसिद्ध निर्णय बताता है कि न्यायालय इस दिशा में किस हद तक जाने को तैयार हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय नियम आजकल केवल स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही प्रयुक्त नहीं होते, प्रत्युत इस न्यायालय के निर्णयों से इसी प्रकार के मामलों में सम्बन्ध रखने वाली सब संस्थाओं के कार्य का स्वरूप अधिकाधिक निर्मित होता जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि, यद्यपि राष्ट्र-संघ अभी अपूर्ण है तथापि वह पालन कराने की शक्ति के विचार का एक संस्था के स्वरूप में व्यक्तरूप है। यह संघ वास्तव में जितने दीर्घकाल तक कार्य करेगा, उतना ही दृढ़ रूप इस विचार को प्रदान करेगा। जो इकरारनामा (कवेनेण्ट) युद्ध की प्रारम्भ को

रोकने के विचार से उत्पन्न हुआ था, ताकि बीच के समय में युद्ध प्रारम्भ करनेवाले को चिन्तन का अवसर मिल सकें जिम्मे उनके बीच सफलतापूर्वक बीच-बचाव हो सके, वह अब इस भावना की ओर अधिकाधिक बढ़ता जाता है कि आक्रामणात्मक कार्य की परिभाषा की जा सकती है, और जो राज्य-संस्था आक्रामण के लिए उत्तरदायी समझी जायगी, उसके प्रति राष्ट्र-संघ के सब सदस्यों की शत्रुता हो जायगी। वास्तव में किसी न-किसी रूप में सम्मिलित (सामूहिक) पालन कराने की शक्ति का विचार उत्पन्न हो गया है, विवादास्पद प्रश्न तो केवल यह रह गया है कि पालन-कारयित्री शक्ति अधिक-से-अधिक व्यावहारिक रूप क्या ग्रहण कर सकती है। इसके अतिरिक्त इकरारनामे (कवेनेण्ट) में, प्रत्येक पद पर, सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप भी हैं, जो हर जगह अङ्कुरावस्था में ही नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्र-संघ की कौंसिल अब भी, यद्यपि मन्त्रि-मण्डल की भांति तो नहीं, तथापि कम-से-कम एक ऐसी संस्था की भांति तो कार्य कर रही है जो निदेश (आर्डिनेन्स) बनानेवाली संस्था से बहुत समानता रखती है, और लोकमत पर राष्ट्र-संघ की एसेम्बली का परिणाम बड़ा प्रभावकारी है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य भी बड़ा प्रभावकारी है। यद्यपि राष्ट्र-संघ को युद्ध के पश्चाद्वर्ती परिणामों से बहुत बाधा हुई है, तथापि उनके विषय में इतना तो कहा ही जा सकता है कि संसार की जातियाँ व्यक्तिगत राज्य-संस्थाओं के अत्याचारों को सीमित और नियन्त्रित करने के लिए उसके मुख की ओर देखती

है। उसकी सामाजिक और वैज्ञानिक सेवा के विषय में तो प्रत्येक व्यक्ति न्यायपूर्णता के साथ कह सकता है कि यदि वह कार्य न किया जाता तो संसार आज की अपेक्षा हीन और कुरूप स्थान रहा होता; और यदि वह बन्द होजाय तो उसका पुनः आविष्कार करना पड़े। राष्ट्र-संघ को साहस-हीनता और मंशयालुता से बहुत हानि उठानी पडी है। उसको रूस और संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका) के अलग रहने से भी बहुत हानि हुई है। और सम्भवतया उसे सबसे अधिक हानि अपनी ही कार्य-पद्धति मन्वंधी त्रुटियों के कारण हुई है जिनके द्वारा राज्य-संस्थाओं की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु उनकी त्रुटियों और बाधाओं के रहते हुए भी, वह महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के सङ्गठन के होने की आवश्यकता है, इन दोनों बातों में संशय होना कठिन है। उसके इतिहास के प्रथम दस वर्षों के अनुभव में यह स्पष्टतया प्रकट है कि वह राजनैतिक संस्थाओं के इतिहास में एक निर्णायक अवस्था को व्यक्त करता है।

२

क्योंकि, राष्ट्र-सङ्घ को या तो आगे बढ़ना पड़ेगा या नष्ट हो जाना पड़ेगा। वह व्यक्तिगत राज्य-संस्थाओं के अधिकारों का निरन्तर नियन्त्रण करके ही आगे बढ़ सकता है। वास्तव में उसके सफल विकास का अर्थ यह है कि अधिकाधिक विस्तीर्यमाण क्षेत्र में ऐसी शक्ति व्यक्त होनी चाहिए, जो उस विषय को सीमित करे जिसमें राज्य-संस्थायें स्वयं कानून बनाने का अधिकार रखती हैं।

राष्ट्र-सङ्घ अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य सम्बन्ध के सब विषयो मे राज्य-मस्थाओ के लिए व्यावहार-विधियाँ बनाने की सत्ता ग्रहण करेगा। इन विषयो मे से, कम-से-कम, कुछ तो स्वयं स्पष्ट है। युद्ध करने का अधिकार, राज्य-सीमाओ का निर्धारण, युद्ध-शक्ति की सीमा, आयात-निर्यात-कर तथा देशान्तर-निवास, पिछडी हुई जातियो की रक्षा, यह सब ऐसे विषय है जिनपर व्यक्तिगत राज्य-संस्था अधिक समय तक अन्तिम अधिकार-शक्ति नही रख सकती। और किसी भी तरह से यह बात कम महत्वपूर्ण नही है कि राष्ट्र-सङ्घ की सदस्य-राज्य-मस्थाओ को अपने आपस की सन्धियो को, यदि वे उन्हे परिणामकारी बनानी चाहती है, जेनेवा मे रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। न्यायपूर्णता के साथ कहा जा सकता है कि हम ऐसे काल के समीप पहुँच रहे है कि, यदि सन्धियो को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मान्यता प्राप्त करनी है, तो उन्हे राष्ट्र-सङ्घ द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होगा।

परन्तु यह कहना केवल काल्पनिक नही है कि ये सब बातें, उस विकास के पर्यवसान नहीं, केवल प्रारम्भिक रूप है, जिसे निःसन्देह दीर्घकालीन प्रयास के बाद हम निश्चित रूप से देखेगे। उद्योग-धंधो मे विज्ञान की वृद्धि के तीन परिणाम हुए है। (क) उत्पत्ति की शक्ति क्रयशक्ति के विषम विभाजन के कारण, उपभोग की शक्ति का अत्यधिक अतिक्रमण कर चुकी है। परिणाम यह हुआ है कि आधुनिक यत्र-सामग्री सेमुसजित राज्य-मंस्थाये निर्यात के लिए बाजार ढूँढने की उत्कट प्रतियोगता मे प्रवेश

कर रही है, और उन्हें निम्न जीवन-कोटि रखनेवाली राज्य-संस्थाओं के मुक्ताविले में अपनी जीवनकोटि की रक्षा करनी पड़ती है। इस अवस्था का, कभी-न-कभी, अनिवार्य परिणाम यह होगा कि कच्चे माल, बाजारों में विक्रय के तरीकों और श्रम-सम्बन्धी नियमों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण हो जायगा। क्योंकि, राष्ट्र-मद्वैत जैसी संस्था जो युद्ध के निवारण के लिए है, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए युक्ति युद्ध के मूलभूत कारणों के (जो प्रधानतः आर्थिक हैं) सम्बन्ध में भी कार्यवाही करने की आवश्यकता को नहीं टाल सकती। निश्चय ही उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। आधुनिक संसार में अन्य कोई अकेला कारण इतनी अस्त-व्यस्तता नहीं फैलाता, जितनी व्यक्तिगत राज्य-संस्था का अपनी मुद्रा-सम्बन्धी प्रणाली को आप ही नियन्त्रित करने का अधिकार। वाशिङ्गटन में मुद्रा की अत्यधिक रोक होजाने से संसार-भर की क्रीमतों में भयङ्कर गिरावट हो सकती है, पेरिस में वेहिसाव स्वर्ण-संग्रह हो जाने से जापान और दक्षिणी अमेरिका में बेकारी फैल सकती है। यह निष्कर्ष निकालना तो सामान्य विवेक की बात है कि वेसल का इण्टर-नेशनल सेटलमेण्ट्स बैंक भी एक ऐसी केन्द्रीय मुद्रा-व्यवस्था का सूत्रपात है, जिसके लिए राज्य-संस्थाएँ उसी प्रकार अधीनस्थ घटक होंगे, जिस प्रकार इङ्गलैण्ड के ज्वाइण्ट-स्टाक बैंक बैंक-आव्-इङ्गलैण्ड के अधीन है। अन्यथा, स्पष्टतः, आधुनिक द्रव्य-सम्बन्धी परस्पराधीनता का यही परिणाम होगा कि किसी एक भी राज्य-संस्था की गलतियों और मूर्खताओं के कारण इस

प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, कि वह चाहे स्पष्ट दिखाई न दे, पर उसके परिणाम १६१४ के युद्ध से कम भयङ्कर न होंगे।

इसके अतिरिक्त इसके विकास की एक नई दिशा की भी कल्पना की जा सकती है। अभी तक, और ऐतिहासिक परिस्थितियों की दृष्टि में पूर्ण स्पष्टतया, अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों ने व्यक्तियों के, जिन्हें अपने अधिकारों की रक्षा प्राप्त करने का स्वतः हक है, अधिकारों के विषय में कुछ भी नहीं किया है। अभी तक जब-जब विदेशियों को किसी भिन्न-देशीय राज्य-संस्था द्वारा कष्ट पहुँचा, तब-तब उन्हें उसके प्रतिकार के लिए अपनी ही राज्य-संस्था के मुख की ओर देखना पड़ा, और उस राज्य-संस्था को न्याय प्राप्त करने में उन्हें सहायता देने के लिए बाध्य करने के कोई साधन न थे। जहाँ-जहाँ किसी नागरिक के साथ उसीकी राज्य-संस्था ने दुर्व्यवहार किया है, वहाँ-वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने यह माना है कि वह मामला आन्तरिक-शासन का है और उसके अधिकार-क्षेत्र के बाहर है। कहा गया है कि राज्य-संस्था सर्वोपरि-सत्तात्मक मस्था है, इसलिए इस क्षेत्र में किसी को अधिकार नहीं है कि उसने जिन निर्णयों को करना उचित समझा उनपर आपत्ति उठावे।

तथापि, यह असम्भव नहीं है कि इन मामलों में हम एक नये युग के प्रारम्भ काल में हों। कोई सैद्धान्तिक कारण ऐसा नहीं है, कि, उचित ज्ञात्ता रखते हुए, क्यों किसी विदेशी को भिन्न देशीय

राज्य-संस्था द्वारा दुर्व्यवहार किया जाने पर स्थायी अन्तराष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्था में न्याय प्राप्त करने का अधिकार न हो। निम्नलिखित, उसे न केवल अपने अभियोग को ही सिद्ध करना चाहिए, बल्कि यह भी बताना चाहिए कि अपनी रक्षा के जो उपाय दोषी राज्य ने स्वयं प्रस्तुत कर रखे हैं उन सबको भी उमने निरक्षेप कर दिया है। इसी प्रकार, इसका भी कोई कारण नहीं है, कि, क्यों, उचित परिस्थितियों में, किसी विशेष राज्य-संस्था का नागरिक, जो उन अधिकारों से वञ्चित किया गया हो जिनकी रक्षा के लिए वह राज्य-संस्था अन्तराष्ट्रीय कानून द्वारा प्रतिज्ञा-बद्ध है, दोषी राज्य-संस्था पर उसके दुर्व्यवहार के लिए अन्तराष्ट्रीय न्यायालय में दावा न कर सके। उदाहरणतः १९१६ के सन्धि-पत्रों के अनुसार, यहूदियों को भेद-भाव करनेवाले कानूनों से रक्षा का अभिवचन दिया गया है, इसका कोई सैद्धान्तिक कारण नहीं है कि क्यों रूमानिया या हङ्गेरी के किसी यहूदी को जो यह सिद्ध कर सकता हो कि उसकी शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, और उससे उसे विशेष हानि होती है, न्यायालयों द्वारा रक्षा पानेकी स्वतन्त्रता न हो। इस विचार को कि अन्तराष्ट्रीय कानून का अस्तित्व व्यक्ति के संरक्षण के लिए ही है, हम जितना बढ़ा सकेंगे, उतना ही व्यापक उसका बाध्यता-सम्बन्धी बल होगा। हमारे सामने जो वास्तविकताएँ हैं, उनकी दृष्टि से अन्तराष्ट्रीय दण्ड-कानून का होना एक अविलम्ब्य आवश्यकता है, और अन्तराष्ट्रीय सङ्गठन जितना-

जितना विकसित होगा, उसकी आवश्यकता भी उतनी-उतनी ही अविलम्ब्य होगी। जिस प्रकार राज्य-संस्था अपने राष्ट्रीय दोषों के लिए अपने न्यायालयों में उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका उत्तरदायित्व जितना अधिक होगा, उसका कार्य भी उतना ही अधिक आदरणीय होगा।

इस विश्लेषण के परिणामों पर विचार करना भी उचित होगा। सौ वर्ष पूर्व, ऑस्टिन के लिए कानून का विवेचन राज्य-संस्था तक सीमित कर देना उतना ही स्वाभाविक था जितना कि मध्य-युगी विचारकों के लिए उसपर विश्व-सम्बन्धी दृष्टि के अतिरिक्त अन्य दृष्टि से विचार करना असम्भव था। ऑस्टिन के संसार में राज्य-संस्था ही संस्थाओं के विकास की अन्तिम सीढ़ी प्रतीत होती थी, प्रतिद्वन्द्विता ही उस संसार का नियम था, और उस प्रतिद्वन्द्विता का आधार अठारहवीं शताब्दी के कल्याणकारी आशावाद के फलस्वरूप आया हुआ यह विचार था, कि यदि हम प्रकृति की स्वच्छन्द इच्छा पर विश्वास करें तो वह अन्त में सब बातों को ठीक कर देती है। यह वही आशावाद है जो एडेमस्मिथ के “अदृश्य हाथ” में, वैनथेम के इस उग्रवाद में कि सामाजिक पुराणियों की अन्तिम औपधि इकरार की स्वतन्त्रता है, और हैगेल की इस शिक्षा में कि ऐतिहासिक विकास अधिकाधिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति को प्रकट करता है, दिखाई देता है।

परन्तु हमारा संसार भिन्न संसार है। आज हमें जो बात स्पष्टतया दिखाई देती है वह राष्ट्रों की पृथक्ता नहीं किन्तु

अन्तर्राष्ट्रीय अधीनता, प्रतिद्वन्द्विता का महत्व नहीं किन्तु सहयोग की आवश्यकता है। हमने यह जान लिया है कि यदि राज्य-संस्था को अन्य राज्य-संस्थाओं से शान्तिपूर्ण और सुसम्बद्ध सम्पर्क रखना आवश्यक है, तो वह स्वाश्रयी जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, जैसा कि अरस्तू का विचार था, वह बृहत्तर समाज का, जिसकी आवश्यकताएँ उसके जीवन के प्रत्येक पहलू में ओतप्रोत हैं, एक भाग हैं। हमें यह मालूम होगया है, कि जबतक परस्पर सौदा करने की शक्ति की समानता न हो, तबतक व्यक्ति को इकारार की स्वतन्त्रता देना अर्थहीन है। वास्तव में, सर्वोपरि राज्य-संस्था का आदर्श उतना ही भयङ्कर होगया है जितना कि अपनी राज्य-संस्था के विरुद्ध खड़े होनेवाले सर्वत-प्रथक् व्यक्तियों का पुराना आदर्श। हमें समाज के समन्वय में एक ऐसी प्रयोजन-परक व्याख्या निर्माण करनी है जिसमें शक्ति का सङ्गठन इसलिए हो कि हमारे सुख की अवस्थायें (सामग्री) उपलब्ध होजायँ। यह विचार कि यह शक्ति समाज के किसी भाग की अनियन्त्रित इच्छा-शक्ति के हाथ में छोड़ी जा सकती है, उत्तम जीवन का विरोधी सिद्ध हुआ है। हमारे संसार में राज्य-संस्था की सर्वोपरि सत्ता उतनी ही निकम्मी होगई है जितनी कि तीनसौ वर्ष पूर्व रोमन चर्च की सर्वोपरि-सत्ता होगई थी।

कहने का तात्पर्य यह है कि हम राज्यों के परस्पर सम्पर्कों के क्षेत्र को असङ्गठित नहीं छोड़ सकते, और ज्योंही हम उसका सङ्गठन करने लगते हैं त्योंही यह स्पष्ट होजाता है कि राज्य-संस्था

की सर्वोपरि सत्ता के होने का अर्थ अराजकता है। उसे स्थानीय सम्बन्ध के मामलो पर नियन्त्रण करने का तो अधिकार है, परन्तु जिन मामलो से अन्य राज्य-संस्थाओं का सम्बन्ध है उनमें एकाधिकार कर लेने की उसे स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती। इसलिए, हमारे मतानुसार, राजनीति की समस्याओं का स्वाभाविक हल इसी प्रकार हो सकता है कि राज्य-संस्था को बृहत्तर समाज के एक प्रान्त की दृष्टि से देखा जावे, और इसलिए इस बात पर जोर दिया जावे कि उसके नियम आवश्यक रूप से बाहर के व्यापक हितों की अधीनता द्वारा सीमित है। इस बात में तो हम सहमत हो सकते हैं कि बृहत्तर समाज का सङ्गठन करना और जिस क्षेत्र पर उसका नियन्त्रण रहेगा उसके उपयुक्त संस्थाओं का आविष्कार करना बड़ा भारी काम है। परन्तु उस प्रयत्न की सफलता उसी दृष्टि से ध्यान-पूर्वक विचार करने से जितनी हो सकती है उतनी और किसी प्रकार नहीं हो सकती। जितना अधिक हम इस बात का अनुभव करेंगे कि राज्य-संस्था का सर्वोपरि रूप एक ऐसी ऐतिहासिक अवस्था थी जो अब निकम्मी हो चुकी है, उतना ही अधिक हम अपनी परिस्थितियों के उपयुक्त होनेवाले न्याय-विज्ञान की विचार-दृष्टि प्राप्त करते जायँगे। नया संसार पुराने संसार के वर्गीकरण से उचित-रीत्या रहने की आशा नहीं कर सकता।

दूसरी ओर यह भी सम्भव है कि अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन करने का हमारा प्रयत्न निष्फल होजाय। जिन संस्थाओं ने सत्ता प्राप्त कर ली है वह अपने अधिकार को सरलता से नहीं त्यागतीं। जो राज्य-

संस्था भयङ्कर बलशाली रही है वह प्रमत्तता में बश में नहीं आ सकती। जो कोई हमारे सामने उपस्थित होनेवाले सङ्घर्षों की सम्भावनाओं, आर्थिक विरोधों, जातिगत विद्वेषों, राष्ट्रीय और धार्मिक ईर्ष्याओं को देखकर यह विचार करे कि शान्ति की सम्भावना बहुत ही थोड़ी है, तो उसका पेंसा करना चम्य है। हम निःशस्त्रीकरण के आदर्श का मौखिक समर्थन करते हैं, परन्तु गम्भीरतापूर्वक निःशस्त्रीकरण नहीं करते। हम संरक्षकता (द्रष्टीपन) के सिद्धान्त की प्रशंसा करते हैं, परन्तु हममें जहाँतक बन सकता है वहाँतक हम अपने शासन-निदेशों (मैण्डेट्स) को पुराने औपनिवेशिक सिद्धान्तों के अनुसार ही सञ्चालित करते हैं। आर्थिक राष्ट्रीयता की पुनरावृत्ति होना हमारे युग की मत्रमें घातक विशेषता है। रूस, उदीयमान पूर्व, उन अल्प-सख्यक समुदायों की तीव्र राष्ट्रीयता जिनके स्वाभिमान को विदेशी राज्यों के अन्तर्गत होने से हानि पहुँचती है, अमेरिका के बृहदुत्पत्ति नम्वन्धी नवीन औद्योगिक विज्ञान के फल-स्वरूप उत्पन्न होनेवाला सर्वग्राही साम्राज्यवाद, यह सब कारण हमें इस परिणाम पर पहुँचने से रोकते हैं कि प्रगति ही सृष्टि का अनिवार्य नियम है। स्वतन्त्रता और सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकते, यदि हम उनके लिए प्रयत्न न करें, और, यदि हम शान्ति के लिए प्रयत्न न करें तो भी स्वतन्त्रता और सुख प्राप्त नहीं हो सकते। हमें यह जानना होगा कि शान्ति प्राप्त करना एक आनन्दप्रद साहसी कार्य है, जिसमें उतने ही महत्वपूर्ण बलिदान करने पड़ेंगे और उतने ही बड़े खतरे उठाने पड़ेंगे जितने कि युद्धों

मे उठाने पड़े है। हमे उसका उचित मूल्य चुकाने के लिए इच्छुक होकर उसे प्राप्त करने के अपने अधिकार को सिद्ध करना होगा।

इसका निश्चित विश्वास किसी को नहीं हो सकता कि हम सफल ही होंगे। यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग जानते भी है, तो भी हम उसपर चलने के कष्टों से डरते है, इसके अतिरिक्त ऐसे मनुष्य भी थोड़े नहीं हैं, और वे अधिकांश शक्तिशाली मनुष्य हैं, जो उस लक्ष्य का तीव्र निराकरण करते है। उसको प्राप्त करने के लिए, राज्य-संस्था को अपने आपको झुकाना पड़ेगा, और धनिकों को बलिदान करना पड़ेगा। यदि हम न्याय-पूर्ण न हो तो, हम स्वतन्त्र नहीं हो सकते, और न्याय-पूर्णता का मूल्य है समानता। ऐसी कल्पना करने के लिए हमारे पास कोई स्वाभाविक कारण नहीं है, कि जो लोग शक्ति रखते है और उसका उपभोग करते है, वे, जिन आदर्शों को नहीं मानते उनके लिए उसका त्याग कर देंगे। यदि वे अपनी सत्ता की रक्षा के लिए लड़ें, तो उन्हें सफलता की थोड़ी बहुत आशा है ही। यदि वे विजय पाते है तो, जैसा कि इटैली का आधुनिक इतिहास बताता है, वे भीतर निरङ्कुशता स्थापित करते है और बाहर अराजकता की सम्भावना उत्पन्न करते है, और यदि उनकी पराजय होती है तो भी, जैसाकि रूस का इतिहास बताता है, परिणाम भिन्न नहीं होता। शान्ति की विजय शान्ति की गहरी और व्यापक इच्छा पर निर्भर है, और वह इच्छा तबतक न गहरी हो सकती है और न व्यापक, जबतक कि उसके परिणामों से रुचि इतनी भिन्न-भिन्न है। न्याय-परायणता के लिए

बलिदान करने की भावना अभी मानव-जाति की मानसिक प्रवृत्ति नहीं बनी है। जहाँ हमारा मतभेद होता है, वहाँ प्रसन्नता-पूर्वक सहिष्णुता रखना भी हमने नहीं सीखा है। हमारे सङ्घर्षों में अभी तक मत-मतान्तर सम्बन्धी युद्धों की सारी कटुता विद्यमान है, केवल मतों का तत्व बदल गया है।

वास्तव में हमारी जैसी पीढ़ी को, जिसके पैर गहरी खन्दक के इतने समीप हैं, अपने भविष्य के विषय में आशावादी होने का अधिकार नहीं है, यह बात, कि, वह मार्ग जानती है, इस बात का कि, वह मार्ग पर चलना पसन्द करेगी, प्रमाण नहीं है। परन्तु विचित्रता यह है कि इसी बात में हमारी सचमें बड़ी आशा निहित है। हमें अपने-आप के विषय में इतनी आशङ्कान्ते हैं कि हमें नवीन-नवीन प्रयोगों को करना पड़ता है। हमने दुःखान्त अनुभवों से यह शिक्षा ग्रहण की है कि उच्च प्रवृत्तियाँ भी अस्थायी हैं; सम्भवतः हमने यह भी जान लिया होगा कि उनकी शक्ति के पुनः परीक्षण करने में खतरा है। सम्भव है, केवल इस बात का ज्ञान कि यदि बड़े परिमाण में कोई और सङ्घर्ष होजाय तो हमारी सभ्यता की देन स्मरण-मात्र के लिए भी न रहेगी, हमारे स्वभाव में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न कर दे कि जिससे न्याय-पूर्णता केवल सार-हीन आदर्श ही न रहे। इतना होते हुए भी उत्तम जीवन बनाने में सबकी सामान्य रुचि हो सकती है, और सम्भव है कि उसको बनाने की कठिनाई ही उसकी सुन्दरता की प्राप्ति करा दे।

पुस्तकों के विषय में सूचना

राजनीति के अध्ययन करने का सबसे अच्छा मार्ग इसकी उत्तमोत्तम पुस्तको को ध्यान-पूर्वक पढ़ना है। यदि ऐसी पुस्तको की कोई सूची यहाँ दी जाय तो वह बहुत अधिक स्थान ले लेगी, परन्तु पाठको को निम्न लिखित पुस्तको से तो परिचित होना ही चाहिए—

Plato: The Republic. (Jowett's translation, Oxford University Press).

Aristotle: Politics. (Jowett's translation, Ed. Davis Oxford).

Augustine: The City of God.

Dante: De Monarchia.

Hobbes: Leviathan (Ed. Pogson-Smith, Oxford University Press)

Locke: Second Treatise on Gover
(Everyman's Library)

Rousseau . The Social Contract. (Allen & Unwin) The best edition is that in French by Dreyfus-Brisac, Paris, Alcan

Burke: Reflections on the French Revolution (Ed. Payne, Oxford).

Mill : On Liberty and Representative Government. (Everyman's Library).

T. H. Green . Principles of Political Obligation (Longmans Green & Co)

Marx and Angels : The Communist Manifesto (Laurence) The best edition is that in French by C. Andler, Paris, Rieder).

अधिक आधुनिक विवेचन निम्न लिखित पुस्तको मे से अध्ययन किया जा सकता है ।

G. D. H Cole . Social Theory (London, Methuen).

R. M. Maciver . The Modern State. (London, Oxford University Press.).

H. J. Laski : Liberty in the Modern State (London, Faber and Faber).

Hugh Cecil, Lord : Conservatism (Thornton Butterworth)

W. Y. Elliott : The Pragmatic Revolt in Politics (Macmillan).

L. Duguit : Law in the Modern State.
(Allen and Unwin)

L. T. Hobhouse . The Metaphysical Theory of the State (Allen & Unwin).

H. Kelsen : Allgemeine Staatslehre (Berlin).

Carre' de Malberg : Theorie Generale de l'Etat, (Paris, Sirey)

R.H. Tawney The Acquisitive Society (Geo. Bell & Son.) Equality, (Allen & Unwin).

विशेष शब्दों का अनुवाद

Imperatives	विधि-निदेश
Precepts	नीति-निदेश
Guarantee	अभिवचन
Assurance	प्रतिज्ञान
Competence	अधिकार-क्षेत्र, अधिकार-शक्ति
Judiciary	न्यायकारिणी
Jury	सहायक-न्याय-मण्डल
Two-Chamber System	द्वि-खण्ड प्रणाली
Allegiance	निष्ठा
Vote	मत
Suffrage	मताधिकार
Sovereign	सर्वोपरि
Procedure	जावता
Process	क्रम
Nomination	नियोजना
Unitary	एक घटकात्मक

Federal	बहु-घटकात्मक, सङ्घीय
Referendum	उपस्थित प्रस्ताव पर सार्वजनिक सम्मति-निर्धारण की विधि
Initiative	मौलिक प्रस्ताव उपस्थित कर सकने की विधि
Record	लेख-प्रमाण
Registration	लेखेन-प्रमाणित करना
Mandate	शासन-निदेश
Sanction	पालन कारयित्री शक्ति
Plebian	साधारण जन
Patrician	कुलीन जन
Law	कानून
Jurisprudence	न्याय-विज्ञान
Civil Service	सेवा-श्रेणी
Democracy	प्रजातन्त्रवाद

‘नवजीवनमाला’ की पुस्तके

- १-गीताबोध—महात्मा गाँधी कृत गीता का सरल तात्पर्य -॥
- २-मगल प्रभात—महात्मा गाँधी के जेल में लिखे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि पर प्रवचन -॥
- ३-अनामक्तियोग—महात्मा गाँधी कृत गीता की टीका— श्लोक सहित ≡) मजिल्द 1)
- ४-सर्वोदय—रस्किन के Unto This Last का गाँधीजी द्वारा किया गया रूपान्तर— -)
- ५-नवयुवकों में दो वाते—प्रिंसक्रोपाटकिन के ‘A word to young men’ का अनुवाद— -)
- ६-हिन्द-स्वराज्य—महात्माजी की भारत की मौजूदा समस्या पर लिखी प्राचीन पुस्तक जो आज भी ताजी है— ≡)
- ७-छूतछात की माया—खानपान मस्वन्वी नियमों तथा व्यवहार के बारे में श्री आनन्द कौमल्यायन की लिखी दिलचस्प पुस्तक -)
- ८-किमानों का सवाल—ले० डॉ० अहमद की डम छोटी-सी पुस्तिका में भारत के इन गरीब प्रतिनिधियों के सवाल पर बड़ी सुन्दरता से विचार किया गया है। हरेक भारतीय को इसको समझना और पढ़ना चाहिए। 1)
- ९-ग्राम-सेवा—आजकल जिधर देखो उधर ग्राम-सेवा की ही चर्चा सुनाई देती है—पर वह ग्राम-सेवा किस प्रकार हो— इसपर गाँधीजी ने इसमें विपद प्रकाश डाला है— -)
- १०-खादी और गादी की लाडाई—ले० आचार्य विनोबा ≡)
- ‘लोक साहित्य माला’ की पुस्तके
- १-गाँवों की कहानी (स्व० गौड़जी) 11)
- २-महाभारत के पात्र-१ (नाना भाई) 11)
- ३-संतवाणी (वियोगी हरि) 11)
- ४-अंग्रेजी राज में हमारी दशा (डॉ० अहमद) 11)
- ५-लोक-जीवन (काका कालेलकर) 11)

सस्ता साहित्य मण्डल
सर्वोदय साहित्य माला : द्वितीयासीवां ग्रन्थ

{ लोक साहित्य माला सातवीं पुस्तक }

हमारे
अधिकार और कर्तव्य

प्रस्तावना लेखक
श्री० श्रीप्रकाश एम० एल० ए०

लेखक
कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार

सस्ता साहित्य मण्डल
दिल्ली • लखनऊ

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री,

मगता साहित्य मण्डल, दिल्ली ।

संस्करण

मई १९३९ २०००

मूल्य

आठ आना

मद्रक,

एस० एन० भारती,

हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,

नई दिल्ली ।

प्रस्तावना

देश के सार्वजनिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम करते-करते पचीस वर्ष मुझे भी हो गये। जब स्कूल और कालेज में पढ़ता था, तब भी विद्यार्थी-सम्बन्धी कुछ-न-कुछ सार्वजनिक काम करने का शौक था ही। इतने दिनों और विविध क्षेत्रों में काम कर चुकने के बाद यह प्रश्न मेरे मन में इधर कुछ दिनों से बराबर बड़े वेग से उठ रहा है कि क्या वजह है कि इतना त्याग और परिश्रम करने पर भी, हर क्षेत्र में इतने बड़े-बड़े सुयोग्य नेताओं के होते हुए भी हम भारतवासी सामूहिक रूप से वास्तविक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं? देश वहीं का वही क्यों पड़ा हुआ है?

मैं तो इसी नतीजे पर पहुँच सका कि इसका मूल कारण यही है कि हमारे जन-साधारण में नागरिकता के गुणों का पूर्णतया अभाव है। थोड़े से बड़े बड़े व्यक्ति-विशेष हो ही कर क्या करेंगे, जब साधारण नर-नारी, ग्राम और शहर के वासी, अपने प्रतिदिन के अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं जानते और अपने जीवन को असघटित रखकर सारे समाज का विच्छेद करते हैं। मैं स्वयं भी एतत्सम्बन्धी विषयों पर लिखता बोलता रहा और जब श्रीकृष्णचन्द्र बिद्यालकारजी ने अपनी पुस्तक 'हमारे अधिकार और कर्तव्य' मुझे दिखलाई तो मुझे विशेष प्रसन्नता हुई और जब उन्होंने उसकी प्रस्तावना लिखने का आग्रह मुझसे किया, तो मैंने उससे अपने को सम्मानित माना।

अधिकार और कर्तव्य ये एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। जो पाना किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे करना दूसरे का कर्तव्य होता

है। जो करना किसी व्यक्ति का कर्तव्य होता है, वही पाना दूसरे का अधिकार होता है। समाज में देना-पाना हर क्षण लगा रहता है। इस कारण यह दोनों एक-दूसरे में ऐसे सम्बद्ध हैं कि इन्हें पृथक् करके देखना असम्भव है। ऐसी अवस्था में इटली के विधायक मात्सीनी की तरह, जिनका उल्लेख उचित प्रकार से इस पुस्तक में किया गया है, मुझे भी यही ठीक प्रतीत होता है कि कर्तव्यों पर ही अधिक जोर देना चाहिए। कर्तव्य पालन करने से अपना उपयुक्त अधिकार स्वयं ही मिल जायगा।

कर्तव्य की ही शिक्षा देना अधिक उचित भी है। इसमें मनुष्य अपने ही अधिकार न देव दूसरो के अधिकारों को पहचानता है और समाज में अपना स्थान समझता है। अधिकारों पर ही जोर देने से अपनी प्रकृति के विवश मनुष्य की भावना कुछ दूसरी ही होजाती है और वह समाज की रचना अपने सुख के लिए समझने लगता है। पुस्तक रचयिता ने एक अच्छी और नई शैली निकाली है और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किसी नवयुवक के नाम पर लिखे हैं। जीवन के भिन्न-भिन्न अंगों में नियन्त्रित स्वतन्त्रता-सम्बन्धी जो विचार उत्पन्न हो सकते हैं, उनकी सरल भाषा में आपने अच्छी मीमांसा की है। पुराने और नये, पाश्चात्य और पूर्वी लेखकों के विचारों का सग्रह करके अपने मत की पुष्टि करते हुए अपने पाठकों को अच्छी और व्यवहार्य सलाह भी दी है। पुस्तक से सुन्दर तरह से प्रतीत होजाता है कि समाज को सुसंघटित करने और उसे सुचारू रूप से चलाने की भावना और आकांक्षा सब ही विचारवानों के मन में कितने दिनों से चली आ रही है।

हम बहुत दिनों तक व्यक्तिवादी रह चुके। अपनी-अपनी डफली अलग-अलग बहुत बजा चुके। अपनी आत्मा के मोक्ष की खोज के बहाने बहुत स्वार्थ-साधन भी कर चुके। अपने महत्त्व की आकांक्षा से देश

को खराब भी बहुत कर चुके। आवश्यकता अब इसकी है कि व्यक्ति और मण्डि का परस्पर का समुचित सम्बन्ध स्थापित हो और हमारे दलित समाज का उत्थान और उद्धार हो। नागरिकता के सच्चे ज्ञान से ही यह सम्भव है।

अस्पृश्यता और अविश्वसनीयता यह हमारी दो विशेषतायें रही हैं। और ये ही हमारी महा ऋटियाँ भी रही हैं। शारीरिक अस्पृश्यता ही नहीं, हमको एक दूसरे के प्रति मानसिक अस्पृश्यता भी है। यह भाव हमें एक दूसरे से अलग रखता आया है। परस्पर के विश्वास का तो पूरा ही अभाव है। छोटे बड़े किसी भी काम में कोई किसी पर वास्तव में पूर्णतया विश्वास कर ही नहीं सकता। समाज का सघटन इसी पर निर्भर करता है कि सदापर सब विश्वास कर सके कि जो जिसका काम है, वह करेगा, जो जिसने करने का जिम्मा लिया है वह पूरा होगा, जो व्यवहार अपनेको प्रतिकूल प्रतीत होता है वैसे दूसरे के साथ कोई न करेगा, और ऐसे आचरण से सदा सब कोई परहेज करेगा, जिससे व्यर्थ का कष्ट किसीको हो अथवा उसकी सम्भावना हो। यह सब तभी सम्भव है, जब हममें नागरिकता के गुणों का सन्निवेश हो। यह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के समझने पर ही निर्भर करता है। मुझे आशा है कि यह पुस्तक इन विषयों की आवश्यक शिक्षा देने में सफल होगी, और सर्वसाधारण इससे पूरा लाभ उठावेगे।

सेवाश्रम, बनारस,
१० अप्रैल १९३९।

श्रीप्रकाश

दो शब्द

समाज की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर यदि हम एक नजर डालें, तो हमें मालूम होगा कि उनकी तह में दो मुख्य कारण हैं। कहीं तो समस्याओं का कारण यह है कि मनुष्य अपने अधिकारों को ही नहीं जानता और इसलिए वह प्रयत्न द्वारा कुचला जा रहा है, शोषित हो रहा है। कहीं उम्र नाजुक हाथ का उमने भिन्न कारण है कि मनुष्य अपने अधिकारों का स्वामी है, स्वयं शक्तिमत्पन्न है, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं समझता और दूसरे के अधिकारों का अपहरण करने में लगा हुआ है। आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक, सभी क्षेत्रों में ये ही दोनों कारण आज प्रायः सभी समस्याओं का मूल में हैं। परन्तु देशों की, शोषित वर्गों की, दलित जातियों की तकलीफें पहले कारण को दूर करने में—अपने अधिकार समझने और उन्हें पाने में दूर हो सकती हैं। स्वतन्त्र बली राष्ट्रों और सम्पन्न श्रेणियों की समस्याएँ अपना कर्तव्य समझने से—दूसरे का अधिकार अपहरण न करने में हल हो सकती हैं। वेद में जहाँ एक ओर “स्याम पतयो रयीणाम्” कहकर धनधान्य की प्रार्थना की गई है, वहाँ दूसरी ओर “मा गृध कस्यस्विद्धनम्” कहकर दूसरे के स्वत्व-अपहरण का निषेध भी किया गया है। दूसरे का अधिकार छीन कर हम खुशहाल न बने।

संसार के इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है, जबकि एक निर्बल जाति या श्रेणी ने निरंतर सघर्ष के बाद अधिकार पा लिये, लेकिन फिर भी उस देश में अशांति और सघर्ष बने ही रहे। इसका मुख्य कारण यह है कि वह स्वयं अधिकार पाकर दूसरे के अधिकार-रक्षा के अपनी

कर्तव्य को भूल गये । वे पहले स्वयं शोषित थे, पीडित थे, अब शोषक और पीडक बन गये । अधिकार और कर्तव्य के ममन्वय से ही दरअसल ससार की समस्याओं का हल हो सकता है । जहाँ स्वयं उन्नति करना बहुत जरूरी है, वहाँ दूसरे की उन्नति भी उससे कम जरूरी नहीं है । अधिकार और कर्तव्य के इस विवेचन का आधुनिक परिभाषा में नाम 'नागरिक शास्त्र' है ।

यो तो आज हम भारतीयों को बहुत कुछ सीखना है, लेकिन नागरिक शास्त्र की शिक्षा हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि न हम अपने अधिकार समझते हैं न अपने कर्तव्य । न हम लेना जानते हैं, न देना । राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों तथा कर्तव्यों—दोनों का हमें ज्ञान प्राप्त करना है । इनके ज्ञान से ही हम सच्चे नागरिक होकर अपनी, अपने गाँव या जिले की, अपनी मातृभूमि की और समस्त विश्व की उन्नति में महायक हो सकते हैं ।

इस विषय पर भी हिन्दी में दो चार से अधिक पुस्तकें मेरे देखने में नहीं आयीं । जो देखी है, वे विषय को रोचक और सर्वसाधारण के लिए सुगम बनाने की अपेक्षा राजनीति के विद्यार्थियों के लिए ही लिखी गई हैं । हमारी कमी उनमें यह है कि लेखकों ने अंग्रेजी पुस्तकों के आधार पर ही अपने विषय का प्रतिपादन किया है, मानो भारतीय शास्त्रकार या हमारे पूर्वज इस सब में कुछ जानते ही न हों । इन पक्तियों में लेखक की सम्मति में केवल अंग्रेजी ग्रन्थों के आधार पर लिखी गई पुस्तकें जहाँ हमारी गौरव-हीनता की सूचक हैं, वहाँ हमारे लिए बहुत उपादेय भी नहीं हो सकतीं । इन बातों का खयाल रखते हुए यह पुस्तक लिखी गई है । विषय को अधिक रोचक, सरल और मनोरंजक बनाने के लिए नारी पुस्तक को पत्रमाला का रूप दे दिया गया है । पत्रों में ऐसे

गभीर विषय को रखने में मैं कहातक सफल हुआ हूँ, यह नहीं कह सकता। इस दिशा में यह मेरा ही नहीं, शायद हिन्दी लेखकों की दृष्टि में भी यह पहला ही प्रयाग है।

पुस्तक का अन्तिम पत्र, जिसमें कानून-मन्त्री चर्चा है, मैं लिख न पाता, यदि मेरे सुहृद् भाई हरिश्चन्द्र गोयल, वकील मुझे उचित परामर्श न देते। इस पुस्तक के लिखने में मुझे बीसियों पुस्तकों में सहायता मिली है, जिनमें से कुछ मुख्य ग्रन्थों के नाम निम्नलिखित हैं— दी लिबर्टी इन दी मॉडर्न स्टेट (एच जे लास्की), दी लिबर्टी (जॉन स्टुवर्ट मिल), एन इट्रोडक्शन टू सिविलिस एण्ड पॉलिटिक्स (गुणतात्रेकर), गीता-रहस्य (वा० ग० तिलक), समाज-विज्ञान (चन्द्रराज भण्डारी), नागरिक शास्त्र (भगवानदास केला), हिट्स आफ मेलफ कल्चर (लाला हरदयाल) राज्यविज्ञान (गोपाल दामोदर तामसकर), दी ए० बी० सी० आफ सिविलिस (प्रो० वेणीप्रसाद), दी इंडियन पिनल कोड और दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इनके अतिरिक्त कुछ पुस्तकों का उल्लेख पत्रों में भी कर दिया है। वावू श्री श्रीप्रकाश एम-एल ए ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने की कृपा की है। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

पुस्तक के छठे पत्र में चेकोस्लोवाकिया का चित्र है, लेकिन वह फार्म छपने के बाद वह भी हिटलर के सर्वभ्रांसी मुख में समा गया है। अब उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रही।

अन्त में विचारशील पाठकों से एक निवेदन है। यदि इस पुस्तक के सबंध में वे कुछ नये परामर्श देसके, तो मैं उनका आभारी हूँगा और पुस्तक के द्वितीय संस्करण में उनका उपयोग करने का प्रयत्न करूँगा।

विषय-सूची

प्रस्तावना	
१. व्यक्ति और समाज	—३
२ मेरे अधिकार	—१२
३ प्राण-रक्षा का मेरा अधिकार	—२१
४ मेरी शारीरिक स्वतंत्रता	—२६
५ मेरी अपनी सरकार	—३६
६ मताधिकार	—४५
७ धार्मिक स्वतंत्रता	—५३
८ भारत में धार्मिक स्वतंत्रता	—५९
९ लिखने और बोलने की स्वतंत्रता	—६७
१० आर्थिक स्वतंत्रता	—७५
११ हमारे और अधिकार	—८५
१२ हमारा देश आजाद हो	—९३
१३ हमारे कर्तव्य	—९७
१४ अपने लिए क्या कहूँ ?	—१०८
१५. मैं और मेरा परिवार	—११७
१६ शहर या गाँव का इन्तज़ाम	—१२५
१७ गाँव और उसके नागरिक	—१३६

१८ मेरा देश	—१४५
२० मेरे देश भाई	—१५५
२० कर्तव्यो का सघर्ष	—१६०
२१ सत्य शिव सुन्दरम्	—१७०
२२ भारतीय नागरिक के कानूनी अधिकार	—१७३
परिशिष्ट—१	—१८५
परिशिष्ट—२	—१८७

हमारे
अधिकार और कर्तव्य

व्यक्ति और समाज

१-५-३८

प्रिय अजीक,

कल तुम्हारा तार पाकर मन बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम परीक्षा में पास होगये हो और वह भी अपनी श्रेणी में सबसे पहले नम्बर पर। आज तुम्हारा पत्र मिला। उससे यह जानकर और भी खुशी हुई कि तुमने अपने भावी जीवन का उद्देश्य लोक-सेवा निश्चित किया है। मैं तुम्हारे इस विचार से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि आज के जमाने में प्रत्येक विद्यार्थी का अपना जीवनोद्देश्य लोकसेवा ही बनाना चाहिए।

यहाँ सभी परिवार के लोग तुम्हें परीक्षा में पास होने पर बधाई दे रहे हैं। सबकी इच्छा है कि तुम दो चार दिनों के लिए यहाँ जरूर आ जाओ। मुझे आशा है कि तुम्हें भी इसमें कोई ऐतराज न होगा। परीक्षा के बाद कुछ दिनों आराम कर लेना जरूरी भी होता है। आजकल की परीक्षा-पद्धति का अविष्कार किसने किया है और उसका उद्देश्य क्या रहा होगा, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन यकीनता जन्म कर जा सकता है कि उसका खयाल परीक्षा को आजकल का सा भयावना और स्वास्थ्य को चौपट करनेवाला तो न बना होगा। यह खुशी की बात है कि आजकल भारतीय शिक्षा-विशारदों का ध्यान भी इस ओर गया है।

तुमने अपने पत्र में एक बड़ी भारी जिम्मेदारी मुझ पर डालनी

चाही है। तुम प्रत्यक्ष सेवा कार्य में प्रवेश करने से पहले तुम्हारे कार्य की दिशा क्या हो और सबसे पहले कौन-सा कार्य लो, इस विषय में मेरी सलाह चाहते हो। तुमने तो राजनीति, इतिहास, अर्थ-शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन भलीभाँति कर लिया है, हिन्दुस्तान की हालत से भी परिचित हो, और यह भी तुमसे छिपा नहीं है कि आज हमें किस चीज की जरूरत है। ऐसी हालत में समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या तो कार्य-दिशा बताऊँ और क्या तुम्हें भावी कार्य के बारे में कोई सलाह दूँ? लेकिन लोकसेवा के एक खाम अंग—हमारे नागरिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में मैंने कुछ अपने विचार हैं। संभव है, उनसे तुम्हें कुछ सहायता मिले और अपना कार्यक्रम निश्चित करने में कुछ सहूलियत हो, इस कारण इस बारे में अपने विचार इन पत्रों में देने का मेरा खयाल है।

अपने विषय की चर्चा करने से पहले मनुष्य या मनुष्यसमाज क्या है, कर्तव्य क्या है और अधिकार क्या है, आदि प्रारम्भिक बातों पर थोड़ा-सा विचार कर लेना चाहिये। इससे हमें आगे की बातें समझने में बड़ी सहूलियत रहेगी।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सिर्फ यह नहीं कि वह समाज में रहना चाहता है, लेकिन वह समाज की सहायता के बिना छोटी-से-छोटी हरकत भी नहीं कर सकता। भोजन, पानी, कपड़े आदि सभी जरूरतों के लिए उसे दूसरे व्यक्तियों का सहयोग लाजिमी होता है। भोजन की तैयारी में किसान, किसान के हथियार आदि बनाने-वाले बढ़ई, लुहार, कुम्हार, पानी के लिए नहरें खोदनेवाले मजदूर, एजीनियर, गेहूँ साफ करनेवाले, आटा पीसनेवाले और रोटी बनाने वाले आदि कितने ही व्यक्तियों की जरूरत होती है। एक स्थान से

दूसरे स्थान तक जाने के लिए गाड़ी या तागेवाले, गाड़ी बनानेवाले लुहार और बढ़ई, सड़क कूटनेवाले, घोड़े की रास वगैरा बनानेवाले मोची आदि और रेल चलानेवाले, स्टेशन के विभिन्न कर्मचारी, रेल व इंजिन बनानेवाले आदि सैकड़ों व्यक्तियों की अपेक्षा होती है। मनुष्य कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, समाज के सहयोग के बिना वह अपना साधारण गुजर भर भी नहीं कर सकता।

मनुष्य केवल अपने समकालीन या पड़ोसी समाज की सहायता पर ही अवलम्बित नहीं रहता। वह हजारों—और हिन्दुओं के अनुसार लाखों—वरसों पूर्व के समाज का भी ऋणी है। मनुष्य जाति ने—हमारे पूर्वजों ने धीरे-धीरे सभ्यता का जो विकास किया है, उससे हम सब लाभ उठाते हैं। आज हम जितने वैज्ञानिक आविष्कार देख रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी से मालूम होते हैं, वे भी हजारों वरसों तक मनुष्य के क्रमिक विकास के फल हैं। मानवसमाज सृष्टि के प्रारंभ से ही इतना सुशिक्षित और साधन-सम्पन्न नहीं था। उसने बहुत धैर्य के साथ अपनी शिक्षा बढ़ाई है, एक-एक करके अपने साधन बढ़ाये हैं और हरेक साधन का धीरे-धीरे विकास व परिष्कार किया है। शान्ति व धैर्य के साथ किये गये इन हजारों और लाखों वरसों के परीक्षणों का ही यह फल है कि मनुष्य आज इतनी सभ्यता का दावा कर सकने लगा है। रहन-सहन, खेती तथा अन्न वैज्ञानिक आविष्कार ही नहीं, दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, आमद-रफ्त के साधन, उद्योग-धन्धे तथा हमारी दार्शनिक, राजनतिक और आध्यात्मिक विचारधाराये तक सैकड़ों हजारों वरस पहले के मनुष्य के गंभीर और निरंतर प्रयत्नों की ऋणी हैं। न्यून समाज का भी धीरे-धीरे विकास हुआ है।

मनुष्य के जीवन के लिए समाज अनिवार्य है। इसलिए उसकी रक्षा भी अनिवार्य है। यदि समाज विशृंग्वल या शिथिल हो जाता है, बिखर जाता है या नष्ट हो जाता है, तो इसका लाजिमी असर मनुष्य पर भी पड़ेगा। संगठित और उन्नत समाज ही मनुष्य की उन्नति का साधन है। यदि वह बिखर गया, शिथिल हो गया या नष्ट हो गया, तो वह मनुष्य का भी हितसाधन न कर सकेगा और इसका नतीजा यह होगा कि मनुष्य भी नष्ट हो जायगा। धर्म के बारे में कहा गया है कि “धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः” अर्थात् मर हुआ धर्म मनुष्य को भी मार देता है और रक्षित धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। समाज मनुष्य को धारण करता है, इसलिए उसे भी धर्म कहा जा सकता है। यदि समाज की रक्षा न की गई, उसे मार दिया गया या नष्ट कर दिया गया तो यह मरकर मनुष्य को भी मार देगा। इस बात पर इतना जोर देने का एक कारण है। मैं यह समझता हूँ और मेरा खयाल है कि तुम भी इससे सहमत होगे कि हम भारतीयों को यह सत्य समझ लेने की सबसे अधिक आवश्यकता है कि समाज व्यक्ति से छोटा नहीं है। हम भारतीय व्यक्ति के आगे समाज की उपेक्षा कर जाते हैं। अपने निजी लाभ की चिन्ता से हम दूसरों की—अपने कुल, मुहल्ले, गाँव, शहर या देश-भर की हानि करने में जरा भी सकोच नहीं करते। तुम्हें गाँव या शहर में रहते हुए ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे, जब तुम इस सचाई को अनुभव करोगे। तुम देखोगे कि किस तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने घर का सारा कूड़ा-कचरा गली में बिना किसी भिन्नक के फेंक देता है या अपने घर के बालकों को दूसरों के घर के सामने टट्टी कराने को बिठा देता है, या चेचक आदि छूत के रोग को फैलाने से रोकने का कोई

प्रयत्न नहीं करता, या ऐसी कई बातें करता है जिसमें वह अपनी सफाई, सुविधा या लाभ का खयाल कर लेता है, लेकिन उससे दूसरे का—हमारे पड़ोसी का—हमारे शहर का—हमारे समाज का—हमारे देश का क्या अहित होता है, इस ओर जरा भी ध्यान देने की कोशिश नहीं करता।

सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में भी इस तरह के सैकड़ों उदाहरण देखने को तुम्हें मिलेंगे। इसका परिणाम भी हमारे सामने है। इससे, न केवल समाज की हानि होती है, बल्कि व्यक्तियों की अपनी हानि भी कम नहीं होती।

समाज के भी अनेक रूप हैं। परिवार, सभा कम्पनी, संस्था, म्यूनिसिपल कमेटी, सरकार आदि अनेक रूपों में हम मनुष्य का संगठन पाते हैं। कोई ऐसी संस्था, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, समाज का एक रूप है। जब स्त्री और पुरुष विवाह सूत्र में बंधते हैं या एक मुहल्ले, ग्राम, शहर या देश के रहने वाले मिलकर कोई सरकार कायम करते हैं (या कोई राजा लोगों को मिलने के लिए बाधित करता है), या कुछ थोड़े अथवा बहुत आदमी किसी उद्देश्य से कोई संगठन—चाहे वह धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक हो—बनाते हैं, तब वे सब समाज के ही विभिन्न रूप बनाते हैं। ये जुड़े-जुड़े समाज अपने-अपने क्षेत्र में मनुष्य की भलाई करते हैं। जहाँ-जहाँ इन समाजों की उपेक्षा की जायगी, वहाँ-वहाँ इन समाजों के अग नुकसान उठायेंगे। इसके लिए तुम्हें उदाहरण देने की जरूरत नहीं। एक ग्राम-पंचायत जबतक संगठित, बलशाली और प्रगतिशील है, उस गाँव के रहनेवालों की भी हालत अच्छी होगी। ग्राम-पंचायत के शिथिल होते ही गाँववालों की उन्नति भी

रुक जाती है। तुम तो इतिहास के विद्यार्थी हो। भारत में अंग्रेजी राज के आने के साथ ही ग्राम-पंचायतों की पुरानी और उपयोगी संग्रहा नष्ट हो गई। इसको जो भीषण और घातक असर भारतीय समाज पर पड़ा, उसे तुम भलीभांति जानते हो। जब किसी देश की सरकार कमजोर हो जाती है तब उस देश की हालत भी गिर जाती है। एक व्यापारिक कम्पनी की हालत विगडने का असर उसके ग्रेजर-होल्डरों पर जहरी तौर पर पड़ता है। मतलब यह कि मनुष्य की उन्नति के लिए समाज की रक्षा जरूरी है। प्रत्येक भारतीय को यह सत्य समझने की जरूरत है। लोगों को यह समझाना इतना कठिन नहीं है, जितना उनके आचरण में इसको उतारना है।

लेकिन सिर्फ समाज ही तो हमारा उद्देश्य नहीं है। समाज मनुष्य की उन्नति का साधन है, उद्देश्य नहीं। जो लोग समाज की उन्नति की चिन्ता में इतना अधिक उलझ जाते हैं कि मनुष्य की निजी उन्नति का खयाल तक छोड़ देते हैं, वे भी भूलते हैं। समाज या संघ इसलिए नहीं कि वह अपने अवयवरूप सदस्यों के व्यक्तित्व का नाश करदे। वह तो उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता देने के लिए है। लेकिन हम दुनिया के इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण देखते हैं, जब समाज ने मनुष्य की उन्नति की वनिस्वत उसका पतन ही अधिक किया है। हर्वर्ट स्पेंसर तो समाज के अत्याचार से इतने अधिक दुःखी और क्षुब्ध हुए कि उन्होंने एक जगह कहा है कि राज्य रक्षक की अपेक्षा भक्षक ही अधिक है। साम्राज्यवादी सरकारों की सेनाएँ ही नहीं, धर्म ने भी संगठित समाज के रूप में मानवजाति पर जो भीषण अमानुषी और रोमांचकारी अत्याचार किये हैं, उनकी कहानी बड़ी ही क्रूर है। इसी समाज ने करोड़ों मनुष्यों के राजनैतिक, सामा-

जिक व आर्थिक अधिकारों को छीनकर उनकी दशा बहुत शोचनीय कर दी है। पूँजीवाद ने किसानों और मजदूरों की, धार्मिक समाज ने स्त्रियों और अछूतों की और विदेशी शासन ने पराधीनों की जो स्थिति की है, वह तुम से छिपी नहीं है। ऐसा समाज जो व्यक्ति की उन्नति में सहायक नहीं होता, व्यक्ति के लिए आदर का पात्र किस तरह हो सकता है ? जिस समाज में मनुष्य को लिखने, बोलने, अपने धार्मिक विचार मानने, चलने फिरने, स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, मनुष्य उस समाज की चिन्ता क्यों करेगा ?

इसलिए समाज ऐसा होना चाहिए, जिसमें उसके अवयवभूत मनुष्यों के अधिकारों पर हमला न होता हो। समाज साधन ही रहे, उद्देश्य न बन जाय। उस समाज में रहकर मनुष्य सुखी हो, समृद्ध हो और उन्नतिशील हो। समाज मनुष्य की बहुमुखी उन्नति का कारण और सहायक बने, बाधक न बने। साधन और उद्देश्य का भेद एक उदाहरण से साफ कर दूँ। भारत के पुराने शास्त्रकारों के मत में मानवजीवन का उद्देश्य है मोक्ष या सुख को पाना। आत्मा सुख की प्राप्ति के लिए कोशिश करता है। इस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने मनुष्य को शरीर साधन रूप में दिया है। पर जब मनुष्य आध्यात्मिक सुखप्राप्ति के उद्देश्य को भूलकर शरीर की सेवा में लग जाता है तब वह अपने अन्तिम उद्देश्य तक कभी नहीं पहुँच सकता। यह ठीक है कि शरीर साधन की भी रक्षा जरूरी है, लेकिन शरीर को ही उद्देश्य मान लेना भूल है। नव्य और पृष्ठ शरीर की इसलिए जरूरत है कि उसमें अपने उद्देश्य तक आसानी से पहुँचने में सहायता मिल सकती है।

लेकिन समाज बनाने के लिए भी व्यक्ति को कुछ-न-कुछ त्याग

करना पड़ेगा, किन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा, समाज की रक्षा के लिए कुछ आवश्यक वचन अपने ऊपर लगाने पड़ेंगे। यदि मनुष्य समाज की रक्षा की ओर न लापरवाह हो जाय, उसकी चिन्ता न करे तो समाज नष्ट हो जायगा और नष्ट समाज व्यक्ति को भी नष्ट होने से बचा न सकेगा। समाज की रक्षा भी करनी है और समाज को इतना भी जबरदस्त नहीं होने देना कि वह व्यक्ति पर हावी हो जाय और उसकी उन्नति को त्रिलकुल रोक दे। समाज मनुष्य की उन्नति में बाधक न हो, और मनुष्य समाज की उन्नति में बाधक न हो। दोनों एक दूसरे की उन्नति में मददगार हों।

ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए मनुष्य को समाज के प्रति जो कुछ करना पड़ता है, वह उसका कर्तव्य है। इसके बदले में समाज को भी मनुष्य के जिन हितों की चिन्ता करनी चाहिए, वे मनुष्य के अधिकार हैं। समाज और विशेषकर ग्राम, नगर या देश के प्रति इन्हीं कर्तव्यों और अधिकारों के शास्त्र का नाम आजकल के पश्चिमी विचारकों ने 'नागरिक शास्त्र' या CIVICS रखा हुआ है। मनुष्य एक हाथ से समाज को अपने कर्तव्यपालन के रूप में कुछ देता है और दूसरे हाथ से अपनी अधिकाररक्षा के नाम से कुछ ले लेता है। यह 'ले' और 'दे' का, ममत्व और समत्व का या स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ का समन्वय ही हमें समझने की ज़रूरत है। मि० ह्याइट के कथनानुसार अहंकार पर परोपकार की विजय ही नागरिक शास्त्र का सार है। हम भारतीयों की हालत तो यह है कि हम न देना जानते हैं और न लेना। न तो हमें समाज की रक्षा की चिन्ता है और न अपने अधिकारों की रक्षा की।

मैं चाहता हूँ कि आगे के कुछ पत्रों में इसी विषय पर कुछ प्रकाश

डालूँ। मैं नहीं जानता कि इस क्रम को कहाँ तक निभा सकूँगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा कि कुछ पत्रों में इस विषय के जुड़े-जुड़े अंगों पर रोशनी डाल सकूँ। मनुष्य की उन्नति उद्देश्य है और समाज उसका साधन है, इसलिए मैं पहले मनुष्य के अधिकारों की चर्चा करूँगा और बाद में उसके कर्तव्यों की। कर्तव्यपालन की भावना जरूरी होते हुए भी अधिकारों की इच्छा अधिक स्वाभाविक और वांछनीय होती है, इसलिए भी अधिकारों की चर्चा पहले होनी चाहिये।

पर एक बात लिख दूँ। मेरा दूसरा पत्र तब तक न आयगा, जब तक कि तुम एक बार आ न जाओगे। परीक्षा के बाद आराम आवश्यक है। फिर यहाँ भी सभी तुमसे मिलना चाहते हैं। आने की तारीख़ व गाड़ी से सूचित करना।

तुम्हारा स्नेहाधीन

कृष्णचन्द्र

मेरे अधिकार

१५-५-३८

तुम्हारे आने की बात बहुत देग्वी, लेकिन तुम न आ सकें। अच्छा, फिर कभी सही।

मैंने पिछले पत्र में तुमसे समाज के प्रति हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकारों की थोड़ी-सी चर्चा की थी। पर यह समाज है क्या, यह कैसे बना और मनुष्य व समाज का आपस में क्या सम्बन्ध है, इसपर कुछ ज्यादा विचार करने की जरूरत है।

ऐतिहासिकों का कहना है कि दुनिया के शुरु में मनुष्य बिलकुल स्वतंत्र था। उसके लिए कोई बन्दन न था। वह जंगल में रहता और शिकार करके अपना पेट भरता था। मनुष्य व मनुष्य के बीच के आपसी सम्बन्ध का तथा विवाह, खेती और पशुपालन आदि तक का उसे ज्ञान न था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसका अनुभव बढ़ता गया, और उसे जीवन में कठिनाइयाँ महसूस होती गईं, वैसे-वैसे एक दूसरे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता—जिसे हम सहयोग या समाज की आवश्यकता कह सकते हैं—भी महसूस होती गई। समाज रचना के क्रमविकास का यह इतिहास बहुत दिलचस्प है। समाजरचना का वर्तमान रूप बहुत-सी सीढ़ियों को पार करने के बाद आया है। एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान के कथनानुसार मनुष्य तीन अवस्थाओं—जंगली समाज, कौटुम्बिक समाज और राजकीय समाज की अवस्थाओं को पार कर वर्तमान स्थिति तक पहुँचा है।

मनुष्य ज्यों-ज्यों विस्तृत और संगठित समाज की आवश्यकता ज्यादा अनुभव करता गया, उसके संगठन का दायरा भी उतना ही बड़ा होता गया। समाज-रचना का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति था। अकेले रहकर सुख पाना कठिन था, इस कारण उसने दूसरे व्यक्ति को साथ लिया। परिवार से उसे सुख मिला तो सही, लेकिन वह पूरी तौर पर वेफिक्र न हो सका। इसलिए उसे अपना दायरा और बड़ा करना पड़ा। बलवान आक्रमणकारियों के हमले से बचने के लिए उसने दूसरे मनुष्य के साथ मिलकर इकट्ठा रहना शुरू किया। इसमें भी उसका मुख्य उद्देश्य अपनी स्वाधीनता की रक्षा था। लेकिन इससे भी उसका उद्देश्य पूरा न हुआ। एक बलवान दल दूसरे दल पर हमला न कर सके, इसलिए उसे अपने संगठन का दायरा और भी विस्तृत करना पड़ा। इसी तरह बढ़ते-बढ़ते छोटे बड़े राज्य पैदा हुए। महाभारत के शान्तिपर्व में लिखा है—“पहले राजाओं के न होने के कारण समाज में बड़ी अव्यवस्था रहती थी। चारों ओर मत्स्य-न्याय का प्रचार देखने में आता था। बलवान लोग निबलों को ग्वा जाते थे। इस गड़बड़ी को मिटाने के लिए सब लोगों ने मिलकर नियम बनाया कि जो कोई दूसरे से कठोर भाषण या मारपीट करेगा, अथवा दूसरे के धन और स्त्रियों पर आब्रमण करेगा, उसका हम बहिष्कार कर देंगे। यह नियम चारों वर्णों पर एकसा लागू होगा।” इन नियम का भी पूरा प्रभाव नहीं पड़ा। तब सब प्रजा दुःखी होकर ब्रह्मा के पास गई और उनमें कहने लगी कि हमें एक ऐसा अधिपति दीजिए, जो सब लोगों को इस नियम का पालन करने के लिए विवश करे। यह सुनकर ब्रह्मा ने मनु को यह काम करने की आज्ञा दी। मनु ने यह काम इतने इन्कार कर दिया कि पापाचरण करने

वालों पर शासन करना भी पाप है। तब प्रजा ने मनु से कहा कि—
 “राष्ट्र में जो पाप होगा, वह कर्ता को लगेगा, तू भय मत कर। तुम्हें हम पशुओं का पचासवां और अनाज का दसवां हिस्सा इन्तजाम के लिए देंगे। अस्त्र, शस्त्र और वाहन में संयुक्त हमारे सैनिक हमेशा तेरे साथ रहेंगे। इसके सिवाय हम लोग अपने धर्माचरण का भी चौथा भाग तुम्हें देंगे। तू सुख और आनन्द के साथ राज्य कर।”
 मनु ने इस शर्त को स्वीकार करके राज्यभार ग्रहण किया।

इसके बाद राज्यकल्पना में भी विकास होने लगा और उसके अनेक रूप बन गये।

पर कैसा आश्चर्य है। क ज्यों-ज्यों मनुष्य की स्वाधीनता की रक्षा के लिए ये नवीन साधन उत्पन्न होते गये, त्यों-त्यों मनुष्य के पैरों में ज्यादा-से-ज्यादा गुलामी की जंजीरें पड़ने लगीं। जिस रोग के इलाज के लिए धर्म, सामाजिक व्यवस्था और राज्य आदि साधन बनाये गये, उस रोग को हटाने के लिए उन सब ने एक नयी बीमारी पैदा कर दी। “समाजरचना के गर्भ में से सामाजिक गुलामी, धर्म के गर्भ में से धार्मिक गुलामी और राज्यसत्ता के गर्भ में से राज-नैतिक गुलामी का जन्म होगया। ज्यों-ज्यों उसके सामाजिक सगठन का दायरा फैलता गया, उसकी गुलामी भी बढ़ती गई। परिवार के साथ पारिवारिक बन्धन भी आगये। स्त्री को तो विशेषकर पति के अधीन होना पड़ा। पुरुष पर भी कम बन्धन न थे, उसे अब अपनी ही नहीं, अपने परिवार की चिन्ता भी करनी पड़ी। अब उसकी गति में पहले की सी स्वच्छन्दता न रही कि जहाँ चाहा, चल दिया। परिवार की पराधीनता के बाद दल और गण की पराधीनता आई।

परिवारों को भी दलों व गणों की इच्छा के अनुसार चलना पडा । परिवार की इच्छा पर दल या गण की इच्छा हावी होगई । उसके बाद राज्य की सत्ता आई और वह दल या गण पर भी हावी हो गई । यह याद रखना चाहिए कि राज्यों के बन्धन सब जगह मनुष्य ने स्वयं ही अपने ऊपर नहीं लादे । बहुत-सी जगहों पर बलवान मनुष्य या जाति ने दूसरों पर जबरदस्ती भी अधिकार स्थापित कर लिया । बल-प्रयोग का यह सिलसिला आजतक दुनिया मे उसी तेज रफतार से जारी है । कभी-कभी तो ऐसा मालूम होता है कि दुनिया की शुरुआत मे मनुष्य जितना खूबार था, आज हजारों और लाखों माल गुजरने के बाद भी, सभ्यता की दिशा मे इतनी मंजिलें पार करने के बावजूद भी वह उतना ही खूबार है । साधनों की विविधता और प्रवृत्ता होजाने से उसकी विनाशक प्रकृति और भी अधिक भयकर रूप मे प्रकट होने लगी है । मानव जाति का समस्त इतिहास ही आपसी मारकाट, लडाई, खूनखच्चर और कतलेआम से भरा पडा है । छोटे-बड़े राज्य या बड़े-बड़े साम्राज्य इसी हिंसा के परिणाम दीखते हैं । यह ससार का इतिहास भी तो एक प्रकार से मारकाट, खून-खच्चर, लूटमार आदि की एक सूची ही तो है । पर यह मैं थोडा अपन विषय से भटक गया । मैं कहना तो यह चाहता था कि ज्यों-ज्यों मनुष्य का सामाजिक संगठन इच्छा से या विवशता से विस्तृत आर दृढ होता गया, उसकी आजादी भी उसी क्रम से कम होती गई । व्यक्ति, परिवार, दल या गण और राज्य सबकी आजादी उत्तरोत्तर अपने नें बड़े और ताकतवर संगठनों मे विलीन हो जाती है ।

राज्य और साम्राज्य मनुष्य की स्वतन्त्रता का अपहरण कैसे करत हैं, यह देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं । ब्रिटिश भारत

और भारतीय रियासतों पर एक नजर डाल लेना काफी होगा। रियासती प्रजा को अपने संगठन का कोई अधिकार नहीं। उनपर राजा कितने ही मनमाने कर क्यों न लगा दे, प्रजा चूँ नहीं कर सकती। लेकिन रियासती प्रजा को दवानेवाले राजा खुद भी ब्रिटिश सरकार के आगे इतने ही पराधीन हैं। ब्रिटिश भारत की प्रजा का भी अच्छा हाल नहीं है। सरकार को प्रत्येक प्रकार का छोटा-बड़ा टैक्स लगाने का अधिकार है। जनता का कोई भी जोरदार आन्दोलन लाठियों, मशीनगनों, हवाई जहाजों द्वारा बम-वर्षा से दबाया जा सकता है। भारत की आर्थिक नीति पर अंग्रेज सरकार का कब्जा है। सभी गुलाम राष्ट्रों की प्रजा की हालत है। बहुत से स्वतन्त्र फासिस्ट राज्यों में भी प्रजा के अधिकारों को इसी तरह कुचला जाता है। पुराने जमाने की बातें न भी देखें, तो भी आज की दुनिया में भी इसके उदाहरणों की कमी नहीं है। एकत्र या डिफेंटर शासनवाले देशों में आज भी प्रजा की गुलामी की ऐसी सैकड़ों मिसालें मिलती हैं। रूस, इटली, जर्मनी के हाल तुम रोज अखबारों में पढ़ते ही हो। वहाँ की सारी जनता स्टेलिन, मुसोलिनी और हिटलर की इच्छा के खिलाफ चूँ भी नहीं कर सकती। कहने का मतलब यह कि समाज के संगठन का नतीजा अन्त में जाकर मनुष्य की गुलामी में परिवर्तित हो जाता है।

सिर्फ राजकीय संगठन ही नहीं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी मनुष्य की आजादी को कुचलने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अपने चारों ओर एक नजर देखो तो पता चलता है कि समाज ने दलितों के साथ कैसा भयकर व्यवहार किया है। पशुओं की अपेक्षा भी उन्हें गन्दी हालत में रखा जाता है। उन्हें छूना ही नहीं, उनकी

छाया पड़ जाना भी पाप समझा जाता है और इसके लिए कपड़े धोकर नहाना पड़ता है। बहुत-सी आम सड़कों पर चलने तक की उन्हे आज्ञा नहीं है। देवमन्दिरों में दर्शन करने, सार्वजनिक कुओं पर नहाने, पानी भरने और रकूलों में पढ़ने की भी उन्हे मनाही है। यही नहीं बल्कि अपने घर में अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा तक उन्हे नहीं गवाने पहनने दिया जाता। नन्हा सा हरिजन बालक प्यास के मारे तड़प रहा हो, कीड़े-मकोड़ोंसे खाया जा रहा हो, पानी में डूब रहा हो, लेकिन उच्च सभ्यताभिमानी ब्राह्मण उसे नहीं बचावेगा, क्योंकि उसके छुजाने से वह अपवित्र होजायगा। हिन्दुस्तान को छोड़ें रोम के पेट्रियार्कों ने ग्रीकियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वह भी इतिहाससे स्पष्ट है। हमारे यहाँ स्त्रियों के साथ भी तो धर्म और समाज ने कम अन्याय नहीं किया। सब दुर्गुणों की खान बतकर उन्हे सामाजिक जीवन में विलग्न पतित कर दिया गया। केवल हिन्दू-धर्म में ही नहीं, दूसरे भी कई धर्मों ने स्त्री के साथ जी खोलकर अन्याय किया। “स्त्रीशूद्रो नाधीयाताम्” कहकर उसे ज्ञान और शिक्षा से वंचित कर दिया। धर्म की दुहाई देकर विधर्मियों पर जो रोमाचकारी अत्याचार किये गये, उनकी अपनी ही एक दुःखद कहानी है। कहने का मतलब यह कि जिस रूप में मनुष्य ने सगठित होकर अपनी उन्नति चाही, उमी रूप में मनुष्य के अधिकार छीनने की पूरी कोशिश की, हालाँकि सगठन का उद्देश्य विलग्न इससे उल्टा था। मनुष्य ने अपने नैतिक विकास और सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश की, लेकिन उमकें गंगे गलामी का इतना जवर्दस्त जुआ पड़ गया कि वह सगठन के अभाव में भी जो उन्नति कर सकता था उससे भी वंचित हो गया।

जब मनुष्य ने अपनी यह पराधीनता अनुभव की, तब उममें

प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी। वह ऐसे समाज का विरोध करने के लिए कमर कसकर खड़ा हो गया। उसने डंके की चोट यह घोषणा कर दी कि बड़ गुलाम बनकर नहीं रहेगा। यह ठीक है कि यह अनुभव करने में मनुष्य को बहुत वक्त लग गया। पर जब एक बार वह समझ गया, तो समाज, राज्य या धर्म सब बंधनों को, जिनमें वह जकड़ा हुआ था, एकबारगी तोड़ फेंकने के लिए खड़ा हो गया। कई क्रान्तिकारियों ने तो जोश में आकर यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि मनुष्य जाति के फायदे के लिए इनका एकदम नाश हो जाना ही जरूरी है। अराजकतावाद, अनीश्वरवाद और साम्यवाद जैमें क्रान्तिकारी वादों के पैदा होने का भी यही कारण है। मनुष्य को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सदियों युद्ध करना पड़ा। वह बहुत बार नाकामयाब हुआ, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। दुगने वेग में फिर जुट गया। उसे बहुत जगहों पर सफलता मिली और बहुत जगहों पर असफलता का भी सामना करना पड़ा। दुनिया के प्रायः सभी कोनों में यह युद्ध अब तक भी जारी है और जब तक मनुष्य अपने पूर्ण अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक जारी ही रहेगा।

परन्तु इन अधिकारों का जिक्र करने से पहले एक बात फिर कह दूँ। मनुष्य ने अपनी आजादी कायम रखने के लिए ही—बलवान आक्रमणकारी मनुष्य के अधिकारों पर कुठाराघात न कर सके, इस उद्देश्य से—समाज या राज्य की कल्पना की थी। अधिकारों की कल्पना संगठित समाज के बिना हो ही नहीं सकती। समाज में रहकर ही अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं और समाज के लिए कुछ बन्धनों का होना जरूरी है। मतलब यह कि अधिकारों की रक्षा के लिए बन्धन लाजमी हैं। जब कोई संगठन न हो, तब

जान-माल का ठिकाना भी नहीं रहता। और इस हालत में कौन स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकता है ? उस समय यदि किसी बात की आजादी है तो मारने की और मरने की। ऐसी हालत में किसी उद्देश्य के अनुसार कार्य करना संभव नहीं होता। जब लोगों की मनमानी चलने लगती है, तब क्या लोगों की स्वतन्त्रता किसी भी रूप में बची रह सकती है ? भीष्म पितामह शान्तिपर्व में कहते हैं : “राजन्यसति लोकंऽरिमन्कुतो भार्या कुतो धनम् ?” सरकार ही न हो तो हमारे परिवार और धन की रक्षा की गारन्टी नहीं हो सकती।

राज्य या समाज का कोई संगठन मनुष्य पर कुछ बंधन लगाता है। लेकिन जब यही बन्धन इतने अधिक अनिश्चित और असीमित हो जावे कि मनुष्य की आजादी कुचली जाने लगे, तब इन बन्धनों पर और इनके केन्द्रीभूत राज्य पर भी कुछ नियन्त्रण जरूरी हो जाता है। इस नियन्त्रण का उद्देश्य है मनुष्य की उस आजादी की रक्षा करना, जिसमें वह अपने नैतिक विकास की ओर से निश्चिन्त होकर प्रगति कर सके। मनुष्य पर राज्य का बन्धन मनुष्य की उच्छृंखलना रोकने के लिए और राज्य पर मनुष्य का नियन्त्रण या बन्धन राज्य की उच्छृंखलना रोकने के लिए लगाया जाता है।

२. मानसिक स्वतंत्रता—मनुष्य को अपने स्वतंत्र विचार रखने, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा का पूरा हक हो। हर मनुष्य को अपने विचारों के लिए बोलने और लिखने की और उनका प्रचार करने की भी पूरी आजादी हो, जबतक कि उसमें किसी दूसरे का नुकसान न होता हो (क्योंकि राज्य का यह भी तो कर्तव्य है कि वह एक के अन्याय से दूसरे को बचावे)।

३. राजनैतिक स्वतंत्रता—देश के शासन में भाग लेने का प्रत्येक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए। राज्य सभी मनुष्यों के हित के लिए है, इसलिए उसमें सभी का हिस्सा होना चाहिए। हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को राज्य में एक हैसियत होनी चाहिए। अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-दलित सबको बिना धार्मिक भेदभाव के एक समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राज्य से सब एक समान लाभ उठा सकें।

४. राष्ट्रीय स्वतंत्रता—प्रत्येक देश आजाद हो। जहाँ सरकार ही विदेशी हो, वहाँ रियाया को क्या अधिकार होंगे ? और वह राज्य भी वहाँ की रियाया का कहाँतक फायदा कर सकता है ?

यह पत्र बहुत लम्बा होगया, इतना लिखने की इच्छा तो न थी, पर जब लिखने ही बैठा, तो लिख गया।

प्राण-रक्षा का मेरा अधिकार

२३-५-३८

मने पिछले पत्र मे लिखा था कि मनुष्य ने अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए ही समाज या राज्य की कल्पना की थी। उसमे उसका उद्देश्य यही था कि मनुष्य के अधिकारों पर बलवान आक्रमणकारी कब्जा न कर सके। समाज शब्द ही बहुत-से आदमियों की केन्द्रीय शक्ति के भाव को जाहिर करता है। समाज मे रहनेवाले व्यक्ति—एक-दूसरे की स्वार्थ-प्रवृत्ति से—मनुष्य की प्रकृति के अन्दर जो पशुत्व छिपा हुआ है, उसमे अपनी रक्षा करने के लिए ही अपनी शक्ति के कुछ भाग को एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। यही शक्ति सत्ता कहलाती है। राज्य भी इसी सत्ता का जबरदस्त उदाहरण है। इसका मतलब यह है कि सरकार महज राज्य करने की खातिर राज्य नहीं करती, लेकिन वह राज्य के अन्दर रहने-वाले की प्रसन्नता के लिए ही राज्य करती है। इसलिए अच्छे राज्य की कसौटी ही यह है कि जिस राज्य मे मनुष्य को ज्यादा-से-ज्यादा स्वतन्त्रता मिली हो—मनुष्य ज्यादा से ज्यादा मुन्गी हो, वही उत्तम राज्य है। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि उच्छृंखलना और स्वतन्त्रता का अर्थ एक नहीं है, ये दोनों एक-दूसरे से विरोधी शब्द हैं। उच्छृंखलना मे एक अत्याचारी मनुष्य की आजादी भले ही कुछ समय के लिए कायम रह सकती है, लेकिन आम लोगों के लिए तो वह भीषण दण्डन की ही हालत होगी, क्यों कि

२. मानसिक स्वतंत्रता—मनुष्य को अपने स्वतंत्र विचार रखने, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा का पूरा हक हो। हर मनुष्य को अपने विचारों के लिए बोलने और लिखने की और उनका प्रचार करने की भी पूरी आजादी हो, जबतक कि उसमें किसी दूसरे का नुकसान न होता हो (क्योंकि राज्य का यह भी तो कर्तव्य है कि वह एक के अन्याय से दूसरे को बचावे)।

३. राजनैतिक स्वतंत्रता—देश के शासन में भाग लेने का प्रत्येक मनुष्य को अधिकार होना चाहिए। राज्य सभी मनुष्यों के हित के लिए है, इसलिए उसमें सभी का हिस्सा होना चाहिए। हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को राज्य में एक हैसियत होनी चाहिए। अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-दलित सबको बिना धार्मिक भेदभाव के एक समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राज्य से सब एक समान लाभ उठा सकें।

४. राष्ट्रीय स्वतंत्रता—प्रत्येक देश आजाद हो। जहाँ सरकार ही विदेशी हो, वहाँ रिआया को क्या अधिकार होंगे ? और वह राज्य भी वहाँ की रिआया का कर्हातक फायदा कर सकता है ?

यह पत्र बहुत लम्बा होगया, इतना लिखने की इच्छा तो न थी, पर जब लिखने ही बैठा, तो लिख गया।

प्राण-रक्षा का मेरा अधिकार

२३-५-३८

मैंने पिछले पत्र में लिखा था कि मनुष्य ने अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए ही समाज या राज्य की कल्पना की थी। उसमें उसका उद्देश्य यही था कि मनुष्य के अधिकारों पर बलवान आक्रमणकारी कब्जा न कर सकें। समाज शब्द ही बहुत-से आदमियों की केन्द्रीय शक्ति के भाव को जाहिर करता है। समाज में रहनेवाले व्यक्ति—एक-दूसरे की स्वार्थ-प्रवृत्ति से—मनुष्य की प्रकृति के अन्दर जो पशुत्व छिपा हुआ है, उससे अपनी रक्षा करने के लिए ही अपनी शक्ति के कुछ भाग को एक स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। यही शक्ति सत्ता कहलाती है। राज्य भी इसी सत्ता का जबरदस्त उदाहरण है। इसका मतलब यह है कि सरकार महज राज्य करने की खातिर राज्य नहीं करती, लेकिन वह राज्य के अन्दर रहने-वालों की प्रसन्नता के लिए ही राज्य करती है। इसलिए अच्छे राज्य की कसौटी ही यह है कि जिस राज्य में मनुष्य को ज्यादा-से-ज्यादा स्वतन्त्रता मिली हो—मनुष्य ज्यादा से ज्यादा सुखी हो, वही उत्तम राज्य है। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि उच्छृंखलता और स्वतन्त्रता का अर्थ एक नहीं है, ये दोनों एक-दूसरे के विरोधी शब्द हैं। उच्छृंखलता में एक अत्याचारी मनुष्य की आजादी भले ही कुछ समय के लिए कायम रह सकती है, लेकिन आम लोगों के लिए तो वह भीषण वन्धन की ही हालत होगी, क्योंकि

ऐसे समय में उसकी अपनी आजादी हमेशा खतरे में रहती है।

मनुष्य अपनी जिन-जिन स्वतन्त्रताओं की इच्छा करता है, उनमें सबसे पहली अपने जीने का अधिकार है। उसे अपने जीवन के बारे में पूरी वेफिकरी होनी चाहिए। मानवजीवन भगवान की अनुपम देन है। वह ऐसी चीज नहीं कि उसे कोई यों ही छीन ले। इसलिए यदि हरेक नागरिक सारे समाज या राष्ट्र से यह आशा करे कि वह उसके शरीर की पूरी तौर से रक्षा करेगा, तो यह न केवल उचित और स्वाभाविक ही है, बल्कि जरूरी भी है। जैसा कि मैं पीछे लिख आया हूँ, मनुष्य ने अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने और अत्याचारी मनुष्य या हिंसक पशु से अपनी रक्षा करने के लिए ही अपनी शक्ति का कुछ अंश समाज में केन्द्रित किया है। समाज का सदस्य बनकर उसने अपने ऊपर जो एक बन्धन लगाया है या समाज की रक्षा के लिए जो त्याग वह करता है, उसका उसे इतना तो बदला मिलना ही चाहिए कि वह अपनी जान-माल की चिन्ता से मुक्त हो। राष्ट्र या समाज ने मनुष्य को अगर उसकी शरीर-रक्षा का भी आश्वासन न दिया, तो मनुष्य को उससे लाभ ही क्या? वह फिर उसकी चिन्ता क्यों करेगा?

इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने सदस्य की जान की हिफाजत के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। पुलिस की भी इसीलिए आवश्यकता है कि वह अत्याचारी मनुष्य और हिंसक पशु से प्रजा की रक्षा करे। जिस राज्य में पुलिस की व्यवस्था अच्छी होती है, उसमें प्रजा अपने जान-माल को सुरक्षित समझती है और निश्चिन्त होकर अपनी उन्नति करती रहती है। जहाँ मनुष्य को अपने जीवन का भरोसा ही न हो, वहाँ वह उन्नति

क्या करेगा ? इक्के-दुक्के आक्रमणकारियों के हार्थों से रक्षा करने में पुलिस समर्थ हो जाती है, लेकिन जब आक्रमणकारी भी कोई समूह या विदेशी देश हो, तो उससे रक्षा करने के लिए सेना की जरूरत होती है। परन्तु केवल पुलिस या सेना की व्यवस्था से ही शरीर-रक्षा की गारण्टी नहीं हो जाती। बहुत-सी जगहों और मौकों पर पुलिस की मदद लेना बड़ा कठिन होजाता है। कहीं अकेले-दुकेले जाते हुए या रात को घर में चोर-डाकुओं से सामना हो जाने की हालत में तुरत ही पुलिस को बुलाना सम्भव नहीं होता। इसलिए हरेक नागरिक को सभ्य राष्ट्रों में यह अधिकार होता है कि जरूरत पडने पर वह खुद सामना करनेवाले पर वार करके अपनी आत्म-रक्षा करे। केवल आत्मरक्षा ही नहीं, अपने सगे-सम्बन्धियों, लड़के, स्त्री, मा-बाप, भाई-बन्धु की रक्षा के लिए भी हथियार उठाने का अधिकार उसे होना चाहिए। यह कोई निश्चित नहीं होता कि फला वस्तु ही कोई विपत्ति आवेगी। इसलिए नागरिकों को हमेशा हथियार रखने की इजाजत होनी चाहिए। कानून में भी ऐसी गुजायश होनी चाहिए कि हमला करनेवाले पर अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाने का अधिकार हो। अक्सर सब देशों में स्त्रियों को यह अधिकार होता है कि यदि कोई आक्रमणकारी उनके सतीत्व पर हमला करने लगे, तो वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसकी जान तक ले सकती हैं। लेकिन यह हमेशा याद रखना चाहिए कि आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने में भी एक मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी। एक जरा-सी मारपीट होने पर भी लोग एक-दूसरे की जान लेने लगे, तो इससे बड़ी अव्यवस्था फैल जायगी। आत्मरक्षा का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण

यह मर्यादा भी है। मनुष्य का जीवन बहुमूल्य है, इस सिद्धान्त को दोनों हालतों में—अपने पर हमले के समय भी और दूसरे पर हमला करते समय भी—याद रखना चाहिए।

सरकार का फर्ज सिर्फ अपने राज्य में ही प्रजा की शरीर-रक्षा की व्यवस्था कर देने भर में पूरा नहीं हो जाता। उसका तो यह कर्तव्य है कि वह हमेशा इस बात की चौकसी करती रहे कि किसी दूसरे देश में भी अपने नागरिकों पर कोई अनुचित दबाव न डाला जाय। सभ्य, उन्नत और जिम्मेदार सरकारें इस बात का हमेशा खयाल रखती हैं कि विदेशों में भी उनकी प्रजा पर कोई बिना वजह के आक्रमण न करे। यदि अपने किसी नागरिक की हत्या दूसरे देश में हो जाय, तो सरकार दूसरे देश की सरकार से इसका जवाब मांगती है और ठीक वजह न मिलने पर उसका मुआवजा मांगती है। लेकिन आजाद, ऊँचे उठे हुए और शक्तिशाली राष्ट्र ही ऐसा करते हैं। हिन्दुस्तान जैसे गुलाम देशों की सरकार में तो अपनी जिम्मेदारी समझने की इच्छा है और न शक्ति। हम हिन्दुस्तानियों का विदेशों में कितना अपमान होता है, यह तुमसे छिपा नहीं है। इसका कारण हमारे देश की गुलामी है न कि दूसरी सरकारों की उपेक्षा। बलवान का सभी आदर करते हैं। गुलाम कमजोर हिन्दुस्तानी की कौन चिन्ता करेगा? जब खुद हिन्दुस्तान में ही हमारे जान-माल की खैर नहीं है तो विदेशी सरकारें क्यों इस बात की फिक्र करने लगीं? सीमाप्रान्त में कितनी स्त्रियाँ चुराई जाती हैं और कितने हिन्दुओं की हत्या हो जाती है, लेकिन सरकार ने कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जितना एक अंग्रेज स्त्री मिस एलिस के चुराये जाने पर उठाया गया था। सिर्फ आक्रमणकारी

मनुष्य से ही नहीं, बल्कि हिंसक पशुओं और वीमारियों से भी प्रजा की रक्षा करना राज्य का खास कर्तव्य है। यहाँ तो इतनी बुरी हालत है कि किसान हिंसक पशुओं से अपनी और अपनी खेती की रक्षा तक नहीं कर सकते। सूअर और रीछ आते हैं तथा गाँववालों को नुकसान पहुँचा जाते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते। कई रियासतों में तो यदि खेती को नुकसान पहुँचानेवाले पशुओं को कोई मार दे, तो उसे ही राज्य की ओर से सजा मिलती है। कितनी भयंकर दशा है। इसका कारण यह है कि रियासती प्रजा अपने नागरिक अधिकारों को नहीं समझती और देसी राजा भी अपने कर्तव्य को नहीं पहचानते। प्रजा जब राजा को कर देती है, उसके बन्धन और नियम मानती है, क्या उसका यह आशा करना अनुचित होगा कि राज्य उसकी प्राण-रक्षा करेगा ?

वाकी फिर दूसरे पत्र में ।

मेरी शारीरिक स्वतंत्रता

१०-६-३८

आजकल यहाँ का मौसम बहुत ही खराब है। खसरा, मलेरिया, टाइफाइड सभी बीमारियाँ एक-साथ फैली हुई हैं। हरिद्वार के कुभ के भारी मेले ने सारे देश में हैजे की भी बीमारी फैला दी है। दिल्ली भी हरिद्वार की इस देन से नहीं छूटा। हाल ही में पड़ोस का एक तीन साल का बालक खसरे के साथ होनेवाले निमोनिया से गुजर गया। हिन्दुस्तान में न जाने ऐसे कितने बच्चे हर साल ऐसी ही बीमारियों से अकालमृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। आजकल एक भारतीय की औसत उम्र सिर्फ २३ साल है, जबकि १८८१ में यह औसत ३० साल थी और आजकल इंग्लैण्ड में ५५ वर्ष है। इंग्लैण्ड से हिन्दुस्तान की मृत्यु-संख्या लगभग २॥ गुनी है। इंग्लैण्ड में जहाँ मृत्यु संख्या ११.७ फी हजार है, वहाँ भारत में १६३० में २६.८ थी। हमारे यहाँ जीवनी शक्ति इतनी कम है कि १६१८ के काले बुखार में एक ही साल में एक करोड़ दस लाख आदमी चल बसे। बच्चों की मृत्यु-संख्या का अनुपात २३२.६ फी हजार है और युक्तप्रान्त में तो ३०३ है। माताओं की मृत्युसंख्या सारे भारत में फी हजार २४५ प्रतिशत है और अकेले बंगाल में ५० है। (इंग्लैण्ड और वेल्स में माताओं की मृत्युसंख्या १६३२ में ४.०६ थी) बंगाल में १६२६-२७ में १२,०००० मनुष्य हैजे से, ३५०००० मलेरिया से, ३५०००० क्षय से और १००००० आतडियों के बुखार से मर गये। औसत ५५०००

नवजात शिशु हरसाल दौरे के शिकार होते हैं। भारत के चिकित्सा-विभाग के संचालक सर जान मेग ने कुछ साल पहले चौंकानेवाले आँकड़े प्रकाशित किये थे। उनके अनुसार लगभग १ करोड़ ३० लाख मनुष्य इन्द्रिय-रोगों से पीड़ित हैं (अर्थात् फी २७ में से एक व्यक्ति भयकर बीमारियों का शिकार है।) बीस लाख की संख्या क्षयरोग वालों के लिए थोड़ी है, और लगभग ६० लाख बिलकुल अंधे हैं। कम-से-कम ५ करोड़ हरसाल मलेरिया के शिकार होते हैं। यह संख्या आसानी से १० करोड़ तक लगाई जा सकती है।

कितने चौंकानेवाले आँकड़े हैं ये। यों सरसरी तौर से इन अंकों को पढ़ जाने से शायद इनकी भीषणता की कल्पना न हो, लेकिन किसी मरनेवाले के पास खड़े होकर और उसकी दशा देखने के बाद इन अंकों की भयकरता का अंदाज हो सकता है। उस दिन अपने पड़ोसी के बालक को इस ससार से विदा होते देखकर मेरे दिल में यही विचार उठने लगे।

लेकिन इसके साथ ही भवभूति के 'उत्तर रामचरित' का वह प्रसंग भी याद आया जबकि एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है और रामचंद्र उसकी मृत्यु के लिए अपनेको जिम्मेदार ठहराते हैं।' कितना ऊँचा था प्राचीन आदर्श। उस समय न सिर्फ हिंसक पशुओं और आततायियों से, बल्कि बीमारियों से भी प्रजा की प्राण-रक्षा करना राजा का कर्तव्य था। पिता की मृत्यु से पहले (बीमारी से) पुत्र की मृत्यु इस बात का प्रमाण मानी जाती थी कि राजा ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।

१ "न राजापचारमन्तरेण प्रजानामकालमृत्यु सचरति इत्यात्मदोष निरूपयति करुणामये रामभद्रे"

असल में नागरिकों का यह अधिकार है कि वे बीमारियों से अपनेको निश्चिन्त समझे। जब मनुष्य समाज की रक्षा के लिए इतना त्याग करता है, तब समाज या राष्ट्र का भी फर्ज है कि वह मनुष्य की प्राणरक्षा की कोशिश करे। क्योंकि अगर प्रजा ही न बचेगी, तो समाज या देश का परिणाम क्या होगा? यदि बीमारियों ने प्रजा को निःशक्त और कमजोर कर दिया, तो कमजोर आदमियों का राष्ट्र कितना बलवान होगा? लेकिन ऊपर लिखे आंकड़े क्या सिद्ध करते हैं? यही कि हम अपने नागरिक अधिकारों से वंचित हैं और विदेशी सरकार भारत के स्वास्थ्य की ओर से बिल्कुल उदासीन है। शारीरिक स्वतंत्रता के साथ ही मनुष्य को उसकी सम्पत्ति की रक्षा की भी गारंटी मिलनी चाहिए। जिंदा रहने के लिए भोजन-सामग्री, कपड़े-लत्ते तथा मकान आदि की जरूरत हर किसीको होती है। नागरिक जो माल-मत्ता इकट्ठा करते हैं और मकान बगैरा बनाते हैं, उन सबकी चोर और डाकूओं से रक्षा करना सरकार का फर्ज है। अगर सम्पत्ति की रक्षा और कारोबार चलने की कोई गारंटी न दी जाय, तो संसार में धन कमाने की रुचि ही पैदा न होगी और इस कारण दुनिया की आर्थिक उन्नति रुक जायगी। हरेक मनुष्य को अगर विश्वास हो कि उसकी सम्पत्ति चोर-डाकू नहीं लेजावेंगे, तब वह बेफिक्र होकर अपने काम में लग सकता है और देश और राष्ट्र की उन्नति में अपना हिस्सा अदा कर सकता है। पुलिस और अदालत की व्यवस्था का एक उद्देश्य सम्पत्ति की रक्षा भी है।

लेकिन इकट्ठा की हुई सम्पत्ति का मतलब क्या? क्या हरेक मनुष्य द्वारा किसी भी तरीके से कमाई हुई सम्पत्ति की रक्षा करना राज्य का फर्ज है? एक डाकू डाका डालकर सम्पत्ति इकट्ठी करता है,

तो राज्य क्या उस डाकू की संपत्ति की भी रक्षा की गारंटी देगा ? नहीं, क्योंकि वह उस डाकू की चीज नहीं है—वह तो उसकी है, जिसके पास से डाकू ने वह छीनी है। इसी तरह साम्यवादियों की विचारधारा के मुताबिक अतिरिक्त पूँजी भी एक सुसंगठित और सभ्य डाके का ही नतीजा है। एक ठेकेदार मजदूरों को जरूरत से भी बहुत कम पैसा देकर खुद धनी होता है, तब क्या उसकी सम्पत्ति की गारंटी भी राज्य दे ? एक जमींदार किसानों पर तरह-तरह के अन्यायपूर्ण कर लगाकर अपना तो कोठार भर लेता है और सर्दी-गर्मी में दिन-रात एक करनेवाला गरीब किसान एक वक्त रूखी-सूखी खाकर गुज़ारा करता है। ऐसे जमींदार की जायदाद की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है या नहीं ? इस सवाल पर भी तुमने सोचा ही होगा। बड़े-बड़े समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। और उनमें इतना मतभेद है कि बहुत-से सम्प्रदाय बन गये हैं और प्रत्येक वाद के बारे में बहुत-सी किताबें लिखी गई हैं। एक वाद की राय है कि वह मनुष्य बहुत बड़ा पापी होगा, जिसने मनुष्य के इतिहास के शुरू में सबसे पहले किसी चीज पर अपना कब्जा करके 'सुमेदम' (यह मेरी है) की घोषणा की होगी। इस सम्प्रदाय का कहना है कि निजी मिलकियत का ख़याल संसार की ज्यादातर घुराइयों की जड़ है। लेकिन दूसरा सम्प्रदाय भी उतने ही जोरों के साथ कहता है कि मिलकियत पर अपने-अपने अधिकार का ख़याल स्वाभाविक है, और इसीके कारण दुनिया जंगली सभ्यता से उन्नति करती-करती आज की स्थिति तक पहुँच गई है। इन दोनों सम्प्रदायों के बीच भी अनेक वाद हैं। कोई जमीन, कल-कारख़ाने आदि उत्पादक सम्पत्ति पर समाज

नियन्त्रण चाहता है, तो कोई सीमित नियन्त्रण। हरेक सम्प्रदाय इस सम्बन्ध में प्रजा के नागरिक अधिकारों की अलग-अलग व्याख्या करता है। मैं इस भूलभुलैया में अभी नहीं जाना चाहता। अगर समय मिला, तो इस बारे में किसी दृग्गरे पत्र में कुछ लिखने की कोशिश करूँगा। यहाँ तो इतना ही कह देना काफी होगा कि प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि अपनी कमाई हुई सम्पत्ति की रक्षा की गारंटी सरकार उसे दे। जो वस्तु वह कमाता है, उसे इस बात की वेफिक्री होनी चाहिए कि वह वस्तु कोई छीन न सकेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, वह यह कि वह सम्पत्ति नाजायज तरीके से न कमाई गई हो, उसे कमाते हुए किसी दूसरे का ऐसा हक न छीना गया हो, जिसकी रक्षा की गारंटी प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा मिलनी लाजमी है। एक चोर चोरी से दूसरे की सम्पत्ति अपने अधिकार में कर लेता है। अगर राज्य चोर की इस सम्पत्ति की रक्षा करता है, तो वह उस व्यक्ति के अधिकार की अवहेलना करता है, जिसके घर चोरी हुई है। सरकार का पहला कर्तव्य चोर से नागरिक की रक्षा करना है। अनुचित और उचित साधनों की मर्यादा क्या है, यह प्रत्येक समाज की अपनी-अपनी हालत पर निर्भर है। नागरिकशास्त्र की दृष्टि से तो इतना ही कहना काफी है कि जिस राष्ट्र और जिस समय में उचित साधनों की जो मर्यादा स्वीकृत की जाती है, उसीका पालन राज्य को करना चाहिए। इस संबंध में गांधीवाद की विचारधारा भी अध्ययन करने की वस्तु है, लेकिन उसका यह स्थान नहीं है। यदि संभव हुआ, तो आर्थिक स्वाधीनता पर विचार करते हुए उसपर भी अपने विचारों से तुम्हें सूचित करूँगा।

नागरिकों को व्यापार और लेनदेन की भी खुली छुट्टी होनी चाहिए। वे सब लेनदेन अपनी इच्छा से कर सकें। लेकिन शर्त यह है कि जायदाद का लेनदेन भी स्वतन्त्रतापूर्वक हो। शरीर ही नहीं, मन भी स्वतन्त्र होना चाहिए। स्वतन्त्रता के नाम पर धमकी या जालसाजी से किया गया लेन-देन उचित नहीं हो सकता। ऐसा लेन-देन करते समय शरीर तो अवश्य स्वतन्त्र है, परन्तु धमकी या जालसाजी के कारण मन परतन्त्र हो जाता है। इसी प्रकार यह भी जरूरी है कि किसीके मरने के बाद उसकी जायदाद उसके कानूनी वारिसों को मिले। पागलों और नाबालिग बालकों को लेन-देन की आजादी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये लोग अपना हित नहीं जानते। इन्हें कोई भी बहका सकता है।

मनुष्य को केवल जीने का अधिकार ही नहीं चाहिए, उसे शारीरिक स्वतन्त्रता—उसके शरीर पर किसी दूसरे का अधिकार न होना—भी उतनी ही जरूरी है। जब एक नागरिक का अपने शरीर पर ही अधिकार नहीं है, तो वह अपना स्वतन्त्र विकास कैसे कर सकेगा ? शरीर की स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि वह जो चाहे उचित काम कर सके, किसी की गुलामी उसे न करनी पड़े। प्राचीन काल में कोई किसी का दास न होता था, सब स्वतन्त्र थे। लेकिन ज्यों-ज्यों मनुष्य में अधिकार और शक्ति का मद आता गया, वह अपने से दुर्बल पर अपना कब्जा करता गया। हारे हुए को अपना गुलाम बनाने की प्रवृत्ति प्रायः सभी जातियों में पाई जाती है। मनुष्य के अन्दर जो पशुत्व छिपा हुआ है वह सभी देशों में हमें दीखता है। और आश्चर्य तो यह है कि बड़े-बड़े विद्वानों और विचारकों के दिमाग से भी पशुत्व का यह अभिमान दूर नहीं हो सका है। ग्रीस

के प्रसिद्ध विचारक अरस्तू ने बड़ी गम्भीरता के साथ साबित करने का प्रयत्न किया है कि कुछ मनुष्य स्वभाव से स्वामी होते हैं और कुछ दास। परन्तु मनुष्य तो स्वभाव से एक मनुष्य है, उसे कोई पदार्थ नहीं माना जा सकता और इसीलिए उसे गुलाम भी नहीं बनाया जा सकता। पुरुषों के शरीर, मस्तिष्क और मानसिक विकास में जो अन्तर होता है उससे यह तो जरूर मालूम होता है कि हरेक मनुष्य को अलग-अलग काम करने के लिए चाहिए, लेकिन किसी एक को दूसरे की गुलामी करनी चाहिए, यह तो किसी तरह भी साबित नहीं होता।

राजनीतिशास्त्र का तर्काज है कि हरेक नागरिक को पूरी गारंरिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। वह जो चाहे काम करे, जहाँ चाहे जाय, जहाँ विवाह करना चाहे करे, जो कमाये खाये। इन सब बातों में सिर्फ इतना खयाल रखना होगा कि उसके किसी काम से समाज में न अव्यवस्था फैले और न उससे किसी दूसरे का नुकसान हो, क्योंकि इससे एक दूसरे नागरिक के अधिकार छिन जाते हैं। प्राचीन भारत में भी इस स्वार्थ को समझा जाता था, लेकिन उनकी दृष्टि केवल आर्यों तक सीमित थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में “न त्वार्यस्य दासभावः” कहकर किसी आर्य को दास बनाने का निषेध किया है। आज भी रियासतों में छोटी मानी जाने वाली जातियों को दास रखने की प्रथा मौजूद है। जर्मनी के हर हिटलर आजकल यहूदियों को नागरिकता के अधिकार देने से इन्कार कर रहे हैं। उनकी हलचलों पर तरह-तरह के बन्धन लगाये जा रहे हैं। असल में राज्य के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जाति, किसी धर्म या लिंग (Sex) का हो, शारीरिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए। स्त्रियों की समाज

मे क्या स्थिति हो, यह प्रश्न भी इसके साथ पैदा होता है। लेकिन यह प्रश्न खुद एक बड़ा और गम्भीर प्रश्न है, इसके बारे में किसी दूसरे पत्र में लिखना ठीक होगा।

शारीरिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में एक और बात कहकर यह पत्र समाप्त कर दूंगा। मैं एक पिछले पत्र में बता चुका हूँ कि “ज्यों-ज्यों मनुष्य की स्वाधीनता की रक्षा के लिए ये नवीन साधन उत्पन्न होते गये, त्यों-त्यों मनुष्य के पैरों में अधिकाधिक गुलामी की जजिरें पड़ने लगीं। जिस रोग के इलाज के लिए, धर्म सामाजिक व्यवस्था और राज्य आदि साधन बनाये गये, उसे हटाते-हटाते उन सबने एक नई बीमारी पैदा कर दी।” असल में राज्य खुद भी मनुष्य की गुलामी की एक खास वजह बन गया है। पुलिस और राज्य का कर्तव्य तो यह है कि वह मनुष्य की शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा करे, लेकिन वह स्वयं ही उसका ग्राहक बन गया है। इसका उदाहरण देखना हो तो आज से चार-पाँच साल पहले हमारे यहाँ जो विलिंगडन राज था, जो आर्डिनेंसराज के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसे देखो। अदालत में मुकदमा चलाकर अपराध साबित किये बिना सैकड़ों लोग जेल में डाल दिये गये, सैकड़ों लोगों का अपने घरों या मुहल्लों से निकलना बन्द कर दिया गया, सैकड़ों की लिखने-बोलने की आजादी छीन ली गई। राजनीतिशास्त्र का यह पहला उसूल है कि किसी नागरिक को तबतक कोई सजा नहीं दी जा सकती, जबतक कि उसपर अदालत में अपराध साबित न हो जाय। खाली सन्देह में ही किसीको सजा नहीं दे देनी चाहिए। अदालत में भी मुकदमा लड़ने की पूरी सुविधा और न्याय की गारंटी उसे दी जानी चाहिए। यदि कोई हत्या का मुलजिम गरीबी के कारण अपना वकील करने में

असमर्थ है तो राज्य का यह फर्ज होना चाहिए कि वह उसके लिए वकील की व्यवस्था करदे, ताकि सिर्फ पैसे के अभाव में वह अपने-को निरपराध साबित करने से वंचित न रह जाय । यदि कभी कोई सरकारी अफसर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके नागरिकों की स्वतन्त्रता छीन ले तो उसपर साधारण अदालत में साधारण कायदे से मुकदमा चलाया जा सके । जुड़े-जुड़े देशों की जनता ने इस अधिकार की प्राप्ति के लिए काफी लड़ाई लड़ी है । इंग्लैण्ड का 'हेवियस काप्स एक्ट' इसका सबसे साफ उदाहरण है । मंग्ना-चार्टा (अधिकारपत्र) की ३६ और ४० धारा के अनुसार कोई भी अंग्रेज नागरिक सरकार के किसी भी बड़े-से-बड़े अफसर द्वारा गिरफ्तार या दण्डित नहीं किया जा सकता, जबतक कि उसपर मुकदमा न चलाया गया हो और वह पूरी तरह साबित न होगया हो । यदि किसी नागरिक को बिना अपराध सिद्ध हुए गिरफ्तार कर लिया जाय, तो इंग्लैण्ड के इस शासन-विधान के अनुसार उसके रिश्तेदारों को पूरा हक है कि उसपर मुकदमा चलाने का अनुरोध ऊँचे अफसरों से कर सके । बिना किसी वारण्ट के कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और किसीको २४ घण्टे से ज्यादा पुलिस अपनी हवालात में नहीं रख सकती, जबतक कि अदालत से इजाजत न ले ली जाय ।

इन्हीं नियमों के कारण इंग्लैण्ड आज सब देशों से अधिक स्वतन्त्र समझा जाता है । सभी देशों की सरकारों द्वारा सताये हुए लोग इसी कारण इंग्लैण्ड की भूमि में अपनेको स्वतन्त्र समझने लगते हैं । अगर अंग्रेज जनता अपने देश की इस विशेषता पर अभिमान करती है तो उसका यह अभिमान अनुचित नहीं है,

लेकिन उसकी यह स्वातंत्र्य-प्रियता केवल इंग्लैण्ड तक सीमित है। हमारे यहाँ भारत में ठीक इससे उल्टा हो रहा है। यहाँ नागरिक स्वाधीनता तो नाम को भी नहीं। ऐसा मालूम होता है कि अंग्रेज राजनीतिज्ञों और शासकों के राजनैतिक सिद्धान्त इंग्लैण्ड के लिए एक हैं और हिन्दुस्तान के लिए दूसरे। पर आजाद और गुलाम देश में यह फ़र्क स्वाभाविक है। इन्हीं अधिकारों की प्राप्ति के लिए तो भारत स्वराज्य का युद्ध लड़ रहा है।

पर व्यक्ति-स्वातन्त्र्य में कुछ अपवाद भी हैं। सड़ी, गली या कड़वी चीज और पानी मिला दूध बाजार में बेचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा का हरेक को ही अधिकार नहीं दे देना चाहिए। “नीम हकीम खतरये जान।” इसके लिए किसी योग्यता का हासिल कर लेना जरूरी होना चाहिए। पागल लोगों को सड़कों पर न जाने देना या फौजदारी करनेवालों को पहले से ही पकड़ लेना भी उचित है। माँ-बाप यदि बच्चों का या पति-पत्नी का पालन-पोषण न करे तो उन्हें इसके लिए भी बाधित किया जा सकता है। इसी तरह और भी कई अपवाद बताये जा सकते हैं।

मेरी अपनी सरकार

१३-६-३८

तुम्हारा पत्र अभी मिला। पत्र पढ़कर खुशी हुई। तुम्हारी अनेक उलझने पढ़कर मैं जरा भी चिन्तित नहीं हुआ। यह तो काम की शुरुआत है। इस संसार का मार्ग इतना सुगम नहीं है कि यात्री आँखें मूँदें उसपर से मजे में गुजर जाय। इसमें तो पढ़-पढ़ पर समस्याएँ हैं, अनेक कठिनाइयाँ हैं, कहीं नदी-नाले हैं तो कहीं छोटी-छोटी चट्टानें या पहाड़। इन सभीको पार करना ही होगा। तुम लिखने हो कि तुमने छोटी-सी पंचायत कायम की है। इसमें तुम्हें कई विजनों का सामना करना पड़ा है। इस प्रश्न पर ब्राह्मण व राजपूत एक ओर थे और हरिजन भाई दूसरी ओर। ब्राह्मणों और राजपूतों का कहना है कि हरिजनों को पंचायत का सदस्य चुनने का अधिकार न हो। शेख और सैयद मुसलमान भी उनके साथ हैं। और तुम हरिजन भाइयों को उनका अधिकार देना चाहते हो। मैं पिछले दो पत्रों में नागरिक की शारीरिक स्वतंत्रता के बारे में तुमको लिख चुका हूँ। आज मैं चाहता तो था तुमको सामाजिक स्वतंत्रता पर कुछ लिखूँ, लेकिन तुम्हारा पत्र मिलने के बाद अब मैं मताधिकार के प्रश्न पर ही लिखना चाहता हूँ। इस समय यही बड़ा सवाल तुम्हारे सामने है। इस सवाल को ठीक तरह समझने के लिए कुछ गहराई में जाना पड़ेगा।

मैजिनी इटली का एक मशहूर विचारक होगया है। वह एक जगह लिखता है कि “जबतक तुम्हारे देश-बन्धुओं में से एक भी ऐसा है,

जिसका राष्ट्रीय जीवन की उन्नति के लिए अपना चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, तबतक तुम्हारा देश सबका और सबके लिए नहीं है, जैसा कि वह होना चाहिए।”

जब मनुष्य की उन्नति और विकास के लिए ही समाज या सरकार का संगठन हुआ है, तब उसकी नीति बनाने में भी उसका हाथ होना चाहिए। यदि ऐसा न हो, तो समाज या सरकार खतमता की रक्षा में सहायक न होकर बाधक होजाती है। ऐसा नियम या बन्धन, जो जनता की सलाह से उलटा हो या उसके हितों के प्रतिकूल हो, मनुष्य की अवनति का कारण बन जाता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान रूसो के कथनानुसार सरकार लोगों का परस्पर एक सामाजिक समझौता है। लोगों ने अपनी इच्छा से आपस में समझौता करके अपने अधिकार अपने कल्याण के लिए समाज को दे दिये हैं न कि राजा को। तमाम लोगों के दिये हुए अधिकारों का एकीकरण समाज के हाथ में होता है और फिर समाज अपनी सुविधा के लिए राजा अथवा अन्य अधिकारियों को नौकर रखकर उनके हाथों में सब अधिकार देता है। अर्थात् राजसत्ता या स्वामित्व जनता के हाथ में है न कि किसी व्यक्ति, श्रेणी या व्यक्ति-समूह में। जब यह बात मान ली गई, तब यह मानने में कोई संकोच नहीं रहता कि शासन में प्रत्येक नागरिक का अधिकार स्वाभाविक है। प्रो० हेराल्ड लास्की अपनी (An Introduction to Politics) पुस्तक में सरकार और मनुष्य के सम्बन्ध का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि नागरिक अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ शर्तों के साथ—

१ लोकसाहित्यमाला में सस्ता साहित्य मण्डल से यह 'राजनीति प्रवेशिका' के नाम से प्रकाशित हो रही है। मूल्य ॥)

अपने खास अधिकारों की गारंटी के साथ सरकार का नियंत्रण स्वीकार करना चाहता है। मनुष्य तभी प्रसन्नता अनुभव कर सकता है, जब उसे अपनी व्यक्तिगत रक्षा का अधिकार हो, उसे रोजी कमाने के साधन प्राप्त हों, वह शिक्षा प्राप्त कर सके, उसके धर्म, भाषा आदि पर कोई रुकावट न हो, अपने ज्ञान और विचार के प्रयोग का अधिकार हो, अर्थात् अपने विचार लिख या बोलकर प्रकट करने में कोई बाधा न हो। इन अधिकारों का मक्षिप्त वर्णन करने के बाद प्रो० लास्की लिखते हैं कि कोई सरकार इस उद्देश्य को तबतक प्राप्त नहीं कर सकती, जबतक वह वालिग-मताधिकार के अधिकार पर संगठित प्रजातन्त्र सरकार न हो। उस सरकार में न केवल भाषण और संगठन की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन यह भी उसमें स्वीकार कर लेना आवश्यक है कि जाति, धर्म, लिंग या सम्पत्ति नागरिक अधिकारों के उपभोग में कुछ भी बाधक न होगी। इतिहास का अनुभव हमें यह बताता है कि जब किसी वर्ग से अधिकार छीन लिया जाय, तब जल्दी या देर में वह अधिकार से प्राप्त होनेवाली सुविधाओं से भी वंचित हो जाता है। यह बहुत स्वाभाविक है कि सरकार जनता के जिस हिस्से से शक्ति प्राप्त करती है, उसीकी आवश्यकताओं का खयाल भी करेगी। इसलिए जितने बड़े भाग पर सरकार का संगठन निर्भर हो, उतनी ही अधिक यह उम्मीद की जा सकती है कि वह देश के बड़े भाग की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करेगी।

अमेरिका के भूत पूर्व राष्ट्रपति प्रो० विल्सन कहते हैं कि “जिन शक्तियों से राष्ट्रीय और राजकीय विकास होता है, ठीक उन्हींसे कायदों का निर्माण और विकास होता है। एकतंत्र या प्रजातंत्र दोनों प्रकार की शासन-पद्धतियों में कायदे लोगों के रस्म-रिवाज या पसं-

दगी-नापसदगी को देखकर दनेंगे। कानून बनानेवालों का काम अपनी इच्छा से कायदों का आविष्कार करना नहीं है, उनका काम है लोगों की आवश्यकताओं को जानकर उन्हें कायदे का स्वरूप दे देना। कायदा व्यक्तियों की रचना नहीं है, वह है समाज की खास-खास आवश्यकताओं की, खास-खास मौकों की, विशिष्ट संकटों या दुर्दैवों की।” अनियंत्रित निरंकुश शासकों के प्रजा पर जबरदस्ती लादे जाने वाले कायदों की ओर निर्देश करते हुए प्रो० विल्सन कहते हैं—“शासक अपनेको समाज से अलग नहीं कर सकते। यह बात दूसरी है कि शासकों के कार्यों को समाज चुपचाप मान ले। कभी-कभी कायदे का स्वरूप अल्पसंख्यक लोगों या किसी एक व्यक्ति की आज्ञा ही जान पड़ता है, परन्तु जबतक समाज उस कायदे के पीछे अपना जोर न लगावेगा, तबतक वह चल नहीं सकता। कायदा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को सम्मत होना ही चाहिए और इस प्रकार उनका जोर भी उसे मिलना चाहिए।” इसका एक इतिहास-प्रसिद्ध उदाहरण भी आपने दिया है। जबतक रूस के जार की सत्ता थी, वह करीब-करीब अनियंत्रित दीख पड़ती थी। प्रो० विल्सन के मतानुसार उसकी भी नींव जनता ही थी। “जार को व्यक्तिगत शक्ति कोई भारी शक्ति नहीं थी। वह वहाँके धर्म का सर्वोच्च अधिकारी था। वह राष्ट्र का और उसके इतिहास का और उसके विकास का पवित्र प्रतिनिधि था। उसकी शक्ति की जड़ें लोगों के मनों में भीतर घुसी हुई थीं।” जब वे जड़ें शिथिल होगईं, तो जारशाही का नामोनिशान न रहा। अपने विचार को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि “राष्ट्र की आदत ही कानून-निर्माता का असली मसाला है और उसकी वही मर्यादा है। वे खूब कड़ी और भयानक वस्तु हैं। यदि

वह उनका निररकार करेगा, तो वे अपना आदर कराने को जरूर जोर देगी। और अगर वह उनपर किसी प्रकार जबरदस्ती (दमन) करेगा, तो वे (बास्टू गोलियों के सहारे) भयकर जोर से फूटेंगी और उसका मत्त्यानाश कर देगी। राज्य-प्रभुता उसके हाथ में नहीं, वह समाज के हाथ में है। कायदे की दृष्टि से राज्य-प्रभुता का अस्तित्व है समाज की सकल्पशक्ति में, फिर वह चाहे चुपचाप रहे या जोर दिखलावे और राजकीय भगडों का क्षेत्र तैयार करे। राजा या पार्लमेण्ट उसके केवल साधन हैं, वे कोई बात उम्मी की प्रेरणा से कहते हैं, वास्तव में राज्य-प्रभुता का निवास समाज में है।”

विल्सन के इस लम्बे उद्धरण के बाद जनता के शासन-अधिकार के सम्बन्ध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब्राहम लिंकन के “Government of the people, by the people for the sake of people” या “by all for all” के सिद्धान्त का भी यही अर्थ है।

हेराल्ड लास्की लिखते हैं कि “नियम या कानून केवल आज्ञा ही नहीं देते हैं। वे तो नागरिकों की इच्छाओं की पूर्ति के साधन हैं। सब नागरिक खुद या अपने प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर इस बात का फैसला करते हैं कि उनकी इच्छाओं और जरूरतों को किस तरह ज्यादा-से-ज्यादा पूरा किया जा सकता है। इच्छापूर्ति के ये साधन ही कानून हैं। नागरिक अपनी सामूहिक इच्छा से विरुद्ध नियम का पालन न करना चाहे तो उनपर कोई रोक नहीं लगा सकता। उनकी समझ ठीक हो या गलत, उन्हें अपनी समझ के अनुसार चलने का अधिकार है, तभी वह स्वतंत्र रह सकता है। दूसरे का नियंत्रण मानना ही पराधीनता है। दूसरे शब्दों में कानून आज्ञा नहीं है, वह

एक प्रार्थना है, जो नागरिक परस्पर मिलकर एक-दूसरे से करते हैं।”

जब राज्य की हद्द एक या दो-तीन नगरों तक ही सीमित होती थी, तब प्रत्येक नागरिक का शासन-कार्य में भाग लेना मुमकिन था। ग्रीस के नगर-राज्यों में यही होता था। लेकिन जैसे-जैसे राज्य का दायरा फैलना गया, प्रत्येक व्यक्ति का उसमें भाग लेना मुश्किल होता गया। इसलिए प्रतिनिधितन्त्र का तरीका निकला। इसके अनुसार जनता एक नियत समय के लिए शासन-कार्य में भाग लेने का अधिकार अपने विश्वस्त प्रतिनिधियों को सौंप देती है। ये प्रतिनिधि असल में लोकमत के ही वाहन हैं और जब कभी इन प्रतिनिधियों ने सारी शासनसत्ता हाथ में लेने की कोशिश की, तभी जनता ने उन्हें गिरा दिया। प्रतिनिधियों के अधिकारों को नियंत्रित करने के भी अनेक प्रयत्न किये गये हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव सात वर्ष से पाँच वर्ष कर दिया गया, और अनेक देशों में तीन-तीन वर्ष के बाद चुनाव होता है। इससे जनता को अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपना मत प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है और जो उम्मीदवार उनके विचार के अनुसार कार्य करने का वचन देता है, उसीको वे चुनते हैं। स्वीजरलैण्ड आदि देशों में ‘रेफरेण्डम’, ‘इनीशियेटिव’,

१ रेफरेण्डम—अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर पूर्ण विश्वास न रखने के कारण इस प्रथा को जन्म दिया गया है। इसके अनुसार प्रतिनिधिसभा में पेश होनेवाले प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न पर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का मत जानना चाहिए। प्रतिनिधि-सभा के निर्णय पर जनमत की स्वीकृति आवश्यक है। इससे जनता के कंधों पर शासन की सीधी जिम्मेदारी पड़ती है। राष्ट्र की समस्त जनता ही असेम्बली हो जाती है।

२ इनीशियेटिव—जनता या मतदाताओं का एक बड़ा भाग किसी प्रस्ताव पर दस्तखत करके उसे नियम बनाने के लिए खुद पेश करता

‘रिकाल’ और ‘प्लीबिसाइट’ की प्रथाये प्रतिनिधियों पर अपना पूर्ण नियंत्रण कायम करने और शासन में अपना भाग अधिकाधिक रखने के लिए आविष्कृत हुई हैं। इन सब पद्धतियों के अपने-अपने गुण और दोष हैं, लेकिन इतने विस्तृत और गम्भीर विवेचन की हमें जरूरत नहीं।

प्रतिनिधितन्त्र में जनता अपने मताधिकार द्वारा ही शासन व नीति बनाने में भाग ले सकती है और यह मताधिकार हरेक नागरिक को बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के मिलना चाहिए। यदि किसी श्रेणी या वर्ग को हम इसमें वंचित रखते हैं, तो उनके प्रतिनिधि न होने के कारण उनके हित की हानि हो सकती है। आजकल यद्यपि अनेक देशों में सब नागरिकों को वोट देने का हक मिला हुआ है, फिर भी बहुत-से देशों में यह हक सबको नहीं है। हमारे यहाँ ही तुम देखोगे कि प्रान्तीय असेम्बलियों में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सब वालिग व्यक्तियों को नहीं है। यहाँ मताधिकार की योग्यता का मुख्य आधार अभीतक (नये १९३५ के शासनविधान के अनुसार भी) सम्पत्ति है जैसे मालगुजारी देना,

है। अगर बहुमत ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो वह कानून बन जाता है।

१ रिकाल—एक निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाताओं का विश्वास जब अपने प्रतिनिधि पर न रहे, तब वे उसे वापस बुला सकते हैं।

२ प्लीबिसाइट—सरकार की नीति का समर्थन या विरोध करने के लिए प्रत्येक नागरिक से मत लिया जाता है। अभी कुछ समय पहले हर हिटलर ने आस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने पर जर्मनी और आस्ट्रिया के सारे निवासियों से जो मत लिया वह, प्लीबिसाइट ही था।

लगान देना, इन्कमटैक्स देना और शहरो मे मकानों का किराया (भाडा) देना । इनके अलावा शिक्षासम्बन्धी योग्यता के आधार पर भी मताधिकार दिया गया है । स्त्रियों और हरिजनों के सम्बन्ध मे कुछ ढील की गई है । लेजिस्लेटिव कौंसिलों के चुनाव मे तो मताधिकार की योग्यता बहुत ऊँची रखी गई है । असेम्बलियों और कौंसिलों मे ही नहीं, म्यूनिसिपल कमेटियों और जिला बोर्डों तक मे हमारे यहाँ सबको प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया । यह बहुत बड़ी कमी है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है । किसी नागरिक को पैसे की कमी की वजह से वोट देने का हक न देना कितना बडा अन्याय है । आजकल समाज का जिस प्रकार का दूषित आर्थिक संगठन है, उसमे बहुत-से आदमियों का गरीब रहना स्वाभाविक है । केवल अमीर ही राष्ट्र की सेवा नहीं करता, गरीब भी तो राष्ट्र का अङ्ग है और कई प्रकार से—मिहनत आदि करके—राष्ट्र की सेवा करता है । आज भी सेना मे जो लोग भरती होते है, उनमे से ज्यादातर गरीब होते हैं । मतः एक व्यक्ति को केवल गरीब होने की वजह से ही हम समाज का अग मानने से इन्कार नहीं कर सकते । समाज के हरेक अग को समाज के विकास मे और खासकर अपने ऊपर लागू होनेवाले कानूनों के बनाने का हक होना ही चाहिए, नहीं तो वे कानून उसपर जबर-दस्ती लादे गये वधन से कम न होंगे । किसीने ठीक ही कहा है कि हरेक वालिग व्यक्ति अपना हित समझने की योग्यता रखता है ।

इसी तरह शिक्षा को भी मताधिकार की योग्यता नहीं बनाया जा सकता । शिक्षा को योग्यता बनाने के सम्बन्ध मे सबसे बड़ी दलील यह दी जा सकती है कि अनपढ आदमी देश की समस्याओं को नहीं समझ सकते और न अपने मताधिकार का उपयोग ही ठीक

कर सकते हैं। लेकिन यह भ्रम है। किसीको पाँचवीं या आठवीं जमात तक पढ़ लेने भर में राजनैतिक ज्ञान नहीं आ जाता। तुम अपने ही गाँव में देखोगे कि बहुत-से बूढ़े ग्रामवासी निरक्षर भले ही हों, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। बातचीत में और पंचायतों में उनकी समझदारी और बुद्धिमत्ता का अच्छा परिचय मिलता है। हमारे गाँवों की बियाँ भी निरक्षर भले ही हों, लेकिन सैकड़ों सालों में आनेवाली प्रथाओं और रामायण, महाभारत आदि की वीमियों ज्ञानभरी कृतानियों के सुनने से उन्हें धर्म, कर्म और अपने व्यवहार का विशेष ज्ञान होता है। अनपढ़ लोगों की पंचायतों के फैसले अक्सर अड़ालती फेंमलों से कहीं ज्यादा ठीक होते हैं। फिर एक बात और। चुनाव के कारण वोट देनेवालों को राजनैतिक शिक्षा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। चुनाव में खड़ी होनेवाली राजनैतिक पार्टियाँ मतदाताओं को अपने-अपने विचारों और सिद्धान्तों की खूब अच्छी शिक्षा देती हैं।

मताधिकार का प्रश्न राजनीतिशास्त्र में बहुत ज्यादा महत्त्व रखता है। इसपर और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है और कुछ खास सवालों पर तो, जिनका जिक्र इस पत्र में नहीं कर पाया, मैं खासतौर से लिखना चाहता हूँ। लेकिन अब आज यही तक। बाकी अगली चिट्ठी में।

मताधिकार

१५-६-३८

प्रजा अपने देश के शासन में भाग ले सके, इसका सबसे सरल और चालू तरीका यह है कि उसे कानून बनाने और शासन करने-वाली सभा के सदस्यों का चुनाव करने—वोट देने का हक हासिल हो। पिछले पत्र में मैं बता चुका हूँ कि वोट देने के लिए किसी नागरिक पर सम्पत्ति या शिक्षा की कौद नहीं लगानी चाहिए। इसी सवाल पर आज कुछ और विचार करने की इच्छा है।

वहुत-से देशों में सब जातियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। इतिहास इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है। अछूतों, विधर्मियों और पराजितों को ज्यादातर देशों में शासन में भाग लेने का अधिकार हासिल न था, पर जब हमने यह मान लिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने देश का एक अंग है, तो उसे समान अधिकार भी मिलना ही चाहिए। छोटी-छोटी जातियाँ, धर्म या श्रेणियाँ भी नागरिक-अधिकारों से वंचित क्यों रखी जायँ ? उन्हें भी मानव-समाज का एक सदस्य होने की हैसियत से सरकार या समाज के सब लाभ उठाने का अधिकार है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके रीति-रिवाज और धर्म आदि की रक्षा तभी हो सकती है, जब हम उन्हें भी बराबरी का दर्जा देकर उन्हें वोट देने का अधिकार दें। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का एक मुख्य सिद्धान्त है (No taxation without representation) जबतक शासन में प्रतिनिधित्व न हो, तबतक

सरकार को भी टैक्स नहीं देना चाहिए। मनुष्य को स्वतंत्र मान लेने पर हम किसीको बाधित नहीं कर सकते, लेकिन जब वह सम्झौते के क्षेत्र में आजाता है, राज्य से होनेवाली सुविधायें प्राप्त करता है, तब उसके वन्दनों को भी मानता है, और जब बन्दन मानता है, तब अपने लिए सुविधायें भी जरूर चाहेगा। इसीलिए राष्ट्र के छोटे-से-छोटे अंग को भी अपने अधिकार में बचित नहीं रख सकते। शासन में भाग न होने हुए भी टैक्स देने का अर्थ है गुलामी। अल्पसंख्यक जातियों की समस्या का भी यही हल है। उन्हें भी राज्य-शासन में भाग लेने का पूरा मौक़ा मिलना चाहिए। बहुमत अल्पमत को दबा न ले, इसका भी प्रायः प्रत्येक सभ्य राष्ट्र में ध्यान रखा जाता है। अल्पमत वाली जातियों को कुछ विशेष गारण्टी दी जाती है। 'बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रिया, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लेवाकिया आदि में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रथा प्रचलित है। राष्ट्रसंघ ने भी इसके बारे में कुछ नियम बनाये हैं। हमारी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस ने भी अल्पसंख्यक जातियों के कुछ मौलिक अधिकार स्वीकृत कर उन्हें गारण्टी दी है कि उनके नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया जायगा। राष्ट्रसंघ व कांग्रेस के प्रस्ताव इस पत्र के साथ अलग से देता हूँ। (देखो परिशिष्ट)

स्त्रियों को मताधिकार मिलना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न भले ही आज विवादकोटि से बाहर निकल गया हो, लेकिन कुछ वर्ष पहले यह बात न थी। यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न था। स्त्रियों ने अपने अधि-

१ अब तो आस्ट्रिया का अस्तित्व ही नहीं रहा, वह हर हिटलर की कूटनीति और अन्य यूरोपियन राष्ट्रों की नपुंसकता में जर्मनी में मिला लिया गया है।

कारों की प्राप्ति के लिए बड़े-बड़े संघर्ष किये। इंग्लैण्ड में तो उन्होंने बड़े-बड़े प्रदर्शन किये, पार्लमेण्ट की खिडकियों के शीशे आदि तक तोड़ डाले। बड़ी लम्बी जद्दोजहद् के बाद उन्हें १६१८ में यह मताधिकार मिला, यद्यपि नार्वे, डेनमार्क और हालण्ड में स्त्रियों को यह अधिकार पहले से प्राप्त था। आश्चर्य की बात यह है कि इंग्लैण्ड में स्त्रियाँ राजगद्दी पर बैठ सकती थीं, लेकिन फिर भी उन्हें मताधिकार देने की बात अग्रेजों की समझ में बहुत समय बाद आई। फ्रांस की क्रान्तिकारिणी नेशनल असेम्बली ने भी १७८६ ई० में स्त्रियों के प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत कर दिया था। पर अब जमाना बदल गया है। अमेरिका ने १६१६ में स्त्रियों को यह अधिकार दिया। युद्ध के बाद तो प्रायः सभी देशों में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी यह अधिकार मिल चुका है।

प्रसिद्ध अग्रेज विद्वान् जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्त्रियों के राजनैतिक और नागरिक अधिकारों के लिए खूब प्रचार किया है। मिल की युक्तियों का सारांश यह था कि अच्छे शासन की जरूरत पुरुषों को ही नहीं, स्त्रियों को भी है। जब स्त्रियों को सम्पत्ति रखने का अधिकार है, जब वे टैक्स अदा करती हैं, जब वे सरकार तक चला सकती हैं, तब वे सिर्फ मताधिकार ही क्यों नहीं प्राप्त कर सकतीं? सरकार में स्त्रियों का भाग न होने का परिणाम यह हुआ कि पुरुष-समाज स्त्रियों के हित को भूलकर सदा ऐसे ही कानून बनाता रहा है, जो पुरुषों के अनुकूल हों। यह सच भी है। तुम स्वयं देखोगे कि हमारे प्राचीन पुरुष स्मृतिकारों तक ने स्त्रियों के अधिकारों की बड़ी उपेक्षा की है। पतिव्रत धर्म का उपदेश देने में ही स्मृतिकारों ने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी है, लेकिन पत्नीव्रत का उपदेश कहीं नहीं मिलता।

पुरुषों को बहुविवाह का पूर्ण अधिकार दिया गया है, जबकि एक बाल-विधवा को उमर-भर विधवा रहने पर विवश होना पड़ता है। हिन्दू कानून में स्त्री को विरामत तक का अधिकार प्राप्त नहीं। इस्लाम में भी स्त्रियों की बहुत बुरी दशा है। और यही हालत यूरोप में भी थी। वहाँ भी पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार था। यह सब इसलिए संभव हो सका कि कानून का निर्माण और शासन पुरुष जाति के हाथ में था। लेकिन आज यह स्थिति नहीं है। आज की नारी बहुत आगे बढ़ गई है। अब वह राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं, संसार के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य का मुकाबला करने लगी है। भारत के भी बड़े-बड़े शहरों में तुम यह अपनी आँखों से देख चुके होगे।

लेकिन इसके साथ ही एक नया प्रश्न पैदा होता है, कि आखिर नारी के अधिकार क्या हों? उसका कर्तव्यक्षेत्र क्या है? मेरी अपनी राय यह है कि उसे अधिकार तो पुरुषों के से ही मिलने चाहिए। वह भी उसी परमात्मा की सृष्टि है। संसार की सभ्यता के इतिहास में—पुरुष के निर्माण में, राष्ट्रों के उत्थान और पतन में, नारी का भी वही भाग है जो पुरुष का है। स्त्री और पुरुष मिलकर एक पूर्ण व्यक्ति बनते हैं। पुरानी कहावत के अनुसार स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिये हैं। इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। दोनों को जीवन का, अपने अधिकारों की रक्षा का, समान अधिकार है। लेकिन अधिकारों की समानता का अर्थ कर्तव्य-क्षेत्र की एकता नहीं है। तुम भले ही मुझे अनुदार या पुराणपन्थी समझो, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि स्त्री और पुरुष की शरीर-रचना में भेद करके परमात्मा ने ही दोनों के कायक्षेत्र जुड़े-जुड़े बना दिये हैं। आज की नारी इसे भूल गई है। प्रसिद्ध तत्ववेत्ता

लैंकी की राय बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। वह कहता है कि “यूरोप की स्त्रियों ने अपनी सभ्यता में चाहे कितनी ही उन्नति की हो, पर उनकी वह उन्नति हमेशा पुरुषोचित रही है। स्त्रियोचित गुणों का—प्रेम, विश्वास, लज्जा, दया, सहानुभूति आदि का—पूर्ण विकास यहाँ की सभ्यता में नहीं हुआ है। इस कारण हम उसी समय का सबसे ज्यादा स्वागत करेंगे, जब यहाँ की स्त्रियाँ स्त्रियोचित गुणों में पूर्ण विकास करके आजादी हासिल करेगी। यूरोप को अब पौरुषीय सभ्यता की विलकुल जरूरत नहीं है। वह युद्ध, राजनैतिक घात-प्रतिघात और सकीर्ण जातीयता से बहुत घबरा गया है। अब वह पूर्ण शक्ति, जो केवल स्त्रियोचित गुणों के विकास से ही प्राप्त हो सकती है, चाहता है।”

देश या समाज के सभी अंगों के शासन में भाग लेने का एक बड़ा भारी परिणाम यह होता है कि सभी में राष्ट्रीय या सामाजिक संगठन के प्रति अपनापन पैदा होजाता है। सब सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसका काम ठीक तरह से चलाने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा सहयोग देते हैं। हिन्दुस्तान में मताधिकार की योग्यता बहुत ऊँची रखी गई है। इस कारण बहुत कम लोग देश के शासन में भाग ले सकते हैं। प्रान्तीय असेम्बलियों में मत-दानों का अनुपात १५ फी सदी है। म्यूनिसिपल कमेटियों और जिला बोर्डों तक में सामाजिक योग्यता को आधार माना गया है। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेट्री में ३६) २० सालाना से कम किराया देनेवाला वोट देने का हकदार नहीं हो सकता। कितना अंधेरे हैं। अपने नगर तरु के इन्तजाम में लाखों दिल्ली-निवासियों का कोई हाथ नहीं।

वालिया-मताधिकार के सिलसिले में तुम एक सवाल कर सकते हो, कि क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता ? हाँ, क्यों नहीं ? आज-

कल के जो चुनाव हो रहे हैं, उनकी असलियत में तुम भी अपरिचित नहीं हो। पार्टीचन्द्री, भूठे प्रचार और रुपये के जोर में चुनाव के परिणाम तक बढ़ले जा सकने हैं। १९२५ में इंग्लैंड के अनुदारदल ने जिनोवीफ का भूठा पत्र' छापकर ही मजदूर दल को हराया था। स्थानीय म्यूनिसिपल चुनावों में रुपये के जोर में कितने नालायक और स्वार्थी आदमी हमारे 'नगरपिता' बन जाते हैं, यह भी तुममें छिपा नहीं है। तुम कह सकने हो कि यह वालिग-मताधिकार का परिणाम है। नहीं, ये सब बातें वहाँ होती हैं, जहाँ जनता नागरिक अधिकारों के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों की चिन्ता नहीं करती।

सभी जगहों और सभी मौकों पर प्रजातन्त्र का—जनता का प्रबन्ध आदि में भाग लेने का सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे नाजुक मौके आते हैं, जब प्रजातन्त्र या वालिग-मताधिकार तब पर रख देना पड़ता है, युद्ध के समान सेना की सारी वागडोर प्रधान सेनापति के हाथ में सौंप देनी पड़ती है। वहाँ अलग-अलग सैनिक की सलाह लेना खतरनाक होता है। इटली, जर्मनी, टर्की आदि देशों में वहाँके तानाशाहों ने ही सारे अधिकार अपने हाथों में लेकर अपने-अपने देशों को कहीं-से-कहीं पहुँचा दिया। हमारी कांग्रेस ने भी १९३० और १९३२ में सत्याग्रह-संग्राम में डिक्टेटरशिप की प्रथा को मजूर किया था और इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रों

१ अनुदार पार्टी ने प्रसिद्ध रूसी अधिकारी जिनोवीफ का ब्रिटेन-स्थित रूसियों के नाम इस आशय का एक कल्पित पत्र प्रकाशित किया था कि आप रूसियों को शाबास हैं कि ब्रिटेन की मजदूरपार्टी के साथ मिलकर ब्रिटेन में राजतंत्र की समाप्ति और सोवियट की स्थापना के पडयत्र में लगे हो। इसका प्रभाव यह हुआ कि मजदूर दल हार गया।

की सफलता का श्रेय इस डिप्टेटरशिप को भी दिया जाना चाहिए ।

पर ये सब अपवाद हैं । इनसे यह साबित नहीं होता कि नागरिकों का अपने गाँव, नगर या देश के शासन में कोई भाग नहीं है या उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नष्ट होगया है । हाँ, नावालिग, पागल और विदेशी लोगों को यह अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि जहाँ नावालिग और पागल देश की समस्या नहीं समझ सकते, वहाँ विदेशी कभी देश के हित और अपने हित को एक नहीं कर सकते । उनकी दृष्टि अपने देश के हित पर ही जायगी । उनके सम्बन्ध में जुदे-जुदे देशों में जुदे-जुदे नियम हैं । रूस और टर्की में १६ साल की उम्र में मताधिकार है तो जर्मनी और स्वीजरलैण्ड में २०, अमेरिका व ब्रिटेन में २१, नार्वे में २३ और डैनिमार्क व जापान में २५ साल की उम्र में यह अधिकार प्राप्त है ।

मताधिकार की तह में एक असूल काम करता है, और वह यह कि जनता अपना शासन स्वयं कर सके । प्रजातन्त्र या प्रतिनिधितन्त्र में ये चार बातें दीखती हैं—(१) कानून बनाने में प्रतिनिधियों की सम्मति ली जाती है, (२) उनकी सम्मति के बिना कर के रूप में एक भी पाई न वसूल की जाती है और न खर्च की जाती है, (३) राज्य-प्रबन्ध करनेवाले मंत्री भी इन्हीं में से चुने जाते हैं और (४) प्रतिनिधि समय-समय पर सरकार के कामों की आलोचना करते हैं । मताधिकार इन्हीं बातों का एक लक्षण मात्र है । शासन के सभी विभागों में जनता का खुला प्रवेश होना चाहिए । सरकारी नौकरियों के पद सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले रहने चाहिए, जिन्हें परीक्षा या किसी अन्य कसौटी द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध करके वे प्राप्त कर सकें ।

भारत में बहुत-से पद गोरों के लिए सुरक्षित हैं। यह नागरिक अधिकारों के सिद्धान्त के विरुद्ध है। बहुत-से पदों पर हरिजनों, मुसलमानों या हिन्दुओं को उनकी जाति या धर्म के नाते रखा जाना है, न कि योग्यता के आधार पर। यह ठीक नहीं है। साम्प्रदायिक दृष्टि से प्रतिनिधि-सभाओं की जगहों या नौकरियों का बंटवारा बहुत अराष्ट्रीय और नुकसानदेह है। इसकी सबसे बड़ी हानि यह है कि देश में अपने-अपने सम्प्रदाय और जाति के हित को देश के हित में ऊपर समझने की खतरनाक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है।

मत लेने के सम्बन्ध में एक बात और। मत हमेशा गुप्त रीति से लेने चाहिए। कोई उम्मीदवार किसीपर कोई नाजायज दबाव न डाल सके, इसका सबसे बढ़िया तरीका पंचियों द्वारा अकेले कमरे में वोट लेना है, जहाँ किसीको मालूम न हो कि वोट किसे दिया गया है। अनुचित दबाव के कारण दिया गया वोट कोई अर्थ ही नहीं रखता, क्योंकि इससे मताधिकार का प्रयोजन पूरा नहीं होता। मतदाताओं को यह निश्चय रहना चाहिए कि उनके अपनी मरजी के मुताबिक वोट देने से कोई जमींदार, मिलमालिक, सरकारी अफसर या कोई प्रभावशाली मनुष्य उन्हें सता न सकेगा।

मेरा यह पत्र आज काफी लम्बा होगया, इसलिए इसे अब यहीं खतम करता हूँ। मैं जो कहना चाहता था, शायद सभी लिख दिया है। यह ठीक है कि इसमें अनेक ऐसे विवादास्पद विषय आ गये हैं, जिनपर विस्तार से विचार करने की जरूरत है, लेकिन नागरिक शास्त्र से उनका जितना सम्बन्ध था, उतना लिख ही दिया है।

धार्मिक स्वतन्त्रता

२०-६-३८

मैं जब कभी संसार के इतिहास की कोई पुस्तक पढ़ने लगता हूँ, तो मेरे दिल में कई तरह के विचार पैदा होते हैं। यह दुनिया सैकड़ों, हजारों और लाखों विचित्र और अद्भुत घटनाओं का रङ्ग-मंच है। ये घटनाएँ किसी एक देश में नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग भागों में—सभी कोनों में और सभी कालों में हुई हैं, लेकिन उनमें कितनी ही आश्चर्यजनक समानताएँ भी हैं। उनमें से एक समानता यह है कि मनुष्य ने अपने धर्म को दूसरे पर लादने के लिए भीषण अत्याचार किया है। पिछले दो हजार बरसों का इतिहास पढ़ लो। भारत का, अरब या फारस का, फ्रांस, जर्मनी, रोम, इंग्लैण्ड या स्पेन का, सभी देशों का इतिहास इस बात का साक्षी है। कुछ ऐतिहासिकों का अनुमान है कि राजनैतिक या आर्थिक युद्धों में इतने मनुष्यों का नाश नहीं हुआ, जितना धर्म के नाम पर—उस धर्म के नाम पर, जो दुनिया को शान्ति और कल्याण का उपदेश देता है—हुआ है। ऐसे भी विद्वान् हैं, जो सभी ऐतिहासिक घटनाओं की आर्थिक व्याख्या करते हुए उसके मूल में आर्थिक कारण खोजते हैं, लेकिन वे भी धर्म के महत्त्वपूर्ण स्थान को कम नहीं कर सके। बौद्धों और हिन्दुओं के अत्याचारों की बात शायद लोग भूल गये हों, लेकिन हिन्दुस्तान में मुसलमानों ने हिन्दुओं पर जिन अत्याचार किये हैं, उन्हें तो हर एक पढ़ा-लिखा भारतीय जानता है। लाखों हिन्दू

मुसलमान बना लिये गये, और हजारों मन्दिर भूमिसात कर दिये गये। लेकिन इसमें ज्यादा अत्याचार मुसलमानों ने यूरोप में किये। यूरोपियन ईसाइयों के अत्याचार तो अन्य सब धर्मों के अत्याचारों को मात कर देते हैं। पोप ने जिस 'इन्कजिजन' की भीषण प्रथा का आविष्कार किया था, उसका इतिहास आज भी उतना ही रोमाचकारी दीखता है। हजारों और लाखों आदमी महज इसलिए जिन्दा जला दिये जाते थे कि वे चर्च के धार्मिक मिष्ठान्तों को हृदय नहीं मानते थे। फ्रांस की स्वतन्त्रता की देवी 'जीन द आर्क' तक इसी धर्म के नाम पर जिन्दा जला दी गई थी। ग्रीस के महात्मा सुकरात को, जो जोन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में "सबसे अधिक नीतिवान और धर्मात्मा था, जो अपने वाद होनेवाले सभी पुरुषों के लिए एक आदर्शरूप था, जिसकी विमल कीर्ति अबतक बराबर बढ़ती ही जाती है, उसी विश्ववन्द्य और पवित्र अन्तःकरण वाले पुरुष" को, अधार्मिकता के नाम पर जहर का प्याला दिया गया। उसका एकमात्र अपराध यह था कि सारा देश जिन देवताओं की पूजा करता था, उनपर उसका विश्वास न था। ससार को शान्ति देनेवाले हजरत ईसा तक धर्म के नाम पर सूली पर लटका दिये गये थे। धर्म के नाम पर संसार में जो अत्याचार और हत्याकाण्ड हुए हैं, वे दिल दहला देने वाले हैं। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह सारी हिंसा और सारा अत्याचार ईमानदारों के साथ किया गया था, किसी जाती फायदे के लिए नहीं। ये सारे रोमाचकारी कृत्य इस दृढ़ विश्वास से किये जाते थे कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, और जिस आदमी को जिन्दा जला रहे हैं, उसके पाप नष्ट कर रहे हैं और उसकी आत्मा को बचा रहे हैं। और दरअसल देखा जाय तो जिन

लोगों ने ऐसे-ऐसे अत्याचार किये, वे व्यक्तिगत रूप से अत्याचारी भी न थे। साधारण मनुष्यों से किसी कदर अच्छे ही थे, धर्म और नीति का ज्ञान भी उन्हें पर्याप्त था। तब इस प्रकार की घटनाओं का क्या कारण है ?

इसका कारण लोगों का वह अभिमानपूर्ण अन्धविश्वास है, जिसकी वजह से वे अपना व अपने धर्म का तनिक भी विरोध नहीं सह सकते। दुनिया में इस प्रकार के जितने भी पाप, हत्या व खून-खच्चर हुए हैं, वे किसी खास आदमी की क्रूरता या दुष्टता के परिणाम नहीं हैं, बल्कि एक भयंकर सिद्धान्त के परिणाम हैं। इसके दोषी उस समय के सिद्धान्त नहीं हैं, बल्कि वही विश्वास है जो उस समय भी प्रचलित था और आज भी प्रचलित है। यह विश्वास है मनुष्य का अपने धर्म व अपने विचार को सोलह आने सच मानना और दूसरे के धर्म व विचार को असत्य मानकर उसपर अपना धर्म लादने में परोपकार व धर्म समझना।

यह कितने आश्चर्य की बात है कि धर्म को लेकर हरेक मनुष्य अपनेको पूरी सच्चाई पर मानने लगता है, यद्यपि जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार “किसीका किसी धर्म को मानना बिलकुल आकस्मिक घटना है। आज एक आदमी ईसाई के घर पैदा होगया या मुसलमान या हिन्दू के घर तो वह उन-उन घरों में पैदा होने मात्र से ईसाई, मुसलमान या हिन्दू होगया। यदि वह मुसलमान के घर पैदा न होकर हिन्दू के घर पैदा होता, तो उसकी राय में कुरान भूठों का पुलिन्दा होता, पर अब वह कुरान को ही एकमात्र सत्यग्रन्थ मानकर उसे न माननेवालों के गले काटने पर उतारू है। इसी तरह एक मुसलमान भी अपनेको निर्भ्रान्त मानता है और एक ईसाई भी, लेकिन दोनों के धर्म

विलकुल विपरीत है। दोनों ही एक-दूसरे के विचार, विवेचना, आलोचना तकरीर या वहस विलकुल ही वन्द करना चाहते हैं और इस तरह अपने को विलकुल ठीक, सही और अपनी बुद्धि को विलकुल अम्वलित मानने का दावा करते हैं।" आमतौर पर मनुष्य रोजमर्रा के व्यवहार में निर्भ्रान्त होने का दावा नहीं करता, लेकिन धर्म और संस्कृति के संबंध में वह अपने देश, जाति या पन्थ को ही सत्य मानकर दूसरे देश, जाति या पन्थ की बात को एकदम गलत कह देता है। उसके मन में यह बात कभी नहीं आती कि किसी एक जाति या पन्थ के मत पर विश्वास करना सिर्फ एक आकस्मिक घटना है। अपने उस 'सीमित ससार' में पैदा होने या रहने के कारण ही वह उसकी सम्मति पर विश्वास करता है। वह अपने सीमित ससार की राय को सारी दुनिया की राय मानता है। वह यह नहीं सोचता कि जिन कारणों से लन्दन में वह ईसाई हुआ, उन्हीं कारणों से पेकिंग में वह बौद्ध या कन्फ़ुशियन धर्म का अनुयायी होता।

एक बात और। एक आदमी से जैसे गलती हो सकती है, वैसे ही एक युग, एक पुस्तक या एक पीढ़ी से भी भूल हो सकती है। मिल कहना है कि "यह बात स्वयं सिद्ध है और आवश्यकता होने पर युक्तियों से सिद्ध भी की जा सकती है। हर युग या पुस्तक के बहुत-से मत ऐसे थे, जो अगली पुस्तक के लोगों को भ्रान्तिमूलक या भूठे ही नहीं, बल्कि असङ्गत, बुद्धि-विरुद्ध और अनर्थकारी मालूम हुए। इतिहास इस बात का साक्षी है, और यह भी सच है कि पहले जमाने की बहुत-सी बातें जैसे इस समय कोई नहीं मानता, वैसे ही इस समय जो बहुत-सी बातें सबको मान्य हैं, वे आगे न मानी जायँगी।"

किसी ने विलकुल ठीक कहा है :-

श्रुतयोऽपि भिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना
 नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम् ।
 धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया,
 महाजनो येन गत स पन्था ।

श्रुति स्मृति सरीखे सभी धर्मशास्त्र परस्पर भिन्न-विचार प्रकट करते हैं। इसलिए एक भी मुनि ऐसा नहीं, जिसकी बात प्रमाण मानी जा सके। असल में धर्म का तत्त्व बहुत गहन है। साधारण मनुष्य को महापुरुषों के जीवन का ही अनुकरण करना चाहिए।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हरेक आदमी अपने धर्म या सस्कृति को मानने में स्वतन्त्र रहे। किसीपर अपना धर्म या सस्कृति लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं—“सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा मुश्किल है और मैं इसकी परिभाषा करने की कोशिश करूँगा भी नहीं। लेकिन संस्कृति के अन्दर पाई जानेवाले अनेक बातों में से निस्सन्देह एक चीज यह भी है—अपने ऊपर संयम और दूसरों की सुविधा का लिहाज। अगर किसी आदमी में अपने अन्दर संयम नहीं पाया जाता और वह दूसरों की सुविधा का कोई खयाल नहीं करता, तो हम यह निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं कि वह आदमी असभ्य और वदतमीज है।”

मनुष्य की सभ्यता यह है कि वह भले ही अपने धर्म पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखे, लेकिन वह अपने धर्म को दूसरे के सिर पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश न करे। प्रत्येक को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतन्त्रता रहे, किसीके प्रचार-मार्ग में बाधा न डाली जाय। तुम एक वार खयाल तो करो कि यदि दूसरे का विचार सुनने पर विलकुल ही पावन्दी रहती तो भगवान बुद्ध अपने कल्याण-

कारी उपदेशों का प्रचार कैसे कर पाते ? स्वामी दयानन्द को मुह खोलने की आज्ञा न होती तो वह हिन्दुस्तान की भीषण बुराइयों को कैसे दूर करा सकते ? स्व० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर कैसे विधवाविवाह के लिए आन्दोलन करके विधवाओं को भयकर अत्याचारों से बचा पाने ? यदि चाल विचारों के विरुद्ध आवाज न उठाने दी जाती तो चीन की नारी जाति पर मद्रियों से लोहे की जूती पहनने का जो यन्त्रणामय अत्याचार हो रहा था, उसमें उमे केंमे मुक्ति मिलती ? भारत में स्त्रियों और शूद्रों से पहने का जो कुदरती अधिकार छीन लिया गया था, वह उन्हें कैसे हा मिल होता ? या कोई भी लाभकारी राजनैतिक और सामाजिक आन्दोलन कैसे सफल होता ?

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता

२२-६-३८

प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म व रीति-रिवाजों को मानने और उनका अपने साथियों या देशभाइयों में प्रचार करने में आजाद है—यह सचाई वैसे तो दुनिया के हरेक आदमी के लिए माननीय है, पर हिन्दुस्तान के लिए तो, जहाँ सैकड़ों मत-मतान्तर हैं और भिन्न-भिन्न परस्परविरोधी धर्म हैं, इस सत्य को समझने की और भी ज्यादा जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। प्रत्येक सरकार का फर्ज है कि वह अपनी प्रजा के इस अधिकार की रक्षा करे। किसी खास धर्म को मानने के कारण किसीको खास अधिकार न दिया जाय और न किसी धर्म-विशेष को मानने के कारण किसी से कोई अधिकार छीना जाय। मुसलमानों का हिन्दुओं पर जजिया कर लगाना, यूरोप के जुदे-जुदे देशों में कैथलिकों या प्रोटेस्टेण्टों से विशेष पक्षपात या जर्मनी में यहूदियों के नागरिक अधिकार छीनना आदि मनुष्य के भूठे अभिमान के उदाहरण हैं। यहाँ मनुष्य अपनेको या अपने धर्म को विलकुल सच्चा मान लेता है। आज भी भारत में धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरणों की कमी नहीं है। हिन्दू मुसलमानों पर यह जोर डालते हैं कि वे गोवध न करें, पीपल न काटें और मुसलमान उनपर बाजा न बजाने की जबरदस्ती करते हैं। यह सब क्या है, दूसरे की धार्मिक स्वाधीनता छीनना ही तो है। सरकार का फर्ज है कि वह सब धर्मों

या जातियों के धार्मिक समारोह मनाने के अधिकार की रक्षा करें।

भारतवर्ष की समस्या केवल जुद्ध-जुदा धर्मों तक ही सीमित नहीं है। वैदिक या प्राचीन काल में, जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ, समाज का संगठन समाज के हित को ध्यान में रखकर किया गया था। लेकिन पीछे एक समय आया, जबकि समाज व्यक्ति पर हावी हो गया। यह भारत का पतनकाल था। इन काल में यहाँ व्यक्तिगत स्वाधीनता इस दुरी तरह से कुचली गई कि समाज का बहुत बड़ा भाग व्यक्तिगत बातों में भी आजाद नहीं रह सका है। हिन्दू-समाज की रुढ़िप्रियता, अन्ध-विश्वास और अनुदारता के कारण ही जात-पाँत और छूत-छात के कठोर बंधन बनाये गये। अपने आप तो उच्च-वर्ण के पुरुष-समाज ने सब सुविधाएँ ले लीं, लेकिन दूसरे को वे सामाजिक स्वतंत्रताएँ देने से इन्कार कर दिया। 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम्' में यही रहस्य है। स्त्रियों और दलितवर्ग को शिक्षा तक के अधिकार से वंचित कर दिया गया। कितना भीषण अनर्थ है। शूद्र यदि वेद के मंत्र सुन ले, तो उसके कानों में गरम तेल तक डालने का फनवा हमारे यहाँ दे डाला गया है। आज की इस बीसवीं सदी में भी भारत में मनुष्यों को किसी जाति में पैदा होने के कारण ही बहुत-से अधिकारों से वंचित किया जाता है। दलित व्यक्ति किसी उच्च-वर्ण कहलानेवाले को छू नहीं सकता, किसी सार्वजनिक मंदिर में जा नहीं सकता, और सार्वजनिक कुएँ पर पानी भर नहीं सकता, भले ही वह प्यासा तड़पता रहे। मद्रास में तो छुआछूत का भाव वेहद बढ़ा हुआ है। वहाँ अछूतों को बहुत-सी सड़कों तक पर चलने का अधिकार नहीं है। अगर उनकी छाया भी किसी स्वर्ण पर पड़ जाय तो उस अछूत बेचारे की तो आफत ही आजाती है। इतना ही नहीं,

वे आपस में व्यवहार करने में भी आजाद नहीं हैं। वे बहुत जगहों पर ऊन के कपड़े नहीं पहन सकते, सोने-चाँदी के गहने पहनना उनके लिए मना है, विवाह के अवसर पर वे घोड़े या हाथी पर नहीं चढ़ सकते, पालकियों में उनकी स्त्रियाँ नहीं बैठ सकतीं और वे अपने घरों में अपने मन मुताबिक पकान्न नहीं बना सकते। भारत के जुड़े-जुड़े प्रान्तों में इस प्रकार के कठोर बंधन निम्न वर्ण के मनुष्यों पर उच्च-वर्ण के लोगों ने लगा रखे हैं। समाज या राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः स्वाधीन रहना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने प्रत्येक अंग के हितों की रक्षा करे। यदि समाज दलितों के एक भाग की उपेक्षा करता है, तो यह भी निश्चित है कि वह भाग भी समाज की परवा न करेगा और अगर उसे समाज के विरुद्ध क्रान्ति या वगावत करने का मौका मिला तो वह इसमें भी नहीं चूकेगा। नागरिकों की सामाजिक स्वतन्त्रता का मतलब यह है कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक खान-पान, पहनना-ओढ़ना, रहन-सहन आदि रख सकें, अपने धार्मिक उत्सव समारोह से मना सकें, उनके विवाह-शादी, उनके बच्चों की शिक्षा, खेल-कूद तथा स्वदेश या विदेश में जाने-आने में भी राज्य या समाज की ओर से कोई अनुचित बाधा न हो। जिन चीजों के बनाने या जिन संस्थाओं को चलाने के लिए राज्य आम रिआया द्वारा दिये गये करों से खर्च करता है, उनके उपयोग में किसीको कुछ बाधा न होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या मत को माननेवाला हो या किसी जाति में पैदा हुआ हो।

मैं अभी कुछ दिन हुए, पं० जवाहरलाल नेहरू की 'विश्व-इतिहास की झलक' १ पढ़ रहा था। यह पुस्तक बहुत ही अच्छी और उपयोगी

हैं। मैं तुम्हें इसके पढ़ने की जोगों में विफारिज करूंगा। इसमें तुम्हें बहुत-सी नई और उपयोगी बातें मालूम होंगी और दुनिया का सारा इतिहास तुम्हारी आँखों के आगे खड़ा हो जायगा। इस पुस्तक में जवाहरलालजी ने हिन्दू-धर्म की उदारता और प्रगतिशीलता के सम्बन्ध में एक बात बिलकुल ठीक लिखी है—“हिन्दू-धर्म और हिन्दू-शास्त्र कई बातों में परिवर्तनशील और प्रगतिशील थे, यह बात दूसरी है कि पिछली सदियों में उनकी प्रगति बहुत धीमी रही। स्वयं हिन्दू-शास्त्र एक तरह से प्रथा या रिवाज हैं और रिवाज हमेशा बढ़ने और तरकी करने रहते हैं।” वस्तुतः हिन्दू स्मृतिकार कभी किसी बात पर इतने अधिक कट्टर नहीं रहे। उन्होंने हरेक नई उपयोगी और समयानुकूल बात को अपना लिया। यही कारण है कि अलग-अलग समयों में बनी हुई स्मृतियों में हम इतना अन्तर पाते हैं। भिन्न-भिन्न मत रखनेवाले आचार्य भी समान आदरबुद्धि से देखे गये हैं। ईश्वर से इन्कार करनेवाले कपिल तक मुनि माने गये हैं। भारतवर्ष में जो मत पैदा हुए, सभी हिन्दू-धर्म के उदार और विशाल शरीर के अंग बन गये। यहाँ तक कि बौद्ध-धर्म भी, जो हिन्दू-धर्म का विरोधी था, हिन्दू-धर्म का अंग बन गया और बुद्ध हिन्दुओं के अवतार बन गये। ऐतिहासिकों का खयाल है कि यदि इस्लाम अपनी तलवार के साथ न आता, तो वह भी व्यापक हिन्दू-धर्म का एक अंग बन जाता। महमूद गजनी के आक्रमण से पहले हिन्दू राजाओं ने इस्लाम की सहायता की, इसके कई उदाहरण मिलते हैं। पर हिन्दू-धर्म में कट्टरता कहांसे आई, इसका भी सुन्दर विवेचन पं० जवाहरलाल करते हैं। वह लिखते हैं—“ब्रिटिश सरकार ने दोनों (हिन्दू और इस्लाम) धर्मों के कट्टरपन को बढ़ाने में जानबूझ कर

और अनजान में दोनों तरह सहायता दी। वे धर्म के ऊपरी रूप की रक्षा और सहायता तक करने लगे। कट्टर लोगों की नाराजी के डर से सरकार सुधारकों के खिलाफ कट्टर लोगों का पक्ष लेने लगी, इस तरह सुधार का काम रुक गया हिन्दूशास्त्र का परिस्थितियों के अनुकूल बन सकने का यह गुण ब्रिटिश राज्य के अन्दर गायब हो गया और उसकी जगह बड़े-से-बड़े कट्टरपन्थियों की सलाह से बनाये गये कठोर शास्त्रीय नियमों ने ले ली।” यह कट्टरता ही धार्मिक या सामाजिक असहिष्णुता का मूल है।

किसी राष्ट्र के नागरिकों को जहाँ अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा प्यारी होती है, वहाँ अपनी लिपि और अपनी भाषा से भी प्यार होता है। भाषा और लिपि किसी देश या जाति की संस्कृति का एक बड़ा अंग है और इनकी रक्षा का उसे पूरा अधिकार है। एक देश की लिपि और भाषा नष्ट कर दो, उसके अन्दर आत्माभिमान व देशभक्ति की भावना भी कम होजायगी। ज्यादातर अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीयों में संस्कृत या हिन्दी पढ़े हुएों की बनिस्वत भारतीय संस्कृति से कम प्रेम होना स्वाभाविक है। इसीलिए पराधीन राष्ट्र की लिपि व भाषा को नष्ट करने का प्रयत्न शासक लोग अवश्य करते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की मैकाले-योजना का उद्देश्य ही ‘काले गोरे’ पैदा करना था। सर जान बुडरफ के शब्दों में “जो लोग दूसरी भाषा (या लिपि) के लिए अपनी भाषा (या लिपि) को छोड़ देते हैं या ऐसा करने के लिए विवश किये जाते हैं, वे अपने अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं।” राजकार्य में भी अपनी भाषा का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। भारत में प्रत्येक प्रान्त को अपनी प्रान्तीय भाषाओं की रक्षा का अधिकार है, लेकिन सार्वदेशिक

कार्य के लिए एक राष्ट्र-भाषा (आजकल सर्वसम्मति से हिन्दुस्तानी को यह पद मिल चुका है) नियत होनी चाहिए। उर्दू या हिन्दी के प्रश्न पर भी इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए।

इस ऊपर लिखे विवेचन में तुम यह न समझ लेना कि प्रत्येक मनुष्य या समाज हरेक प्रकार का आचरण करने में स्वतंत्र है। प्रत्येक नियम में अपवाद होते हैं। व्यक्तिगत स्वाधीनता के सम्बन्ध में भी कुछ अपवाद हैं।

मैं पहले पत्रों में लिख चुका हूँ कि मनुष्य को वे सब अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जिनसे समाज की अवनति न हो। किसी की व्यक्तिगत स्वाधीनता की कसौटी भी जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में यह है—“दूसरों को किसी तरह की हानि न पहुँचाकर और अपने हित के लिए किये गये दूसरों के यत्न में बाधा न डालकर, जिस तरह हो, उन तरह, अपने स्वार्थ-साधन की आजादी का नाम स्वाधीनता है।”

प्रत्येक अपना धार्मिक समारोह मनावे, लेकिन उसका समारोह किसी दूसरे के अधिकार में बाधक न हो। मुसलमानों को गोवध का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं कि वे उसे सजाकर उन सार्वजनिक सड़कों या बाजारों से ले जावे, जहाँ रहनेवाली अधिकांश हिन्दू आवादी का दिल दुःखे। इसी तरह किसी का यह अधिकार नहीं कि वह अपने धर्म के नाम पर अछूतों और दलितों को उनके सार्वजनिक अधिकारों से वंचित करे। किसी मत में नरबलि का विधान है, तो उसे भी वैसा करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यदि किसी सम्प्रदाय में ब्रह्मचर्य को महत्त्व नहीं दिया जाता, तो भी उसे व्यभिचार की—वाममार्ग की तान्त्रिक विधियों की आज्ञा नहीं दी जा सकती। आजकल यूरोप में चलने वाले नग्नतावाद का मैं इसी-

लिए विरोधी हूँ कि इससे समाज में अनाचार बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। व्यक्तिगत स्वाधीनता पर भी इसी नुक्तेनिगाह से कुछ पावन्दियाँ लगाई जाती हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी सन्तान को शिक्षा नहीं दूँगा, दूसरा मनुष्य कहता है कि मैं ५० साल का हूँ, तो क्या हुआ, मैं १० साल की लडकी से विवाह करूँगा, तीसरा आदमी सफाई के नियमों को मानने से मैं इन्कार करता हूँ और चौथा वेश्यागमन की छूट चाहता है। उपर्युक्त चारों मनुष्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की दुहाई देते हैं। इनको रोकने से इनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता में खोटा भी जरूर लगती है, लेकिन फिर भी समाज को इन सब पर बंधन तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वाधीनता से समाज की ओर उस व्यक्ति की स्थायी हानि होनी है। समाज में शिक्षा का प्रचार जरूरी है, अशिक्षा समाज के धरातल को नीचे ले जाती है। वृद्ध-विवाह एक कन्या पर बलात्कार है, इससे उस कन्या का जीवन नष्ट होजाता है। सफाई के नियम न मानने से न केवल नियम तोड़ने वाला बीमार हो सकता है, परन्तु आस-पास भी रोग फैलने का अन्देश है। वेश्या गमन या शराब भी समाज में पुराणियों को फैलाते हैं—समाज का नैतिक पतन करते हैं। इसलिए इन सब पर पावन्दी लगानी चाहिए। समाज सुधार के कानून भी समाज के स्थायी और व्यापक हित को लक्ष्य में रखकर ही बनाये जाते हैं।

जॉन स्टुअर्ट मिल का एक उद्धरण देकर इस पत्र को समाप्त करूँगा—“यदि कोई आदमी ऐसा काम करता है, जिससे दूसरों को तकलीफ होती है, तो उसे कानून के द्वारा सजा देना उचित मालूम होता है। ऐसी भी बहुत-सी बातें हैं, जिनसे समाज के हित की विशेष

सभावना रहती है। वे भी हरेक आदमी से जवरन कराई जा सकती हैं। अदालत में जज के सामने गवाही देने के लिए हरेक आदमी मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि जिस समाज में वह आराम में रहता है, उसके हित या उसकी रक्षा के लिए सहायता करना उसका धर्म है। किसी की जान बचाने या असहायों पर जुल्म होते दाय-कर उनकी रक्षा करने के लिए बल-प्रयोग करना उचित है। जो आदमी दूसरे को लाठी में मारकर उसे चोट पहुँचाता है, वह भी सजा पाने का काम करता है और जो दूसरे को डूबता देखकर उसे बचाने की कोशिश न करके चुपचाप तमाशा देखता रहता है, वह भी सजा पाने का काम करता है।”

मिल ने ‘लिवर्टी’ के पांचवें अध्याय में दो सिद्धान्तों का जिक्र किया है — (१) आदमी के जिस काम में उसे छोड़ और किसी का सम्बन्ध नहीं है, उसके लिए वह समाज के सामने जवाबदेह नहीं है। (२) जिन बातों में दूसरों का सम्बन्ध है, उनके लिए हर आदमी समाज के सामने जवाबदेह है। (इसी सिद्धान्त के अनुसार सभी देशों में दण्ड व्यवस्था लागू होती है ।)

लिखने और बोलने की स्वतन्त्रता

२५-६-३८

तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि कुछ दिन हुए इंग्लैण्ड में एक छोटी-सी घटना होगई थी। हाउस आफ कामन्स के एक सदस्य मि० स्पेन्डीज ने पार्लमेण्ट में कुछ सवाल पूछे थे। उन सवालों से मालूम होता था कि सेना के कुछ गुप्त भेद उन्हें मालूम है। इसपर सैनिक अधिकारियों ने उनसे जवाब तलब किया कि उन्हें ये समाचार कैसे मालूम हुए। और उन्हें सैनिक अदालत में उपस्थित होने को कहा गया। इसपर पार्लमेण्ट के सदस्यों ने बड़ा हल्ला मचाया। उनका कहना था कि प्रजा के प्रतिनिधियों को अधिकार है कि वे देशहित के सम्बन्ध में प्रत्येक विषय पर जानकारी रखें और अधिकारियों से सवाल करें। कुछ सोच-विचार कर सैनिक अधिकारियों ने सैनिक अदालत में हाजिर होने की आज्ञा वापस लेली, पर पार्लमेण्ट ने सदस्यों के अधिकार पर विचार करने के लिए एक सब-कमेटी नियत कर दी है। यह कमेटी क्या निर्णय करेगी, यह तो अभी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे यह तो साफ है कि ब्रिटिश-जनता अपने अधिकारों के बारे में, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किलों से प्राप्त किया है, कितनी अधिक सतर्क है। वहाँ के नागरिकों को देश के शासन के सम्बन्ध में जो अधिकार मिले हैं, वे उन्हें अपने प्राण से भी प्यारे हैं। यदि नागरिकों के प्रतिनिधि इन अधिकारों को छोड़ देते, तो गलती करते। सरकार न जाने कब कौन-सा अधिकार किस तरह

चुपचाप जनता से छीनले, यह हमेशा खयाल में रखना पड़ता है। अपने अधिकार के सम्बन्ध में इतनी मनकता सीखने में हम भारतीयों को, जो 'कोऊ नृप होय, हमे का हानी' का सिद्धान्त मानने का काफी समय लगेगा। अरनु।

पिछले पत्रों में मैं नागरिक की शारीरिक, सामाजिक और धार्मिक स्वतन्त्रताओं पर प्रकाश डालने हुए, यह भी बता चुका हूँ कि हरेक नागरिक को शासन के सम्बन्ध में भाग लेने का अधिकार है। और इसके लिए उसे मताधिकार मिलना चाहिए। इतना लिखने के बाद मुझे अब अधिकारों के सम्बन्ध में बहुत कहने की जरूरत नहीं रही। फिर भी अधिकारों की चर्चा में दो-तीन जरूरी बातों पर अलग-अलग चर्चा कर लेना जरूरी है, हालाँकि वे पहले लिखी स बातों के अन्तर्गत आजाती हैं।

राजनैतिक अधिकारों की चर्चा के सिलसिले में यह बात साफ़ कर चुका हूँ कि प्रत्येक नागरिक का अपने गाँव, नगर और देश के शासन में भाग लेने का पूरा अधिकार है। सामाजिक अधिकारों की चर्चा में मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि किसी मनुष्य, जाति या समूह को अपने को निर्भ्रान्त नहीं मान लेना चाहिए। इन दोनों सिद्धान्तों को मान लेने के बाद नागरिकों के भाषण, लेखन और सगठन की स्वतन्त्रता पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं रह जाती। एक मनुष्य निर्भ्रान्त नहीं है, इसलिए प्रत्येक ऐसे नागरिक को, जो राष्ट्र का अंग है, अपने विचार जाहिर करने की आजादी होनी चाहिए। विचार-विनिमय से मनुष्य को अपनी भूल मालूम होती है और वह अपनी विचारधारा या कार्य-पद्धति में जरूरी तबदीली कर लेता है।

हम अपने विचार दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं—(१) भाषण या वातचीत करके, और (२) लिखकर । यदि विचार प्रकट करने की आजादी न हो, शासन-नीति और सरकारी कार्यों की आलोचना करने का अधिकार न हो, तो शासन में भाग लेने के अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता । शासन में जनता का अधिकार तभी कारगर रह सकता है, जबकि जनता को या जनता के प्रतिनिधियों को लिखने-बोलने की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त हो । आलोचना का अधिकार न होने से सरकार को अपनी गलतियों का पता नहीं लग सकता । गलतियों का पता न लगने से कोई सरकार अपने शासन को और अधिक अच्छा नहीं कर सकती । इसलिए प्रतिनिधितंत्र देशों में पार्टीवन्दी का स्वागत किया जाता है । बहुमतवाला पक्ष अपनी सरकार बनाता है तो अल्पमत उसका विरोध करता है । अल्पमत या विरोधीदल का किसी देश की राजनीति में कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं होता । प्रत्येक देश में विरोधी नेताओं का काफी सम्मान होता है । वस्तुतः विरोधी दल के नेता का भी किसी देश की शासन-नीति निर्धारित करने में कम भाग नहीं होता, क्योंकि सरकार को हमेशा उसकी तीव्र आलोचना से भय खाना पड़ता है । इंग्लैण्ड में तो, जिसे पार्लमेण्ट-पद्धति का जनक कहा जाता है, एक-दो साल से विरोधी नेता के महत्त्व को इतना अधिक माना जाने लगा है कि इसी कार्य के लिए उसे सरकारी खजाने से वेतन मिलता है । वस्तुतः विरोधी दल सरकार की मनमानी पर नियन्त्रण रखता है, जनता के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार को ठीक दिशा बतलाता है । जब किसी मवाल पर सरकार लोकमत के खिलाफ कार्य करती है, तो वह सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव पेश करता है । यदि

सचमुच जनमत उसके साथ हुआ, तो सरकार को स्वीका देना पड़ता है और फिर नया चुनाव होता है। इस तरह किसी देश की जनता अपने देश की नीति के निर्धारण में पूरा भाग लेती है। यह सब कार्य बिना विचार-स्वातंत्र्य के नहीं हो सकता।

केवल असेम्बली या पार्लमेण्ट में ही नहीं, साधारणतः देश में हरेक राजनैतिक पार्टी को संगठन करने और अपने विचारों का प्रचार करने की भी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक अपने विचार सभाओं में प्रकट कर सके और अखबारों में प्रकाशित कर सके। भाषण या अखबार द्वारा सरकार की कड़ी-से-कड़ी आलोचना करने पर भी सरकार की ओर से कोई 'पाबन्दी' नहीं लगाई जानी चाहिए। सभाओं या अखबारों की आलोचना से ही सरकार को लोकमत का ज्ञान होसकता है। मैं पहले लिख चुका हूँ कि अल्प-संख्यक जातियों को भी विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, उसी तरह अल्पमत के राजनैतिक दलों को भी अपने विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। आज अमुक राजनैतिक दल के विचार दस-बीस या दो-चार सौ व्यक्तियों तक सीमित हैं, उसे लोकमत तो माना नहीं जा सकता, या इसके विचार अत्यन्त क्रांतिकारी हैं, इसे क्यों प्रचार की आज्ञा दी जाय ? यह दलील भी ठीक नहीं है। आज जिस विचार को दस-बीस लोग मानते हैं, सम्भव है कल उसे ही देश का बहुमत मानने लगे। आजकल जुड़े-जुड़े देशों में जितने शक्तिशाली राजनैतिक दल हैं, वे कभी दो-चार या दस-बीस लोगों से ही शुरू हुए थे। इंग्लैण्ड का मजदूरदल कभी विलकुल ही छोटी संख्या में था, लेकिन समय आया कि दो-तीन वार उसके हाथ में इंग्लैण्ड की सरकार आ गई। कभी लिबरल-दल का देश में बोल-

वाला था, लेकिन समय ने पलटा खाया और आज उसकी कोई पूछ नहीं है। इसलिए किसी भी राजनैतिक दल पर, चाहे वह कितना छोटे-से-छोटा क्यों न हो, किसी प्रकार की पाबन्दी लगाना अनुचित है।

विचार स्वतन्त्रता के लिए सभाओं के संगठन की भी स्वतन्त्रता आवश्यक है। सार्वजनिक सभाओं के संगठन पर किसी प्रकार की रोक लगाना अनुचित है। प्रत्येक व्यक्ति को एक या अधिक आदमियों के साथ मिलकर बैठने या बातचीत करने का अधिकार है। मैजिनी ने एक जगह लिखा है कि “एक परमात्मा की सन्तान होने से तुम सब भाई-भाई हो और क्या भाई-भाई के परस्पर मिलने-बैठने—सभा-सम्मेलन करने में बाधा डालना गुनाह नहीं है ?” लेकिन इस स्थिति का मुकाबिला तुम अपने भारतवर्ष से तो करो। लार्ड विल्किंग्डन के शासन में, जिसे आर्डिनेन्स राज भी कहा जाता है, भारतीय जनता के कितने नागरिक अधिकारों पर कुल्हाड़ा चला था ? अखबारों पर आर्डिनेन्स की नंगी तलवार हमेशा लटकती थी। हिन्दुरतान में एक भी राष्ट्रीय पत्र ऐसा न था, जिससे हजारों की जमानत न माँगी गई हो। जिन अखबारों की जमानतें जब्त की गई हैं, वे भी ४०-५० हजार से कम न होंगी। बहुत-से अखबारों ने तो सम्पादकीय लेख ही लिखना छोड़ दिया था। सभाओं पर, जलूसों पर या व्यक्तियों पर १४४ धारा व आर्डिनेन्स का बराबर प्रहार रहना था। अब चूँकि समय बदल गया है, भारत के सात प्रान्तों में नये विधान के अनुसार कांग्रेस ने पदग्रहण कर लिया है, जिसके फलस्वरूप लोगों को बोलने और लिखने की स्वतन्त्रता दे दी गई है, लेकिन भारत के बहुत-से भागों में—उन प्रान्तों में जहाँ गैरकांग्रेसी राज्य है और देसी रियासतों में—यही आर्डिनेन्स राज्य जारी है। जनता के लेखन, भाषण और

संगठन पर हर तरह की पाबन्दी है। भारत की राजधानी दिल्ली तक में सब पाबन्दीयाँ पहले की तरह ही मौजूद हैं। कड़े रियासतों में तो कोई नया अव्वार नहीं निकल सकता। किसी-किसी रियासत में बिना लाइसेन्स के टाइप-गैटर तक रखने का अधिकार नहीं है। राज-नैतिक अव्वार ही नहीं, सामाजिक अव्वार तक बिना आज्ञा नहीं निकाले जा सकते। प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की असेम्बली आदि की तो बात ही दूर है। राजनैतिक संगठन ही नहीं, दूसरे भी सब प्रकार के निदोष धार्मिक, जातीय, व्यापारिक, साहित्यिक संगठन करने का अधिकार नागरिकों को होना चाहिए। सिर्फ इतना अव्वय ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब संगठन किसी दूसरे को नुकसान न पहुँचावें।

विचार-स्वातंत्र्य पर पाबन्दी लगाने के प्रश्न में यह खास दलील दी जाती है कि कुछ व्यक्ति जो आदत से उद्वेग और जरारती होते हैं, उन्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने देने के लिए या समाज में शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए सार्वजनिक भाषण या लेखन पर पाबन्दी रखना जरूरी है। यह हम मान लेते हैं कि समाज में ऐसे भी आदमी होते हैं, पर थोड़े से लोगों के अपरोध के लिए साधारण जनता के नागरिक अधिकारों को कुचलना तो किसी भी हालत में उचित नहीं है। ऐसे उद्वेग व्यक्तियों पर सरकार मुकदमे चला सकती है या उनका दमन कर सकती है। डाक्टर मरने एक जगह कहा है कि “किसी नैतिक सिद्धान्त का यह कहकर खण्डन नहीं किया जा सकता कि लापरवाह लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। विचार-स्वतंत्रता पर रोक लगा देने से बहुत हानि होती है। सबसे बड़ी हानि तो यही कि राज्य नागरिकों के विचार और अनुभव का लाभ नहीं उठा सकता। जब आदमियों को खुले आम

अपने विचार प्रकट करने से रोका जाता है, तो वे प्रायः चोरी से लुकछिप कर जहाँ-तहाँ बातें करते हैं, अखबारे वा पुस्तकें छापते या बेचते हैं। इस लुकाछिपी से नागरिकों में भय का भी संचार होता है, जो उनके चरित्र के पतन में सहायक होता है। दूसरे इस दमन-नीति से प्रजा में असंतोष भी बढ़ता है और यह राज्य के लिए अच्छा नहीं होता। इंजिन के वायलर से निकलनेवाली भाफ के बाहर जाने के मार्ग को बन्द कर देने से उसके फटने का हमेशा अन्देशा रहता है। विचारस्वातंत्र्य को रोकने का भी नतीजा अक्सर यह होता है कि जनता में असंतोष की अग्नि फूट पड़ती है। ससार में प्रजा की ओर से जितनी क्रान्तियाँ हुई हैं, ज्यादातर प्रजा के अधिकारों को और उनके वैध आन्दोलन को दबाने के परिणाम-स्वरूप ही हुई हैं। इसलिए यह जरूरी है कि नागरिकों की गतिविधि पर अनुचित बंधन कभी न लगाये जाने चाहिएँ।

यहाँ वेद के दो मंत्र लिख देना अप्रासांगिक न होगा। वेद-मंत्र लिखने या प्राचीन शास्त्रों से प्रमाण देने की मेरी आदत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब हमें शास्त्रों के प्रमाणों पर आश्रित रहना छोड़कर हरेक विषय पर स्वतंत्र दृष्टिकोण से ही विचार करना चाहिए। पर मैं ये मंत्र इसलिए नीचे दे रहा हूँ कि इससे प्राचीन भारत का इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण मालूम होजाय। वे दो मंत्र निम्नलिखित हैं :—

नैता ते देवा अददुस्तुभ्य नृपते अत्तवे । मा ब्राह्मणस्य राजन्य गा
जिघन्सो अनाद्याम् ॥ १ ॥

अधद्रुग्वो राजन्य , पाप आत्मपराजित । म ब्राह्मणस्य गामद्यादद्य
जाँवानि माश्व ॥ २ ॥

अथर्व अ० ४, सूक्त १८

कितने थोड़े से शब्दों में राजनीति के एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का

विवेचन कर दिया गया है। ब्राह्मण की वाणी इसलिए नहीं है कि राजन्य, श्रत्रिय या सरकार उसे स्वाजाय, दवादे। जो आत्म पराजित (लोकमत को दशानेवाला वस्तुतः अपने पराजय को स्वीकार करके ही दूसरो को बोलने नहीं देता) ब्राह्मण की गौ को—लोकमत को दवाता है, वह भले ही आज अपने को सफल मान ले, लेकिन उसकी यह सफलता स्थायी नहीं होगी। दमननीति अन्त में कभी सफल नहीं होती।

जहाँ राजनैतिक विचार प्रकट करने की आजादी आवश्यक है, वहाँ उसकी एक मर्यादा नियत करना भी उतना ही जरूरी है। मर्यादा का नियम भी वही है, जिसका हम पहले जिक्र कर आये हैं। वह नियम यह है कि विचार प्रकट करनेवाले की स्वतंत्रता किसी दमरे की स्वतंत्रता में बाधक न हो या उसे हानि न पहुँचाये। विचार प्रकट करते हुए किसी को गाली-गलौज देना, किसी का दिल दुखाना या समाज के विचारों को कलुषित करना भी बुरा है। स्त्रियों की नंगी तस्वीरें, अश्लील विज्ञापन या लेख लिखना आदि पर प्रायः सभी देशों में थोड़े-बहुत बंधन लगाये जाते हैं। जातिगत कलह के भाषणों पर भी पूर्ण नियंत्रण लगाना जरूरी है। इसकी जरूरत तो हम भारतीय अच्छी तरह समझ सकते हैं। सभाओं पर पाबन्दी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जब किसी सभा में हिंसात्मक भाषण दिये जा रहे हों, यह पूरा भय हो कि सभा का परिणाम दगा होगा, तो ऐसी सभाओं को कानूनन रोका जा सकता है। यदि कोई उत्तेजित मजमा किसी के विरुद्ध लूटमार करने, मकानों को आग लगाने या मरने-मारने के लिए तैयार दीखे, तो उसी समय उसे तितर-वितर कर देना जरूरी है, लेकिन यह जरूरी है कि ऐसा करने में यथासंभव कम-से-कम हानि पहुँचाने की सावधानी की जाय।

आर्थिक स्वतंत्रता

२६-६-३८

इन दिनों के अखबारों से तुम्हें कानपुर की हड़ताल का हाल मालूम होता रहता होगा। इन दिनों इस समस्या से युक्तप्रान्त की कांग्रेस सरकार को बहुत परेशानी रही। एक प्रसिद्ध व्यवसायी के कथनानुसार इस हड़ताल से देश को १८ करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। व्यापार-व्यवसाय को कितना धक्का लगा, यह इसीसे मालूम होता है कि पोस्ट-आफिस को ही डाक व तार आदि में कमी के कारण ५००) ६० रोज का नुकसान हुआ। १९३७ की हड़तालों के बारे में भारत-सरकार ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उससे मालूम होता है कि पिछले साल हड़तालों से ८६,८२,००० दिन बेकार गये। बंगाल, बम्बई और युक्तप्रान्त में क्रमशः ६०,६०,८८३,१८,६७,२१० और ७,०४,६४० दिन खराब गये।

अक्सर पूजीपतियों की ओर से यह प्रश्न किया जाता है कि मजदूरों को क्या ऐसी भीषण हड़तालों करने का अधिकार भी है, जिनमें राष्ट्र को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो। इसी प्रश्न के साथ नागरिकों की आर्थिक स्वाधीनता का सवाल खड़ा होता है, जिसकी ओर मैं अपने पहले किसी पत्र में तुम्हारा ध्यान खींच चुका हूँ। मैं इस पत्र में इसी विषय पर कुछ विस्तार से विचार करना चाहता हूँ।

मैं पिछले पत्र में लिख चुका हूँ कि नागरिकों को जहाँ अपने

जीवन के अस्तित्व की गारंटी होनी चाहिए, वहाँ उन्हें अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी पूरी वेफिकरी होनी चाहिए। पर इसमें भी पहले हरेक नागरिक को यह भी निश्चय होना चाहिए कि वह भूखों नहीं मरेगा। जहाँ राज्य नागरिकों की घातक रोगों, हिंस्र पशुओं, और लुटेरों से रक्षा की जिम्मेदारी लेता है, वहाँ उसे भूख और उसके कारणस्वरूप बेकारी से भी नागरिकों को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। आज करोड़ों हिन्दुस्तानी भूखों पेट मोते हैं। भारतीय जनसंख्या विभाग के कई साल तक अध्यक्ष रहनेवाले सर विलियम हटर की राय में भारत के ४ करोड़ लोगों को भर पेट भोजन कभी नहीं मिलता। आसाम के चीफ कमिश्नर सर चार्ल्स इलियट ने कहा था—“मुझे यह लिखन में जरा भी सकोच नहीं कि आधे से ज्यादा किसान वर्ष के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यह भी नहीं जानते कि पेट-भर खाना किसे कहते हैं।” ‘इण्डियन विटनेस’ नामक ईसाइयों के एक अखबार के अनुसार “१० करोड़ भारतीयों की सालाना आमदनी ५ शिलिंग (३॥। रुपये) से अधिक नहीं होती।” भाँसी डिविजन के कमिश्नर की सम्मति में उस डिविजन का एक भाग हमेशा आधा-पेट भोजन पाता है। वाइसराय की कौंसिल के कर-विभाग के अनुभवी सदस्य की जाँच के मुताबिक ४० फीसदी किसान पेट-भर भोजन नहीं पाते। सरकारी अफसरों की ये कुछ सम्मतियाँ हैं। ऐसी सम्मतियाँ अगर एक जगह सग्रह करने लूँ, तो एक पुस्तक ही तैयार होजाय। पर इसकी जरूरत नहीं। हाथ कगन को आरसी क्या ? तुम किसी भी गाँव में चले जाओ, गरीबी और भूख का यह ताण्डव बिना तलाश किये ही दीखने लगेगा। यह जीवन भी कोई जीवन है ? इस गरीबी के कारणों की विवेचना में जाने की

यहाँ जरूरत नहीं। मेरा कहना तो यह है कि किसी जिम्मेदार सरकार का फर्ज है कि वह नागरिकों को रोटी की चिन्ता से भी निश्चिन्त करदे। जो व्यक्ति मेहनत से जी चुराता है, उसके लिए तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन जो नागरिक मेहनत करने को तैयार है, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसे काम दे और भूखों न मरने दें। सिर्फ काम ही देने से यह मतलब हल नहीं होगा। सरकार का यह भी फर्ज है और दूसरे शब्दों में नागरिकों का यह अधिकार है कि उन्हें इतनी कम तनखाह न मिले कि जिससे उनकी खास-खास जरूरतें भी पूरी न हों। कई सभ्य और उन्नत देशों में सरकारों ने अपने इन कर्तव्यों की जिम्मेदारी समझ ली है और वे हरेक बेकार को या तो काम दिलाने की व्यवस्था करती हैं या फिर निर्वाह के लिए रुपया देती हैं। इंग्लैण्ड के हरेक बेकार मजदूर को करीब ४०-५०) रु० हर माह दिया जाता है। दूसरे कई राष्ट्रों में भी बेकारों के लिए कुछ-न-कुछ नियम बने हुए हैं। कम-से-कम वेतन निश्चित करने के सिद्धान्त को भी कई सरकारों ने मजूर किया है। इसके अनुसार किसी मालिक को तय की हुई रकम से कम तनखाह देने का हक नहीं है।

जब एक नागरिक राष्ट्र और समाज की सेवा करता है, जब उसने भी समाज के अनेक बंधन मान लिये हैं। जब वह भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों द्वारा राष्ट्र के खजाने की पूर्ति में सहायक होता है, तब क्या समाज या राष्ट्र का यह फर्ज नहीं है कि वह उसकी जीवन-सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करे ? अगर राष्ट्र यह जिम्मेदारी नहीं लेता तो उसे भी नागरिकों से यह उम्मीद करने का क्या अधिकार है कि वे उसकी सेवा के लिए सदा तैयार रहेंगे ? बीमारी या बुढ़ापे

में जब नागरिक कमाने योग्य नहीं रहता, तब भी सरकार का कर्तव्य है कि उसके खाने-कपड़े की व्यवस्था करे।

आर्थिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए मैं पिछले किमी पत्र में लिख चुका हूँ कि प्रत्येक नागरिक को यह गारंटी होनी चाहिए कि उसकी पैदा की हुई सम्पत्ति नष्ट नहीं होगी और न उसे कोई छीन सकेगा। पर यह उपार्जन सम्पत्ति चोरी, डाके या धोखे में कमायी हुई न हो। साधारण अर्थों में हम जिसे चोरी या डाका कहते हैं, प्रायः प्रत्येक सरकार यह खयाल रखती है कि इस तरह सम्पत्ति का उपार्जन करनेवाले को दण्ड दिया जाय। लेकिन कई विचारकों की राय में केवल किमी की गैरहाजिरी में माल चुरा लेना या किसी को डरा-धमका कर किसी का माल ले लेना ही चोरी नहीं है। किसी की खास परिस्थिति से नाजायज फायदा उठाना भी चोरी है। किसी की मेहनत का फल आप खाजाना भी चोरी है। एक किसान या मजदूर दिन-भर कड़ी मशरूत करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है, लेकिन उसकी कमाई का बड़ा भाग जमींदार या पूजीपति ले लेता है। जमींदार और पूजीपति की कमाई हुई पूजी भी या तो मजदूरों की मिहनत की कमाई है या उसके बाप-दादा की। इस पूजी के बनाने में भी तो समाज का बड़ा भारी हाथ है। रेल, तार, डाक, कानून और पुलिस आदि सभी की मदद से तो एक पुरुष धनी हुआ है। यदि कानून का डर न हो, तो डाकू बड़े-से-बड़े करोड़पति को थोड़े ही समय में कगाल कर दें। समाज के सहयोग से रक्षित और पैदा की हुई सम्पत्ति पर क्यों एक ही आदमी का अधिकार होजाय ? फिर क्या यह अन्याय नहीं है कि आज से सौ-दोसौ साल पहले किसी ने अपनी मेहनत से या सरकार की मिहरवानी से या किसी

दूसरे तरीके से बहुत-सा धन इकट्ठा कर लिया, तो उसके वंशज बिना मेहनत किये उसका उपयोग करते चले जावे ? क्या यह न्याय है कि एक पुरुष तो खून पसीना बहाकर भी ५) रु० महीने से ज्यादा नहीं पाता और एक आदमी समाज के सहयोग से रक्षित सम्पत्ति द्वारा गुलछर्रे उड़ाता है। इस तरह विचार करनेवालों का कहना है कि समाज में सम्पत्ति का समान बटवारा होना चाहिए, तभी प्रत्येक नागरिक को उसका पूरा अधिकार मिल सकेगा। जबतक यह नहीं होता, तबतक प्रत्येक पूजीपति और प्रत्येक जमींदार मजदूर और किसान के अधिकार का अपहरण करता रहेगा, उनके हाथ से रोटी छीनकर खाता रहेगा। जिस तरह सरकार का यह फ़र्ज है कि किसी को किसी के घर डাকা न डालने दे, उसी तरह उसका यह भी फ़र्ज है कि सदियों से संगठित चोरी और डाके की इस संस्था—पूजीवाद को भी खत्म कर दे। साधारण चोरी से एक दो आदमी तवाह होते हैं, लेकिन चोरी की उस संस्था से, जिसे सरकारी कानून और सैनिक-बल से सदा सहारा मिलता रहा है, करोड़ों आदमी तवाह हो गये हैं। एक नागरिक का यह अधिकार है कि उसकी मेहनत से कोई नाजायज फायदा न उठाये, उसे अपनी मिहनत का पूरा फल भोगने का अधिकार हो।

यही विचारक-श्रेणी इस विचारधारा के साथ नागरिकों को यह अधिकार देना चाहती है कि उन्हें अपने जीवन की रक्षा के लिये—आर्थिक अधिकारों की गारंटी के लिये हर किस्म के आन्दोलन करने का हक है। कारखानों की हड़ताल इसी आन्दोलन का एक रूप है। जब मिलमालिक बहुत सताते हों, वेतन कम देते हों, ज्यादा समय काम लेते हों या दूसरी तरह की ज्यादतियाँ करते हों और कहने,

मे जब नागरिक कमाने योग्य नहीं रहता, तब भी सरकार का कर्तव्य है कि उसके खाने-कपड़े की व्यवस्था करे ।

आर्थिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए मैं पिछले किसी पत्र में लिख चुका हूँ कि प्रत्येक नागरिक को यह गारंटी होनी चाहिए कि उसकी पैदा की हुई सम्पत्ति नष्ट नहीं होगी और न उसे कोई छीन सकेगा, पर यह उपार्जन सम्पत्ति चोरी, डाके या धोखे में कमायी हुई न हो । साधारण अर्थों में हम जिसे चोरी या डाका कहते हैं, प्रायः प्रत्येक सरकार यह खयाल रखती है कि इस तरह सम्पत्ति का उपार्जन करनेवाले को दण्ड दिया जाय । लेकिन कई विचारकों की राय में केवल किसी की गैरहाजिरी में माल चुरा लेना या किसी को डरा-धमका कर किसी का माल ले लेना ही चोरी नहीं है । किसी की खास परिस्थिति से नाजायज फायदा उठाना भी चोरी है । किसी की मेहनत का फल आप खाजाना भी चोरी है । एक किसान या मजदूर दिन-भर कड़ी मशकत करता है, अपना खून पसीना एक कर देता है, लेकिन उसकी कमाई का बड़ा भाग जमींदार या पूजीपति ले लेता है । जमींदार और पूजीपति की कमाई हुई पूजी भी या तो मजदूरों की मेहनत की कमाई है या उसके बाप-दादा की । इस पूजी के बनाने में भी तो समाज का बड़ा भारी हाथ है । रेल, तार, डाक, कानून और पुलिस आदि सभी की मदद से तो एक पुरुष धनी हुआ है । यदि कानून का डर न हो, तो डाकू बड़े-से-बड़े करोड़पति को थोड़े ही समय में कगाल कर दें । समाज के सहयोग से रक्षित और पैदा की हुई सम्पत्ति पर क्यों एक ही आदमी का अधिकार होजाय ? फिर क्या यह अन्याय नहीं है कि आज से सौ-दोसौ साल पहले किसी ने अपनी मेहनत से या सरकार की मिहरवानी से या किसी

दूसरे तरीके से बहुत-सा धन इकट्ठा कर लिया, तो उसके वंशज बिना मेहनत किये उसका उपयोग करते चले जावे ? क्या यह न्याय है कि एक पुरुष तो खून पसीना बहाकर भी ५) रु० महीने से ज्यादा नहीं पाता और एक आदमी समाज के सहयोग से रक्षित सम्पत्ति द्वारा गुलछर्रे उड़ाता है। इस तरह विचार करनेवालों का कहना है कि समाज में सम्पत्ति का समान बटवारा होना चाहिए, तभी प्रत्येक नागरिक को उसका पूरा अधिकार मिल सकेगा। जबतक यह नहीं होता, तबतक प्रत्येक पूजीपति और प्रत्येक जमींदार मजदूर और किसान के अधिकार का अपहरण करता रहेगा, उनके हाथ से रोटी छीनकर खाता रहेगा। जिस तरह सरकार का यह फर्ज है कि किसी को किसी के घर डाका न डालने दे, उसी तरह उसका यह भी फर्ज है कि सदियों से संगठित चोरी और डाके की इस सस्था—पूजीवाद को भी खत्म कर दे। साधारण चोरी से एक दो आदमी तबाह होते हैं, लेकिन चोरी की उस संस्था से, जिसे सरकारी कानून और सैनिक-बल से सदा सहारा मिलता रहा है, करोड़ों आदमी तबाह हो गये हैं। एक नागरिक का यह अधिकार है कि उसकी मेहनत से कोई नाजायज फायदा न उठाये, उसे अपनी मिहनत का पूरा फल भोगने का अधिकार हो।

यही विचारक-श्रेणी इस विचारधारा के साथ नागरिकों को यह अधिकार देना चाहती है कि उन्हें अपने जीवन की रक्षा के लिये—आर्थिक अधिकारों की गारंटी के लिये हर विस्म के आन्दोलन करने का हक है। कारखानों की हड़ताल इसी आन्दोलन का एक रूप है। जब मिलमालिक बहुत सताते हों, वेतन कम देते हों, ज्यादा समय काम लेंगे या दूसरी तरह की ज्यादतियाँ करते हों और कहने,

समझाने-बुझाने और प्रार्थना करने में न मानते हों, तब मजदूर हड़ताल का हथियार उठाते हैं। प्रायः सभी सम्य देशों में मजदूरों का हड़ताल करने का अधिकार मजूर किया जाता है। हालाँकि हड़ताल में बलप्रयोग का अधिकार नहीं होना चाहिए, फिर भी सब हड़तालों में थोड़ा-बहुत बलप्रयोग होता है, पिकेटिंग भी किया जाता है और प्रायः सभी हड़तालों में मारपीट के भी उदाहरण मिलने हैं। ज्यादातर साम्यवादी इन्हे अनिवार्य मानते हैं और वर्गयुद्ध को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जरूरी बताते हैं। रूस की महान् क्रान्ति इसी नीति का नतीजा है। वहाँ धनियों और जमींदारों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, हालाँकि अब कुछ दिनों में इस भावना में कमी आने लगी है। साम्यवादियों के मतानुसार सारी सम्पत्ति सर्वसाधारण में बाँट देनी चाहिए, जिससे हर एक शख्स संसार के सब ऐश-आराम और सुख भोग सके। इसका एक उपाय ये साम्यवादी विचारक यह बताते हैं कि उत्पत्ति के सब जरियों पर राष्ट्र का कब्जा होजाना चाहिए। भारत में भी ये विचार आजकल बहुत प्रचलित हो रहे हैं।

इस सम्बन्ध में संसार के वर्तमान समय के सबसे बड़े क्रान्ति-कारी विचारक महात्मा गाँधी के मत पर भी अब हमें विचार करना चाहिए। वे भी सम्पत्ति के वर्तमान विपम बटवारे को बहुत अवाञ्छनीय समझते हैं। उनकी राय में अपने गुजारे भर के लिए आवश्यक सामग्री से अधिक लेना भी चोरी है। वे साम्यवादियों से कहीं ज्यादा जनसाधारण का हित और कल्याण चाहनेवाले हैं। लेकिन उनकी कार्यपद्धति साम्यवादियों से नहीं मिलती, वह जितना लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, उससे कम महत्त्व साधन पर नहीं देते। उनका कहना है कि वर्गयुद्ध या हिंसा आपस में ट्रेप की ही वृद्धि करेगा। सुन्दर और

शिव उद्देश्य के लिए हिंसा का—असत्य का—भूठ का प्रयोग कभी सुन्दर परिणाम नहीं पैदा कर सकता। वह सम्पत्ति के मौजूदा असमान बँटवारे का हल दो प्रकार से बताते हैं। वह समान-विभाजन के बजाय अपरिग्रह (जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह न करने) पर ज्यादा जोर देते हैं। वह कहते हैं कि समान बँटवारा तो एक ऊपरी इलाज है। यह बीमारी दूर करने की असली दवा नहीं है। सामाजिक व्यवस्था, विषमता या अशान्ति की असली जड़ सम्पत्ति का असमान विभाजन नहीं, बल्कि परिग्रह यानी अपनी जरूरत से ज्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति है। यही असली बुराई है। यदि अपरिग्रह के पालन की ओर दुनिया ध्यान दे तो कोई भूखों नहीं मर सकता। संसार में खाने-पीने की चीजों की कमी नहीं है। आवश्यकता है अपरिग्रह की—यानी कोई अपनी जरूरत से ज्यादा न ले। गाँधीवाद के एक प्रमुख विचारक श्री हरिभाऊ उपाध्याय अपनी पुस्तक 'स्वतन्त्रता की ओर' (पृष्ठ ३४२) में लिखते हैं:—“समान-विभाजन एक ऊपरी इलाज है, अपरिग्रह मनुष्य की इच्छा पर ही सयम लगाता है। एक बाहरी बन्धन है, दूसरा भीतरी विकास। समान बँटवारा जीवन के स्टैण्डर्ड पर कोई कौद नहीं लगाता, सिर्फ सम्पत्ति के समान रूप में बँट जाना पर जोर देता है, इसके विपरीत अपरिग्रह जीवन की साधारण आवश्यकताओं तक ही मनुष्य को परिमित कर देना चाहता है। इसमें मनुष्य के लिए स्वेच्छापूर्वक त्याग, सयम और उसके फलस्वरूप सामाजिक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अधिक रहेगी।” यही भारतीय और रूसी संस्कृति का भेद है। महात्मा गाँधी यन्त्रवाद या बड़े पैमाने पर उत्पात्ति करने को अपरिग्रह के सिद्धान्त के विरुद्ध

१ नन्दा माहित्य मण्डल में प्रकाशित—मूल्या १॥१

और मनुष्य की स्वतन्त्रता में बाधक समझने हैं, इस कारण उमका विरोध करते हैं। मशीनरी की तह में एकदम ज्यादा-से-ज्यादा पंदा कर लेने की—परिग्रह की—इच्छा काम कर रही होती है और इसी परिग्रह-प्रवृत्ति का नतीजा है पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, एक देश का दूसरे की आजादी कुचलना। महात्मा गांधी जर्मीदार को सलाह देते हैं कि वह अपनेको सम्पत्ति का मालिक न समझकर ट्रस्टी समझें और जिसे उसकी जरूरत हो, उसे इस्तेमाल करने में रुकावट न डाले। उनकी राय में धनवान लोग अगर ऐसा व्यवहार रखेंगे कि उनके बाग-वगीचे, बंगले, गहने-लत्ते, गाड़ी-बोड़े, बरतन, ढरी, गलीचे आदि उनके आश्रितों को इस्तेमाल के लिए मिल सकें, अगर वे उनकी सब जरूरतों का खयाल रखें, तो धनी लोगों के सोने के बरतन में भोजन करने पर भी गरीबों को उनकी डाल न होगी।”

मैं शायद इस चर्चा में बहुत दूर चला गया। मेरा मतलब तो सिर्फ यह था कि प्रजा का यह अधिकार है कि उसकी जीवन-निर्वाह की आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए। गांधीजी और समाजवादियों के तरीके में अन्तर है। जहाँतक अधिकार का सवाल है, दोनों यह मानते हैं कि कोई भूखा न रहे, लेकिन जहाँ साधन का विवेचन होगा, वहाँ गांधीजी उदार, सत्य कल्याण-भावना की, आत्म-विकास की सलाह देंगे और साम्यवादी गृह-कलह, हिंसा और खून-खराबी की।

समाज या सरकार द्वारा उत्पत्ति के सब साधनों पर कब्जा करने का यह एक नतीजा होगा कि हरेक शख्स अपने आजीविका-निर्वाह में भी परतंत्र होजायगा, यह वस्तुतः नागरिक अधिकारों पर कुठारा-

घात है। आज व्यवसाय-प्रदान देशों में भी, जहाँ व्यक्तिगत सम्पत्ति का सिद्धान्त माना जाता है, क्रियात्मक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता, क्योंकि उसे आखिर थोड़ेसे कारखानों में से किसी-न-किसी में काम करने पर लाचार होना पड़ता है। परन्तु गाँधीवाद में, जहाँ घर-घर उत्पत्ति का काम किया जाता है, मनुष्य अपने काम के चुनाव और कार्यविधि में मिल की बनिस्वत बहुत स्वतंत्र होता है। फिर भी ऐसे कुछ नियन्त्रण तो सरकार को लगाने ही होंगे, जैसे व्याज की दर, कम-से-कम वेतन आदि का तय करना, जिससे गरीब जनता का धनी-वर्ग शोषण न कर सके।

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि किसी आदमी पर धर्म, जाति, वर्ण या लिंग की वजह से आर्थिक क्षेत्र में नियन्त्रण न किया जाय, किसीके साथ पक्षपात न हो, किसीके साथ अन्याय न हो। सबको समानरूप से आर्थिक विकास का अधिकार हो। खेती या व्यवसाय आदि पर जो कर लगाये जायें, वे नागरिकों की शक्ति से अधिक न हों। शासन-विभाग इतना अधिक सर्चाला न हो कि जनता पर वह भाररूप होजाय। भारत में जितनी भी आर्थिक श्रेणियाँ हैं, उन सबके हित का खयाल रक्खा जाय। जनता के आर्थिक विकास में सरकार पूरी तरह सहयोग दे। पुल, सड़क, रेल, तार, डाक और रक्षा आदि की व्यवस्था करना उसका कर्तव्य है। इसी तरह की अनेक बातों पर ध्यान खींचा जा सकता है, लेकिन इन सबकी तह में जो सिद्धान्त काम कर रहा है, उसका निर्देश मैं ऊपर कर ही चुका हूँ।

नागरिकों की आर्थिक स्वाधीनता तबतक कायम नहीं रह सकती, जबतक सारा देश ही आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र न हो। आजकल

अनेक देशों में राजनैतिक पराधीनता न होते हुए भी आर्थिक पराधीनता होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, जहाँ विदेशी पूँजीपतियों और सरकारों ने प्रायः सारी आर्थिक मशीनरी पर अधिकार कर रक्खा है। इसी कारण चीन अपने व्यवसाय में बहुत कम तरक्की कर पाया है।

हमारे और अधिकार

२७-६-३८

पिछले पत्रों में मैंने देश की राजनैतिक स्वाधीनता के सिवा प्रायः सब नागरिक अधिकारों का थोड़े में परिचय दे दिया है। लेकिन इन अधिकारों के अन्तर्गत दूसरे भी कई अधिकार हैं, जिनका उल्लेख कर देना जरूरी है।

इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार शिक्षा प्राप्त करने का है। जीवन, स्वास्थ्य और सम्पत्ति की रक्षा की गारण्टी का अधिकार जैसे नागरिक के लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह समाज या राज्य का यह भी कर्तव्य है कि हरेक नागरिक के लिए कम-से-कम इतनी शिक्षा का प्रवन्ध तो जरूर करदे कि वह मामूली तौर पर लिख-पढ़ सकें और अपने घर का हिसाब रख सकें। जिस प्रकार एक राज्य की वहादुर या धनी जनता उसका बल होती है, ठीक उसी तरह शिक्षित जनता भी देश की एक शक्ति होती है। शिक्षा के फायदे गिनाने की न तो यह जगह ही है और न जरूरत। शिक्षा से नागरिक अपने लाभ-हानि का विचार करने, चिट्ठी-पत्री लिखने-पढ़ने, हिसाब रखने तथा देश-विदेश की उपयोगी बातें जानने के लायक हो जाता है। एक समय था, जब यूरोप में सरकारें शिक्षा देना अपना कर्तव्य नहीं समझती थीं, लेकिन अब तो शिक्षा पर वे बहुत भारी रकम खर्च करने लगी हैं। प्राचीन भारत में सकार यद्यपि शिक्षा का सब इन्तजाम खुद नहीं करती थी, लेकिन वह शिक्षा के प्रचार में पूरी मदद देती

थी। भारतीय समाज का जो प्राचीन संगठन था, उसमें शिक्षा के दान की बहुत सुन्दर व्यवस्था थी। “सर्वेपामेव दानाना ब्रह्मदानं विजिष्यते” कहकर शिक्षादान का महत्त्व स्वीकार किया गया था। यह काम ब्राह्मण-श्रेणी के सुपुर्द था। हरेक छोटा या बड़ा ब्राह्मण अपना यह फर्ज समझता था कि वह गाँव के लड़कों को पढ़ावे। हरेक ब्राह्मण का घर एक पाठशाला होता था, जहाँ गाँव के लड़के पढ़ते रहते थे। उन ब्राह्मणों का निर्वाह दो तरह से होता था। एक तो साधारण जनता द्वारा अनाज आदि की दक्षिणा के रूप में, और दूसरे सरकार या पञ्चायत द्वारा जमीन के दान के रूप में। सरकार की ओर से उन्हें बिना टैक्स की जमीने मिली होती थीं। उपनिषद् की वह कथा तुमने जरूर सुनी होगी, जिसमें राजा अश्वपति ने बड़े अभिमान से यह कहा था कि मेरे राज्य-भर में कोई अशिक्षित नहीं है। बहुत पुराने जमाने की बात छोड़ भी दें, तो भी अंग्रेजी अमलदारी के शुरू में भी शिक्षा का प्रचार आज से ज्यादा था। बंगाल के एक अंग्रेज स्कूल इंस्पेक्टर ने १८६८ ई० में लिखा था कि “अन-गिनत पाठशालाओं, चटशालों और भोंपडों में, जो आज सारे देश में फैले हुए हैं, व्यापक शिक्षा का परिणाम देखा जा सकता है। उपेक्षा, घृणा और पिछले एक हजार साल की विपरीत अवस्थाओं के बावजूद आज ये संस्थायें जीवित हैं। इसीसे ज्ञात होता है कि

१ न मे स्तेनो जनपदे, न कदर्यो न मद्यप ।

नानाहिताग्निर्नाविद्वान्, न स्वैरी स्वैरिणी कुत ॥ (छान्दोग्य उपनिषद्)

अर्थात् मेरे राज्य में एक भी चोर, कजूस, शराबी, अग्निहोत्र न करनेवाला, अशिक्षित और व्यभिचारी पुरुष नहीं है। तब व्यभिचारिणी कोई कैसे हो सकती है ?

इनके मूल में कितनी जबरदस्त प्रेरणा और शक्ति थी। आजकल धार्मिक-भाव दिन-ब-दिन कमजोर हो रहे हैं, ग्रामों की पश्चायते भी अपने दिन गिन रही हैं, उद्योग-धन्धे भी नष्ट होते जा रहे हैं, जमीन पर टैक्स का भारी बोझ लादा जा रहा है और अदालतों व व्यापार और दूसरे सरकारी कारोबार पर विदेशी भाषा ने कब्जा कर लिया है। इस तरह लोकप्रिय शिक्षा को मिलनेवाली राष्ट्रीय प्रेरणा लगातार कम हो रही है। इस (शिक्षा) की उन्नति अब इस बात पर निर्भर है कि विदेशी शासन से होनेवाली इस क्षति को सरकार किस तरह पूरा करती है।” लेकिन सरकार ने इस क्षति को पूरा करने के बदले उन ब्राह्मणों की आजीविका का साधन भी छीन लिया। वे माफ़ी की जमीनें भी जो सदियों और हजारों सालों से उन्हें मिली हुई थीं, उनसे छीन ली गईं।

आज हालत यह है कि जब दूसरे देशों की सरकारें नागरिकों की शिक्षा पर बड़ी-बड़ी रकम खर्च करती हैं, तब भारत में शिक्षा पर खर्च होनेवाली रकम बहुत थोड़ी है। १९३१ के आँकड़ों के अनुसार भारत-सरकार देश की आवादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति सिर्फ १) रु० शिक्षा पर खर्च करती थी, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में ३२), कनाडा में ४८) और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में ६५) रु० खर्च होता था। इसका नतीजा यह है कि जहाँ भारत में सिर्फ ८ फीसदी नागरिक पढ़े-लिखे हैं, वहाँ ग्रेट ब्रिटेन में ६२ ५, फ्रांस में ६४, जर्मनी में ६६.७, जापान में ६६ और आस्ट्रेलिया में ६८ ३ फीसदी हैं। ब्रिटिश भारत में प्रत्येक २१ के पीछे एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा था, जबकि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका व कनाडा में हर ४ के पीछे एक व्यक्ति शिक्षा हासिल कर रहा था। वस्तुतः शिक्षा भी मनुष्य की दूसरी अनिवार्य

आवश्यकताओं के समान एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस कारण सरकार का फर्ज है कि वह नागरिकों की प्राथमिक शिक्षा का पूरा प्रबन्ध करे और इसका खर्च उनपर न लादे।

नागरिकों का एक यह भी अधिकार है कि सरकार जो नये कानून बनावे या कोई खास हिदायत देना चाहें, उसके जनता में फैलाने का काफी इन्तजाम करे। हालांकि कानून का न जानना अदालत की निगाह में कोई सफाई नहीं है, फिर भी नागरिकों का यह पूर्ण अधिकार है कि उन्हें समय-समय यह मालूम होता रहे कि कौन-सा नया कानून बना है, कौन-सा नया हुक्म जारी हुआ है, किस चीज पर टैक्स लगाया, बढ़ाया या घटाया गया है। वगैर इन बातों के जाने लोग अगर नियम-भंग करें, तो वस्तुतः उनका दोष नहीं है। हरेक नये नियम या आज्ञा का प्रत्येक प्रान्तीय भाषा में अखबारों, ट्रेक्टों भाषणों और डोंडी आदि के द्वारा सर्वसाधारण तक प्रचार करना चाहिए।

व्यापार-व्यवसाय आदि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारिक भेद गुप्त रह सके। इसी तरह लोगों की बहुत सी ऐसी घरेलू या सामाजिक बातें होती हैं, जिनका गुप्त रहना जरूरी है। सरकार का यह फर्ज है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि डाक, तार, टेलीफोन आदि के जरिये होनेवाली लोगों की गुप्त बातचीत बाहर प्रकट न हो सके। इस सुविधा के बिना न व्यापार चल सकते हैं और न घरेलू व सामाजिक प्रश्न हल हो सकते हैं। अगर किसी तरह कोई महत्त्वपूर्ण भेद प्रकट हो जाय तो जिम्मेदार कर्मचारी को सजा दी जानी चाहिए, जिससे आगे ऐसी घटनाये न होने पावें।

देश की जनता को जीवन-निर्वाह की गारण्टी या काम दे देने

से ही सरकार का फर्ज पूरा नहीं होजाता । उसका यह भी कर्तव्य है कि वह हरेक आदमी के काम की स्थिति की भी देखभाल करे । एक मजदूर कारखाने में काम करता है, उसे वेतन भी सरकार द्वारा नियत की हुई दर के मुताबिक मिल जाता है । लेकिन इतने से ही सरकार निश्चिन्त नहीं हो सकती । उसे यह भी तो देखना चाहिए कि मजदूर जिस कारखाने में काम करता है, वहाँ रोशनी और हवा का इन्तजाम है या नहीं, वहाँ उसे बहुत सख्त गर्मी या सर्दी का तो मुकाबिला नहीं करना पड़ता, वहाँ मशीनों से उसे चोट लगने या उसकी जान जाने का खतरा तो नहीं है, और दुर्घटना होने पर उसका मुआवजा उस कारखाने का मालिक देता है या नहीं, उसे तनख्वाह ठीक समय पर मिल जाती है या नहीं, उसके साथ बहुत ज्यादा तो नहीं होती, बालकों और स्त्रियों को अपनी ताकत से तो ज्यादा काम नहीं करना पड़ता ? एक समय था कि सरकारें इस आवश्यक विषय की ओर बहुत कम ध्यान देती थीं । उस समय के राजनीतिज्ञों का खयाल था कि ये सब बातें देखना मजदूर का काम है । यदि उसे किसी कारखाने की हालत पसन्द है, तो वह काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा । इस तरह मजदूरों के इन्कार करने से विवश होकर मालिक खुद इन्तजाम करेगा । यह मालिकों और मजदूरों का आपसी मामला है, इसमें सरकार को दस्तदाजी नहीं करनी चाहिए । लेकिन अब राजनीतिज्ञों का विचार बदल गया है । पूँजीपति अपने धन के प्रभाव से ऐसे हजारों लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, जो गरीबी की वजह से सभी प्रकार की अच्छी-बुरी जगें स्वीकार करने को विवश होते हैं । सरकार इतनी बड़ी मज्दगी की ओर से महज इसीलिए आंखें बन्द नहीं कर सकती कि

उन्होंने कारखाने की हालतें जानते-बूझते हुए भी वहाँ काम करना मजूर किया है। सरकार का फर्ज है कि वह इतनी बड़ी श्रेणी की विवशता से पूँजीपति को नाजायज फायदा न उठाने दें। इसीलिए आजकल सरकारें फंक्टरी-एक्ट बनाती हैं और पूँजीपतियों को कारखानों में आवश्यक सुधार करने पर विवश करती हैं। कारखाने, रेल, जहाज या ट्रामकम्पनियों के मजदूरों, दुकानों के नौकरों और दफ्तरों के कर्मचारियों आदि सबकी कार्य-स्थिति की देख-भाल और उसमें उचित सुधार करना भी सरकार का फर्ज है और सरकार से इस प्रकार की आशा करना नागरिकों का पूर्ण अधिकार है।

कारखानों के मजदूरों का ही नहीं, सर्वसाधारण जनता का भी यह अधिकार है कि उसे सारा दिन-रात काम की चक्की में न पिसना पड़े। उसे खेल-कूद या मनोरञ्जन की सुविधा देना भी सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए जहाँ काम करने के समय पर पावदी लगानी चाहिए, वहाँ जगह-जगह सार्वजनिक उद्यान और दिलवहलाव व खेलकूद की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आजकल सरकारें अपनी जिम्मेदारी को अधिकाधिक अनुभव करती जाती हैं और वे अपना फर्ज समझने लगी हैं कि प्रजा को हर तरह से सुख-सुविधा पहुँचाई जावे। इसीलिए वे जीवन के हरेक पहलू में हस्तक्षेप करने लगी हैं। दरअसल प्रजा अपनी सब चिन्ताये अच्छी सरकार को देकर निश्चिन्त हो जाना चाहती है। इसी दृष्टि से सरकार का यह भी फर्ज है कि वह खेती, उद्योग-धन्यों की उन्नति और सुधार का कार्यक्रम बनाये। नई-नई खोज और अन्वेषण के काम पर दो-चार हजार नहीं, लाखों रुपया खर्च हो जाता है और इतनी भारी रकम खर्च करना किसी एक आदमी या कम्पनी के बूते की बात नहीं।

ऐसे काम सरकार को रियाया के फायदे के लिए करने चाहिए। हिन्दुस्तान में भी हालांकि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है, पर दूसरे देशों के मुकाबिले वह बहुत ही कम है। इन प्रयोगों पर किया गया खर्च व्यर्थ नहीं जाता। एक प्रयोग जहाँ सफल हुआ कि उससे सारा देश लाभ उठाता है। एक छोटे-से नये प्रयोग से सारे देश की करोड़ों रुपयों की आमदनी बढ़ जाती है।

सरकार का यह भी फर्ज है कि वह यह देखे कि किन्हीं चीजों के दाम अनुचित रूप से ज्यादा या कम तो नहीं हो रहे हैं? सट्टेवाज मिलकर कभी किसी चीज के दाम बहुत बढ़ा देते हैं। कभी किसी जरूरी चीज की मांग विदेशों से इतनी ज्यादा आने लगती है कि अपने देश में ही उसकी आवश्यक मात्रा नहीं रहने पाती। पिछले कुछ सालों से भारत से लगातार सोने का बाहर जाना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कभी किसी फसल के बहुत ज्यादा होने या विदेशी होड़ की वजह से चीजों के दाम बहुत गिर जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि किसान को बहुत कम आमदनी होती है। कभी-कभी तो यह होता है कि पैदावार बढ़ने से किसान को फायदे की जगह नुकसान तक होने लगता है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में एक साल ३२ करोड़ बुशल आलू पैदा हुए, उस साल आलू की कीमत १ डालर ८० सेण्ट फी बुशल थी। लेकिन जिस साल आलू की पैदावार ४४ करोड़ ६० लाख बुशल हुई, उस साल आलू की कीमत भी गिरकर सिर्फ ८० सेण्ट रह गई। यानी पहले साल कुछ पैदावार की कीमत ५,७६,००,००० डालर थी, लेकिन दूसरे साल उससे कहीं ज्यादा पैदावार की कुल कीमत सिर्फ ५,७२,००,००० डालर रह गई। गन्ने और जूट की पैदावार एकदम

बहुत बढ़ जाने से भारत में भी यही अनुभव हुआ। ऐसी सब हालतों में सरकार का यह फर्ज होता है कि वह बाजारभाव को ठीक रखने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करे। यह काम कई तरह में किया जा सकता है। वह विदेशों में आनेवाली चीजों (आयात) पर या किसी खास जरूरी वस्तु के बाहर जाने (निर्यात) पर तटकर लगा सकती है, मण्डियों का नियन्त्रण कर सकती है, कानून द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर सकती है, अपनी मुद्रा में कमी-बढ़ी करके कीमत पर असर डाल सकती है, किसी फसल की उपज पर नियन्त्रण करके मूल्यों में कमी को रोक सकती है। मैं इन सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता। तुम अखबारों में प्रतिदिन इस प्रकार के समाचार पढ़ते रहते होगे। असल में यह सब व्यवस्था करना सरकार का फर्ज है। जनता की हर तरह की चिन्ता और समस्या हल करने की जिम्मेदारी सरकार पर है, क्योंकि जनता ने अपनी शक्ति सरकार में केन्द्रित करदी है। इसी दृष्टि से अधिकार के सम्बन्ध में तुम जितना भी विचार करोगे, उतना ही साफ तौर पर जनता के सभी अधिकार तुम्हारे सामने आजायेंगे।

इस पत्र के साथ मैं अपनी राष्ट्रीय महासभा (काँग्रेस) के उस प्रस्ताव की नकल भी भेज रहा हूँ, जिसमें उसने अपने आदर्श स्वराज्य की कल्पना की है और जिसमें नागरिकों के प्रायः सभी मौलिक अधिकारों का समावेश हो गया है।

१ देखिए परिशिष्ट न० २।

हमारा देश आज़ाद हो

२६-६-३८

पिछले पत्रों में मनुष्य के प्रायः सभी नागरिक अधिकारों पर मैं रोशनी डाल चुका हूँ। इनपर जितना विस्तार से विचार किया जायगा, उतने ही ज्यादा अधिकार के भेद हमें मालूम होंगे। लेकिन इस पत्र में मैं जिस अधिकार का जिक्र करना चाहता हूँ, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसीपर सब नागरिक अधिकारों का दारोमदार है। यदि वह न हो, तो दूसरे सब नागरिक अधिकारों की प्राप्ति नामुमकिन हो जाती है। वह महत्त्वपूर्ण अधिकार है अपने देश की आजादी। जिस समाज या राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वाधीनता ही नहीं है, उसमें दूसरी किसी—व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक स्वाधीनता की कल्पना ही नहीं हो सकती। विदेशियों के राज्य में शासकों का शासित देश की अपेक्षा शासक-देश के हितों को ज्यादा प्रधानता देना निश्चित है। अगर शासक देश अपना लाभ न देखे, तो वह एक देश को राजनैतिक गुलामी में रखने के लिए भारी भ्रंशक प्यों करे ? आजकल जितने भी पराधीन राज्य हैं, उन सबके शासक अपने अधीन देशों का लगातार आर्थिक व राजनैतिक शोषण कर रहे हैं। दूसरे देशों का उदाहरण देने की जरूरत नहीं। हम भारत-वामनी ही राजनैतिक गुलामी के बहुत बड़े उदाहरण हैं। हमारे यहाँ भारत की आर्थिक, व्यापारिक और व्यावसायिक नीति बनाते समय

हमेशा पहले ब्रिटिश हितों को तरजीह दी जाती है। इसके लिए मैं तुम्हारा ध्यान पिछले डेढ़सौ बरसों के भारत के आर्थिक इतिहास की ओर खींचना ही काफी समझता हूँ। किन्तु नीचे उपायों से ब्रिटेन के हित के लिए भारत के व्यापार-व्यवसाय को नष्ट किया गया, किस तरह सस्यार के सबसे धनी देश को डेढ़ सौ बरसों में दुनिया का सबसे गरीब देश बना दिया गया, किस तरह आज भी विनिमय-दर को ब्रिटेन के अनुकूल रखकर भारत का करोड़ों रुपया हर साल इंग्लैण्ड ले जाया जा रहा है, किस तरह भारत के उठते हुए नये व्यवसायों को एक्साइज-करों या संधियों की आड़ में दबाया जाता रहा है, किस तरह अंग्रेजों को भारी-भारी नौकरियाँ देकर भारत के गरीब करदाताओं पर शासन का भारी बोझ लादा जा रहा है, किस तरह विदेशी पूँजी-पतियों से अनुचित शर्तें करके उन्हें मनमाना लाभ उठाने दिया जाता रहा है, यह सब कहानी भारत के ही इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में भी अपना एक खास स्थान रखती है। जब एक देश में उसका हित ही न देखा जाय, तो उस देश के नागरिकों को आर्थिक स्वाधीनता मिलने की भी उम्मीद कैसे की जा सकती है? यहाँ तो सभी देशवासियों की आर्थिक स्वाधीनता के मूल में ही कुठाराघात किया गया है। यह भी स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों में हिन्दुस्तानी लोग अपनी आजादी पाने के लिए प्रयत्न करते। पर वे कोई प्रयत्न न कर सकें, इसके लिए भी शासकों ने दमननीति का पूरा सहारा लिया। उनके हथियार छीन लिये गये, उनके लिखने-बोलने पर पाबन्दी लगा दी गई, उनके सभा-संगठनों पर व्यापक रूप से नियंत्रण किया गया, नागरिकों की गति-विधि पर भी कठोर नियन्त्रण किया गया, देश की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी लिपि तक

नष्ट करने में कुछ नहीं उठा रक्खा गया। इसके अलावा सारे देश को, जो ससार में सबसे सभ्य राष्ट्र था, जहरीली शिक्षा देकर उनका मानसिक और चारित्रिक पतन करने का भी प्रयत्न किया गया, जिससे वे स्वतन्त्रता की चर्चा ही करना भूल जायँ। केवल भारत ही नहीं, सारे गुलाम देशों में यही घटनायें दुहराई जाती हैं। असल में किसी देश की परतन्त्रता की कहानी उस देश के इतिहास का सबसे करुणापूर्ण अध्याय होता है।

यही सब कारण है कि देशवासी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए खुशी से सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहते हैं। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए संसार में सैकड़ों लड़ाइयाँ हुई हैं और उन राष्ट्रों के युद्धों में हमें सोने के अक्षरों में लिखे जाने योग्य अपूर्व बलिदान के वीरियों उदाहरण मिलते हैं। हालैण्ड, आयरलैण्ड, अमेरिका आदि के स्वातन्त्र्य-युद्ध कितने अधिक स्फूर्तिदायक हैं, यह इतिहास के किस विद्यार्थी को मालूम नहीं है? भारत का पिछला अहिंसात्मक स्वातन्त्र्य-युद्ध क्या कम स्फूर्तिदायक है? आज भी चीन अपनी आजादी की रक्षा के लिए जो-कुछ कर रहा है, वह तुम्हें मालूम ही है। यह सब त्याग और बलिदान किस लिए? इसलिए कि मेरा देश आजाद हो—मैं सब नागरिक स्वतन्त्रताओं का उपभोग कर सकूँ, क्योंकि किसी देश की आजादी ही अन्य सारी नागरिक स्वतन्त्रताओं का मूल आधार है।

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के नष्ट होने से व्यक्तिगत आत्म-स्वातन्त्र्य भी नष्ट हो जाता है और आत्म-स्वातन्त्र्य के नष्ट होने पर नैतिक विकास असंभव हो जाता है। राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होजाय, तो अन्य सब नागरिक स्वाधीनताओं को हासिल करना भी संभव हो जाता है, लेकिन

इस स्वतन्त्रता के अभाव में तो अन्य सब अधिकारों की आशा करना बालू से तेल निकालने की आशा करना है।

इस पत्र के साथ मैं अधिकारों की चर्चा समाप्त करता हूँ। अधिकारों की चर्चा बहुत लोकप्रिय विषय है। सभी अधिकार प्राप्त करने को उत्सुक हैं। लेकिन केवल उत्सुकता से कुछ नहीं होता। अधिकार-प्राप्ति की योग्यता भी तो प्राप्त करनी चाहिए। और फिर अधिकारों की रक्षा के लिए भी ताकत, संगठन और दृढ़ संकल्प भी उतने ही जरूरी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकार पाकर नागरिक या राष्ट्र मद् में चूर न हो जाय।

हमारे कर्तव्य

६-७-३८

पिछले पत्रों में मैंने तुम्हें एक नागरिक के क्या-क्या अधिकार होते हैं, यह बताने की कोशिश की थी। पर यह तो तुम समझ ही सकते हो कि जब हम एक समाज, देश या राष्ट्र में रहते हैं तो उसके नागरिक की हैसियत से सिर्फ अपने अधिकार का ही हमें खयाल नहीं रहना चाहिए। हमारा भी उस समाज, राष्ट्र या देश के प्रति कुछ फर्ज होता है। बल्कि मैं तो यह भी कहूँगा कि जिस समाज, देश या राष्ट्र में हम रहते हैं, उसके प्रति हमारा जो फर्ज है, उसे अदा करने के वाद हम अपने अधिकार का दावा करें। वगैर अपना फर्ज अदा किये अपने अधिकार का दावा करना मेरी निगाह में चोरी है। इन आगे के पत्रों में मेरा इरादा अपने कर्तव्यों के बारे में चर्चा करने का है। यद्यपि अधिकारों के बजाय कर्तव्यों का विषय दिलचस्प कम होगा और उसमें हमें अपनी बुराइयों और कमियों पर निगाह डालनी होगी, इस वजह से शायद कुछ अप्रिय भी मालूम हो, पर मुझे आशा है कि जिस भावना से तुमने मुझसे यह पत्र-माला शुरू कराई है, उसमें तुम्हें यह भी दिलचस्प ही मालूम होगा।

कुछ दिन पहले मैं इटली के प्रसिद्ध विचारक और देश-भक्त जोसेफ मैजिनी की 'मनुष्य के कर्तव्य' (Duties of man) नामक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें मैजिनी ने अपने शुरू के दक्तव्य में एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न किया है। वह प्रश्न उस समय जितने जोर के

साथ किया जा सकता था, उतने ही जोर से आज भी किया जा सकता है। मैजिनी ने इटली के मजदूरों को अपनी पुस्तक का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि अधिकार की वजाय कर्तव्यों का उपदेश देना तुम्हें विचित्र प्रतीत होगा। तुम कहोगे कि “हम गरीब हैं, गुलाम हैं और दुःखी हैं। हमारे सामने तो भौतिक सुखों की बात करो, हमें आजादी, सुख व अधिकारों का सन्देश सुनाओ। हमें बताओ कि क्या हमारी जिन्दगी इसी तरह दुःख में बीतेगी या हम कभी सुख भी भोगेंगे। कर्तव्यों का उपदेश तो हमारे मालिकों को दो, जो हमसे मशीनों की तरह काम लेते हैं और जो हमपर तरह-तरह के अत्याचार करते हैं। हमें तो अधिकार, संगठन और ताकत का सन्देश सुनाओ, जिससे हम उनसे बदला ले सकें। जब हम शक्तिसम्पन्न हो जावे, भर-पेट रोटी खाने लेंगे और तन ढकने को बढ़िया कपड़ा पहनने लगे, तब आप हमें कर्तव्य का उपदेश देना।” आज के हिन्दुस्तानी और खास कर दुःखी-दरिद्र प्रामीण भी यही कह सकते हैं। और उनकी यह बात दिल को लगती भी जरूर है। बात यह है कि उन लोगों को, जो अबतक अपने मालिकों की, सरकारी अफसरों और जमींदारों की जायज-नाजायज सभी आन्नाओं को बिना ननुनच सिर-आंखों रखते आये हैं, जो अपने-आप भूखों रह कर, गरमी और सरदी में नंगे बदन दिन गुजारकर अपना सब-कुछ जमींदारों व हाकिमों को अर्पण करते रहे हैं, उनके सामने कर्तव्य की चर्चा करना क्या पागलपन नहीं है? मैजिनी ने इसका जो जवाब दिया है, वह मनन करने योग्य है। वह कहते हैं कि मनुष्य के अधिकारों के नामपर पिछली सदियों में कई महान् कार्य हुए हैं—फ्रांस की क्रान्ति या उसके बाद आनेवाली अनेक भीषण क्रान्तियाँ, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा, दार्शनिकों व साहित्यिकों द्वारा मनुष्य के अधिकार की चर्चा

आदि महान् कार्य हुए हैं। कई देशों में मनुष्य ने अधिकार भी प्राप्त कर लिए हैं, पर क्या वस्तुतः उनकी हालत सुधर गई है ? क्या इन देशों में रहने वाले सुखी हैं ? वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पत्ति जरूर दुगनी हो गई है, व्यापार खूब बढ़ गया है, आने-जाने के साधन भी खूब सुधर गये और सुगम हो गये हैं, मनुष्य के पैदायशी अधिकार को भी मंजूर किया जाने लगा है, राजनैतिक दृष्टि से भी मनुष्य अपने को कहीं ऊँचा समझने लगा है, पर क्या इस सबके बावजूद मनुष्य की—आम जनता की हालत सुधर गई है ? उत्पत्ति के सबसे समान विभाजन के बजाय क्यों एक नयी कुलीन श्रेणी बनाने का प्रयत्न हो रहा है ? व्यापार और व्यवसाय की वैज्ञानिक उन्नति का नतीजा मानव जाति का कल्याण न होकर क्यों थोड़े से इने-गिने मनुष्यों का भोगविलास-मय जीवन होगया है ? इसके उत्तर में मैजिनी कहते हैं कि इसका जवाब साफ है। जिस श्रेणी ने क्रान्ति की है, उसके सामने एक ही उद्देश्य था और वह था स्वाधीनता—व्यक्तिगत स्वाधीनता और नागरिक स्वाधीनता की प्राप्ति। लेकिन इसका उन आम लोगों के लिए कोई मतलब न था, जिन्हें यह आजादी नहीं मिली थी। अमल में जिन लोगों का व्यापार-व्यवसाय से कोई तालुक न था, जिनके पास न पैसा था, न शिक्षा, उन्हें तो कोई अधिकार ही नहीं मिला। इन अधिकारों को प्राप्त करनेवाली तो एक छोटी-सी मध्यम-वर्ग की जमात थी, जिसके पास जमीन थी और पैसा भी था। इस क्रान्ति से आम लोगों का, जो दिन-रात कड़ी मेहनत करनेवाले मजदूर या किसान थे, कोई सम्बन्ध न था। इनके लिए तो स्वतंत्रता और अधिकारों की घोषणा एक मजाक था। उनकी ओर मध्यमवर्ग की जमात ने भी उपेक्षा दिखाई। उसे तो अपने अधिकारों की परवा थी,

दूसरे की उसे कोई चिन्ता न थी। जब उसके स्वार्थद्वन्द्व में टकराये, तब एक युद्ध हुआ। यह युद्ध बन्दूकों व तोपों का न था, यह एक नये किस्म की सोने-चादी की लड़ाई थी—चालाकी व धोखेवाजी की लड़ाई। पर इसका नतीजा तलवारों और तोपों के हिंसात्मक युद्ध में भी भीषण था। इस लड़ाई में पैंगवलों ने गरीबों को तबाह कर दिया। मनुष्य की स्वतंत्रता उच्छृंखलता के रूप में परिणत होगई। धार्मिक या नैतिक भावना का बंधन न होने से हर एक अपना मुस, अपना स्वार्थ खोजने लगा। किसी को यह फिक्र न हुई कि हमारी आजादी से दूसरे के अधिकार कुचले जा रहे हैं।

अधिकारों की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता। उनका अस्तित्व है और निश्चित है। पर सवाल उठता है कि जहाँ एक शख्स के अधिकार दूसरे के अधिकारों से टकराते हैं, वहाँ दोनों का समन्वय कैसे होगा? जहाँ एक मनुष्य के अधिकारों का, एक समूह या देश के अधिकारों से संघर्ष हो, वहाँ कौनसी अदालत में अपील की जाय? अगर मजदूर और मिल-मालिक सभी को अपने स्वार्थ के साधन का ही खयाल रहे, तो इन दोनों के झगड़ों का पंच कौन बनेगा? यदि जीवित रहने का अधिकार सबको है तो समाज के हित के लिए अगर मरना पड़े तो कौन मरेगा और कौन किससे त्याग और बलिदान की अपील करेगा? क्या तुम देश, समाज या विरादरी के नाम से यह अपील करोगे? देश या समाज भी क्या है? समाज ने यही तो मनुष्य को तसल्ली दी है कि वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। अब क्या तुम उसे कहोगे कि वह सब अधिकार समाज को सौंप दे और यदि समाज के लिए जरूरी हो तो वह जेल जाय, युद्ध में लड़े और मर जाय? अपने

सुख को समझने का समाज ने उसे उपदेश दिया और अब क्या समाज ही उसे कहेगा कि वह अपना सुख और अपना जीवन देश या समाज को विदेशियों से मुक्त करने के लिए बलिदान करदे ? और कहोगे किस आधार पर ? तुमने उसे बरसों से भौतिक स्वार्थों की शिक्षा दी है । तब तुम उससे यह कैसे आशा कर सकते हो कि वह अब अपनी पहुँच में आई हुई सम्पत्ति व शक्ति को छोड़ देगा ? वह तो उसे अपने अधिकार में रखने की भरपूर कोशिश करेगा, भले ही इससे दूसरों के हितों को नुकसान पहुँचे ।

मैजिनी बड़े दुःख के साथ इटली की आम जनता को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि उनका यह विचार-प्रवाह अकारण ही नहीं है । यह इतिहास है—हमारे अपने समय का इतिहास है, जिसके पन्ने-कें-पन्ने हमारे भाइयों के खून से रंगे हुए हैं, जिसे देखने के बाद मैं इन नतीजों पर पहुँचा हूँ । १८३० की भयंकर क्रान्ति देखो, जब हजारों लोग क्रान्ति के नाम पर राजकीय और धर्म के उच्च अधिकारियों से दूसरी छोटी-सी श्रेणी के (मध्यमवर्ग) के हाथ में सत्ता लेने के लिए मार दिये गये । यह सब क्यों हुआ ? इसका कारण था अधिकारों के सिद्धान्त की शिक्षा । कर्तव्य की शिक्षा उन्हें नहीं दी गई थी । उन्होंने (मध्यमश्रेणी ने) आम लोगों की सहायता से चार्ल्स दमर्वे के विरुद्ध युद्ध किया और सब प्रकार के कष्ट सहन किये, लेकिन जब उन लोगों को राजनैतिक अधिकार मिल गये, उन्हें बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियाँ मिल गईं, जब उन्हें वह सुख मिल गया जिसके लिए उन्होंने लड़ाई की थी, तो वे आम जनता को, उन लाखों लोगों—को भूल गये, जो शिक्षा में, धन में उनसे छोटे थे । उन्हें आम जनता की चिन्ता ही न रही और उनका अधिकार-युद्ध खतम हो गया ।

संसार के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, जबकि एक श्रेणी ने मानव-अधिकार के नामपर जासकों से मंत्र्य किया, लेकिन जब ताकत उनके हाथ में आ गई, तब वे भी आम लोगों के अधिकारों की उसी तरह उपेक्षा करने लगे, जिस तरह पहले के जासक उनकी उपेक्षा किया करते थे। इसका एकमात्र कारण यह है कि उन्हें अधिकार प्राप्ति की शिक्षा तो खूब दी गई, लेकिन कर्तव्यपालन की सलाह नहीं दी गयी थी। उन्हें यह तो बताया गया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, लेकिन उन्हें यह सलाह नहीं दी गई कि समाज या राष्ट्र के प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, अपने अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा तुम्हें करनी है।

यदि अधिकारों के सिद्धान्तों में विश्वास करनेवाला एक व्यक्ति समाज या राष्ट्र के प्रति यह कह करके विद्रोह कर दे कि—मैं समाज के कायदे-कानून नहीं मानता, मैं तो अपने अधिकारों की रक्षा करूँगा, मुझे कौन रोक सकता है, मैं जो चाहूँ, करूँगा। ऐसे विद्रोही को किस तरह रोका जा सकता है ? यदि वह कायदे कानून तोड़े, तो तुम्हें उसे दण्ड देने का क्या अधिकार है ? वह तो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और इसका उसे अधिकार है। हमारा उसे दण्ड देना तो एक लड़ाई-सी हुई, शान्ति तो न हुई। वस्तुतः ऐसी वागी प्रवृत्ति को अधिकार की शिक्षा देकर नहीं, कर्तव्य-पालन की शिक्षा देकर ही शान्त किया जा सकता है। अधिकारों का सिद्धान्त हमें उन्नत होने और सब बाधाएँ उखाड़ फेंकने में सहायता देता है, लेकिन राष्ट्र के जुदा-जुदा हिस्सों में समन्वय, संगठन और स्थायी शान्ति पैदा नहीं करता। व्यक्तिगत सुख के सिद्धान्त से ऐसे आदमी

तो पैदा हो जायगे, जो अहम्भाव रखते हों, दुनियावी सुखों में विश्वास करते हों, लेकिन समाज की कल्याण-भावनावाले पैदा नहीं हो सकेंगे। इसके लिए कर्तव्य के सिद्धान्त की शिक्षा देना निहायत जरूरी होगा। हमें लोगों को यह समझाना होगा कि एक परमात्मा के सब पुत्रों को एक नियम का ही पालन करना है। हरेक यह सोचे कि मुझे दूसरों के लिए जाना है, सिर्फ अपने ही लिए नहीं, केवल अपना सुख ही मेरा उद्देश्य नहीं, अपना और अपने सब पड़ोसियों का सुख भी मुझे देखना चाहिए, अपने भाइयों के फायदे के लिए अन्याय और पाप के विरुद्ध युद्ध करना केवल अधिकार ही नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को भूल जाना पाप है। अधिकार छोड़ने की कोई सलाह नहीं देता, लेकिन अधिकार की प्राप्ति के लिए भी कर्तव्य-पालन बहुत जरूरी है। बिना कर्तव्यपालन के अपने अधिकारों की रक्षा असंभव है। मैजिनी के शब्दों में अपनी उन्नति भी अपने प्रति कर्तव्य का पालन है। वह कर्तव्य को इतनी प्रमुखता देता है कि वह उसे उद्देश्य और अधिकार को साधन कहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए अपने अधिकार, पड़ोसी के अधिकार और समाज या देश के अधिकार के प्रति भी मनुष्य अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है।

इस पत्रमाला को शुरू करते हुए मैंने अधिकार और कर्तव्य पर विचार करते हुए लिखा था कि—“मनुष्य के जीवन के लिए समाज लाजमी है, इसलिए उसकी रक्षा भी लाजमी है। अगर समाज की रक्षा न की गई, इसे नष्ट होने दिया गया तो, यह नष्ट होकर मनुष्य को भी मार देगा।” “समाज मनुष्य की उन्नति में बाधक न हो और मनुष्य समाज की उन्नति में बाधक न हो। दोनों एक दूसरे की उन्नति में मददगार हों। ऐसी हालत उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को समाज के प्रति जो-

कुछ करना पड़ता है, वही उसका कर्तव्य है। मनुष्य एक हाथ से समाज को अपने कर्तव्य-पालन के रूप में कुछ देता है और दूसरे हाथ से अपने अधिकारों की रक्षा के नाम में कुछ ले लेता है। यह 'ले' और 'दे' का समन्वय ही हमें समझने की आवश्यकता है।" दूसरे पत्र में भी मैंने कर्तव्य का निर्देश करते हुए लिखा था—“मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए ही—बलवान आक्रमणकारी, मनुष्य के अधिकारों पर कुठाराघात न कर सके, इस उद्देश्य से समाज या राज्य की कल्पना की थी। समाज के लिए कुछ बन्धन आवश्यक है यानी अधिकारों की रक्षा के लिए बन्धन अनिवार्य हैं। मनुष्य पर राज्य का बन्धन मनुष्य की उच्छृङ्खलता रोकने के लिए और राज्य पर मनुष्य का नियंत्रण या बन्धन राज्य की उच्छृङ्खलता रोकने के लिए लगाया जाता है। पहले प्रकार के बन्धन मनुष्य के कर्तव्य हैं और दूसरे प्रकार के बन्धन अधिकार हैं।”

खुद जीना मेरा अधिकार है, लेकिन दूसरे को जीने देना मेरा कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अधिकारों की रक्षा हो, लेकिन सामूहिक अधिकार-रक्षा के लिए यह निहायत जरूरी है कि मैं दूसरे के अधिकार की भी रक्षा करूँ। अगर लोग अपने कर्तव्य की—दूसरे के अधिकार-रक्षा की चिन्ता न करें, तो संसार में किसी का अधिकार भी सुरक्षित न रहे। सभी को हर समय दूसरे से अपने अधिकार छिन जाने का खतरा रहे तो समाज भी नष्ट हो जाय। मैं जहाँ समाज से लाभ की आशा करता हूँ, वहाँ दूसरा भी तो समाज से, जिसका कि मैं भी एक अंग हूँ, लाभ की आशा करता हूँ। समाज के प्रति लोगों की उपेक्षा का नतीजा ऐसी अराजकता होगी, जिसमें किसी के अधिकार न बच सकेंगे।

हरेक को अनुभव करना चाहिए कि यदि मैं समाज के लिए नहीं हूँ, तो समाज भी तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। समाज के अधिकार की रक्षा का दूसरा नाम कर्तव्य है। आर्यसमाज के प्रवर्तक ऋषि दयानन्द ने आर्यसमाज के दस नियमों में से दो नियमों में समाज के प्रति कर्तव्य पर खासकर जोर दिया है। ६वा नियम यह है—“प्रत्येक को अपनी उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।” १०वा नियम यह है—“सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र रहना चाहिए।” सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना और सर्वहितकारी नियम-पालन में परतंत्र रहना—बंधन स्वीकार करना कर्तव्य के सिद्धान्त का मुख्य आधार है। इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध विद्वान, जान स्टुअर्ट मिल की ‘स्वाधीनता’ पुस्तक, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं दो नियमों की व्याख्या है। वह स्वाधीनता का लक्षण करते हुए लिखता है कि—“दूसरो को किसी तरह हानि न पहुँचाकर और अपने हित के लिए किये गये दूसरो के यत्न में बाधा न डालकर अपने स्वार्थ-साधन की आजादी का नाम स्वाधीनता है।” यह शर्त कर्तव्य-पालन का ही निर्देश करती है।

ससार में आज जो अशान्ति है, वह चाहे छोटे क्षेत्र में हो या बड़े क्षेत्र में, चाहे एक ग्राम में हो, देश में हो या अन्तर्राष्ट्रीय ससार में, सबका मूल कारण लोगों, जातियों या राष्ट्रों की अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा है। हरेक अपने अधिकार की रक्षा तो चाहता है, लेकिन अपने पड़ोसी, अपने समाज, अपने ग्राम, शहर, प्रान्त या देश और ससार के दूसरे राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों की उपेक्षा करता है। इसीलिए आज ससार की आर्थिक और

राजनैतिक समस्याये इतना भीषण आकार धारण करके सामने आ रही हैं।

साधारणतः कर्तव्य को हम नीचे लिखे विभागों में बाँट सकते हैं—

(१) अपने प्रति—अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भौतिक उन्नति। जबतक समाज के अग ही पुष्ट न होंगे, समाज कैसे पुष्ट हो सकता है? मनुष्य खुद भी समाज का एक अंग है, इसलिए अपने प्रति लापरवाही भी समाज के प्रति लापरवाही है।

(२) ग्राम व नगर के प्रति—हमारे राजनैतिक सगठन की इकाई ग्राम या नगर होते हैं। इनकी उन्नति अपनी उन्नति के लिए जरूरी है।

(३) देश के प्रति—राज्य किसी देश की उन्नति और अवनति के लिए बहुत उत्तरदायी है। जननी होने के कारण हम माता की इज्जत करते हैं, लेकिन मातृभूमि तो सारे देशवासियों की जननी है। देश ही दुर्बल होगया, गुलाम होगया तो देशवासी भी सुखी नहीं रह सकते।

(४) समाज के प्रति—समाज के जुड़े-जुड़े वर्गों, स्त्रियों, बालकों और दलितों के अधिकारों की हम पूरी रक्षा करें। विधर्मियों का भी आदर करें और विभिन्न आर्थिक श्रेणियों—मजदूरों, किसानों आदि के सुखों और अधिकारों का खयाल रखें।

इस तरह स्वयं, परिवार, मुहल्ला, ग्राम, जिला, प्रान्त और देश तक अपने कर्तव्य का दायरा बढ़ाते-बढ़ाते हम सारी दुनिया तक अपना दायरा बढ़ा सकते हैं, जब हरेक व्यक्ति को हम अपना

मानगे, हरेक देशवासी या हरेक धर्म माननेवाले का हित हमे अभीष्ट होगा। उस समय हमारा उद्देश्य होगा—

“सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्द्रु खभाग्भवेत् ॥”

आगे के पत्रों में मैं कर्तव्य की इन्हीं दो-चार श्रेणियों पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा ।

अपने लिए क्या करूँ ?

८-७-३८

हिन्दू शास्त्रकारों ने मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मोक्ष बताया है। उनकी राय में स्वतंत्रता आत्मा का स्वभाव है। किसी वधन में पडना उसके स्वभाव के विपरीत है, लेकिन कर्मफल के संयोग से उसे छोटे-बड़े अनेक बंधनों में आना पडता है। इन बंधनों से छूटने की कोशिश उसे हमेशा करते रहना चाहिए। एक साधक न केवल ससार के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बंधनों को तोड़ डालना चाहता है, बल्कि जीवन-मरण के बंधन से भी छूटने की कोशिश करता है। मनुष्य के अपने प्रति कर्तव्यों का विवेचन करते हुए धर्मशास्त्रों ने बहुत से योग, नियम और व्रत आदि बताये हैं, जिनसे आत्मा अपने जीवन को आदर्श बनाते हुए आध्यात्मिक उन्नति द्वारा परमात्मा में लीन हो सकता है और मोक्ष या निर्वाण पा सकता है।

लेकिन इन पत्रों में मैं इन कर्तव्यों का जिक्र नहीं करना चाहता। न तो मैं उसका अपने को अधिकारी ही मानता हूँ और न यह इस पत्रमाला का विषय है। यहाँ तो मैं केवल उन गुणों और कर्तव्यों का ही जिक्र करना चाहता हूँ, जिनका समाज के साथ—इस भौतिक जगत् की उन्नति के साथ सीधा सम्बन्ध है। निजी उन्नति के बारे में दुनिया के बहुत से फिलासफ़रों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। उन सबपर विचार करना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं तो थोड़े में ही इस विषय का जिक्र-भर करना चाहता हूँ।

शारीरिक उन्नति

एक भारतीय विद्वान् का कथन है—कि “शरीरमाद्यं खलु धर्म-साधनम् ।” यदि शरीर ही तन्दुरुस्त नहीं तो लौकिक और पारलौकिक व्यवहारों में सफलता पाना कठिन है । ‘स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है,’ कहावत में पूरी सच्चाई है । विना तन्दुरुस्ती के जीवन बौद्ध होता है । किसी काम में भी उत्साह और रस नहीं लिया जा सकता । एक रोगी शरीर न जीवन का सुख ले सकता है और न कोई उन्नति कर सकता है । वह तो अपनी चारपाई पर पड़ा रहता है या दवाइयों की खोज में डाक्टरों के दर-दर भटकता रहता है । दुनिया में उसका जीवन व्यर्थ बीतता है । हमेशा बीमार रहनेवाले का जीना या मरना समाज के लिए बराबर है, क्योंकि वह समाज पर भार के सिवा उसके किसी काम नहीं आता । जबतक किसी देश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं वह किसी भी दिशा में उन्नति नहीं कर सकता । भारतवर्ष में निरंतर होनेवाले शारीरिक हास की ओर मैं तुम्हारा ध्यान अपने चौथे पत्र में खींच चुका हूँ । एक बार उन रोमाचकारी आकड़ों को फिर पढ़ो और सोचो कि भारत में इस ओर कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । ५०-६० साल तक दुनिया का अनुभव लेने के बाद ऐसी उम्र आती है, जबकि मनुष्य अपनी ओर से संसार को कुछ दे सके, लेकिन उससे पहले ही वह संसार से चला जाता है । इसका मतलब यह है कि दुनिया करोड़ों व्यक्तियों के कई दर्शकों के अनुभवों के लाभ से वंचित रह जाती है । शारीरिक उन्नति के उपाय तुम वीसियों स्वास्थ्य-संबंधी किताबों में पढ़ सकते हो और तुम जानते भी हो, फिर भी यह विषय अधूरा न रह जाय, इसलिए मैं कुछ उपायों की ओर तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ—

(१) मनुष्य को 'शतं जीवेम शरदः ज्ञतम्' (यानी मैं सौ वर्ष तक जीवित रहूँ) की वेद-प्रार्थना को अपना आदर्श बनाना चाहिए। इसके लिए दृढ संकल्प, आशावाद और हमेशा खुश रहने के गुणों का होना बहुत जरूरी है। इन तीन गुणों का शरीर पर जितना असर पड़ता है, उतना दूसरे किसी उपाय से नहीं। अग्नेजी का मगहूर नाट्यकार शैक्सपीयर एक जगह लिखता है "प्रसन्न हृदय दिन-भर चलता रहता है, जबकि पाप का उदास हृदय एक मील से ही थक जाता है।"

(२) साफ हवा फेफड़ों के लिए बहुत जरूरी है। घर खुले और हवादार होने चाहिए, जिससे धूप और हवा खूब आसके। गाँवों के आदमी, यद्यपि दिन भर बाहर खेतों की खुली हवा में काम करते हैं, लेकिन उनके घर और खासकर उठने-सोने के कमरे बिलकुल बन्द होते हैं, जिनमें एक भी खिडकी और रोशनदान नहीं होता। शहरों में, जहाँ बाहर की खुली हवा नसीब नहीं होती, तपेदिक आदि गंदी बीमारियाँ इसीलिए होती हैं। कपड़े इतने ज्यादा नहीं पहनने चाहिए कि शरीर को हवा भी न लग सके। खदर के कपड़े तन्दुरुस्ती के खयाल से बहुत अच्छे होते हैं। शुद्ध हवा में गहरी सास लेने का अभ्यास करना चाहिए। एक डाक्टर का कहना है कि "हर रोज एक मनुष्य को चालीस से लगाकर पचास घनफुट तक हवा की जरूरत होती है।" हमारे पूर्वजों ने प्रणायाम पर इसीलिए खास जोर दिया था।

(३) साफ हवा की भाँति साफ पानी भी बहुत जरूरी चीज है। गाँव में इस ओर बहुत-कम ध्यान दिया जाता है। गाँवों के कुएँ बिना ढके होते हैं फिर उनके पास लोग टट्टी-पेशाब करते भी संकोच

नहीं करते। इससे पीने का पानी गंदा हो जाता है। बहुत से गाँवों में, जहाँ तालाब का पानी पीने के काम में भी आता है, लोग तालाब में ही मँले कुचले कपड़े धोते हैं। ऐसे तालाबों के पानी से कई रोग पैदा हुआ करते हैं। घर में भी पानी साफ बर्तनों में ढककर रखना चाहिए। किसी-किसी मौके पर पानी औटाकर भी पीना पड़ता है। रोज अच्छी तरह नहाने से कई रोग नहीं होने पाते। हमारे यहाँ कहा है “अद्रिर्भर्गात्राणि शुध्यन्ति।” (पानी से शरीर शुद्ध होता है)

(४) हवा और पानी के बाद तीसरी जरूरी चीज है धूप, बल्कि कई हालतों में तो धूप सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। सूरज की किरणों में रोग दूर करने की बड़ी शक्ति होती है। वे मनुष्य में स्फूर्ति और उत्साह का संचार करती हैं। ‘स्वेद-स्नान’ से भी कई रोग दूर होते हैं।

(५) भोजन के बारे में ‘शुद्ध सात्विक और कम खाने’ का नियम याद रखना चाहिए। मनुष्य के शरीर का आधार भोजन है। प्रत्येक अस्थि और प्रत्येक पेशी भोजन की ही बनी होती है। मनुष्य के मन और आत्मा पर भी भोजन का कम प्रभाव नहीं पड़ता। कहा है—“अन्नमय हि मनः”। भोजन सादा होना चाहिए। बहुत भारी, चटपटा और नशीला भोजन शरीर के लिए जहर का काम करता है। चाय, काफी, तमाखू आदि चीजें, जो आजकल की सभ्यता का आवश्यक अंग बन गई हैं, बहुत नुकसानदेह चीजें हैं। दुनिया के मशहूर आविष्कारक एडिसन तमाखू के इतने खिलाफ थे कि सिगरेट पीने वाले किसी व्यक्ति को अपने यहाँ नौकर नहीं रखते थे। जर्मनी और इटली के डिक्टेटर हिटलर व मुसोलिनी भी तमाखू नहीं पीते। सामान्य शरीर में खट्टापन और जहर पैदा करता है। अमेरिका

के प्रसिद्ध लेखक अप्टन सिक्लेयर के कहे अनुसार “जराव मनुष्य जाति के पंमे को बाँधनेवाला प्रकृति का सबसे बड़ा जाल है।” डॉ० गुलिक के शब्दों में “नजे अथवा उत्तेजक पदार्थों पर भरोसा करना एक धोखेवाज साथी पर भरोसा करना है।” म० गाँधी हाथकूट चावल, हाथपिसं आटे और हाथवने गुड आदि तथा कच्चे या सिर्फ उवाले हुए अनाज और सब्जी आदि खाने की सिफारिश करते हैं। इस विषय पर मैं तुम्हें सलाह दूँगा कि तुम कुछ नई पुस्तकें जरूर पढ़ो। मैं इस विषय का विंगेपज भी नहीं हूँ और न यह पत्र उनके लिए ठीक स्थान ही है।

(६) नियमित कसरत करना भी स्वास्थ्य को उत्तम बनाने और जीवन को दीर्घ करने में सहायता करता है। कसरत करने में शरीर में हलकापन आजाता है, कार्य-शक्ति बढ़ती है, शरीर भरा हुआ और सुडौल हो जाता है, कफ, मेढ़ आदि रोग दूर होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है, वदहजमी तथा दूसरे रोग नहीं होते। व्यायाम के लिए देशी और विदेशी खेल दोनों हमारे यहाँ इस समय प्रचलित हैं। विदेशी कसरतें और खेलें काफी खर्चीली होती हैं, वहाँ देशी खेल और व्यायाम बहुत सस्ते और सुगमता से किये जा सकते हैं।

(७) सयम या ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य-रक्षा के लिए लाजिमी है। वीर्य सातों धातुओं में सबसे श्रेष्ठ है। भोजन का सार वीर्यरूप में बनता है। इसके विनाश की हमारे स्मृतिकारों ने मृत्यु से उपमा दी है। “मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दुधारणात्” ब्रह्मचर्य नाश से स्वस्थ से स्वस्थ शरीर कुछ समय में नष्ट हो जाता है। चेहरे पर रूप लावण्य का नाम नहीं रहता, आँखों की ज्योति मलीन हो जाती है, शक्ति नष्ट होते-होते राज-रोग जैसे बड़े रोग हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य की

कृपा से देवों ने मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया था, यह कहावत निराधार ही नहीं है। ब्रह्मचर्य की रक्षा या संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए कामभाव से स्त्रियों का दर्शन, स्पर्श, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परस्पर क्रीडा, विषय का ध्यान और संग इन आठ मंथुनों से अलग रहना हमारे नीति-नियमों में जरूरी माना गया है। दिन-रात विषयोत्तेजक और शृंगाररस-प्रधान काव्य, नाटक, उपन्यास पढ़ने और सिनेमा व नाटक देखनेवाले, खटाई-मिर्च आदि का खुला प्रयोग करनेवाले आजकल के अधिकांश कालेज के विद्यार्थियों से यह आशा भी नहीं हो सकती कि वे ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन बिता सकेंगे। मनुस्मृति में तो ब्रह्मचर्य-पालन करने के लिए मद्य, मांस, गंध, रस, स्त्री, खटाई, शृंगार (जो कि आजकल के फैशनेबल लोगों में बहुत चल पड़ा है), विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श आदि के त्याग और एकाकी शयन की सलाह दी गई है। भारत में भीषण रूप से प्रचलित बालविवाह ने हमारे राष्ट्र के शारीरिक हास में जितना भारी भाग लिया है, उतना दूसरी किसी घुराई ने नहीं। संयम केवल ब्रह्मचर्य-आश्रम में ही नहीं, गृहस्थ-आश्रम में भी जरूरी है। स्वास्थ्य के और भी वीसियों नियम हैं, लेकिन उन सबकी चर्चा करने का यहाँ स्थान नहीं है।

मानसिक उन्नति

शारीरिक उन्नति से ही मनुष्य पूर्ण नहीं होता। एक आदर्श नागरिक बनने के लिए अपने मन और आत्मा को भी ऊँचा बनाना जरूरी है। महान् स्मृतिकार मनु ने इस सम्बन्ध में योगदर्शन में बताये पाँच यमों और पाँच नियमों का निर्देश किया है। यम और नियम

ये हैं :—त्रताहिसासत्याग्नेयत्रह्यचर्यापरिग्रहा यमाः । शौच सन्तोप-
तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । (योग० साधनपाद ३० और
३२ सूत्र)

इन दो छोटे-से सूत्रों में योगदर्शनकार पातञ्जलि ने गागर में सागर भर दिया है । मनुष्य की व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति करने के लिए अद्भुत कुशलता के साथ सभी जरूरी नियमों का इन दो सूत्रों में समावेश किया गया है ।

व्यक्तिगत उन्नति के लिए योगदर्शनकार ने पांच नियम बताये हैं । शौच (बाह्य शुद्धि, जिसका उल्लेख मैं स्वास्थ्य के प्रसंग में कर आया हूँ), सन्तोष (पुरुषार्थ करते जाना और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या न करना), तप (कष्ट सहकर भी धर्मयुक्त नियमों व कर्तव्यों का आचरण) स्वाध्याय (शिक्षा और विविध विषयों का ज्ञान) और ईश्वर-प्रणिधान (ईश्वर की भक्ति) से मनुष्य की वैयक्तिक उन्नति होती है । इन पाँचों नियमों पर बहुत-कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन यह लिखने से पत्र बहुत लम्बा हो जायगा । इनपर जितना विचार करोगे, उतना ही ज्यादा इन गुणों की विशेषता स्पष्ट होती जायगी । मनु ने लिखा है कि केवल नियमों का ही पालन न करे । जो केवल नियमों का पालन करता है और यमों का पालन नहीं करता, वह भी पतित हो जाता है । यम ऐसे सामाजिक कर्तव्य हैं, जिनका पालन समाज की रक्षा के लिए भी जरूरी है । अधिकारों के प्रकरण में नागरिक के जिन-जिन अधिकारों का विचार किया गया है, उनकी रक्षा के लिए, समाज की व्यवस्था कायम रखने के लिए, इन यमों

१ यमान्सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुध

यमान्पतत्यकर्वाणो नियमान् केवलान् भजन ॥ (अ० ४।२०४॥)

का पालन आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को जीवित रहने देने और उसके शरीर की रक्षा के लिए समाज के सदस्यों में अहिंसा का गुण अनिवार्य है। समाज का कारोबार चलाने के लिए एक-दूसरे का विश्वास करना, जिसका आधार केवल सत्य हो सकता है, जरूरी है। नागरिकों की सम्पत्ति तबतक सुरक्षित नहीं हो सकती, जबतक समाज के सदस्यों में अस्तेय (चोरी न करने) की प्रवृत्ति न हो। स्त्रियों के सतीत्व—शारीरिक और चारित्रिक धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। आज ससार में पूँजीवाद ने जो भीषण समस्या पैदा कर रखी है—संसार की ज्यादातर सम्पत्ति थोड़े-से पूँजीपतियों में ही रक्खी है, इसका हल अपरिग्रह के व्रत में है। इस यम का पालन करनेवाला पूँजीपति बन ही नहीं सकता। उसके लिए अपनी आवश्यकता से अधिक लेना पाप है। जैनो के पाँच यम और बौद्धों के पाँच शील भी थोड़े-बहुत अन्तर के साथ यही सामाजिक धर्म हैं। हमारे पूर्वजों ने संसार के अनुभव तथा गम्भीर चिन्तन के बाद समाज के लिए जो नियम बताये हैं, वस्तुतः उनके पालन से संसार की बहुत-सी समस्याएँ हल हो जाती हैं। मनु ने धर्म के दस लक्षण बताए हुए धृति (धैर्य), क्षमा (दूसरे का अपराध माफ कर देना), दम (आत्मसंयम), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (सफाई—मनित्जन और 'हार्डिजन'), इन्द्रियनिग्रह (इन्द्रियों को वज्र में परना), धी (बुद्धिपूर्वक आचरण), विद्या (शिक्षा-प्राप्ति), सत्य (मन, वचन और कर्म से सत्याचरण) और अक्रोध (क्रोध में अन्याय न होना) पर जोर दिया है। ये दसों धर्म हैं—समाज का धारण करने वाले (धर्मो धारणात), समाज की व्यवस्था कायम रखने हैं।

मैं इस विषय पर प्राचीन स्मृतिकारों के उद्धरण दिये हैं, इसलिए

इन्हे योंही उपेक्षा से मत देख जाना या आजकल के गलियों में फिरनेवाले कथावाचकों की चर्चा मत समझ लेना। असल में ये सामाजिक नियम हैं। यूरोपीय विद्वानों की विचार-प्रणाली भले ही हमसे भिन्न हो, लेकिन वे भी इसमें भिन्न और ऊँचे निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके। यद्यपि जोसेफ मैजिनी ने मनुष्य के कर्तव्यों का प्रारम्भ ईश्वर के प्रति कर्तव्यों से किया है, और हमारे स्मृतिकारों ने भी मोक्ष को आदर्श माना है, तो भी मैंने उसपर खास जोर नहीं दिया, क्योंकि मैं जापानी कवि ओमी ओकुरा की इस कविता को बहुत पसन्द करता हूँ—

‘स्वर्ग को प्रकाशित करने के ढग बहुत दूर है,
 अब तू अपने पास की वस्तुओं पर ध्यान दे।
 हे मित्र तू अपने पार्थिव गृह की ओर ध्यान दे,
 और अपने कर्तव्य को यहाँ पूर्ण करने का उद्योग कर ॥

मनुष्य की व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति की चर्चा किसी और पत्र में करूँगा।

मैं और मेरा परिवार

१०-७-३८

हमारे पुराने स्मृतिकारों ने समाज के चार भाग किये हैं— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यजुर्वेद के एक मंत्र में ब्राह्मण को समाज के मुख से, क्षत्रिय को बाहु से, वैश्य को धड से और शूद्र को पर से उपमा दी गई है। जिस तरह शरीर के ये चारों अंग भिन्न-भिन्न काम करते हुए भी उसके लिए एकसे जरूरी हैं, उसी तरह समाजरूपी शरीर के लिए भी विभिन्न काम करनेवाले ये चारों विभाग लाजमी हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मण के कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना-कराना, दान देना और लेना बताया गया है,^१ परन्तु एक दूसरे श्लोक में “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः” कहकर दान लेने को क्षुद्रता भी कहा गया है। भगवद्गीता में शम (मन का बुरे विचारों की ओर से शमन), दम (इन्द्रियों पर नियन्त्रण), तप (कष्टमय सहिष्णु जीवन), शौच (सफाई), क्षान्ति (निन्दा, स्तुति, सुख-दुःख आदि का खयाल करना), आर्जव (कोमल व सरल स्वभाव), ज्ञान-विज्ञान (आध्यात्मिक और आधिभौतिक विद्याओं का अध्ययन) और आस्तिक्य (ईश्वरनिष्ठा) ब्राह्मण के गुण बताये गये हैं।^२ ब्राह्मण

१ अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा ।

दान प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयन् (मनु० १-८८)

२ शमो दमस्तप शौच क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ (गीता ज० १८-१०)

समाज का मस्तिष्क और मुख (Mouthpiece) है। वह समाज को अपने साहित्य, अपने उपदेश और अपने आचरण द्वारा प्रेरणा कर सकता है। इस नेतृत्व के लिए उसमें इन गुणों का विकास जरूरी है।

क्षत्रिय के कर्तव्य मनु ने प्रजा की रक्षा, सुपात्रों को दान, यज्ञ, अध्ययन और विपयों से अप्रसंग (सयत् जीवन) बताये हैं।^१ गीता ने क्षत्रिय के लिए जिन गुणों का होना जरूरी बताया है, वे ये हैं—बहादुरी, तेज, धैर्य, व्यवहार-कुशलता, युद्ध से न भागना, दान देना और राजशासन करने की शक्ति।^२ देश का शासन और रक्षण करनेवाले वर्ग में, चाहे आप उसे किसी नाम से बुलाइए, इन गुणों का विकास आवश्यक है। इन गुणों के बिना वह देश का ठीक तरह से शासन और रक्षण नहीं कर सकता।

स्मृतिकार मनु की सम्मति में पशुओं का पालन, दान, यज्ञ, अध्ययन व्यापार, महाजनी तथा खेती वैश्य के कर्तव्य हैं।^३ इसीको गीता में 'कृपिगोरक्ष्यवाणिज्य वैश्यकर्मस्वभावजम्' कहकर दोहराया गया है। शूद्र का कर्तव्य मनु और भगवान् कृष्ण ने इन तीनों वर्णों की सेवा बताया है।

वर्णव्यवस्था प्राचीनकाल में गुण, कर्म और स्वभाव से मानी

१ प्रजाना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च ।

विपयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासत ॥ (मनु० १।८९।)

२ शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम् ॥ (गीता १८-४३)

३ पशूना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिवपथ कुमीद च वैश्यस्य कृपिरेव च ॥

जाती थी, न कि जन्म से, जैसा कि गीता में योगिराज कृष्ण कहते हैं “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मस्वभावशः” । जबसे हिन्दू-समाज ने इसे जन्म से बाँध दिया, तबसे इन गुणों और कर्तव्यों की ओर किमीका ध्यान न रहा, क्योंकि जब अपना जीवन बनाने का प्रयत्न किये बिना ही ब्राह्मणत्व मिल जाय, तब कोई क्यों पढ़ने-पढ़ाने, तप करने का कष्ट करे ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विभाग प्रत्येक काल और प्रत्येक समाज में रहते हैं, भले ही उन्हें कोई नाम दिया जाय । जबतक यह व्यवस्था सगठित और शुद्ध रहती है, सब वर्णों को अपने-अपने कर्तव्यों और गुणों का ध्यान रहता है, समाज का काम ठीक तौर से चलता रहता है । लेकिन जहाँ यह व्यवस्था विगड़ जाती है, वर्ण, जोकि समाज के नागरिक हैं, अपना-अपना काम छोड़ देते हैं, अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं समझते, वहाँ सारे समाज की व्यवस्था विगड़ जाती है ।

लेकिन तुम भी कहोगे कि आजकल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि के शब्द तो भूतकाल की वस्तु हो गये हैं । आज के समाज में यह श्रेणी-विभाजन नहीं है । बीसवीं सदी में इन वर्णों की चर्चा शोभा नहीं देती और फिर तुम जैसे वर्तमान सदी के विचारों से भली-भाँति परिचित पुराणपन्थिता की बातें करें, यह तो और भी आश्चर्य की बात है । ठीक है, मैं तुम्हारे मनोभावों को समझ सकता हूँ । वर्ण-व्यवस्था को जन्म से बाँधने के कारण वह बदनाम हो गई है और आजकल के शिक्षितों में उसके प्रति घृणा या उदासीनता पैदा होना स्वाभाविक है । लेकिन थोड़ा-सा विचार करने में आजकल प्रचलित नए पंजाबों को इन चारों वर्णों में बाँटा जा सकता है । विभिन्न पंजाबों के कर्तव्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो-चार बातें यदि हम ध्यान

मे रखलें, तो हमे अधिक विस्तार मे जाने की आवश्यकता न पड़ेगी।

समाज का प्रत्येक सदस्य जो भी काम करता है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर जरूर पड़ता है। इसलिए हरेक व्यक्ति के कर्तव्य की एक कसौटी यह है कि वह कोई ऐसा काम न करे, जिससे दूसरे की हानि हो। इसमें कई मौकों पर अपवाद अवश्य आ जाते हैं—जैसे चोर को अदालत दण्ड देती है, व्यभिचारी का समाज बहिष्कार करता है और हत्या करनेवाले को फांसी मिलती है, लेकिन ऐसे कार्य उससे बड़े समाज के हित के लिए जरूरी हैं। अपनी मानसिक और आत्मिक उन्नति के सिवा भौतिक उन्नति के लिए भी लगन, अध्यवसाय, ईमानदारी, दृढ़ संकल्प आदि गुणों की जरूरत है। कोई पेशा हो, चाहे वह खेती हो या मजदूरी, इंजिनियरी हो या अध्यापन, शासन-प्रबन्ध हो या सफाई, सभी कामों में उन्नति की पूरी गुंजाइश है। कोई काम छोटा नहीं है। सभी काम जो समाज के लिए आवश्यक हैं, एकसमान हैं। किसी कार्य में छुटपन अनुभव न करना, उसमें सुधार और उन्नति की पूरी कोशिश करना, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। संसार के बड़े-बड़े आविष्कार ऐसे ही ईमानदार महापुरुषों की सूझ, लगन और अध्यवसाय के परिणाम हैं। इजिन के आविष्कार का विचार एक कारखाने के एक मजदूर को ही सबसे पहले सूझा था।

प्राचीन व्यवस्था के अनुसार आश्रम-व्यवस्था व्यक्तिगत धर्म का पालन है और वर्णव्यवस्था सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक व्यक्तिगत कर्तव्यों के पालन के लिए है।

मैं यह पत्र लिखने तो बैठा था पारिवारिक कर्तव्य के सम्बन्ध में, लेकिन पिछले पत्र की व्यक्तिगत कर्तव्य-संबंधी चर्चा पर ही इतना लिख

डाला। जैसे मेरे अपने प्रति कर्तव्य है, उसी तरह से अपने परिवार के प्रति भी मेरे कर्तव्य हैं। ब्रह्मचारी के सामने अपनी व्यक्तिगत उन्नति ही आदर्श होता है, लेकिन गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर वह अपने व्यक्तित्व का दायरा कुछ विस्तृत कर लेता है। अपने शरीर और आत्मा की उन्नति से संतुष्ट न होकर अपनी पत्नी, अपने बाल-बच्चे और भाई-बहन आदि परिवार के सब सदस्यों में आत्मवृद्धि अनुभव करने लगता है। यह उसका विकास है। समाज में परिवार का एक विशेष स्थान है। परिवार समाज या संगठन की सबसे छोटी इकाई है। परिवार सामाजिक या नागरिक शिक्षा का पहला स्कूल है। यह सबसे छोटा समूह है, जहाँ मनुष्य अपनेसे भिन्न कुछ व्यक्तियों के लिए त्याग करता है, अपने सुख की अपेक्षा वह अपने बाल-बच्चों, अपनी पत्नी आदि के सुख को अहमियत देता है। स्त्री और पुरुष परस्पर कामवासना और व्यक्तिगत प्रेम के कारण एक-दूसरे के प्रति प्रिय होते हैं और उनके प्रेम की जमानत उनको सन्तान है।

कुछ विचारकों के खयाल से परिवार मनुष्य के और अधिक सामाजिक विकास में रुकावट डालता है। मनुष्य अपने और अपने परिवार की सेवा में मस्त होकर समाज को भूल जाता है, इसलिए परिवार की प्रथा को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन यह एक भ्रम है। योंतो हरेक वस्तु का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। लेकिन इनका यह अर्थ नहीं कि वह वस्तु ही निरुपयोगी और नुष्मानदेह है। परिवार केवल विषयभोग का साधन नहीं, वह तो आत्मिक विकास की एक सीढ़ी है। मनुष्य समाज की रचना है, इस आश्रम के द्वारा वह समाज के इस ऋण को चुकाने की कोशिश करता है।

परिवार में पति-पत्नी, बाल-बच्चे तथा छोटे भाई-बहन होने

हैं। पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को भोग-विलास की सामग्री न समझकर उसे अपनी जीवन-यात्रा की सहचरी समझे। हिन्दू-शास्त्रों में उसे अर्धाङ्गिनी कहा गया है। किन्ती भी अच्छे काम में, जिसे हमारे पूर्वज 'यज्ञ' का नाम देते थे, स्त्री की उपस्थिति जरूरी थी, क्योंकि दोनों मिलकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। राम को यज्ञ के लिए सीता के अभाव में उसकी प्रतिमा जरूर रखनी पड़ी। पति स्त्री के सुख और इच्छाओं का आदर करे और पत्नी उसे सुख पहुंचाने की कोशिश करे। दोनों एक-दूसरे के सुख-दुख में साथी हों। आपस में अधिकार की भावना के बजाय कर्तव्य की भावना प्रधान हो। मनुस्मृति ने आदर्श घर का वर्णन करते हुए लिखा है—मन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तयं च । यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ दोनों एक-दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण का भाव रखें। समाज और जीवन में किस का महत्त्व अधिक है यह कहना कठिन है, परन्तु यह निश्चित है कि जीवन में दोनों जरूरी हैं, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। "स्त्री में पत्नी और माता होने के कारण स्नेह, वात्सल्य और कौटुम्बिकता की अधिकता है, तो पुरुष में पति और पोषक पिता होने के कारण तेज, पुरुषार्थ और व्यवसाय की प्रधानता है। दोनों मिलकर पूर्ण बनते हैं। स्त्री उत्साह और जीवन देती है, पुरुष रक्षा करता, आगे बढ़ता, कठिनाइयों को मिटाता, संकटों को चीरता और सफलता पाता है। स्त्री समाज की सेविका है और पुरुष समाज का सिपाही।"

बालक किसी देश के भावी नागरिक है। इस दृष्टि से यदि हम उनके शारीरिक, मानसिक विकास की ओर ध्यान दें, हम उन्हें निराल्प बालक ही न समझें, उनके मनोभावों का भी आदर करें, खेल-कूद

आदि की पूरी सुविधायें उन्हें पहुँचायें, तो बालकों की उन्नति मुमकिन है। बालक अनुकरणशील होता है। इसलिए माता-पिता आदि को खुद भी ऐसे काम न करने चाहिए, जिनसे उनके दिल पर बुरा असर पड़े। उत्तम, स्वस्थ, सदाचारी और सुयोग्य सन्तान सबसे बड़ी और उत्तम विरासत है, जो कोई नागरिक अपने राज्य और समाज के लिए छोड़ सकता है। बच्चे के लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा और चाल-चलन की ओर सदा सावधान रहना चाहिए। बालक प्रकृति का दिया हुआ खिलौना, घर का दीपक और समाज की आशा होना है। वह एक ऐसा विशुद्ध दर्पण होता है, जिसपर किसी भी मैल का असर एकदम पड़ जाता है। इसलिए उसे शहर के गन्दे दूषित वातावरण से, जहाँ गालियों और सिनेमा के अश्लील गानों के सिवा कोई अच्छी चीज नहीं सुनाई देती, बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

“खून पानी से गाढ़ा होता है।” इसलिए रक्त-सम्बन्ध के संबंधी माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, मामा आदि के प्रति भी मनुष्य के कुछ फर्ज हैं। माता-पिता का ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनके प्रति नम्रता और अहसानमन्दी का व्यवहार करना चाहिए। मनु ने अभिवादनशील और वयोवृद्धों की सेवा करनेवाले को दिव्या, यज्ञ, आरु और बल की प्राप्ति का फल लिखा है (२-१०१)। माता वात्सल्य की प्रतिमा है, उससे यह गुण सीखकर समाज के प्रति अपने अमल में लाना चाहिए। वृद्ध-जनो की विचार-दिशा सदा युवकों से भिन्न होती है, इसलिए उन्हें दोष कभी नहीं देना चाहिए। उम्र के साथ यह स्वाभाविक है। आज के युवक भी जब वृद्ध होंगे, उन्हें भी यह अनुभव होगा। भाई-बहन एक ही माता की सन्तान हैं। उनके

हैं। पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को भोग-विलास की सामग्री न समझकर उसे अपनी जीवन-यात्रा की सहचरी समझे। हिन्दू-शास्त्रों में उसे अर्धाङ्गिनी कहा गया है। किसी भी अच्छे काम में, जिसे हमारे पूर्वज 'यज्ञ' का नाम देने थे, स्त्री की उपस्थिति जरूरी थी, क्योंकि दोनों मिलकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। राम को यज्ञ के लिए सीता के अभाव में उसकी प्रतिमा जरूर रखनी पड़ी। पति स्त्री के सुख और इच्छाओं का आदर करे और पत्नी उसे सुख पहुंचाने की कोशिश करे। दोनों एक-दूसरे के सुख-दुख में साथी हों। आपस में अधिकार की भावना के बजाय कर्तव्य की भावना प्रधान हो। मनुस्मृति ने आदर्श घर का वर्णन करते हुए लिखा है—मन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तयैव च। यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ दोनों एक-दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण का भाव रखें। समाज और जीवन में किस का महत्त्व अधिक है यह कहना कठिन है, परन्तु यह निश्चित है कि जीवन में दोनों जरूरी हैं, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। "स्त्री में पत्नी और माता होने के कारण स्नेह, वात्सल्य और कौटुम्बिकता की अधिकता है, तो पुरुष में पति और पोषक पिता होने के कारण तेज, पुरुषार्थ और व्यवसाय की प्रधानता है। दोनों मिलकर पूर्ण बनते हैं। स्त्री उत्साह और जीवन देती है, पुरुष रक्षा करता, आगे बढ़ता, कठिनाइयों को मिटाता, संकटों को चीरता और सफलता पाता है। स्त्री समाज की सेविका है और पुरुष समाज का सिपाही।"

बालक किसी देश के भावी नागरिक है। इस दृष्टि से यदि हम उनके शारीरिक, मानसिक विकास की ओर ध्यान दें, हम उन्हें निरबालक ही न समझें, उनके मनोभावों का भी आदर करें, खेल-कूद

आदि की पूरी सुविधाये उन्हें पहुँचाये. तो बालकों की उन्नति सुमकिन है। बालक अनुकरणशील होता है। इसलिए माता-पिता आदि को खुद भी ऐसे काम न करने चाहिए. जिनसे उनके दिल पर बुरा असर पड़े। उत्तम, स्वस्थ सदाचारी और सुयोग्य सन्तान सबसे बड़ी और उत्तम विरासत है, जो कोई नागरिक अपने राज्य और समाज के लिए छोड़ सकता है। बच्चे के लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा और चाल-चलन की ओर सदा सावधान रहना चाहिए। बालक प्रकृति का दिया हुआ गिरीना घर का दीपक और समाज की आशा होता है। वह एक ऐसा विशुद्ध दर्पण होता है. जिसपर किसी भी मेल का असर एकदम पड़ जाता है। इसलिए उसे शहर के गन्दे दूषित वातावरण से, जहाँ गालियों और गिनैमा के अश्लील गानों के सिवा कोई अच्छी चीज नहीं सुनाई देती, बचान को कोशिश करनी चाहिए।

“खून पानी से गाढ़ा होता है।” इसलिए रक्त-सम्बन्ध के सबधी माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, मामा आदि के प्रति भी मनुष्य के कुछ फर्ज हैं। माता-पिता का ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। उनके प्रति नम्रता और अहसानमन्दी का व्यवहार करना चाहिए। मनु ने अभिवादनशील और वयोवृद्धों की सेवा करनेवाले को विद्या, यश, आयु और बल की प्राप्ति का फल लिखा है (२-१२१)। माता वात्सल्य की प्रतिमा है, उससे यह गुण सीखकर समाज के प्रति अपने अमल में लाना चाहिए। वृद्ध-जनों की विचार-दिशा सदा युवकों से भिन्न होती है, इसलिए उन्हें दोष कभी नहीं देना चाहिए। उम्र के साथ यह स्वाभाविक है। आज के युवक भी जब वृद्ध होंगे, उन्हें भी यह अनुभव होगा। भाई-बहन एक ही माता की सन्तान है। उनके

लिए भी अपना स्नेह उसी तरह रखना चाहिए। अन्य सम्बंधियों का सुख और हित भी हमें को देखना चाहिए।

मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि परिवार बन्धन न होकर एक ण्मा स्कूल होना चाहिए, जहाँ हम सहिष्णुता, प्रेम, सेवा, त्याग, दान और उद्यमशीलता के गुण सीखकर समाज की सेवा के लिए तैयार हो सकें। इतिहास में ऐसे संकटों उदाहरण मिलेंगे, जब लोगों ने देश के हित के लिए पारिवारिक सुख का बलिदान कर दिया है। हजारों परिवार—पति-पत्नी और बच्चे १९३०-३१ के भारत के सत्याग्रह-संग्राम में पारिवारिक सुख को लात मारकर एकसाथ कूट पड़े। यह सिद्ध करता है कि परिवार केवल बन्धन नहीं है।

शहर या गाँव का इन्तज़ाम

१२-७-३८

पिछले दो पत्रों में मन मनुष्य के अपने और अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों पर कुछ विचार प्रकट किये थे। परिवार के साथ मेरा या किसी भी मनुष्य का प्राणि-विज्ञान-सम्बन्धी रक्त का सम्बन्ध है, परन्तु इसमें अगली मरगा, जिनमें मेरा नागरिक सम्बन्ध है, बिलकुल ही जुड़ी तरह की है। वह अपने रूप और कार्यक्षेत्र में देणीय तथा राज-नैतिक है। यह मरगा मेरा गाँव या नगर है और वही राजनैतिक संगठन की पहली मरगा है। यहाँ मनुष्य पारिवारिक रूप में— माता, पिता, भाई या बहन के रूप में सदस्य न होकर नागरिक के रूप में उसका सदस्य है। नागरिकता का यह बन्धन ही मनुष्य को सभ्यता के पद पर बिठाता है। 'सिविक्स' (नागरिकशास्त्र) और सिविलाइजेशन (सभ्यता) एक ही शब्द से बने हैं, इसीलिए कुछ विद्वान् सिविल्स को सभ्यता का विज्ञान भी कहते हैं। मनुष्य के कार्य का दायरा ग्राम या नगर है। मनुष्य पृथ्वी के इस छोटे-से भाग से, जहाँ वह पैदा हुआ है या जहाँ वह बरसों रहकर उसे अपना घर मानने लगा है, प्रेम करने लगता है। इस गाँव या 'राजनैतिक घर' को बनानेवाले सभी सड़कों, खेतों, चरागाहों, पहाड़ियों और नदियों से भी उसे खुद ही प्रेम होजाता है। इस गाँव या नगर के प्रबन्ध में भी उसकी दिलचस्पी होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके सारे जीवन और जीवन से ताल्लुक रखनेवाली छोटी-छोटी बातों पर ग्राम के इन्तज़ाम

का असर पड़ता है। मैंने पिछले पत्रों में नागरिक के शासनाधिकार का विचार किया है। मनुष्य जिस समाज का अंग है, उसके इन्तजाम में भी उसका भाग जरूर होना चाहिए, नहीं तो मुमकिन है कि वह समाज उसके अधिकारों और हितों की उपेक्षा करने लगे। गाँव या शहर वह सबसे छोटी इकाई है, जो नागरिक के जीवन पर मग्न ज्यादा गहरा असर डालती है। गाँव या शहर का शासन भी सब लोग मिलकर नहीं कर सकते, इसलिए वहाँके निवासियों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी पर यह काम सौंप दिया जाता है। इसे आजकल 'म्युनिसिपल कमेटी' कहते हैं। पहले हिन्दुस्तान में इसे ही 'पंचायत' कहते थे। आज भी बहुत-से गाँवों में पंचायतें गाँव का प्रबन्ध करती हैं। सिविल्स या नागरिकशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि ग्रामपंचायतों या म्युनिसिपल कमेटियों के शासन-प्रबन्ध में ऊपरी सरकार की कम-से-कम दस्तन्दाजी हो। इस हस्ताक्षेप का मतलब है जनता के अधिकारों पर हमला। पंचायतों या म्युनिसिपल कमेटियों को यथासम्भव ज्यादा अधिकार देने का नतीजा यह होता है कि पंचायतें या म्युनिसिपल कमेटियों के, जिन्हे 'स्थानीय शासन-संस्था' कहा जाता है, सदस्य अपने 'राजनैतिक घर' के प्रबन्ध में खूब दिलचस्पी ले सकते हैं। भारतीय पंचायतों के इसी गुण का भारतीय जनता पर कितना गहरा असर पड़ा, यह सर जार्ज वर्डवुड के नीचे लिखे उद्धरण से मालूम होगा :—

“भारत में जितनी धार्मिक और राजनैतिक क्रान्तियाँ हुई हैं, उतनी संसार के दूसरे किसी देश में नहीं हुईं। परन्तु यह होते हुए भी ग्राम-संस्थाओं की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वे उसी उत्साह और शक्ति के साथ काम करती रही। सीरियन, ग्रीक, सरा-

सीन, अफगान, मुगल और मराठे पहाड़ों में आये तथा पोर्चुगीज, अंग्रेज, फ्रेंच और डच समुद्र की तरफ़ में आये और यहाँ अपना अधिकार जमा लिया। परन्तु उनके आने और चले जाने में यहाँ की धार्मिक और व्यापारिक ग्रामन्यायों पर उतना ही प्रभाव पड़ा, जितना कि एक चट्टान पर लहरों के आने और चले जाने का पड़ता है।”

सर चार्ल्स मेंटकाफ़ के शब्दों में “यही ग्राम-समस्याएँ, जिनमें से प्रत्येक एक पृथक राज्य की तरह हैं, भारतीय जनता की रक्षा में सबसे अधिक कारण हैं। उनकी जगहें नव परिवर्तनों और क्रान्तियों में जनता की डिफ़ाइन होती रही। उनको जो कुछ प्रसन्नता स्वतन्त्रता आदि प्राप्त हैं, उनमें नवके लिए यही नवमें अधिक सहायक हैं।”

अलग-अलग भौगोलिक परिस्थिति, भिन्न-भिन्न संस्कृति, रहन-सहन, भाषा और जुड़े-जुड़े न्याय-धर्म्य आदि के कारण प्रान्त, जिला या ग्राम की जरूरतें और समस्याएँ भी अलग-अलग होती हैं। इनमें सारे देश के प्रतिनिधियों को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। उनका देश-द्वारा नियंत्रण तो स्थानीय जनता पर अत्याचार ही है। केवल स्थानीय लोग ही अपने मामलों में दिलचस्पी लेते हैं, इसीलिए स्थानिक शासनसमिति या पंचायत की स्वतन्त्र सत्ता आवश्यक है, जो स्थानीय समस्याओं को हल करे। स्थानीय मामलों में इन्हे काफी अधिकार देना भी इसीलिए जरूरी है कि ये जरूरत के मुताबिक अपना इन्तजाम खुद कर लें। फिर स्थानीय आवश्यकताओं के लिए दूर के लोग क्यों टैक्स दें ? हरेक अपने आराम के लिए तो टैक्स आसानी से दे देता है, लेकिन सहारनपुर जिले का रहनेवाला

वनारसी नागरिक की प्याऊ या डिम्पसरी के लिए क्यों टैक्स में लादा जाना पसन्द करेगा ?

हर एक नागरिक को यह महसूस करना चाहिए कि वह अपने गांव या शहर की प्रबन्ध-कमेटी का एक लाजमी अंग है। उसे अपने गांव या शहर की हर एक बात में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। जबतक आम जनता इन बातों में दिलचस्पी लेती है, तबतक स्थानीय प्रबन्ध भी ठीक चलता है। जहाँ आम लोगों ने दिलचस्पी लेनी बन्द की, वहाँ कुछ थोड़े-से लोग, जिनके हाथ में इन्तजाम का काम होता है, अपने-अपने स्वार्थ के साधन में लग जाते हैं। शहर की हर एक घटना या नियम में हर एक नागरिक की सम्मति लेना नामुमकिन होता है, इसलिए लोगों के नुमाइन्दों की कमेटी को ये काम सुपुर्द कर दिये जाते हैं। लेकिन इससे आम नागरिकों का कर्तव्य खत्म नहीं होजाना। उनका सबसे पहला फर्ज यह है कि वे अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में पूरी दिलचस्पी लें। आजकल चुनाव के तरीकों में कुछ ऐसी खराबियाँ आ गई हैं, जिनसे चुनाव ही फिजूल-सा होजाता है। चुनाव के समय नागरिकों को नीचे लिखी बातों का खूब ध्यान रखना चाहिए :—

१—उम्मीदवार योग्य और व्यवहार-कुशल हो, शहर की सब सम्बद्ध समस्याओं से परिचित हो।

२—उम्मीदवार में खुदगर्जी की बनिस्वत दूसरे का भला करने या जन-सेवा का भाव ज्यादा हो।

३—उम्मीदवार में जातिगत भावना न हो। जो उम्मीदवार एक या दूसरी जाति के साम्प्रदायिक भावों को भडकाकर वोट पाना चाहता है, वह अपने शहर का बहुत बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति पैसा या

दूसरे लालच देकर वोट लेने की कोशिश करना है वह पापी है जरूर वह कमेटी में स्वार्थमिद्धि के लिए जाना चाहता है। वह न केवल अपना स्वार्थ-साधन करना है बल्कि वह नागरिकों के चारित्रिक पतन का भी जिम्मेदार है। बहुत-से नागरिक दो-चार या दस रुपये लेकर किसी अयोग्य उम्मीदवार को वोट दे देते हैं। ऐसे लोग दर-असल देशद्रोह या देश के साथ विश्वासघात जैसा पाप करते हैं। उन्होंने दो-चार या दस रुपये में अपने गांव या शहर का हित बेच दिया। अगर वे किसी योग्य इंसानदार उम्मीदवार को वोट देते, तो वह स्वार्थ के बजाय शहर या गांव के हित को तरजीह देता। एकवार निकम्मे, खुदगर्ज और अयोग्य व्यक्तियों को पचायत में भेजकर नया चुनाव आने तक—तीन-चार साल तक—नागरिकों को पछताना पड़ता है। न शहर की सफाई होती है, न रोजगारी का ठीक इन्तजाम होता है और न बच्चों की पढाई ही ठीक होनी है। वोट का हक एक ऐसी पवित्र धरोहर है, जिसे समाज ने सदियों की लड़ाई के बाद हासिल किया है और प्रत्येक नागरिक को इसलिए सौंपा है कि वह उसका समाज के फायदे के लिए उपयोग करे। उसका दुरुपयोग पाप है। सब उन्नत सभ्य देशों में वारिंग मात्र को वोट देने का अधिकार होता है। किसी किसी देश में एक खास उम्र के बाद वोट देने का अधिकार मिलना है। रूस, टर्की और अर्जेंटाइन में १६, जर्मनी और स्विट्जर-लण्ड में २०, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और भारत में २१, नार्वे में २३, डेन्मार्क और जापान में २५ साल की उम्र में वोट देने का अधिकार है। बहुत से देशों से अबतक भी वारिंग मात्र को मतदाधिकार न देकर शिक्षा और सम्पत्ति की योग्यता पर अधिकार दिया जाता है। बर्द-किस्मती से अभीतक हिन्दुस्तान भी इसी श्रेणी में है। इस सम्बन्ध

में कुछ विवेचन में अपने पिछले एक पत्र में कर चुका हूँ। बहुत-से नागरिक चुनाव के समय अपना मत ही नहीं देते, वे उदासीन हो जाते हैं। लेकिन यह उदासीनता भी एक पाप है, क्योंकि इसका अर्थ है समाज के उस अधिकार या कर्तव्य का प्रयोग न करना, जो हमें नागरिक को सौंपा गया है। आम लोगों के दिलचस्पी न लेने का नतीजा यह होगा कि स्वार्थी लोग पंचायत या कमेटी में घुस आर्यंग। कई देशों में इसीलिए मत देना लाजमी बना दिया गया है और मत न देनेवाले को सजा दी जाती है। आस्ट्रेलिया में वोट न देने पर जुर्माना देना पड़ता है। चेकोस्लोवाकिया, कनाडा और आरजेण्डाइन में भी मत देना अनिवार्य किया गया है।

स्थानीय स्वराज्य, जिसमें अंग्रेजी में 'लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट' कहते हैं, गाँवों और शहरों की आवादी के अनुसार जुड़े-जुड़े भागों में बटा हुआ होता है। हिन्दुस्तान में इसे दो भागों में बाँटा गया है, देहाती और शहरी। देहाती शासन को भी पंजाब में तीन भागों में बाँटा गया है। गाँवों में पंचायत, तहसील या सब-डिवीजन में लोकल बोर्ड, जिले में जिला-बोर्ड पर स्थानीय शासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये तीनों संस्थायें देहात में ही काम करती हैं। शहरी शासन भी छोटे-बड़े शहर के खयाल से तीन हिस्सों में बाँटा होता है—छोटे कस्बों में नोटिफाइड एरिया, बड़े कस्बों या शहरों में म्युनिसिपल कमेटी और बहुत बड़े शहरों में कारपोरेशन।

इन सब संस्थाओं में ज्यादातर सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और कुछ सरकार द्वारा नामजद होते हैं। प्रजातंत्र के असूल के अनुसार सरकार का यह हस्तक्षेप भी अनुचित है। कई प्रान्तों की नई कांग्रेसी सरकारें नामजद करने की प्रथा को हटा भी रही हैं

और जायद कुल मालों में सारे देश में स्थानीय स्वराज्य सम्बन्धी मामलों में सरकार का हस्तक्षेप और भी कम होजायगा। प्रायः सब संस्थाओं को अपना गैरसरकारी अध्यक्ष चुनने का अधिकार होता है, यद्यपि अभी तक भी यह अधिकार पूर्ण तौर से इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। पचायतों का जितना प्रचार होना चाहिए अभी उतना नहीं हुआ है, और फिर पचायतों को अधिकार भी बहुत कम शामिल है। इनका अर्थ यह है कि भारत के ६० फीसदी लोगों को अभी तक भी स्थानीय स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ। काँग्रेसी सरकारें इस दिशा में कदम बढ़ा रही हैं यह तुममें छिपा नहीं है। इन पचायतों के जिम्मे जहाँ काम बढ़ाने-से होंगे, वहाँ इनके अधिकार भी बहुत-से होंगे। गाव की सफाई, शिक्षा, रोजगारी और छोटे-छोटे मुकदमों में सुनना पचायतों का काम है और इसके लिए उन्हें थोड़ा-बहुत टैक्स वसूल करने का अधिकार भी होता है।

तहसील के छोटे-छोटे गाँवों में, जहाँ पचायत नहीं होती, सफाई, रोजगारी आदि का काम लोकल बोर्डों के सुपुर्द किया जाता है, लेकिन कम्युनि जिला-बोर्ड व पचायत के बीच का एक शृंखला मात्र होने की वजह से ये बोर्ड महत्त्व प्राप्त नहीं कर सके। जिला बोर्ड, जो जिले के सब गाँवों का प्रबन्ध करता है, काफी महत्त्वपूर्ण संस्था है। इसमें सारे जिले के प्रतिनिधि होते हैं। आजकल के प्रतिनिधियों को दर-अमल जिले का सच्चा प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मतदाताओं के अज्ञान से लाभ उठाकर या उनपर अनुचित दबाव डालकर चुने गये होते हैं। जिला-बोर्ड के पास नीचे लिखे काम होते हैं —

सड़कों और छोटे-छोटे रास्तों का बनाना व मरम्मत—स्कूल

और शफाखाने—सड़कों पर दरख्त लगाना—खेती के लिए बाँध, पुल, नहर, कुएँ और तालाब बनवाना—विवाह, जन्म और मृत्यु का रजिस्टर रखना—दस्तकारी तथा खेती को प्रोत्साहन—अकाल क समय लोगों को सहायता—प्लेग, हैजा, चेचक आदि रोगों के निवारण का इन्तजाम—यात्रियों के लिए सराय बनवाना—पशुओं की नस्ल में सुधार वगैरह। इन कामों को करने के लिए जला-बोर्ड स्थानीय कर, विद्यार्थियों की फीस, दरख्तों की आमदनी, पुलों आदि के ठेके, हैसियत टैक्स आदि से पैसा वसूल करता है।

जुदे-जुदे प्रांतों में ये देहाती स्वराज्य संस्थायें जुदा-जुदा प्रकार से बँटी हुई हैं। कहीं तीन प्रकार के बोर्ड हैं—ग्राम, तहसील और जिला, तो बम्बई में सिर्फ जिला बोर्ड व ताल्लुका बोर्ड ही हैं। किसी-किसी प्रान्त में जिला बोर्ड को ही जिला काँसिल भी कहते हैं।

नोटिफाइड एरिया कमेटी छोटे शहरों के प्रबन्ध के लिए सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा का काम करती है। बाजारों, गली-कूचों, नालियों और कुओं का बनाना, मरम्मत करना और श्मशान व कब्रिस्तान आदि की व्यवस्था भी इसीके जिम्मे होती है।

म्युनिसिपल कमेटी के कर्तव्य इस प्रकार के होते हैं:—

शहर की सफाई—पानी के लिए वाटरवर्क्स—रोशनी—हस्पताल खोलना—महामारियों का रोकना—गन्दे पानी के निकास के लिए नालियाँ बनवाना—स्कूल, पुस्तकालय और वाचनालय खोलना—श्मशान व कब्रिस्तान की देख रेख—मकानों का बनवाना—ताँगों और मोटरों की देखरेख—आग बुझाने का प्रबन्ध—खतरनाक इमारतों का गिराना—लोगों के मनोरंजन के लिए बाग आदि बनवाना—सड़कों का निर्माण व मरम्मत। म्युनिसिपल कमेटी को

अपना स्वर्च निकालने के लिए कई प्रकार के टैक्स लगाने के भी अधिकार हैं। इनमें से ग्वास-ग्वाच ये हैं —

शहर में आनेवाले ग्वाचान पर चुगी—हाउस टैक्स—पानी के नलों पर महसूल—तांगों व मोटरों का टैक्स—रोशनी का टैक्स—दरस्तों की आमदनी आदि। कारपोरेशन सारे ट्रिन्दुस्तान में सिर्फ चार शहरों—कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कराची में ही हैं। इसे बहुत अधिकार होने हैं।

ब्रिटिश भारत में सब म्युनिसिपलिटियों व कारपोरेशनों की संख्या १६३१-३२ में ७२७ थी। (उनके बजट के अंक नहीं मिल सके।) उनके कुल सदस्य १००२४ थे जिनमें से ६६२ सरकार द्वारा नामजद थे। उक्त वर्ष इनकी आमदनी (कज मिलाकर) ३४ करोड़ रुपया थी। लेकिन बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की २० करोड़ की आमदनी निकालने में बाकी ७२४ म्युनिसिपलिटियों की आय सिर्फ १२ करोड़ रह जाती है। कुछ बड़े शहरों में उन्नति या सुधार के लिए इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट भी बनाये गये हैं। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, कराची आदि बन्दरगाहों का स्थानीय प्रबन्ध करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट भी बनाये गये हैं, लेकिन उनपर जनता का नियंत्रण बहुत कम है। इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट भी ज्यादातर सरकारी नियंत्रण में काम करते हैं। म्युनिसिपैलिटियों की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। बहुत कम म्युनिसिपल कमेटियाँ सरकार के नाजायज दबाव से अपनेको बचा पाती हैं।

यदि तुम दूसरे उन्नत राष्ट्रों की स्थानीय संस्थाओं का हाल पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि भारत की स्थानीय संस्थायें बहुत पिछड़ी हुई हैं। फ्रांस, ब्रिटेन अमेरिका आदि देशों में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, रोशनी, सफाई आदि के अतिरिक्त अमन व शान्ति कायम

रखना, चोरियों तथा बदमाशियों को रोकना, पुलिस और साधारण न्याय के काम तक स्थानीय संस्थाओं के समभे जाते हैं। इंग्लण्ड में तो स्थानीय शासन का सब अधिकार स्थानीय संस्थाओं ही के पास है। इन संस्थाओं में जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के हाथ में ही ये सब कार्य होते हैं। सरकार वहाँ स्थानीय शासन में दखल ही नहीं देती। पुलिस, अस्पताल, सफाई आदि महकमों के छोटे-बड़े अफसर स्थानीय संस्थाओं में ही वेंतन पाते हैं, वें नागरिकां द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के सामने ही जवाबदेह होते हैं और उन्हीं का उनपर पूरा नियन्त्रण होता है। वहाँ पर कमिश्नर, कलक्टर, पुलिस सुपरिण्टेंडेण्ट, थानेदार, तहसीलदार आदि ऐसे कोई सरकारी अफसर शहर के मामलों में दस्तंदाजी करने के लिए नहीं हैं। मन्त्रिमण्डल के मन्त्री स्थानीय संस्थाओं की देखभाल व सरकारी अफसरों द्वारा परामर्श लेते रहते हैं, लेकिन उनके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते। दरअसल स्थानीय स्वशासन का इसके सिवा कोई अर्थ भी नहीं है। भारत के वायसराय लार्ड रिपन ने १८८२ में ठीक ही कहा था कि—

“इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि देश की उन्नति के लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि जनता का शासन जनता के ही हाथ में दे दिया जावे। केवल थोड़े-से वही विषय केन्द्रीय सरकार के हाथ में छोड़ दिये जावें कि जिनके लिए साम्राज्य के हित में ऐसा करना लाजमी हो।”

लेकिन लार्ड रिपन की उदार नीति उन्हीं के साथ खतम होगई और स्थानीय स्वराज्य को हिन्दुस्तान में विकसित करने की उनकी योजना न चल सकी। १९१२ ई० में श्री गोपालकृष्ण गोखले ने स्थानीय समितियों के अधिकार बढ़ाने के सम्बन्ध में एक बिल पेश किया, लेकिन सरकार ने उसे स्वीकृत नहीं किया। आजतक भी जिलाधीश

जिले भर में सरकार का निरंकुश अधिकारी बना हुआ है। आशा है, कांग्रेसी प्रांतीय सरकार अब स्थानीय शासन में क्रान्तिकारी परिवर्तन करेगी।

नागरिकों का फज है कि वे इन सब समस्याओं में पूरी दिलचस्पी लें। जब ये समस्याएँ उनपर टप्प लगानी हैं और नये-नये कानून कानून जारी करती हैं, तब नागरिकों का भी फर्न है कि वे यह देखें कि कोई नाजायज टप्प तो नहीं लगाया गया, उनमें लिये गये रुपये का इरनेमाल तो जायज हुआ है, उनकी सभी उचित जहरतो को पूरा किया गया है या नहीं।

इसके सिवा नागरिकों का एक कनव्य और भी है, और वह यह कि वे इन समस्याओं के काम में पूरी मदद दें। कांग्रेसी के कानून बना देने या सफाई के लिए कुछ नाकर रर्र देने में ही काम नहीं हो जायगा, जबतक कि जनता या नागरिक उसे इस काम में सहयोग न दें। लेकिन इसकी चर्चा तो मैं अगले पत्र में करूँगा।

गाँव और उसके नागरिक

१७-७-३८

मैं कल ही गाँव से लौटा हूँ। सुभास के मामा तो ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हो गये, लेकिन तुम्हें यह जानकर दुःख होगा कि मैं एक घनिष्ठ मित्र ला० नन्दकिशोर का, जिनसे शायद तुम भी वाकिफ़ होगे, देहान्त होगया। वह कुछ दिन पहले भले-चंगे और तन्दुरुस्त थे। अभी तो दिल्ली में मुझसे मिलकर गाँव गये थे। उनकी इस बीमारी का कारण मलेरिया था। उनके घर के पास एक छोटा-सा गढ़ा था। उसमें आसपास के लोग कूड़ा-कचरा डालते थे। तुम भी उस गाँव में जा चुके हो, तुमने वह गढ़ा जरूर देखा होगा। मैंने उन्हें कई दफ़ा उस गढ़े को बन्द करने व सफ़ाई रखने के लिए कहा। वह कुछ-कुछ तैयार भी थे। उन्होंने दो-एक बार सफ़ाई कराई भी, लेकिन उन्हें इसमें सफलता न हुई। इसका कारण था उनके पड़ोसियों का हठ। वे वहाँ कूड़ा-कचरा फेंकते रहे और घर का गन्दा पानी भी उसी गढ़े में डालते रहे। फल यह हुआ कि वह गढ़ा गन्दे-गन्दे कीड़ों और मच्छरों का घर बन गया। इस बरसात में वह गढ़ा और भी लम्बा-चौड़ा हो गया। उसमें सड़ाँद और बदबू इतनी ज्यादा होगई कि उसके पास से गुजरना कठिन होगया। इसीसे आसपास मलेरिया फैल गया। लाला नन्दकिशोर और दो पड़ोसियों के बालक तो गुजर भी गये। अब जाकर—तीन के बलि होने के बाद—गाँववालों को समझ आई और गढ़ा साफ़ कराके भर दिया गया।

यह उम्मी गांव की घटना नहीं है. भारतवर्ष के ७० लाख गांवा और शहरों का भी यही हाल है। लोग यह नहीं समझते कि गांव या शहर की सफाई में उनका भी कोई फर्ज है। इसी फर्ज की ओर मैं पिछले पत्र में ध्यान खींचनेवाला था। यदि कोई पचायत या म्युनिसिपल कमिटी सफाई के लिए थोड़े-से भंगी रख देती है, तो वे किसी काम नहीं आ सकते जयन्त कि नागरिकों का उनके सहयोग न मिले। इस सम्बन्ध में केवल गांववाले ही नहीं पढ़े-लिखे शहरी भी भारी अपराध के दोषी हैं।

कभी किसी गांव में चले जाओ—तुम तो गांव में रहते ही हो—कितना घुरा दृश्य दीखता है। गलियों में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, सड़ा-गला भोजन वहाँ बटवृ कर रहा है, जो लोग मांस खाते हैं वे मांस के घिनौने टुकड़े और हड्डियां गली में फेंक देते हैं, जगह-जगह बालू के पेजाव और टट्टी के नजारे दीख रहे हैं। नालियां एक तो हांगी नहीं, और जो होंगी उनकी सफाई न होगी। नालियों में ईंट-पत्थर, फटे कपड़े सब डाल दिये जाते हैं। कुण और तालाब, जहाँसे पीने का पानी लिया जाता है, रोगियों के मैले-कुचले कपड़े धोने के कारण जहरीले होगये हैं। जहाँ गाय-बैल बांधे जाते हैं, वहाँ उनके पेजाव और गोबर से यौंही गन्दगी बनी रहती है। अक्सर मकानों के आसपास ही गड्ढे होते हैं, जिनमें बरसाती पानी भरा रहता है, काई जमी रहती है और लकड़ी, पत्तियां व कभी-कभी मैला भी बहता रहता है। लोग उसीमें आवदस्त लेते हैं, कुल्ला करते हैं, मिट्टी मल-मलकर हाथ धोते हैं और लोटा माँजते हैं। इसी पानी में मच्छर का परिवार बढ़कर बीमारी फैलाता है। गलियों में सड़नेवाले मैले पर मक्खियाँ भिनकती रहती हैं और अपने गन्दे पाँव लेकर वे बस्ती के भीतर

खाने की चीजों पर बैठती है। शहरों में हालांकि इतनी बुरी हालत नहीं है, लेकिन वहाँ सफाई का जितना इन्तजाम होता है उसके मुक़ाबिले में सफाई बहुत कम होती है। वहाँ भी पक्की नालियों में बालक टट्टी-पेशाब करते हैं, भंगी के सफाई कर चुकने के बाद एकदम गलियों में कूड़ा-करकट डाल दिया जाता है। पेशाब-बुरों में पेशाब न करके सड़के और गलियाँ गन्दी कर दी जाती हैं। लोग बाजारों में चलते-चलने फल ग्वातं जाते हैं और छिलके फेंकते जाते हैं, उन्हें यह परवा नहीं कि कंले के छिलके रास्ते में गिराने से कभी-कभी कितनी भीषण दुर्घटना हो जाती है। किसीको कं आती है, तो वह बाजार में ही घिनौना नजारा पैदा कर देता है। कहने का मतलब यह है कि नागरिक सफाई से इतने अधिक उदासीन हैं कि कुछ पूछो मत! इसमें हमारी कितनी हानि है, यह वे सोचते तक नहीं। कभी रेलगाड़ी के थर्ड क्लास के डब्बे में सफर तो करो। उसीमें यात्री धूकने हैं, छिलके फेंकते हैं, पानी डाल देने हैं, मातायें बच्चों को पेशाब करा देती हैं और डब्बा बैठने लायक नहीं रहता।

नागरिकों का प्रधान कर्तव्य है कि वे सफाई के नियमों को जानें और उनका पालन करें। लोगों की यह गन्दी आदत छुड़ाने में बहुत समय लगेगा और शुरू में तो स्वयं फावडा-भाडू हाथ में लेकर गाँव के मार्गों की सफाई करनी होगी, पाखाने मिट्टी से ढकने होंगे, नालियाँ साफ़ करनी होंगी तथा कूड़ा उठाना होगा। कुछ स्वयंसेवक या समझदार नागरिक यदि शुरू में खुद सफाई करने लगे तो शेष नासमझ नागरिक भी धीरे-धीरे सफाई के महत्त्व को समझ जावेंगे और सफाई के काम में मदद देने लगेंगे।

फिर गलियों और सड़कों में जो कूड़ा फेंक दिया जाता है, उसकी

यदि कीमत लगाई जाय, तो करोड़ों रुपया साल बैठेगी। विदेशों में कुछ म्युनिसिपल कमेटियों ने इधर ध्यान दिया है और वे लाखों रुपया कमाने लगी हैं। गलियों और सडकों के कूड़े के वर्गीकरण से तुम्हें मालूम होगा कि उसका कुछ हिस्सा बढ़िया खाद बनाने के काम आ सकता है, कुछ सिर्फ जमीन में दफन कर देने के ही काबिल होगा और कुछ का तुरन्त ही आर्थिक लाभ देने वाला उपयोग हो सकेगा। हड्डी का प्रत्येक टुकड़ा यदि बिन लिया जाय, तो कितने ही उपयोगी सामान बनाने के लिए वह कीमती सिद्ध होगा या पीसने पर वह बहुत बढ़िया खाद बनेगा। चिथड़े और रद्दी कागजों का कागज बनाया जा सकता है और जगह-जगह से इकट्ठा किया गया पाखाना खेतों के लिए स्वर्णमय खाद है। मलमूत्र को उपयोगी बनाने के लिए उसको मिट्टी में मिलाकर ज्यादा-से-ज्यादा एक फुट गहरा गढा खोद कर उसमें दबा देना चाहिए। जमीन की ऊपरी सतह सूक्ष्म जीवों से भरी रहती है और हवा तथा रोशनी की मदद से, जोकि वहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं, ये जीव इस मलमूत्र को एक हफ्ते के अन्दर बढ़िया और मुलायम मिट्टी का रूप दे देते हैं। यह काम दो तरह से हो सकता है। या तो पाखाने बनाकर उनमें मिट्टी के गमले या लोह की बाल्टियाँ रख दी जायँ और रोज उन्हें इसके लिए पहले से अच्छी तरह तैयार की गई जमीन में खाली कर दिया जाय और या खेत में चौरस गढा खोदकर उसीमें शौच किया जाय। मलमूत्र या तो गाँव के सामूहिक खेतों में गाड़ा जा सकता है या अपने-अपने निजी खेतों में। यह सिर्फ ग्रामवासी नागरिकों के सहयोग से ही सम्भव है। आजकल तो यह सारी कीमती खाद, जो लाखों रुपयों की होती है, रोज बरबाद होती है और बदले में हवा को गन्दा करती तथा बीमा-

रियाँ फैलाती हैं। कूड़े-करकट में मिले लोहे की चीजों में ही विदेशी म्युनिसिपल कमेटियों ने काफी रूपया कमाया है। मेरी उच्छ्वा थी कि इस सम्बन्ध में तुम्हें कुछ विगतार में सूचनाएं दें, लेकिन इससे पत्र बहुत बड़ा होजायगा। गाँधीजी ने गाँवों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बहुत-कुछ विचार किया है। तुम उनका साहित्य पढ़ोगे, तो तुम्हें बहुत-सी काम की बातें मिलेंगी।^१

तुम्हें शायद यह जानकर ताज्जुब होगा कि आज से २२०० वर्ष पहले मौर्य चन्द्रगुप्त के काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया जाता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के नागरिक प्रणयि के प्रकरण में चाणक्य लिखते हैं कि—“गली में कूड़ा फेंकने पर ६ पण और सड़क पर कीचड़ फेंकने पर या कहीं कीचड़ व पानी रोक रखने पर ३ पण जुर्माना किया जाय। यदि यही अपराध राजमार्ग पर किये जावें, तो इससे दुगुना जुर्माना किया जावे। पुण्य-स्थान, जल रखने के स्थान, मन्दिर, राजमार्ग तथा राजप्रासाद के पास पाखाना करने पर एक पण से ऊपर तथा पेशाव करने पर आधा दण्ड मिलना चाहिए। परन्तु यदि ये कृत्य दवाई, बीमारी या भय के कारण किये गये हों, तो कुछ भी सजा न दी जाय। मरे हुए विलाव, कुत्ते, नेवले तथा साँप को नगर के बीच में फेंक देने पर तीन पण जुर्माना किया जाय। मरे हुए गधे, ऊँट, खच्चर, घोड़े तथा दूसरे पशु को शहर के बीच में फेंक देने पर छ. पण तथा मरे हुए मनुष्य की लाश को फेंक देने पर ५० पण जुर्माना किया जाय। अगर् मुर्दे

१ देखिए—ग्राम-सेवा (म० गाँधी) मू० ७)

गाँवों का सुधार और सगठन (रामदाम गौड) मू० १)

दोनों के प्रकाशक—सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली।

को श्मशान के सिवा किसी अन्य स्थान पर रख दिया जाय या जला दिया जावे, तो १२ पण जुर्माना किया जावे।”

स्वास्थ्य-सम्बन्धी कर्तव्यों के अलावा नागरिकों के कुछ और भी कर्तव्य हैं, जिनके न करने से स्थानीय स्वराज्य-संस्थायें अपना काम नहीं कर सकतीं। अगर नागरिक अपनी सन्तानों को स्कूलों में न भेजे, तो शिक्षा के लिए हजारों कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकतीं। यदि प्रत्येक नागरिक म्युनिसिपल कमेटी के टैक्स देना अपना फर्ज न समझे, तो कमेटी पैसा न होने की वजह से बहुत-से काम न कर सके। जबतक दोनों पहिये एकसाथ न चलें, गाड़ी का चलना कठिन होजाता है। राज्य भी, चाहे वह स्थानीय संस्था के रूप में हो या प्रान्तीय और राष्ट्रीय सरकार के रूप में एक गाड़ी है, जिसके सरकार और नागरिक ये दो पहिये हैं। गाँव, जिला, प्रान्त या देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि दोनों ही अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करें। जिस प्रकार म्युनिसिपल कमेटी और सरकार का कर्तव्य नागरिकों की उन्नति है, उसी तरह नागरिकों का फर्ज है कि वे उसके बनाये कानूनों का पालन किया करे और आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करते रहे।

प्रत्येक नागरिक को यह बात अपने सामने रखनी चाहिए कि नागरिकता का आदर्श प्रत्येक समय एक-दूसरे की सहायता करना है। यदि पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो मेरा फर्ज है कि मैं उसकी मदद करूँ। बाढ़ आदि दैवी विपत्ति आने पर छूत-अछूत, हिन्दू-मुसलमान, शत्रु-मित्र, स्त्री-पुरुष, सब भेदभाव और लाज-परदा छोड़कर विपत्ति-निवारण के काम में लग जाना चाहिए। हमारे स्मृति-कारों ने समाज की एक शरीर से उपमा दी है, जिसमें विविध वर्ण

उसके जुदा-जुदा अंग बताये हैं। कल्पना तो करो कि यदि शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में परम्पर सहयोग न हो तो शरीर का काम कैसे चलेगा ? अगर मुँह भोजन का स्वाद लेकर पेट में न पहुँचाये या मुख पर मक्खी बैठने पर हाथ न उड़ाये, या भोजन-प्राप्ति के लिए पैर चलने से और हाथ काम करने से इन्कार कर दे, तो शरीर का कोई भी काम न चले। सबके सहयोगपूर्वक काम करने पर काफी पहले से जोर दिया जाता रहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है कि जत्र ग्रामिक (ग्राम का मुखिया) सारे गाँव के लिए किसी काम पर जावे तो ग्रामवासियों को बारी-बारी से उसके साथ जाना होगा। ऐसा न करनेवाले पर जुर्माना किया जाय।'

एक-दो बातों का और निर्देश करके यह पत्र समाप्त कर दूँगा। लोगों को गाँव का सामूहिक रूप से चारित्रिक और आर्थिक स्टैण्डर्ड ऊँचा करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी बुराइयाँ हैं जिनके कारण सारे गाँव की उन्नति नहीं हो पाती। आमतौर पर गाँवों में फजूलखर्ची यानी अपनी ताकत से ज्यादा खर्च करने की इतनी बुरी आदत है कि बीसियों साल तक मेहनत करने व कमाने के बाद भी किसान या मजदूर २०-२५) रु० नहीं बचा पाते। शादी और त्योहार पर कम खर्च किया जा सकता है, मुकदमेवाजी और आपस के झगड़ों का खर्च बचाया जा सकता है। शराब, तमाखू आदि नशों को छोड़ा जा सकता है। ये काम एक आदमी अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए सारे गाँव को पचायतों या विरादरी द्वारा एक साथ सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। एक-दूसरे को फायदा पहुँचाने

१. ग्रामार्थेन ग्रामिक व्रजन्त उपवासा पर्यायेण अनुगच्छेयु । अतनु-गच्छन्त पणार्धपणिक योजन दद्यु ।

की जवर्दस्त इच्छा जब हरेक नागरिक में होगी, तब ये समस्यायें भी खुद-बखुद हल होजावेंगी। मुकदमों में दूसरे को परेशान न कर आपसी समझौते द्वारा फैसला कर लेने की इच्छा से मुकदमोंवाजी पर होनेवाला दोनों दलों का भारी खर्च बच सकता है। बराती अगर कन्यापक्ष की दिक्कत अपनी दिक्कत समझ ले, तो दहेज भोजनादि के शादी के बड़े भारी खर्च बच सकते हैं।

गाँव के समझदार लोग जैसे सफाई के बारे में शेष नागरिकों को शिक्षा दे सकते हैं, वैसे ही सामाजिक दृष्टि से भी उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। बालविवाह, अनमेल विवाह, मृतक भोज आदि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए गाँवभर में आदर्श पेश करना और लोगों को समझाना उनका भारी फर्ज है। गाँव के अनपढ़ों को वे निजी या सामूहिक रूप से शिक्षा दे सकते हैं, अवकाश मिलने पर अच्छी पुस्तकें या अखबार सुना-सुनाकर उनका ज्ञान बढ़ा सकते हैं, बेकार या भिखारी लोगों को काम करने की प्रेरणा या काम देने का प्रवन्ध कर सकते हैं, उनमें मितव्ययिता, सहिष्णुता आदि गुणों का प्रचार कर सकते हैं।

अभी मैं तुम्हें आग, बाढ़ वगैरह विपत्तियों के आने पर सब लोगों की सहायता करने को लिख चुका हूँ। लेकिन सहायता करने का ढङ्ग सीखना पड़ता है। मैंने कई अग्निकाण्ड देखे हैं, जबकि सारा-का-सारा गाँव जलने लगा है और गाँववाले कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए नहीं कि वे कुछ करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि उन्हें कुछ सूझता नहीं कि आग कैसे बुझाई जाय। गाँववाले हाथ-पर-हाथ धरे अपनी सारी दौलत को जलते देखते रहते हैं और कुछ समझदार अभ्यस्त स्वयंसेवक या स्काउट आते हैं और

थोड़ी देर में सब व्यवस्था कर देते हैं। समय पर दूसरे की सेवा करने की व्यावहारिक शिक्षा का ज्ञान भी नागरिकों को होना चाहिए। एक आदमी डूब रहा है, कहीं भारी चोट खा गया है, कहीं आग लग रही है या कोई और आफत आ रही है, मंजिले में भारी भीड़ के कारण वच्चे कुचले जा रहे हैं या गुम हो गये हैं, ऐसे मौकों पर रक्षा की व्यावहारिक शिक्षा स्काउटों को दी जाती है। हर एक गाँव में भी स्काउटों या स्वयंसेवकों का एक ऐसा दल होना चाहिए, जो नागरिकों को समय-समय पर सहायता और ऐसे कामों की शिक्षा देता रहे।

नागरिकों की सामूहिक कर्तव्य-भावना को ऋग्वेद के अन्तिम तीन मन्त्रों में इतनी उत्तमता से बताया गया है कि मैं उन्हें यहाँ देने का हौलालच रोक नहीं सकता:—

सगच्छध्व स वदध्व स वो मनासि जानताम् ।

देवा भाग यथा पूर्वे सजानाना उपासते ॥^१

समानो मत्र समिति समानी ममान मन सह चित्तमेयाम् ।

समान मत्रमभिमत्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि ॥^२

समानी व आकूति समाना हृदयानि व ।

- समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥^३

१ हे मनुष्यो, आप सब अच्छी तरह मिलकर चलो, आपस में मत भेद मत रखो, एक-दूसरे को पहचानने की कोशिश करो। जैसे सूर्य, अग्नि, वायु आदि अपना-अपना कर्तव्य पालन करते हैं, उसी तरह आप भी अपना-अपना कर्तव्य पालन करो।

२ आप सबकी एक सलाह हो, एकसाथ उठना-बैठना हो, दिल एक हो। मैं सबको एक मंत्र से दीक्षित करता हूँ और एक से प्राकृतिक साधन देता हूँ।

३ आप लोगों का एक सकल्प हो, दिलों में फूट न हो, आप लोगों के सब काम एकसाथ अच्छी तरह सम्पन्न हो सकें।

: १८ :

मेरा देश

१६-५-३८

पिछले दो पत्रों में हमने गाँव या शहर के प्रति अपने कर्तव्यों पर कुछ विचार किया है। पर यह तो प्राथमिक कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य यहीं समाप्त नहीं होजाता। एक और प्रधान सस्था मौजूद है, जिसके प्रति भी मेरा फर्ज है और जो मेरे सहयोग की अपेक्षा करती हैं— वह है मेरा—हमारा देश। इसके प्रति अपने फर्ज को राष्ट्रीयता कहा जाता है। यह राष्ट्रीयता भूगोल, भाषा, धर्म तथा दूसरी उन बातों से उत्पन्न होती है, जो निकटता तथा सामाजिक सजातीयता पैदा करती हैं। किसी राष्ट्र की भौगोलिक रूपरेखा नियत होती है। उसका अपना एक स्वतंत्र नाम होता है। उसका अपना साहित्य, अपना इतिहास, अपनी सरकार और उसमें रहनेवालों के अपने स्वार्थ होते हैं। नागरिक ने व्यक्ति से कुटुम्ब और कुटुम्ब से गाँव या शहर तक अपना कार्यक्षेत्र फैलाया और अब वह राष्ट्र या देश तक, जिसे वह अपनी मातृभूमि कहता है, अपना दायरा बढ़ाता है।

इस मातृभूमि के भाव ने जातियों के इतिहास बनाये हैं। एक समय था, जब देश या मातृभूमि का भाव लोगों में इतना प्रबल न था। मनुष्य का क्षेत्र सकुचित था, पर वह बढ़ते-बढ़ते अब एक राष्ट्र या देश तक फल गया है। और यह यहाँ तक बढ़ गया है कि जाति की जाति आँग्य मूँदकर देशभक्ति, मातृभूमि और राष्ट्रीयता के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने में जरा भी नहीं हिचकती। हजारों कवियों ने

मातृभूमि के नाम पर कविताएँ लिखी हैं, हजारों लेखकों ने विद्वल होकर मातृभूमि का यशोगान किया है और लाखों नागरिकों ने हमने-हंसते देशप्रेम के नाम से प्राणोत्सर्ग कर दिया है। अपने इस राष्ट्र या देश के इन्तजाम करनेवाले लोगों के समूह को सरकार कहते हैं, जो अपने नागरिकों की रक्षा का जिम्मा लेती है। एक देश उसमें रहने वाले सब नागरिकों को—सब श्रेणियों और सब जातियों को एक स्वार्थ से बांध देता है और एक नाम दे देता है। भारत के रहनेवाले भारतीय, ब्रिटेन में रहनेवाले ब्रिटिश और फ्रांस में रहनेवाले फ्रान्सीसी कहलाते हैं।

कई शहर और गाँव मिलकर जिला बनाते हैं और कई जिले मिलकर प्रान्त कहाते हैं। कई प्रान्त मिलकर देश कहाते हैं। जिलों और प्रान्तों के संबंध में यह जरूरी नहीं कि वे एक समान बड़े हों। अलग-अलग भौगोलिक परिस्थिति तथा अपनी शासनसंबंधी सुविधा के अनुसार यह बटवारा किया जाता है। भारत बहुत बड़ा देश है। इसके प्रान्त भी उसी क्रम से बड़े हैं। इसका एक-एक प्रान्त यूरोप के एक-एक देश के बराबर है। भारत के भी सभी प्रान्त और जिले एक समान नहीं हैं। नागरिक के जिस शासनाधिकार की चर्चा हम पिछले (पाचवें) प्रकरण में कर आये हैं, उसके अनुसार नागरिकों को अपने मामलों में ज्यादा-से-ज्यादा दिलचस्पी लेने और अधिकार देने के सिद्धान्त को हमने माना था। इसीलिए स्थानीय स्वराज्य में एक छोटे से केन्द्र की जनता को काफी अधिकार होते हैं। ऊपरी सरकार उसमें कम दखल देती है। कुछ ऐसे मामले होते हैं, जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र व अधिकार से बाहर होते हैं। उन्हें जिला-बोर्ड सभालता है, पर वह भी यथासंभव अपने सब मामले स्वयं निपटाता है। बड़ी-बड़ी सड़कों जैसे जो कार्य

उसकी शक्ति से बाहर हैं, प्रान्तीय सरकार के सिपुर्दे होते हैं। प्रान्तीय सरकार जहा जिला-बोर्डों पर निरीक्षण करती है, वहाँ अपने को भी यथासभव स्वतंत्र रखने की चेष्टा करती है। अप्रैल १८३७ से पहले भारत में जो शासन विधान चालू था, उसमें प्रान्तों को अपने प्रान्तीय मामलों में भी बहुत-कम स्वतंत्रता थी। उन्हें प्रायः प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार का मुह ताकना पड़ता था, इसलिए उस व्यवस्था को 'यूनिटरी सिस्टम' कहा जाता था। लेकिन अब ११ प्रान्तों—बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त, मद्रास, बम्बई, सिन्ध, सीमाप्रांत, पंजाब और युक्तप्रान्त को काफी ज्यादा अधिकार देकर प्रान्तीय स्वराज्य दे दिया गया है। केन्द्रीय सरकार सब प्रान्तीय सरकारों का निरीक्षण करती है और राष्ट्र-रक्षा आदि सिर्फ वही काम करती है, जिनका सारे देश से सम्बन्ध हो। इसके लिए वह कस्टम, रेलवे आदि आमदनी के कुछ साधन भी अपने पास रखती है। सब प्रान्त व संघविधान के अनुसार रियासतें भी इसकी सदस्य होंगी। अभी तक हमारे यहाँ प्रान्तीय स्वराज्य तो कायम होगया है, लेकिन संघ-विधान अमल में नहीं आया।

मेरा विचार विधान के पेचीदे विस्तार में जाने का नहीं है। विधान का निर्देश तो मैं प्रसंगवश कर गया, मेरा मतलब सिर्फ यह था कि नागरिक के कर्तव्य अपने-अपने परिवार और अपने गांव या शहर तक ही सीमित नहीं हैं, वे इससे कहीं ज्यादा, अपने प्रान्त, प्रांत, देश या राष्ट्र के प्रति हैं। जैसे नागरिक को परिवार और गांव के हित में अपना हित समझना होता है, उसी तरह प्रान्त व देश के हित को भी अपना हित समझना चाहिए। अगर देश की स्थिति ही सुरक्षित न हो, तो गांव या परिवार की हालत भी खतरे में पड सकती

है। इसका उदाहरण देने की बहुत जरूरत नहीं। भारत की अपनी सरकार नहीं है। इसका असर दर-से-दर कोने में रहनेवाले भारतीय किसान पर भी उतना ही ज्यादा पड़ता है, जितना राजधानी दिल्ली में रहनेवाले नागरिक पर। रेलवे, सेना, सामुद्रिक तटकर, विनिमय और मुद्रानीति आदि कई महत्त्वपूर्ण विषय राष्ट्र के सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि देश के मामलों में नागरिकों को पूरी रुचि हो। यहाँ मैं देश के प्रति अपने कुछ कर्तव्यों की ओर तुम्हारा ध्यान खींचता हूँ:—

(१) केन्द्रीय और प्रांतीय धाराम्भाओं के चुनाव में जहाँ तक मुमकिन हो, योग्य उम्मीदवार को भेजना चाहिए। पैसे के, जात-पात के या मजहब के लिहाज से नहीं, लेकिन योग्यता और देशसेवा की कसौटी से नागरिकों को चुनाव के समय वोट देने चाहिए। अभी तक भी भारत में बहुत-कम नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है और जो है भी, वह साम्प्रतिक या शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता पर। यह अनुचित है। बालिगमात्र को मताधिकार मिलना चाहिए, जैसा कि मैं अधिकार के सिलसिले में लिख चुका हूँ। भारत के मताधिकार का दूसरा बड़ा दोष यह है कि इसमें हिन्दुस्तानियों को अलग-अलग दलों, फ़िरकों या संप्रदायों में बाँट दिया गया है। जो उम्मीदवार अपने सम्प्रदाय के साम्प्रदायिक भावों को जितना ज्यादा भड़कावेगा, वही ज्यादा वोट प्राप्त कर सकेगा और आज इसका नतीजा हो रहा है भारत में साम्प्रदायिकता की वृद्धि।

(२) देश के सामने जो समस्या पेश हो, उसमें नागरिक भी खूब दिलचस्पी लें। राष्ट्र के विधान और सरकारी मशीनरी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण समस्या पर लोक-

मत जागृत होना चाहिए, जिससे चुने गये प्रतिनिधियों को भी लोक-मत का निरादर करने की हिम्मत न हो ।

(३) अगर कोई ऐसा मौका आजाय, जब प्रजा के हाथ से अपने अधिकार छिनने लगें, तो उससे सतर्क रहना चाहिए । जो अधिकार हमारे पूर्वजों ने सदियों लड़कर प्राप्त किये हैं, उन्हें यों-ही अपनी लापरवाही और उपेक्षा से गवा देना परले दर्जे की मूर्खता होगी । अधिकारों की रक्षा के लिए यदि आन्दोलन की आवश्यकता हो, तो उससे भी घबराना नहीं चाहिए ।

(४) राष्ट्र की सरकार जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूँ, सब नागरिकों की प्रतिनिधि-संस्था है । इसका अर्थ यह है कि नागरिक खुद ही अपने पर शासन करते हैं । इसका यह भी अर्थ हुआ कि सरकार जो कानून बनाती है, जो टैक्स लगाती है, वह हमारी—हमारे प्रतिनिधियों की सम्मति से लगाती है । उन कानूनों और आज्ञाओं को मानना हमारा कर्तव्य है । यदि हम इन सरकारी हुक्मों को मानने से इन्कार कर देते हैं, तो इसका परिणाम यह होगा कि वह सरकार फल होजायगी और तब शक्तिशाली पुरुष सैनिक बल में हम पर हावी हो जावेंगे, जो हमें कतई पसन्द नहीं है । हाँ, यदि विदेशी सरकार हो और वह लोकमत का निरादर कर अनुचित कानून जारी करे, अनुचित टैक्स लगावे, तो उनका विरोध करना प्रजा का केवल अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है । जिस गुलाम देश के नागरिक निरंकुश विदेशी सरकार के अनुचित और कठोर नियमों का सिर झुकाकर पालन करते हैं, वे अपने कर्तव्य से गिर जाते हैं । विदेशी सरकार का विरोध करने में चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों न सन्नी पड़ें, नागरिकों को घबराना नहीं चाहिए ।

(५) राष्ट्र या देश की उन्नति में यदि कुछ न्याय करना पड़े, तो वह करने में भी संकोच न करना चाहिए। महाभारत में लिखा है:—

त्यजेदेक कुलम्यार्ये ग्रामम्यार्यं कुत्र त्यजेत् ।

ग्राम जनपदम्यार्ये आत्मार्ये पृथिवी त्यजेत् ॥

कुल के लिए एक व्यक्ति, ग्राम के लिए कुल, और प्रान्त के लिए ग्राम को छोड़ने में संकोच न करना चाहिए। जो राष्ट्र हमारे जन-धन और प्राण की रक्षा करता है, उसके लिए यदि हम अपने प्राण तक देने पड़े, तो भी उसके लिए संकोच न करना चाहिए। मातृभूमि के लिए आत्म-बलिदान की सैकड़ों वीर कथाएँ इतिहास में विद्यमान हैं। जिस देश में हम पैदा होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और सब प्रकार के सुख पाते हैं, यदि उसकी रक्षा के लिए हम अपने को बलिदान भी कर दें, तो वह महंगा सौदा नहीं है। फिर, मातृभूमि की आजादी हमारी अपनी आजादी है। हमारी गतिविधि, हमारा चिन्तन, हमारा प्रत्येक काम ऐसा होना चाहिए कि उससे हमारे देश को जरा भी दुःख न हो। अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त में नागरिक का कर्तव्य बताया गया है—
उठते, बैठते हुए, खड़े हुए, दायें या बायें पैर से हम मातृभूमि को कोई कष्ट न दें।^१ अपने छोटे-बड़े भेद-भाव भूलकर मातृभूमि पर विपत्ति के समय हमें एक होजाना चाहिए।

(६) आजकल प्रत्येक सभ्य राष्ट्र के नागरिक की यह कोशिश रहती है कि वह अपनी मातृभूमि की इज्जत की रक्षा करे। भारतवर्ष में भी राष्ट्रीयता की दिनोंदिन वृद्धि होरही है। जहाँ यह देश के लिए शुभ लक्षण है, वहाँ हमारी राष्ट्रीयता में एकांगिता का दोष भी

१ उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्त उत प्रकामन्त ।

पद्भ्या दक्षिणसव्याभ्या मा व्यधिष्महि भूम्याम् । २८ ।

है। हमारी राष्ट्रीयता के केवल राजनैतिक रूप का विकास हो रहा है। केवल राजनीतिक अधिकार ही हमारे लिए काफी नहीं हैं। राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की सभ्यता और राष्ट्र की भाषा आदि की भी हमें प्राणपण से रक्षा करनी चाहिए। इस ओर हमारी भीषण उदासीनता राष्ट्रीयता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इससे हमें आत्माभिमान या देश-गौरव नष्ट हो जाता है। हमें अपने इतिहास पर—इतिहास के वीर नायकों पर गर्व करना चाहिए। हरेक मुल्क में वीरपूजा के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाये जाते हैं। विशुद्ध विदेशी पोशाक में रहने और विदेशी भाषा बोलनेवाले से आप सच्ची राष्ट्रीयता की आशा नहीं कर सकते। वह अपने देश की आम जनता से कभी हिलमिल नहीं सकता, न उससे पूरी हमदर्दी कर सकता है। विदेशी तालीम ने हम शिक्षित भारतीयों को सचमुच आम जनता से इतना दूर कर दिया है कि अपने ही देश के गाँवों में हम परदेशी से मालूम पड़ते हैं।

(७) हमें प्रत्येक आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और साहित्यिक क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों से आगे बढ़ने व अधिक उन्नति करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अन्दर राष्ट्रीयता का एक ऐसा उत्साह होना चाहिए कि हम अपने देश की सर्वाङ्गीण उन्नति के बिना कभी चैन ही न लें।

(८) जब देश पर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो, तब प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, यह मैं पहले लिख चुका हूँ। लेकिन जब अपना देश ही आक्रमणकारी हो और अन्याय स दृसर पर आक्रमण कर रहा हो, तब भी क्या हमें उस युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए ? इस सवाल का जवाब बहुत आसान नहीं है। कुछ राजनीतिज्ञों का मत है कि जब सरकार युद्ध का निश्चय कर

ले, तब नागरिकों को अपनी इच्छा को दवाकर बहुमत का आदर करना चाहिए। बहुत दफा सरकार जनता को सहयोग देने के लिए कानून द्वारा बाधित करती है, लेकिन मेरा विचार कुछ भिन्न है। किसी दूसरे देश पर बिना किसी कारण अपनी साम्राज्य-लिप्सा जान्न करने की खानिर ही आक्रमण करना पाप है। मनुष्य का दायरा केवल राष्ट्र की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं है, वह तमाम दुनिया का—सारी मानव-जाति का भी तो एक अंग है। जैसे एक नागरिक अपने पड़ोसी का अधिकार-हरण करके पाप करता है, वैसे ही एक राष्ट्र भी यदि दूसरे राष्ट्र को पराधीन करता है, तो वह भी पाप करता है। इसलिए ऐसे मौके पर नागरिकों को दिलेरी के साथ अपनी सरकार का विरोध करना चाहिए। यदि इतना आत्मबल आज यूरोपियन मुल्कों के नागरिकों में आजाय, तो साम्राज्यवाद के लिए होनेवाले हमले भी बन्द होजाय। राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान् प्रो० हैरल्ड लास्की लिखते हैं कि—

“आत्मा की प्रेरणा से बढ़कर और कोई कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सकता। आत्मा की आवाज को दवाना स्वतन्त्रता के साथ धोखा करना है। जो इस प्रकार की आजाये स्वीकार कर लेते हैं, वे गुलामी की सीढ़ी का काम देते हैं। जो अन्याय को देखते हुए भी चुप बैठे रहते हैं, वे भी उस अन्याय के करनेवाले हैं। स्वतन्त्रता का अर्थ है अपने प्रति सच्चा रहना और यह तभी कायम रह सकती है, जब संघर्ष या मुकाबला करने का साहस हो। यह साहस—सिर्फ यही साहस स्वतन्त्रता की गारन्टी है। लोग कहेंगे कि इससे अराजकता फैल जायगी। मैं मान लेता हूँ, पर हमेशा व्यवस्था ही सर्वोत्कृष्ट चीज नहीं होती है और विद्रोह हमेशा हानिकर भी साबित नहीं

हुए। शक्ति का उद्देश्य सिर्फ शक्ति नहीं है, शक्ति का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति। यदि शक्ति से सुख या आत्मसन्तोष का लाभ न हो, इसके विपरीत आत्मा को असन्तोष हो, तो सिवाय उस शक्ति से सर्वप या विद्रोह के, हमारे पास और क्या मार्ग रह जाता है ? अन्यथा अपने सुख का हम बलिदान कर दें।” आगे चलकर प्रो० लास्की लिखते हैं कि “हमारी सरकार कितनी ही अच्छी क्यों न हो, उसे यह भय ही हमारी स्वतन्त्रता का सबसे बड़ा प्रभावशाली साधन है कि जनता की स्वतन्त्रता का परिणाम होगा, दृढसकल्प नागरिकों द्वारा विद्रोह या क्रान्ति।”

नागरिक का फर्ज है कि वह अपने दायरे को बढ़ाते-बढ़ाते तमाम दुनिया को अपना दायरा बना ले। कुछ लोग अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-बन्धुत्व की कल्पना करते हुए कुल, जाति या देश के अभिमान को भूल जाते हैं, इन्हे सकीर्णता कहकर इनका निरादर करने लगते हैं। लोकमान्य तिलक ने ऐसे लोगों को खूब अच्छा जवाब दिया है। वे कहते हैं—“निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार सगुणोपासना आवश्यक है, उसी प्रकार ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की बुद्धि पाने के लिए कुल, जाति और देश आदि के अभिमान की भी आवश्यकता है। समाज की प्रत्येक पीढ़ी इसी जीने से ऊपर चढ़ती है और इसीलिए इस सीढ़ी को बनाये रखना पड़ता है। ... मंजिल पर मजिल तैयारी करके इमारत बन जाने पर जिस प्रकार नीचे के हिस्से निकाले नहीं जा सकते, अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ में आ जाने पर भी कुदाली की, या सूर्य होने पर भी अग्नि की जरूरत बनी ही रहती है, उसी प्रकार सर्वभूत-हित की अन्तिम सीमा तक पहुँच जाने

पर भी न केवल देशाभिमान की ही नहीं, वरन् कुलाभिमान की भी आवश्यकता बनी रहती है।” हाँ, इस हालत में अपने देश की उन्नति का अर्थ दूसरे राष्ट्र का पतन नहीं होगा। अपना व्यक्तित्व, परिवार, गाँव, नगर, देश और विश्व ये पाँच वृत्त हैं, जिनका केन्द्र एक है और क्रमशः ये अपने पहले से बड़े हैं। ये परस्पर विरोधी नहीं हैं। इसलिए एक समय एक व्यक्ति के लिए सम्भव है कि वह अपने-अपने परिवार, गाँव, नगर, देश और विश्व सबके हितों की रक्षा कर सके। जहाँ एक हित दूसरे को काटने लगे, वहाँ बड़े वृत्त को तरजीह दी जानी चाहिए। राष्ट्रसंघ (लीग आफ नेशन्स) इस दिशा में काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकता, यदि उसके सदस्य इस नियम का पालन करते, लेकिन उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति ने राष्ट्रसंघ को लुटेरों का सदस्य बना दिया है। कितनी बड़ी विडम्बना है।

मेरे देशभाई

२३-७-३८

तुम्हारे पत्र की अत्यन्त प्रतीक्षा थी। माँ के समाचार जानने की बहुत उत्कण्ठा थी, लेकिन तुम्हारा पत्र नहीं आया। शायद तुम माँ की सेवा-शुश्रूषा में लगे होगे। माता की सेवा का सौभाग्य विरले को ही मिलता है। अपनी सेवा से प्रसन्न करके माँ से आशीश पानेवाला वडभागी होता है। तुमने मनु का “अभिवादनशोलस्य वृद्धजनोपसेविन । चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ।” यह श्लोक पढ़ा होगा। मैं इस श्लोक का कायल हूँ। तुम्हें माँ की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। सच्चे दिल से की गई सेवा व्यर्थ नहीं जाती। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी सेवा से माँ फिर नीरोग हो उठेगी। मुझे तो इस सेवा का अवसर ही नहीं मिला। मैं जब घर पहुँचा था, माँ कुछ घण्टों की मेहमान थीं। माँ जबतक थी, उसका मूल्य नहीं समझ पाया था, उसके जाने पर सहसा मालूम हुआ कि मैं (३० वर्ष का, एक-दो वर्षों का बाप होकर भी) कितना अनाथ होगया हूँ। मैं पिछले पत्र में ही लिख चुका हूँ कि माँ की सेवा और देश-सेवा में विरोध नहीं है। माँ की सेवा भी नागरिक का महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है।

अब मेरी पत्रमाला समाप्त होने ही लगी है। दो-एक पत्र और-वस, फिर यह चर्चा समाप्त।

पिछले पत्र में देश के प्रति नागरिक के कर्तव्यों पर लिखते हुए एक खास विषय जानकर छोड़ गया था। वही इस पत्र में लिखने का

विचार है। मातृभूमि के प्रति कर्तव्यबुद्धि—मातृभूमि के लिए बलिदान आदि शब्द बहुत हृदयस्पर्शी हैं, लेकिन यह मातृभूमि, यह राष्ट्र है क्या ? केवल नदी-नालों या पहाड़ों का नाम ही तो राष्ट्र नहीं है। वस्तुतः राष्ट्र है भूगोल, इतिहास, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि अनेक दृष्टियों में परस्पर सम्बद्ध एक नियत सीमित देश में रहनेवाले नागरिकों—आयालबुद्ध नरनारी का समूह, फिर चाहे उनमें कितनी ही श्रेणियाँ हों। वस्तुतः यही राष्ट्र है। राजनीतिशास्त्र की पुस्तकों में राष्ट्र के लक्षण पर जो विवाद किया गया है, मैं उसकी चारिक्रियों में नहीं जाना चाहता। अपनी बात समझाने के लिए राष्ट्र का इतना ही लक्षण काफी है। हम भारतीयों के लिए राष्ट्र क्या है ? भारत की भौगोलिक सीमा में रहनेवाले सब भारतीय, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, वच्चे हों या बूढ़े, हिन्दू हों या मुसलमान, सिख हों या पारसी, ईसाई, दलित हों या सवर्ण, किसान हों या जमींदार, मजदूर हों या पूँजीपति। सब भारतीय राष्ट्र के अनिवार्य अंग हैं। इन सबके हितों की रक्षा, इन सबकी सेवा और इन सबकी उन्नति ही नागरिकों का पहला कर्तव्य है। कोई वर्ग, कोई श्रेणी किसी दूसरे वर्ग या श्रेणी के अधिकारों का अपहरण न करे। सब एक-दूसरे के अधिकारों का आदर करें। मैं संक्षेप से इस पत्र में एक-एक श्रेणी पर विचार करने का यत्न करूँगा।

भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या साम्प्रदायिक समस्या है। यह आज भारत के बड़े-से-बड़े नेताओं, राजनीतिज्ञों और विचारकों को परेशान कर रही है। इसकी तह में एक-दूसरे के प्रति अविश्वास, और धार्मिक असहनशीलता काम कर रही है। इसी अविश्वास और असहिष्णुता के कारण ही पिछले १६ सालों में कितने भयकर दंगे

हुए, सेंकड़ों मारे गये, कितनी स्त्रियों का अपहरण किया गया, लाखों रुपये की जायदाद जला दी गई। मेरा धर्म सच्चा है, दूसरे का भूठा, यह विश्वास ही इन भगड़ों की जड़ है। हरेक धर्मप्रवर्तक महापुरुष के जीवन का अध्ययन करने से हमें मालूम होगा कि उसने अपने समय और देश की हालतों के अनुसार कुछ विशेष बातों पर जोर दिया। बहुत मुमकिन है कि हजरत मुहम्मद अरब में न होकर भारत में होते, तो उनकी शिक्षाओं में कुछ दूसरी बातों पर बल दिया जाता। इसी तरह म० बुद्ध, ईसा और गुरु नानक आदि की शिक्षाओं में भी अपने चारों ओर की परिस्थितियों का प्रभाव साफ तौर से प्रतीत होता है। फिर एक महापुरुष को बिलकुल मुकम्मिल और निर्भ्रान्त मान लेने की गल्ती की जाती है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से निष्पक्ष विवेचन किया जाय, तो धर्मप्रवर्तकों की भी अनेक अपूर्णताएँ हमारे सामने आयेंगी, यहाँ तक कि सूर्य में भी धब्बे दीखते हैं। हमें देखना तो यह चाहिए कि एक नागरिक के दार्शनिक मंतव्यों का उसके आचरण पर तो ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, जोकि समाज के लिए या पड़ोसी के लिए नुकसानदेह हो। धर्मों का अध्ययन करने से यह साफ मालूम होता है कि सभी धर्मप्रवर्तकों ने सार्वभौमिक धर्म सदाचार की शिक्षा दी है। कोई मस्जिद में जाय, गिरजे या मन्दिर में जाय, इससे किसी दूसरे की हानि नहीं होती। इसलिए हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि हम हरेक धर्म या सग्नदाय को उन्नति करने दें। इतना ख्याल हमें जरूर रखना चाहिए कि अपने धर्म का प्रचार करते हुए किसी दूसरे से जवर्दस्ती न करें, क्योंकि ऐसा करना उस अधिकार को छीनना है, जो धार्मिक स्वतन्त्रता के वारे में नागरिकों को मिला हुआ है और जिसकी चर्चा हम अधिकार के प्रकरण में

कर चुके हैं। राष्ट्रसम्बन्धी व्यवहार में तो नागरिकों को सिर्फ इतना देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना योग्य है, उसमें जन-सेवा की कितनी लगन है। इस कसौटी पर उतरनेवाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भ्रिभ्रक के ऊँचे से ऊँचा पद दिया जा सकता है।

स्त्रियों के साथ भी नागरिकों का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। नारी शक्ति की जननी है। समाज के निर्माण में पुरुष की अपेक्षा उसका हिस्सा कम नहीं है। “स्त्री के अभाव में संसार हिंसा, कलह, अशान्ति और दुःख का नमूना बन गया होता। शोभा, सुन्दरता, सरसता और सजीवता की जगह भीषणता, वीभत्सता, नृशंसता, स्वार्थान्धता और रक्तपिपासा का राज्य दिखाई देता। स्त्री ने उत्पन्न होकर जगत् पर अमृत की वृष्टि की है। उसने मनुष्य को उत्पन्न ही नहीं किया, जगत् को जिलाया और अमर भी किया है।” ऐसी स्त्री जाति के सुखों की चिन्ता पुरुष समाज का प्रथम धर्म है। स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों के स्वास्थ्य और स्त्रियों की दूसरी सुविधाओं का इन्तजाम करना चाहिए। राजनैतिक या सामाजिक दृष्टियों से पुरुषों व स्त्रियों में यथासम्भव कोई फर्क न रहे। विधवाओं के साथ होनेवाले अत्याचार बन्द कर देने चाहिए। रोजमर्रा पतियों द्वारा स्त्रियों पर होनेवाले अत्याचारों की भी समाप्ति हो जानी चाहिए।

दलितों के सम्बन्ध में पहले भी मैं विचार कर चुका हूँ। कोई मनुष्य जन्म के कारण दलित नहीं है। सभी नागरिकों को, जो भी इस राष्ट्र में उत्पन्न हुए हैं, एक समान विकास करने का अधिकार है। नागरिकों को चाहिए कि वे जहाँ किसी के साथ धार्मिक भेदभाव न करें, वहाँ जन्म या वर्ग के कारण भी किसी से भेदबुद्धि न रखें। लोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा था कि “किसी आदमी को

अस्पृश्य कहना भगवान् के विरुद्ध पाप करना है, क्योंकि वह भी भगवान् ही का एक पुत्र है।”

एक देश में ऊपर लिखे श्रेणी-विभाजन के सिवाय आर्थिक दृष्टि से भी श्रेणियाँ बाँटी जाती हैं। किसान, जमींदार, मजदूर, पूँजीपति, बौद्धिक पेशे, शासक श्रेणी वगैरा कई जमायते हैं, जिनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। किसानों पर अबतक जमींदारों और सरकारी कर्मचारियों की ओर से सैंकड़ों प्रकार के अत्याचार होने का नतीजा यह हुआ कि तमाम मुल्क के लिए अन्न पैदा करनेवाला किसान खुद भूखों मर रहा है। यह स्थिति किसी भी हालत में न रहनी चाहिए। किसान की तो समस्त देश का अन्नदाता होने के कारण सबसे अधिक इज्जत होनी चाहिए। किसान से उतना ही टैक्स लेना चाहिए, जिसे वह बरदाश्त कर सके। उसकी आमदनी बढ़ाने, उसके खर्च कम करने और खेती के सुधार की ओर भी नागरिकों का पूरा ध्यान रहना चाहिए। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को उन्नत करना चाहिए। मजदूरों के साथ भी यही उदार दृष्टिकोण रखना चाहिए। मिलों में उनकी अनेक तकलीफों को दूर करना चाहिए। काम के घंटे, मजदूरी व उनसे व्यवहार में मनुष्यता का परिचय देना चाहिए। यदि किसी देश के किसान मजदूर दरिद्र हैं, तो उस देश का व्यापार व्यवसाय भी जरूर चौपट हो जायगा। अगर एक राष्ट्र की खरीदने की ताकत ही नष्ट हो जाय, तो उसका नतीजा व्यापार-व्यवसाय का नाश तो है ही।

जमींदारों व पूँजीपतियों के साथ भी नागरिकों का व्यवहार न्यायपूर्ण रहना चाहिए। आज बहुत-से विचारक इन दोनों श्रेणियों के अगित्त्व की उपयोगिता से इन्कार करते हैं। मैं यहाँ इस वहस

में नहीं पडना चाहता। मेरा तो कहना यह है कि खेती और विशेष-कर व्यवसाय की उन्नति में धनिक श्रेणी का विशेष हाथ रहा है, इसलिए उसके साथ भी अन्याय और बलात्कार नहीं करना चाहिए। हाँ, उन्होंने दरिद्र जनता पर जो अत्याचार कर रखे हैं, उन्हें भी दूर करने में संकोच नहीं करना चाहिए। धन को अनुचित महत्त्व देने, आम लोगों को उन्नति की ज्यादा-से-ज्यादा सुविधाएँ देने का परिणाम यह होगा कि अमीर श्रेणियों ने जो अनुचित दबदबा कायम कर रखा है, वह खुद ही खतम होजायगा।

देश की सब जमायतों को नागरिकता के अधिकार एक-से हैं। यह मानकर यदि सभी नागरिक एक दूसरे के हितों और अधिकारों का खयाल रखे, तो मुल्क की बहुत-सी अन्दरूनी समस्याएँ हल हो जायें। इनके सिवा जनता को अपनी नैतिक सतह भी उची करनी चाहिए। चोरी, मारपीट, व्यभिचार, धोखा, बेईमानी आदि दुर्गुणों के निवारण की सामाजिक रूप से कोशिश होनी चाहिए। सरकार द्वारा जारी किये नियमों और कार्यों में जनता को पूरा सहयोग देना चाहिए। यही नागरिक के कर्तव्य हैं।

यूनानियों की निम्नलिखित नागरिक प्रतिज्ञा सभी नागरिकों के लिए विचारणीय है। प्राचीन यूनान में नगरराज्य होते थे, इसलिए हमें नगर से राष्ट्र ही समझना चाहिए। वह प्रतिज्ञा यह है:—

“यह हमारा नगर है। हम अपनी कायरता या बेईमानी के किसी काम से इसका अपमान न करेगे, न हम अपने दुखी साथियों का कार्यक्षेत्र में साथ छोड़ेंगे। हम इस नगर की पवित्र वस्तुओं तथा आदर्शों की रक्षा के लिए लड़ेगे, चाहे हम अकेले हों या बहुतों के साथ हों। हम नगर के नियमों का आदर तथा पालन करेगे और

उनकी अवहेलना करनेवाले वन्धुओं में भी ऐसा ही भाव भरने का यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे, हम नागरिक कर्तव्यों की सार्वजनिक भावना को उत्तेजित करेंगे। इस प्रकार इन सब उपायों से हम इस नगर को जैसा हमें यह सौंपा गया है उसकी अपेक्षा आनेवाली पीढी के लिए कम नहीं, अधिक महान्, उन्नत और सुन्दर बनायेंगे।”

इस प्रतिज्ञा के आखिरी वाक्य की ओर मैं तुम्हारा ध्यान खास तौर से खींचना चाहता हूँ। यदि हरेक नागरिक, चाहे वह किसान हो या मजदूर, डाक्टर हो या वकील, वैज्ञानिक हो या दार्शनिक, राजनीतिज्ञ हो या शासक, उपदेशक हो या अध्यापक, कारीगर हो या दुकानदार, व्यवसायी हो या इंजिनियर, इस आदर्श को अपने सामने रखें और किसी काम को अपने हाथ में लेने से पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी हालत में कर देने का दृढ़ निश्चय करले, तो एक ही पीढी में देश एक सदी आगे बढ़ सकता है। हरेक नागरिक अपने-अपने कार्य-क्षेत्र का विकास करे, आगे बढ़ना, यह आदर्श अपने सामने रखे। इस आदर्श को सामने रखने से ही आज यूरोप वैज्ञानिक, राजनैतिक, व्यापारिक और व्यावसायिक आदि सभी क्षेत्रों में इतनी उन्नति कर सका है। इसी आदर्श को सामने रखकर कोई भी राष्ट्रीय या सामाजिक आन्दोलन सफल होते हैं। संसार की उन्नति या विकास के मूल में यही भाव मुख्यतया काम करता है।

कर्तव्यों का संघर्ष

२४-७-३८

पिछले सात पत्रों में हमने नागरिकों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों पर विचार किया है। वे जरूरी हैं और सच्चा नागरिक उनका पालन करने की कोशिश भी करता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे अवसर भी सामने आजाते हैं, जब ये कर्तव्य आपस में ही टकराने लगते हैं। महाभारत के युद्ध के मौकों पर अर्जुन के सामने भी यही कर्तव्य-संघर्ष उपस्थित हुआ था। एक ओर उसके गुरु तथा रिश्तेदार थे, जिन्हें वह मारना नहीं चाहता था, और दूसरी ओर क्षत्रिय का धर्म था। ऐसी कर्तव्यमूढ़ता अक्सर बहुत मौकों पर लोगों के सामने उपस्थित होती है, जब उन्हें दो कर्तव्यों के बीच में से एक का चुनाव करना पड़ता है, लेकिन उन्हें सूझता नहीं। “किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता” पण्डित भी बहुधा ऐसी पहेली नहीं सुलझा सकते। लोकमान्य तिलक ने ‘गीता-रहस्य’ के दूसरे प्रकरण ‘कर्म-जिज्ञासा’ में ऐसे बहुत-से उदाहरण दिये हैं, जबकि धर्म के साधारण नियमों के पालन में ऐसी अडचनें पैदा होजाती हैं, और आदमी किंकर्तव्य-विमूढ़ होजाता है। सत्य बोलना धर्म है, सत्य की हजार अश्वमेध यज्ञों से तुलना दी गई है, लेकिन आततायी से गौ को बचाने के लिए असत्य बोलना पाप नहीं माना जाता। शान्तिपर्व में ही सत्य का यह अपवाद “सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादपि हित वदेत् । यद्भूतहितमत्यन्त एतत्सत्य

मत मम ॥” कहकर स्वीकार किया गया है । इसमें सत्य से अधिक महत्त्व ‘भूतहित’ को दिया है । अहिंसा को परमधर्म माना गया है, लेकिन दूसरी ओर रमृतिकार मनु कहते हैं—“गुरु वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचार-वन् ॥” विश्वामित्र ने अभक्ष्य के भक्षण का समर्थन करते हुए कहा है—जीते रहेंगे तो धर्म फिर भी कर लेंगे, मरने से जीना ज्यादा अच्छा है । (जीवित मरणात्श्रेष्ठो जीवन्धर्ममवान्प्रयात्—शान्ति० १४१)

नीतिशास्त्र बहुत कठिन विषय है, आचार और कर्तव्य की समस्या कठिन है । इसी तरह इस नागरिकशास्त्र में भी बहुत दफा कर्तव्यों का संघर्ष उपस्थित होजाता है, तब किया क्या जाय ? मैं इस पत्र में इसीकी कुछ चर्चा करना चाहता था ।

राजपूताने के इतिहास में एक कथा आती है कि एक राजपूत सरदार के हृदय में, जिसकी एक दिन पहले शादी हुई थी, स्त्री के और देश के प्रति कर्तव्यों में संघर्ष उत्पन्न हुआ । वह कभी घर की ओर जाता और कभी युद्ध-क्षेत्र की ओर । न वह स्त्री को ही अकेला छोड़ सकता था और न युद्ध से ही उसका क्षत्रियस्वभाव मुड़ना चाहता था । आखिर उसकी स्त्री ने पति की कर्तव्यविमूढता दूर गला काटकर अपना सिर पति के पास भिजवा दिया । मेवाड की एक दूसरी कथा के अनुसार महाराणा भीमसिंह की लड़की कृष्णावाई के कारण जब मेवाड पर भारी आफत आने लगी, दो राजाओं ने उसपर हमला कर दिया, तब उसने अपने देश के लिए आत्म-हत्या करना उचित समझा, जबकि आत्म-हत्या करना पाप है । आत्म-हत्या के पाप होते हुए भी सिपाही युद्ध में जाता है और खुशी-खुशी मृत्यु का आलिङ्गन करता है । हिंसा पाप है, फिर भी सरकारी

न्यायाधीश डाकुओं और हत्यारों को प्राणदण्ड तक की आज्ञा देता है। एक तरफ माँ बीमार पड़ी है और दूसरी ओर जाति या धर्म की रक्षा का सवाल है। वीर सैनिक माँ को रामभरोसे छोड़कर युद्ध-क्षेत्र चला जाता है। सरकार का आज्ञापालन नागरिक का कर्तव्य है, तथापि महान् विभूतिर्या अपने राष्ट्र के साम्राज्यवादी आक्रमण का विरोध कर उससे सहयोग देने से इन्कार कर देती हैं। प्रजातन्त्र का सिद्धान्त कहता है कि प्रत्येक प्रश्न पर जनमत का आदर करना चाहिए, लेकिन फिर भी गांधीजी अहमदाबाद-कांग्रेस में यह प्रस्ताव पेश करते हैं कि मुझे संग्राम छेड़ने के लिए डिक्टेटर बना दिया जाय। कांग्रेस का विधान प्रजातन्त्रमूलक है, फिर भी १९३० में डिक्टेटरों की शृंखला दीखती है। जनता के मताधिकार व शासनाधिकार से परिचित होते हुए भी इटली, जर्मनी आदि देशों के सच्चे हितचिन्तक मुसोलिनी और हिटलर बहुतसे अधिकार अपने हाथ में लेलेते हैं। एक शहर में प्लेग फैल जाने के कारण आग लगा दी जाती है, भले ही उससे नागरिकों की लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो-जाय। सार्वजनिक हित के लिए एक किसान की जमीन छीन ली जाती है, यद्यपि उसे भी अपनी सम्पत्ति की रक्षा का उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे नागरिक को। प्रत्येक नागरिक अपना कार्य करने में स्वतन्त्र है, फिर भी बाल-विवाह करनेवाले, शराब पीनेवाले या आत्म-हत्या करनेवाले को कानून दण्ड देता है। सरकारी कानून मानना नागरिक का कर्तव्य है, फिर भी भारतीय कांग्रेस सत्याग्रह या भद्रअवज्ञा का युद्ध छेड़ देती है।

ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं, जब कि कर्तव्यों में संघर्ष पैदा होता है और कर्तव्य का निर्णय करना कठिन होजाता

है। कर्तव्य की क्या कसौटी है, यह मालूम नहीं होता।

कर्तव्य की कसौटी पर कई विचारकों ने अपने-अपने पहलू से विचार किया है। लोकमान्य तिलक ने भी गीतारहस्य के आधिभौतिक सुखवाद के प्रकरण में इस विषय की चर्चा की है। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों के मत देकर उनकी आलोचना की है। मैं फिलासफी के इस पेचीदा झगड़े में नहीं पडना चाहता। लेकिन एक वाद की ओर तुम्हारा ध्यान अवश्य खींचना चाहता हूँ। शायद इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। इस सिद्धान्त के जनक हैं वैनथम, मिल आदि पश्चिमी विद्वान्। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी कर्तव्य की कसौटी है : “अधिकांश लोगो का अधिक सुख” (Greatest good of greatest number)। इस कसौटी से हमारी बहुत-सी समस्याएँ हल होजाती हैं। ऊपर लिखे कुछ उदाहरणों में अनेक उदाहरणों का जवाब इस कसौटी से मिल जाता है। चोर या हत्यारे को दण्ड इसलिए दिया जाता है कि उससे आम जनता में वेफिक्री हो, उनका जान-माल सुरक्षित रहे। माँ की अपेक्षा देश या जाति का हित सदा अधिक लोगों के सुख का कारण होगा। आत्महत्या से एक व्यक्ति की जरूर जान गई, लेकिन इससे मेवाड राज्य पर से विपत्ति चली गई। शहर को आग लगा देने से सम्पत्ति अवश्य नष्ट हुई, लेकिन उससे सब नगर-निवासी तो वीमारी से बच गये। फलों में एक गला सबको गला देता है, इसलिए उसे निकाल दिया जाता है, इसी तरह कोढ़ या तपेदिक के रोगी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी घर से निकालकर शहर से दूर सन्निटोरियम में भेजना पडता है या ब्रदमाश को समाज में से पृथक् करना पडता है। ‘त्यजेदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुठ त्यजेत्’ के श्लोक का

भी यही अर्थ है। एक निरकुश राजा प्रजा पर तरह-तरह के जुल्म करता है, कुछ लोगों के सुख के लिए प्रजा के अधिकारों और सुखों का बलिदान करने में सकोच नहीं करता। तब इस कसौटी में उसके विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है और आवश्यकता होने पर उसे ससार से भी हटाया जा सकता है। हमारे शास्त्रकारों ने भी, जैसा कि मैं अभी लिख आया हूँ, 'यद्भूतहितमत्यन्तं नत् स यपिनिवारणा' कहकर सर्वभूतहित को ही 'सत्य' बताया है। वनपर्व में ही दूसरी जगह 'अहिंसा' का लक्षण भी 'सर्वभूतहित' बताया है।

'अधिकांश लोगों के अधिक सुख' की कसौटी में हम कुछ दूर तक भले ही जासके, लेकिन इससे आखिर तक नहीं चला जा सकता। इसका एक ही उदाहरण काफी होगा।

ऋषि दयानन्द या और कोई समाज-सुधारक जब अपने क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार करता है, तब वह भारी लोकमत का विरोध करता है। हजरत ईसा के प्रचार को उस समय के लोगों ने 'अधिकांश लोगों के अधिक सुख' के विपरीत बताया ही रोक था और उन्हें शूली की सजा दी थी। आज हिटलर या मुसोलिनी आम लोगों के अधिकारों को कुचलकर और इस तरह 'अधिकांश लोगों के अधिक सुख' की मोटे तौर पर उपेक्षा करके शासन कर रहे हैं। पर ईसा या मुसोलिनी का विरोध उस समय के यूरोप और वर्तमान इटली के लिए हानिप्रद ही साबित होता। सीमान्त के कबीले वाले एक हिन्दू कन्या का अपहरण कर लेते हैं। उस एक कन्या के लिए सौ-दोसौ या ज्यादा कबीलेवालों को भी कभी-कभी दण्ड देना पड़ता है।

ऐसा अवसर आ सकता है, जब किसी भी देश का बहुमत किसी

कारण अन्याय करने लगा हो, तब उसका विरोध भी जरूरी फर्ज होजाता है। पाण्डव अपनी सेना से अधिक कौरवों की ग्यारह अक्षौहिणी सेना का नाश करके ही राज्य प्राप्त कर सके।

फिर इस वाद मे एक और भी दोष है कि सुख की व्याख्या स्पष्ट नहीं है। भौतिक सुख या आध्यात्मिक सुख ? बहुत दफा मनुष्य अपने यश या कीर्ति, देश, कुल या धर्म के अभिमान के लिए बहुत-से काम करता है। इसी तरह बहुत दफा क्रिया की अपेक्षा हृदय को कसौटी मानना पडता है। एक हत्यारे के किसीको मारने मे और एक स्त्री के सतीत्व-रक्षा के लिए किसीपर गोली चलाने मे क्रिया के एक होते हुए भी पहले को फाँसी मिलेगी और दूसरे को उसके वीर कार्य के लिए बधाई।

लोकमान्य तिलक ने कर्तव्याकर्तव्य की कसौटियों का विवेचन करते हुए बताया है कि मनुष्य-जाति मे परोपकार, दया, उदारता, दूरदृष्टि, तर्क, धैर्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह आदि सात्त्विक गुण है। इन सब गुणों का 'मनुष्यत्व' से हम निर्देश कर सकते हैं। जो कर्म सब मनुष्यों के मनुष्यत्व या मनुष्यपन को शोभा दे, या जिस कर्म से मनुष्यत्व की वृद्धि हो, वही सत्कर्म और नीतिधर्म है। और जब हम इस बात का सूक्ष्म विचार करने लगेंगे कि मनुष्यपन या 'मनुष्यत्व' का यथार्थ स्वरूप क्या है, तब याज्ञवल्क्य के कथनानुसार "आत्मा व अंगं द्रष्टव्यं." आत्मवृद्धि और आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्म-ज्ञानी अपने 'स्व' का विकास करते-करते अपना दायरा बहुत विस्तृत कर लेता है। उसका 'स्व' केवल संसार के मानवमात्र तक ही नहीं — 'विद्याविनयममृतं ब्राह्मणं गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता नम-र्दायिन' प्राणिमात्रतक विस्तृत होजायगा। उसके लिए यह सारा संसार ही

आत्मा है—“लोको वै अयमात्मा ।” जिस कार्य में भेद-भाव न रखकर समता का आदर्श हो, स्वार्थ-परार्थ का भेद न हो, वही कर्तव्य है। अग्नि निस्स्वार्थ भाव से जलानी है—उसका स्वभाव जलाना है, इसी तरह परोपकार एक महान् आत्मा का स्वभाव बनजाता है। वह दुष्टों को दण्ड भी डग्वी स्वभाव में प्रेरित होकर देता है और सज्जनों की रक्षा भी इसी भाव से करता है। वह नमाम दुनिया को कुटुम्ब समझता है। एक माँ अपने सभी बालकों को एक-सा देखती है, जब कोई शरारत करता है तब उसे दण्ड भी देती है और दो मिनट बाद उससे फिर प्रेम करने लगती है। उसकी ताड़ना में द्वेष-वृद्धि नहीं होती। इसी तरह एक आत्मजानी पुरुष ससार में रहकर राजकार्य करता हुआ भी निस्स्वार्थ और निष्काम रह सकता है।

महात्मा गांधी के मत के अनुसार एक अन्यायी शासन का विरोध या उसके प्रति विद्रोह एक व्यक्ति की अपनी उन्नति के लिए भी आवश्यक है। उनकी विचार-धारा का प्रवाह कुछ इस तरह है : व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध इस प्रकार का है कि उसमें व्यक्ति की प्रगति अपने समाज की साधारण धर्म-प्रगति से बहुत अधिक आगे नहीं हो सकती। इस कारण कोई व्यक्ति यदि अपने चारों ओर प्रचलित अधर्म (विदेशी सरकार या अत्याचारपूर्ण शासन भी अधर्म है) की ओर से आँखें मूंदेगा, तो वह अपनी अतिशय आध्यात्मिक उन्नति न कर सकेगा। इस प्रकार व्यक्ति के लिए अपने अन्दर सत्य, अहिंसा आदि धर्मों की सिद्धि के उद्देश्य से भी अपने समाज में प्रचलित अधर्म का विरोध करना कर्तव्य होजाता है।

कर्तव्य या धर्म की गति बहुत गहन है। महात्मा गांधी सर्वभूतहित-रत है। उनकी कर्तव्याकर्तव्य-कसौटी भी मानवजाति का कल्याण है।

लेकिन इसके साथ ही वह साधनों की पवित्रता पर भी उतना जोर देते हैं, जितना उद्देश्य पर। वह भी ससार से आर्थिक विपमता दूर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए लेनिन की भांति हिंसावाद का आश्रय लेना पाप समझने हैं। वह स्वराज्य प्राप्त करने के लिए शायद प्रत्येक भारतीय से अधिक उत्सुक होंगे, लेकिन यदि एक असत्य-भाषण से भारत को स्वराज्य मिलता हो, तो वह असत्य-भाषण द्वारा उसे स्वीकार नहीं करेंगे। गा.पी.जी. की इस विचार-धारा में और लोकमान्य तिलक की विचार-धारा में बहुत अधिक अन्तर नहीं है। दोनों यह मानते हैं कि सर्वभूतहित ही चरम उद्देश्य है और इसके लिए निष्काम व निस्स्वार्थ बुद्धि को भी दोनों अनिवार्य मानते हैं, जिसमें द्वेष या किसीको दुःख देने की प्रवृत्ति न हो। अन्तर केवल यह है कि लोकमान्य तिलक के अनुसार अग्नि या रुद्र परमात्मा की भांति शारीरिक हिंसा भी निष्काम रूप से की जा सकती है। लेकिन लोकमान्य का सिद्धान्त उसी स्थिति में लागू हो सकता है, जब मनुष्य व्यक्तिगत राग-द्वेष से ऊपर उठकर सिद्ध या जीवनमुक्त हो जाय। अभी तो हमारा आदर्श म० गांधी का सिद्धान्त ही हो सकता है।

मैं शायद कर्तव्याकर्तव्य के विचार में बहुत दूर, बहुत गहरा चला गया। इतनी दूर जाने की मेरी इच्छा न थी। मेरा खयाल तो नागरिकशास्त्र के अपवादों की ओर तुम्हारा ध्यान खींचना मात्र था।

सत्यं शिवं सुन्दरं

२७-७-३८

आज से तीन महीने पहले मैंने तुम्हें जो पत्रमाला लिखनी शुरू की थी, वह समाप्त होने लगी है। इन पत्रों में मैंने नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का विचार करने की कोशिश की है। शुरू के कुछ पत्रों में मैंने नागरिक के अधिकारों पर जोर दिया है तो पिछले पत्रों में नागरिक के कर्तव्यों पर। इस मंत्र पर यदि हम और अधिक अन्दर जाकर विचार करेंगे, तो कर्तव्य और अधिकार में कोई मौलिक अन्तर नहीं दीखता। जो एक के कर्तव्य है, वह दूसरे के अधिकार है। जो एक के अधिकार है, वह दूसरे के कर्तव्य है। एक का दूसरे को जीने देना कर्तव्य है, तो जीना दूसरे का अधिकार है। जब हम अपने लिए कोई चीज चाहते हैं, उसे अधिकार कह देते हैं, और जब वही चीज दूसरे को देते हैं, तब उसे कर्तव्य कह देते हैं। मनु ने धर्म का एक लक्षण 'स्वस्य च प्रियमात्मन' किया है। इसका भी यही मतलब है। कर्तव्य क्या है? जो अपनेको प्रिय हो। मैं जीना चाहता हूँ, मैं स्वतन्त्र रहना चाहता हूँ, मैं अपना विकास चाहता हूँ। मैं दूसरे को भी जीने दूँ, स्वतन्त्र रहने दूँ और विकास करने दूँ। यही मेरा कर्तव्य है। इस उसूल पर व्यक्तियों की, समाजों की, देशों की और विश्व की प्रायः सभी समस्याओं का हल होजाता है। इस कर्तव्य की साधना में—दूसरे के अधिकार की रक्षा में सर्वभूतहित का सिद्धान्त काम करता है। जब मनुष्य प्राणिमात्र में आत्मबुद्धि देखता है, तब हिंसा,

चोरी, डाका, दूसरे के अधिकार या धन के अपहरण का अवसर ही नहीं आता। विश्वबन्धुत्व की भावना में स्वार्थत्याग का तत्त्व छिपा हुआ है। विश्वबन्धुत्व का मंत्र सिद्ध कर लेने पर न इटली अवी-सीनिया पर आक्रमण करेगा, न चीन जापान पर, और न ब्रिटेन भारत पर शासन करेगा। सब मुल्क एक होंगे, एक-दूसरे के दुःख-सुख में शामिल होंगे। विश्वबन्धुत्व का मंत्र सिद्ध कर लेने पर— अधिकार और कर्तव्य का समन्वय कर लेने पर, न कोई अछूत रहेगा और न कोई अत्याचार-पीडित। रावर्ट जी० इंगरसोल ने एक आदर्श समाज की कल्पना की थी, उसके कुछ अंश देकर इस पत्र को समाप्त करूँगा। वे लिखते हैं :—

“मैं सुखी गृहस्थों के शान्तिमय चक्की-चूल्हों से भरा-पूरा एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जो पृथ्वीतल पर सबसे अग्रगामी है। मैं एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें दासत्व का नाम तक नहीं है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य स्वाधीनता और आनन्द के साथ विचरण कर रहा है।

मैं एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें सोने के सिंहासन चकनाचूर पड़े हुए हैं और अत्याचारी तथा निरंकुश शासक खाक में मिल गये हैं। मैं देखता हूँ कि आलस्यमय सत्तावाद ससार से उठ चुका है।

“मैं सभी प्रकार की कलाओं में सजा हुआ एक सुखमय समाज देख रहा हूँ, जिसका वायुमण्डल सगीत की असंख्य रागिनियों से गूँज रहा है और प्रत्येक मनुष्य के ओष्ठों पर सत्य और प्रेम से सने शब्द केलि कर रहे हैं। मेरा ससार निर्वासन की आहों से और कारावास के शोकजनित उद्गारों से अनभिन्न है। मेरे ससार में फाँसी की छाया नहीं पड़ती। इस दुनिया में मिहनत का पूरा फल मिल जाता है।

“मैं एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें कोई दीनतापूर्वक हाथ

पसारें नहीं खडा है, जहाँ दरिद्र अपना कम्पाजनक विलाप नहीं सुना रहा है, जहाँ भूठ व कृपणता के नीले होठ भी नहीं दिखाई दें और न उपालंभ की क्रूर दृष्टि है।

“मैं शरीर और मस्तिष्क के रोगों में रहित एक जाति को देख रहा हूँ। सारी-की-सारी जाति स्वस्थ और सुन्दर। शारीरिक सौन्दर्य और मानसिक औदार्य मानों गठजोडा बांधे खड़े हैं।”

ऐसा समाज बनाने के लिए मानव-समाज को अभी बहुत दूर तक चलना होगा—बहुत प्रयत्न करना होगा। इसके लिए लोकमान्य तिलक के कथनानुसार पहले कुल, जाति और देशाभिमान की मंजिलें बनानी होंगी, पहले निचली सीढ़ियों पर चलना होगा या पहले छोटे वृत्तों को पार करना होगा। और अभी तो हम भारतीयों को इन्हीं मजिलों को बनाना है। हम भारतीय, जो कुटुम्ब, नगर या देश के प्रति ही अपने कर्तव्य नहीं जानते, विश्ववन्धुत्व की कल्पना करने लगे, यह मजाक नहीं तो क्या है ? हमारा उद्देश्य अवश्य ऊँचा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने नजदीक के पहले कर्तव्यों की उपेक्षा कर जावें। अभी तो हम लेना ही नहीं जानते, हमें लेना भी सीखना है और देना भी। हम अपने नागरिक अधिकारों को पहचानें, उन्हें लेने का प्रयत्न करें और उसके साथ कर्तव्यों की भी उपेक्षा न करें। अधिकार और कर्तव्य के समन्वय से ही ‘सत्य शिव सुन्दर’ की उत्पत्ति होगी, जो हमारा उद्देश्य है।

अभी डाकिये ने लाकर तुम्हारा पत्र दिया है। मैं विस्तरे से उठ बैठी है, यह जानकर दिल बहुत खुश हुआ। उनके चरणों में मेरा प्रणाम। अब दो-चार दिन में स्वयं आकर उनके दर्शन करूँगा और तुम्हारा काम भी देखूँगा। यह पत्रमाला भी अब खात्मे पर ही है।

भारतीय नागरिक के कानूनी अधिकार

३०-७-३८

नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में मैं जो-कुछ कइना चाहता था, प्रायः सब संक्षेप से पिछले पत्रों में लिख चुका हूँ। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक विषय की ओर तुम्हारा ध्यान खास तौर पर खींचना चाहता हूँ। हरेक देश में प्रजा को जो कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, उनका ज्ञान प्रजा को अवश्य रखना चाहिए। इस दृष्टि से प्रत्येक भारतीय नागरिक को भी देश के कानूनों का साधारण ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कानून बहुत पेंचीदा विषय है—खासकर आजकल, जबकि वकील उनका अभि-प्राय निकालने के लिए बहुत खींचतानी करते हैं और शब्दों से विलकुल भिन्न अर्थ तक निकाल देते हैं, फिर भी संक्षेप से मैं कुछ खास कानूनों की ओर तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ।

साधारणतः मारपीट, किसीको चोट पहुँचाना, किसीको पकड़ लेना या उसे जान से मार देना जुर्म है। इसके अलावा और भी संकड़ों जुर्मों का भारतीय दण्ड विधान में जिक्र है। लेकिन इसके कुछ महत्त्वपूर्ण अपवाद भी हैं। नीचे लिखी हालतों में इण्डियन पिनल कोड की ७६ से १०६ तक की धाराओं में ये काम जुर्म नहीं माने जाते.—

१ सेनापति की कानून के अनुसार दी हुई आज्ञा पाकर एक सैनिक किसी पर गोली चला सकता है।

२. अदालत के जज अपने न्यायसम्बन्धी कार्य में कोई भी काम करे तो वे किसी जुर्म के दोषी नहीं, चाहे कानूनन उनको ऐसा करने का इख्तियार न भी हो, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से उनका विश्वास हो कि उनको ऐसा काम करने का कानूनन अख्तियार है।

३. अदालत की आज्ञानुसार किया हुआ कोई भी कार्य जुर्म नहीं, चाहे अदालत की वह आज्ञा गैर-कानूनी ही क्यों न हो, बशर्ते कि कार्य करनेवाला सच्चे दिल से यह समझता हो कि अदालत को ऐसी आज्ञा देने का अधिकार है।

४. आकस्मिक दुर्घटना के कारण। एक शरस कुल्हाड़े से लकड़ी काट रहा है। कुल्हाड़ा अकस्मान् दस्ते से अलग होकर पास खड़े हुए किसीपर जा गिरता है और उसकी चोट से वह मर जाता है।

५. किसी भारी नुकसान को बचाने के इरादे से कोई काम करने पर। शहर के एक भाग में आग लगी है। आग को बढने से रोकने के लिए यदि कुछ घरों को गिराना पड़े तो यह जुर्म नहीं, बशर्ते कि ऐसा करना विलकुल ही आवश्यक हो और ऐसा करनेवाला जानोमाल की हिकाजत के लिए ऐसा काम नेकनीयती से करे।

६. ७ साल से कम उम्र के या १२ साल तक के ऐसे बच्चे से, जिसका दिमाग व दिल इतना विकसित न हुआ हो कि वह अपने किये हुए का मतलब समझ सके, किया गया कोई जुर्म।

७. जिसका दिमाग ठिकाने नहीं है, ऐसे पागलपन की अवस्था में कोई जुर्म करने पर भी जुर्म नहीं माना जाता।

८. शराब आदि के नशे में कोई काम करने पर, लेकिन जब शराब आदि नशा अपनी इच्छा से या अपनी जानकारी में न लिया

हो, किसी दूसरे ने धोखे से या ज़बर्दस्ती नशा पिला दिया हो ।

६ क्रिकेट, फुटबाल या कुश्ती आदि खेलों में सभी खिलाड़ी खतरा उठाकर भी खेलते हैं । खेल-खेल में गिरकर या मर्मस्थान पर गेद लगाने से कोई मर जाता है, या घायल होजाता है, तो गिराने या गेंद मारनेवाला अपराधी नहीं होगा, बशर्ते कि उसका इरादा जान लेने या सख्त चोट पहुँचाने का न हो और उसको इस बात का ज्ञान न हो कि ऐसा करने से उस शख्स के मरने या उसे सख्त चोट पहुँचाने की कोई सम्भावना है और उस शख्स की अवस्था १८ वर्ष से कम न हो ।

१० किसी के उपकार की इच्छा से कोई काम करने पर । एक डाक्टर रोगी के भले के लिए आपरेशन करता है, लेकिन मरीज आपरेशन के समय मर जाता है, तो डाक्टर मुजरिम साबित नहीं होगा । एक डाक्टर गर्भवती की प्राण-रक्षा की आवश्यकता से तो गर्भ गिरा सकता है, परन्तु दूसरी अवस्था में नहीं, चाहे उसमें गर्भवती की अपनी रजामन्दी भी क्यों न हो । एक व्यक्ति को शेर ने पकड़ लिया है । उसे बचाने के लिए दूसरे शख्स ने शेर पर गोली चलाई, लेकिन गोली शेर को न लगकर उसी आदमी को लगी, तो भी कोई जुर्म साबित नहीं होगा, क्योंकि उसका इरादा हत्या का नहीं, प्राण-रक्षा का था ।

११ मृत्यु का भय दिखाने पर कत्ल के सिवा कोई जुर्म करने पर । डाकू एक लुगार को डरा-धमकाकर उसे अपने औजारों से एक मकान का ताला तोड़ने के लिए लाचार करें, तो वह अपराधी नहीं माना जायगा, क्योंकि उसने प्राणभय से ऐसा काम किया ।

१२. बहुत ही हलकी चोट या नुकसान पहुचाने पर, जिस साधारण वृद्धि का कोई भी व्यक्ति महत्त्व न देगा, जुर्म नहीं होता। एक व्यक्ति ने सरकारी पेड़ में, जो बंजर जमीन पर खड़ा था, कुछ पत्ते तोड़ लिये जिनकी कीमत छद्दाम भी न होगी। उसने कोई जुर्म नहीं किया।

१३ इन सब अपवादों से अधिक महत्त्वपूर्ण अपवाद है आत्म-रक्षा का अधिकार। आत्म-रक्षा के लिए किया गया कोई काम कानून की नजरों में कोई जुर्म नहीं है। कानून के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने या किसी दूसरे के प्राणों की हत्या आदि सब माल की चोरी, डाके आदि से रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन दो-तीन बातों का खयाल रखना चाहिए। पहले यह अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि दरअसल उसकी जान जाने का भय है भी या नहीं, क्योंकि यह साबित करने की जिम्मेदारी उसीपर है कि दरअसल उसकी जान जाने का मौका आगया था और इसीलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पर वार करना पड़ा। फिर दूसरे पर कम-से-कम खतरनाक वार, जितना अपनी रक्षा के लिए जरूरी हो, करना चाहिए। एक दुर्बल स्त्री को चोरी करते समय जान से मार देना जुर्म है। अगर कोई अफसर या कर्मचारी अपने अफसर या अदालत की आज्ञा से किसीको गिरफ्तार करते हों या फासी की सजा देते हों, तो उस समय आत्म-रक्षा का यह अधिकार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। स्त्री पर बल त्कार के समय या स्त्री और बच्चे के अपहरण के समय, या घातक प्रहार के समय, दूसरे पर घातक प्रहार तक करने की कानून अनुमति देता है, लेकिन यह हमेशा खयाल रखना चाहिए कि प्रहार कम-से-कम खतरनाक हो। अन्य अव-

स्थानों में घातक प्रहार की इजाजत कानून नहीं देता। जान या माल के नुकसान का अन्देशा समाप्त होनेपर कानून उपर्युक्त अधिकार ले लेता है। डाके, घर में रात को सैध, शरारत से मकान, जहाज आदि को आग लगाना, चोरी या ऐसी शरारत के समय, जिससे जान तक जाने का अन्देशा हो, दूसरे को जान से मार तक डालने की इजाजत कानून देता है। लेकिन चोरी व शरारत आदि की अन्य अवस्थाओं में अपराधी की जान लेने का अधिकार नहीं है, यद्यपि अपराधी को और तरह का नुकसान पहुँचाया जा सकता है।

इसके अलावा भी बहुत-से कानून हैं। इंग्लैण्ड के 'हैबियस कार्पस' का जिक्र मैं किसी पत्र में कर चुका हूँ। भारत में भी यह कानून लागू है, यद्यपि उसी रूप में नहीं। भारत-सरकार ने भारतीयों के दमन के लिए बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन १८१८, मद्रास रेगुलेशन (२) १८१६, बम्बई रेगुलेशन (३५) १८२७, स्टेट प्रिजनर्स एक्ट १८५०, व १८५८ और बंगाल क्रिमिनल ला एमेण्डमेण्ट एक्ट १६२५ (दूसरी धारा) आदि कानून बना रखे हैं। इन कानूनों के मातहत गिरफ्तार शख्स पर 'हैबियस कार्पस' का कानून लागू नहीं होता। यह नियम पुलिस व अन्य हाकिमों की जनता पर अनुचित कार्रवाइयों पर नियन्त्रण रखने के लिए बनाया गया है। इसके अनुसार पुलिस का फर्ज है कि हर एक गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में हाजिर किया जाय और उसके बारे में अदालत की हिदायतें मानी जायें। किसी गिरफ्तार शख्स को छोड़ने की अदालत आज्ञा दे सकती है। अभियुक्त यह समझे कि एक अदालत में उसके न्याय की स नती है तो वह हाईकोर्ट को अदालत बदलने की दरख्वास्त दे स स्ती तरह अभियुक्त पुलिस के दुर्व्यवहार की अदालत से

कर सकता है और यह दरखास्त कर सकता है कि मुझे पुलिस की मातहतती में हटाकर अदालती हवालात में रखा जाय, जहाँ पुलिस उसमें दुर्व्यहार न कर सके, उसे तंग न कर सके।

साधारणतया कानून अभियुक्त को वे सब सहूलियतें देता है, जिनमें वह अपनेको निर्दोष साबित कर सके। एक शस्त्र को पुलिस ने किसी जुर्म के सन्देह में गिरफ्तार कर लिया है। वह यदि चाहें, तो अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील को हवालात में बुला सकता है और उससे सलाह-मशविरा कर सकता है। अधिकारियों को इसकी व्यवस्था करनी होगी। जबतक किसी शस्त्र को सजा नहीं मिलती, वह मुजरिम नहीं समझा जा सकता और हवालात में उससे कैदी का-सा व्यवहार नहीं किया जा सकता। वह अपने कपड़े रख सकता है, अपना भोजन मंगा सकता है। लेकिन पुलिस उसे ऐसा काम करने नहीं देगी, जिससे वह पुलिस की जाँच में अड़चन पैदा कर सके। यदि उसपर अभियोग बहुत संगीन नहीं है, या उसकी जाँच में अड़चन का कोई अन्देशा नहीं है, तो पुलिस अधिकारी या अदालत उसे जमानत या जाती मुचलका लेकर इस शर्त पर रिहा कर सकते हैं कि उसे निश्चित दिन अदालत में हाजिर होना पड़ेगा और तबतक वैसा अपराध फिर न करने की जमानत देनी होगी। मुकदमे की प्रारम्भिक कार्रवाई के बाद जब अदालत अभियुक्त पर फर्द-जुर्म लगाती है, तब अभियुक्त का हक है कि वह उसे वाकायदा समझाया जाय और उसकी एक नकल उसे बिना मूल्य दी जाय। इसी तरह फैसले की भी नकल उसे अदालत से लेने का अधिकार है। अगर किसी अदालत से अभियुक्त को किसी कारण न्याय की आशा न रही हो, तो वह हाईकोर्ट में यह दरखास्त दे सकता है कि इस अदालत से मुकदमा बदला जाय,

लेकिन उसे वह कारण भी बताना पड़ेगा कि जिससे अदालत पर वह अविश्वास करता है। यदि एक मातहत अदालत का फैसला किसीको पसन्द नहीं है, तो उसे यह अधिकार है कि वह उससे ऊंची अदालत में न्याय प्राप्त करने के लिए अपील करे और उससे भी असंतुष्ट होने पर उससे ऊंची अदालत में वह अपील कर सकता है।

प्रत्येक जिले की अदालतें तीन किस्मों में बांटी गई हैं—दीवानी, फौजदारी और माल। दीवानी अदालत का हाकिम सबजज, सिविल-जज या मुसिफ कहलाता है। इनमें भी कई दर्जे होते हैं और वे खास हदतक के ही मुकदमों को सुन सकते हैं। इन सबके फैसलों की अपील या तो जिला-जज के यहाँ होती है या सीधी हाईकोर्ट में। दिल्ली में (५,०००) से कम के मुकदमों की अपीलें जिला-जज के यहाँ और इससे ऊपर की हाईकोर्ट में होती हैं। जिला-जज के फैसलों की अपील हाईकोर्ट में होती है और हाईकोर्ट के फैसलों की प्रिवी-कौंसिल में, वशर्त कि मुकदमा आमतौर पर (१०,०००) से ज्यादा का हो। अदालत खफीफा के फैसलों की निगरानी सीधी हाईकोर्ट में होती है। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के शहरों में जिला-जज का काम हाईकोर्ट के ही सुपुर्द रहता है। फौजदारी अदालत का हाकिम मजिस्ट्रेट कहलाता है। इनमें भी तीन किस्में होती हैं, और वे खास हदतक के ही फैसले कर सकते हैं। जिले भर के सब मजिस्ट्रेटों के ऊपर एक जिला-मजिस्ट्रेट होता है। जिले में अमन-चैन रखना भी इसीका काम होता है, और इसलिए जिले का पुलिस-विभाग भी इसके मातहत होता है। सेकण्ड व थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेटों के फैसलों की अपीलें आमतौर पर जिला-मजिस्ट्रेट या किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ होती हैं और बाकी सब मुकदमों की दौराजज के

कर सकता है और यह दरखास्त कर सकता है कि मुझे पुलिस की मातहत से हटाकर अदालत हवालात में रखा जाय, जहाँ पुलिस उससे दुर्व्यहार न कर सके, उसे तंग न कर सके।

साधारणतया कानून अभियुक्त को वे सब सहूलियतें देना हैं, जिनसे वह अपनेको निर्दोष साबित कर सके। एक शख्स को पुलिस ने किसी जुर्म के सन्देह में गिरफ्तार कर लिया है। वह यदि चाहें, तो अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील को हवालात में बुला सकता है और उससे सलाह-मशविरा कर सकता है। अधिकारियों को इसकी व्यवस्था करनी होगी। जबतक किसी शख्स को सजा नहीं मिलती, वह मुजरिम नहीं समझा जा सकता और हवालात में उससे कैदी का-सा व्यवहार नहीं किया जा सकता। वह अपने कपड़े रख सकता है, अपना भोजन मंगा सकता है। लेकिन पुलिस उसे ऐसा काम करने नहीं देगी, जिससे वह पुलिस की जाँच में अडचन पैदा कर सके। यदि उसपर अभियोग बहुत संगीन नहीं है, या उसको जाँच में अडचन का कोई अन्देशा नहीं है, तो पुलिस अधिकारी या अदालत उसे जमानत या जाती मुचलका लेकर इस शर्त पर रिहा कर सकते हैं कि उसे निश्चित दिन अदालत में हाजिर होना पड़ेगा और तबतक वैसा अपराध फिर न करने की जमानत देनी होगी। मुकदमे की प्रारम्भिक कार्रवाई के बाद जब अदालत अभियुक्त पर फर्द-जुर्म लगाती है, तब अभियुक्त का हक है कि वह उसे वाकायदा समझाया जाय और उसकी एक नकल उसे बिना मूल्य दी जाय। इसी तरह फैसले की भी नकल उसे अदालत से लेने का अधिकार है। अगर किसी अदालत से अभियुक्ति को किसी कारण न्याय की आशा न रही हो, तो वह हाईकोर्ट में यह दरखास्त दे सकता है कि इस अदालत से मुकदमा बदला जाय,

लेकिन उसे वह कारण भी बताना पड़ेगा कि जिससे अदालत पर वह अविश्वास करता है। यदि एक मातहत अदालत का फैसला किसीको पसन्द नहीं है, तो उसे यह अधिकार है कि वह उससे ऊँची अदालत में न्याय प्राप्त करने के लिए अपील करे और उससे भी असंतुष्ट होने पर उससे ऊँची अदालत में वह अपील कर सकता है।

प्रत्येक जिले की अदालतें तीन किस्मों में बाँटी गई हैं—दीवानी, फौजदारी और माल। दीवानी अदालत का हाकिम सबजज, सिविल-जज या मुसिफ कहलाता है। इनमें भी कई दर्जे होते हैं और वे खास हदतक के ही मुकदमों को सुन सकते हैं। इन सबके फैसलों की अपील या तो जिला-जज के यहाँ होती है या सीधी हाईकोर्ट में। दिल्ली में ५,०००) से कम के मुकदमों की अपीलें जिला-जज के यहाँ और इससे ऊपर की हाईकोर्ट में होती हैं। जिला-जज के फैसलों की अपील हाईकोर्ट में होती है और हाईकोर्ट के फैसलों की प्रिवी-कौंसिल में, वशर्त कि मुकदमा आमतौर पर १०,०००) से ज्यादा का हो। अदालत खफीफा के फैसलों की निगरानी सीधी हाईकोर्ट में होती है। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के शहरों में जिला-जज का काम हाईकोर्ट के ही सुपुर्द रहता है। फौजदारी अदालत का हाकिम मजिस्ट्रेट कहलाता है। इनमें भी तीन किस्में होती हैं, और वे खास हदतक के ही फैसले कर सकते हैं। जिले भर के सब मजिस्ट्रेटों के ऊपर एक जिला-मजिस्ट्रेट होता है। जिले में अमन-चैन रखना भी इसीका काम होता है, और इसलिए जिले का पुलिस-विभाग भी इसके मातहत होता है। सेकण्ड व थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेटों के फैसलों की अपीलें आमतौर पर जिला-मजिस्ट्रेट या किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ होती हैं और बाकी सब मुकदमों की दौराजज के

यहाँ। दौरा जज भारी से भारी सजा देसकता है, लेकिन फाँसी को सजा के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी लेने की जरूरत होती है। दौरा जज के फैसलों की अपील हाईकोर्ट में होती है। फौजदारी मुकदमों में दीवानी मुकदमों की तरह एक के बाद एक अपील नहीं होसकती। अलवत्ता कानूनी नुकतों के ऊपर हाईकोर्ट में निगरानी हो सकती है। माल की अदालतों के हाकिम तहसीलदार, डिप्टीकलक्टर या असिस्टेण्ट कलक्टर कहलाते हैं। ये हाकिम अदालती हैसियत में जमींदारों व किसानों के मुकदमे करते हैं और अफसरों हैसियत में मालगुजारी वसूल करते हैं। कलक्टर जिले-भर में इन सबके ऊपर होते हैं। इनके फैसलों की अपीले या तो कलक्टर के यहाँ होती हैं या कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर के ऊपर अपील बोर्ड आफ रेवेन्यू में की जाती है। कुछ प्रान्तों में यह स्थान फाइनैशल कमिश्नर या रेवेन्यू कमिश्नर को मिला हुआ है।

राजनीतिशास्त्र और नागरिकशास्त्र का तकाजा है कि हर मुल्क में न्याय और शासन के विभाग अलग-अलग हों। अधिकारियों के अनुचित निर्णय के विरुद्ध प्रजा को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उनके विरुद्ध अदालत में कार्रवाई कर सके। भारत में ये दोनों विभाग पूरे तौर पर अलग नहीं हैं। अदालत और शासन का काम अधिकांश तौर पर एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। एक ही शख्स डिप्टी-कमिश्नर के नाते कोई कार्रवाई करता है, जिला-मजिस्ट्रेट के नाते उसके विरुद्ध शिकायत सुनता है। माल-अफसर ही लगान-बन्दोबस्त लगाता है और वही अपने वरखिलाफ की गई दरखास्त सुने, यह कुछ विचित्र-सा है, लेकिन यह भारतीय शासन का दोष है। फिर भी प्रजा को अधिकार है कि किसी अनुचित

कारंवाई के विरुद्ध वे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। जिला-मजिस्ट्रेट या प्रान्तीय सरकार किसी अखबार या पुस्तक के प्रकाशन को आपत्तिजनक करार देकर प्रेस-ऐक्ट के मातहत जमानत मांगते या उसे ज़ब्त करते हैं, तो लेखक, सम्पादक या प्रकाशक हाईकोर्ट में उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। ऐसी कोई दरखास्त हाईकोर्ट का एक बेंच, जिसमें तीन जज होंगे, सुनेगी।

दौरा सुपुर्द किये जानेवाले मुकदमों में प्रत्येक अभियुक्त को अधिकार है कि उसका मुकदमा जज द्वारा जूरी या असेसरों की सहायता से सुना जाय। असेसर तो जज को सलाह मात्र दे सकते हैं, लेकिन जूरी का बहुमत अदालत को मानना जरूरी है। अभियुक्त जूरी के लिए दरखास्त कर सकता है, और अभियुक्त यदि किसी जूरी के किसी सदस्य के लिए यह समझे कि वह किसी भी कारण निष्पक्ष नहीं है तो वह उसे बदलने का अनुरोध भी कर सकता है। असेसरों की संख्या तीन-चार तक होती है, जबकि जूरी के सदस्य ५-७ या ६ होते हैं। ऐसे किसी भी अभियोग में जिसकी सजा मौत हो, ७ और संभव हो तो ६ जूरी-सदस्य होने चाहिए।

साधारणतः सभी मामलों में अभियुक्त सफाई देने के लिए वकील नियत करता है, लेकिन बहुत दफा गरीब अभियुक्त गरीबी की वजह से वकील नहीं भी कर सकता। यदि कोई ऐसा अभियोग पेश हो, जिसकी सजा मौत हो, तो वह महज अपनी गरीबी की वजह से सफाई न दे सके और मौत की सजा पाये, इससे बचने के लिए सरकार का फज है कि अपने व्यय से उसके लिए योग्य वकील नियत करे। इसी तरह अगर कोई अभियुक्त अपनी सफाई देने के लिए किन्हींको गवाह के तौर पर बुलाना जरूरी समझता है, तो

अदालत का फर्ज है कि वह उसे बुलाने की व्यवस्था करे। लेकिन अदालत को भी यह अधिकार है कि वह किसीकी गवाही को अनावश्यक समझकर बुलवाने से इन्कार करदे। इस तरह इन नियमों द्वारा यह व्यवस्था करने का प्रबंध किया गया है कि अभियुक्त अपने-को निर्दोष सिद्ध करने के बहुत-से अवसर पा सके।

बहुत दफा हाकिम या पुलिस-अधिकारी किसीको गिरफ्तार कर लेते हैं या उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। इस सब में भी नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिनका वे उपयोग कर सकते हैं। जिन मामलों में पुलिस किसी को विना वारंट गिरफ्तार करती है, उनमें पुलिस का यह फर्ज है कि २४ घण्टे के अन्दर-अन्दर वह किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करे और यदि अभी अदालत में उसपर मुक़दमा चलाने की पूरी तैयारी न हुई हो तो उससे मुहलत माँग सकती है, लेकिन यह मुहलत एकसाथ १५ दिन से अधिक की नहीं मिल सकती। घर आदि की तलाशी लेते समय पुलिस का कर्तव्य है कि वह अदालत का सर्चवारण्ट या उच्च अधिकारी का आज्ञापत्र दिखाये। तलाशी के समय मुहल्ले के दो प्रतिष्ठित नागरिकों का रहना जरूरी है, जो यह साबित करें कि दरअसल कोई वस्तु घर से मिली है। तलाशी लेते समय किसीका अपमान करने का हक पुलिस-कर्मचारी को नहीं है। तलाशी लेनेवाले पुलिस-कर्मचारियों के वारे में यह तसल्ली कर लेनी चाहिए कि उनके पास तो वह आपत्तिजनक वस्तु नहीं है, जिसकी वे तलाश कर रहे हैं।

कानून का विषय बहुत पेचीदा है और इसकी भूलभुलैया में गहरा जाना बहुत स्थान की अपेक्षा रखता है। अतः मैं सिर्फ दो-एक नियमों का निर्देश करके ही इस अन्तिम पत्र को समाप्त करूँगा। नागरिकों

का एक प्रधान कर्तव्य अपने परिवार का पालन-पोषण है। यदि कोई नागरिक समर्थ होते हुए भी अपनी स्त्री और बच्चों का पालन नहीं करता, तो कानून के अनुसार स्त्री या सन्तान का अधिकार है कि पति या पिता से निर्वाह-व्यय लेने की अदालत में दरखास्त करे। इस स्थिति में स्त्री को यह साबित करना होगा कि मैं अमुक कारण से इसके पास नहीं रहना चाहती और मैं स्वयं दुश्चरित्र भी नहीं हूँ। इसी तरह कोई पत्नी अपने पति के बलात्कार से भी अपनी मुक्ति कानून द्वारा पा सकती है।

कोई शख्स बिना किसी अपराध के दूसरे नागरिक पर मुकदमा चला दे, इससे बचने के लिए कानून में दो व्यवस्थायें हैं। एक तो यह कि उमकी सफाई का सारा खर्च वादी को देना होगा। (उसी तरह प्रतिवादी को भी अपना मामला कमजोर होने पर वादी का खर्च बरदाश्त करना चाहिए।) दूसरी व्यवस्था यह है कि प्रतिवादी झूठा मुकदमा चलाने के लिए उससे हरजाने की माँग करे।

बदकिस्मती से एक नागरिक की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है और वह अपनी देनदारियाँ कोशिश करने पर भी नहीं चुका सकता। ऐसी हालत में वह क्या करे ? इसके लिए कानून उसे दिवाला निकालने की अनुमति दे देता है, जिससे वह अपना जरूरी सामान रखकर और बाकी सब देकर सब देनदारियों से मुक्त हो सकता है।

बहुत दफा हाकिम या पुलिस-कर्मचारी मानहानि के मुकदमे पत्र-प्रकाशकों व सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर चलाते हैं। इस बारे में उन्हें मालूम होना चाहिए कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से उपयोगी सत्य बात को लिखना या कच्चा मानहानि नहीं है। किसी सरकारी कर्मचारी की सरकारी काम से सम्बद्ध हरकत या सार्वजनिक कार्यकर्ता

के सार्वजनिक प्रश्न से सम्बद्ध आचरण की नेकनीयती से आलोचना और अदालती कार्रवाई की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करना भी मानहानि नहीं है। इसी तरह लेखक के लेख या कृति की नेकनीयती से आलोचना भी मानहानि की सीमा से बाहर है। लेकिन आलोचनीय व्यक्ति के खानगी जीवन या आचरण पर आक्षेप न हो।

रेलवे के सम्बंध में जो नियम बने हुए हैं, उनके पालन के लिए रेलवे कर्मचारियों को विवश किया जा सकता है। गाडी में रोशनी व पानी का प्रबंध करने और नियत संख्या से अधिक मुसाफिरों के होने पर गाडी की ज्यादा व्यवस्था करने के लिए रेलवे-अधिकारियों को बाधित करने का हक प्रत्येक मुसाफिर को है। यदि कोई रेलवे-कर्मचारी नियत संख्या से अधिक मुसाफिरों को गाडी में जबरन बिठाने की कोशिश करे, तो कानूनन उसपर जुर्माना होसकता है। इसी तरह अन्य अनेक क्षेत्रों में कानून तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन नागरिक उनके पालन पर जोर नहीं देते, इसलिए वे न होने के बराबर होगये हैं। किसी सरकारी कर्मचारी के लिए रिश्वत लेना गुनाह है, लेकिन बीसियों जगह उनका रिश्वत लेना परम्परा के कारण आवश्यक-सा होगया है। इसका मुख्य कारण नागरिकों की अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता ही है।

दूसरे भी बहुत-से नागरिक अधिकारों का निर्देश किया जा सकता है। मैंने तो कानून की प्रकृति व दिशा का परिचय भर देने की कोशिश की है। लेकिन मैं कानूनी अधिकारों की चर्चा के साथ ही एकरा फेर नागरिकों के कर्तव्यों की ओर भी तुम्हारा ध्यान खीचना चाहता हूँ। अधिकारों की अपेक्षा इनका महत्त्व ज्यादा है। अधिकारों और कर्तव्यों के समन्वय से ही दरअसल उन्नति हो सकती है।

परिशिष्ट—१

अल्पसंख्यक जातियों को गारण्टी

राष्ट्रसभ में यूरोपीय राष्ट्रों की अल्पसंख्यक जातियों के हितों के बारे में कुछ धाराएँ बनाई गई थीं। वे अल्पसंख्यक गारण्टी संधि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

धारा ७७—सरकारी नौकरियों, खिताबों, सार्वजनिक समारोहों और कम्पनियों तथा सैनिक भरतियों में सब जातियों के साथ एकसमान व्यवहार करना चाहिए।

धारा ७८—अल्पसंख्यक जातियों को भी सगठन, सभा आदि के वही अधिकार होने चाहिए, जो अन्य जातियों को हों।

धारा ८०—खेती, व्यापार या व्यवसाय आदि के कामों में अल्पसंख्यक जातियों से भी वही व्यवहार करना चाहिए, जो बहुसंख्यक जातियों में किया जाय। बहुसंख्यक जातियों पर लागू होनेवाले नियम ही अल्पसंख्यक जातियों पर लागू होंगे।

धारा ८१—अल्पसंख्यक जातियों को भी दान पर चलनेवाली अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएँ स्थापित करने, चलाने और नियंत्रण करने का अधिकार होना चाहिए।

कांग्रेस द्वारा आश्वासन

भारतीय राष्ट्रीय महामंडल (कांग्रेस) ने भी इस सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है —

१ क—शासनविधान की मौलिक अधिकारों में सम्बन्धित धाराओं में जातियों को वह आश्वासन भी दिया जाय कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्म ग्रन्थ, शिक्षा, पेशा और धार्मिक व्यवहार तथा धर्मों की रक्षा की जायगी।

ख—विधान में खास धाराये रखकर जातियों के निजी कानूनों की रक्षा की जायगी ।

ग— विभिन्न प्रान्तों में अल्पसंख्यक जातियोंके राजनैतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना सघ-मरकार के जिम्मे होगा और ये काम उसके अधिकार-क्षेत्र की सीमा में होंगे ।

२ तमाम वालिग स्त्री-पुरुष मताधिकार के अधिकारी होंगे ।

३ क—भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार सम्मिलित निर्वाचन होगा ।

ख—सिंध के हिन्दुओं, आभाम के मुसलमानों और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा पजाब के सिक्खों और किसी भी ऐसे प्रान्त के हिन्दू और मुसलमानों के लिए, जहाँ उनकी सख्या आवादी के २५ फी सदी से भी कम हो, सघीय और प्रान्तीय धारासभाओं में आवादी के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे जायँगे और उनके अलावा अधिक स्थानों के लिए भी उम्मीदवार के रूप में खडे होने का अधिकार होगा ।

४ पदों पर नियुक्तियाँ निष्पक्ष सर्विस कमीशनो के द्वारा होंगी । नौकरियों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का निर्णय भी ये कमीशन करेगे और कार्य के सुचारु रूप से चलने का तथा नौकरियों के लिए तमाम जातियों को समान अवसर मिले इस सिद्धान्त का, और वे बहुत कुछ योग उसमें दे सके इस बात का, वे पूरा खयाल रखेगे ।

५ सघीय और प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल के निर्माण में अल्पसंख्यक जातियों के हित एक निश्चित प्रथा के अनुसार मान्य होंगे ।

६ पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा सिंध में (अलग प्रान्त बनाकर, बशर्ते कि आर्थिक दृष्टि से अनुचित न हो) अन्य प्रान्तों की-सी शासन-व्यवस्था होगी ।

परिशिष्ट—२

कांग्रेस का स्वराज्य

भारतीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा स्वराज्य की एक रूप-रेखा-सी खींची थी, जिसमें प्रायः सभी नागरिक अधिकारों का जिक्र किया गया था। वह प्रस्ताव निम्नलिखित है —

“साधारण जनता की तबाही का अन्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में लाखों भूखों मरने वालों की वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता भी निहित हो। इसलिए यह कांग्रेस घोषित करती है कि उसकी ओर से स्वीकृत होनेवाले किसी भी शासन-विधान में नीचे लिखी बातों की व्यवस्था रहनी चाहिए —

मौलिक अधिकार और कर्तव्य—(१) भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय में, जोकि कानून और सदाचार के विरुद्ध न हो, अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने, स्वतन्त्र मस्यौदा और सघ बनाने और बिना हथियार के शान्तिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है।

(२) भारत के प्रत्येक नागरिक को अन्तरात्मा का अनुसरण करने और सार्वजनिक शान्ति व सदाचार में बाधक न होनेवाले धार्मिक विश्वास और आचरण की स्वतन्त्रता है।

(३) अल्पसंख्यक जातियों और भिन्न भाषा-भाषी वर्गों की संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की जायगी।

(४) भारत के सब नागरिक कानून की दृष्टि में बिना किसी जाति, विश्वास अथवा लिंग के भेद-भाव के समान हैं।

(५) सरकारी नौकरियों, अधिकार व सम्मान के ओहदों और किसी भी व्यापार या धन्धे के करने में किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुष को धर्म, जाति, विश्वास अथवा लिंग के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जायगा।

(६) सरकारी अथवा सार्वजनिक सड़क से बने, अथवा नागरिकों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कुओ, मडको, पाठशालाओं और सार्वजनिक आवागमन के स्थानों के सम्बन्ध में सब नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य समान हैं ।

(७) हथियारों के सम्बन्ध में बनाये गये नियम और मर्यादा के अनुसार प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने और धारण करने का अधिकार है ।

(८) कानूनी आधार के बिना किसी तरह किसी भी मनुष्य की स्वतन्त्रता न छीनी जायगी और न किसीके घर और जायदाद में प्रवेश और कुर्की या ज़ब्ती की जायगी ।

(९) सरकार सब घर्मों के प्रति तटस्थ रहेगी ।

(१०) बालिग उम्र के तमाम मनुष्यों को मताधिकार होगा ।

(११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा ।

(१२) सरकार किसीको खिताब न देगी ।

(१३) मौत की सज़ा उठादी जायगी ।

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर में भ्रमण करने, उसके किसी भाग में ठहरने या बसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या धन्धा करने में स्वतन्त्र होगा और कानूनी कार्रवाई व रक्षा के विषय में, भारत के सब भागों में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा ।

२. श्रमिक—(क) आर्थिक जीवन के मगठन में न्याय के सिद्धान्त अवश्य सन्निहित होने चाहिए, जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टेण्डर्ड प्राप्त होजाय ।

(ख) सरकार कारखानों के मजदूरों के स्वार्थों की रक्षा करेगी और उपयुक्त कानून द्वारा एव अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए

पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए आरोग्य-प्रद परिस्थिति, मजदूरी के घटो की मर्यादा, मालिको और मजदूरो के बीच के झगडो के निपटारे के लिए उपयुक्त साधन और बुढापा, बीमारी तथा बेकारी के आर्थिक परिणामो के विरुद्ध रक्षा का उपाय करेगी ।

(३) दासत्व या लगभग दासत्व 'जैसी दशा से मजदूर मुक्त होंगे ।

(४) मजदूर स्त्रियो की रक्षा और प्रसूति काल के लिए पर्याप्त छुट्टी का विशेष प्रवन्ध होगा ।

(५) स्कूल में जा सकने योग्य आयु के लडके खानो और कारखानो में नौकर न रक्खे जावेगे ।

(६) किसान और मजदूरो को अपने हितो की रक्षा के लिए सघ बनाने के अविकार होंगे ।

कर और व्यय—(७) जमीन की मालगुजारी और लगान का तरीका बदला जायगा और छोटे किसानो को वर्तमान कृषि-कर और मालगुजारी में तुरन्त और यदि आराज्जी से लाभ न होता हो ता आवश्यक समय तक के लिए छूट देकर या मुक्त करके कृषको के बोझ का न्याययुक्त निपटारा किया जायगा, और इसी उद्देश्य से लगान-अदायगी की उक्त मुक्ति और भूमि-कर की कमी से छोटी जमीनो के मालिको को होनेवाली हानि की पूर्ति एक निश्चित तादाद से अधिक की भूमि की मूल आय पर क्रमश बटनेवाला कर लगाकर की जायगी ।

(८) एक न्यूनतम निश्चित रकम के अलावा की जायदाद पर क्रमान विरासत कर लिया जायगा ।

(९) फीजी खर्च में बहुत कमी की जायगी, जिसमें वर्तमान से वह कम-से-कम आधा रह जायगा ।

(१०) मूल्की विभाग के व्यय और वेतन में बहुत कमी की जायगी ।

खास तौर पर नियुक्त किये गये विशेषज्ञ अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सि-
राज्य के किसी भी नौकर को एक निश्चित रकम के सिवा, जोकि अ-
तौर पर ५००) मासिक से अधिक न होनी चाहिए, अधिक वेतन न ि-
जायगा ।

(११) हिन्दुस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जाय

आर्थिक कार्यक्रम—(१२) राज्य देशी कपडे की रक्षा करेगा ३
उसके लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति ३
आवश्यक अन्य उपायो का अवलम्बन करेगा । राज्य अन्य देशी धन्यो
भी, जब कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करेगा ।

(१३) औपधियो के काम के सिवा नगीले पेय और पदार्थ मदा
लिए बन्द कर दिये जायेंगे ।

(१४) हुण्डावन और विनिमय का नियन्त्रण राष्ट्र-हित के ि-
होगा ।

(१५) मुख्य उद्योगो और विभागो खनिज साधनो रेलवे, ज-
मार्ग, जहाजरानी और सार्वजनिक आवागमन के अन्य साधनो पर रा-
अपना अधिकार और नियन्त्रण रक्खेगा ।

(१६) कृपको के ऋण के उद्धार के उपाय और प्रत्यक्ष या अ-
त्यक्ष रूप से लिये जानेवाले ऊँचे दर के व्याज पर सरकार का निय-
होगा ।

(१७) नियमित सेना के सिवा राष्ट्र-रक्षा का साधन सगठित क
के लिए राज्य नागरिको की सैनिक-शिक्षा की व्यवस्था करेगा ।

सस्ता साहित्य मण्डल

'सर्वोदय साहित्य माला' की पुस्तकें

जीवन	१८)	२३ — स्वामीजी का बलिदान	
न-साहित्य	१७)	(अप्राप्य)	१८)
ल वेद	११७)	२४—हमारे जमाने की गुलामी	
न और व्यभिचार	११८)	(जुद्ध)	१७)
जिक कुरीतियाँ		२५—स्त्री और पुरुष	१७)
त)	११७)	२६—घरो की सफाई	१८)
न के स्त्री-रत्न		२७—क्या करे ?	११७)
१ भाग)	३)	२८—हाथ की कताई-बुनाई	
वा (अप्राप्य)	११८)	(अप्राप्य)	११८)
र्य-विज्ञान	११८)	२९—आत्मोपदेश	१७)
का इतिहास	२)	३०—यथार्थ आदर्श जीवन	
न-विज्ञान	११७)	(अप्राप्य)	११८)
का सम्पत्ति शास्त्र		३१—जब अग्रेज नहीं आयेथे	१७)
प्य)	११३)	३२—गंगा गोविंदसिंह(अप्राप्य)	११८)
का-प्रभुत्व	११७)	३३—श्रीराम चरित्र	१७)
प्य)		३४—आश्रम-हरिणी	१७)
ग अफ्रिका का		३५—हिंदी मराठी कोप(अप्राप्य)	२)
ग्रह	१७)	३६—स्वाधीनता का सिद्धान्त	
की आवाज(अप्राप्य)	१८)	(अप्राप्य)	१७)
ने की राह पर	११८)	३७—महान् मातृत्व की ओर	११८)
की अग्नि-परीक्षा	१८)	३८—शिवाजी की योग्यता	१८)
शिक्षा	१७)	३९—तरंगित हृदय	१७)
ग	१८)	४०—नरमेघ	११७)
र की चरतूत	१८)	४१—दुखी दुनिया	१८)
शरिक सभ्यता	१७)	४२—जिन्दा लाश	१७)
मे उजाला	१७)	४३—आत्म-कथा (गाधीजी)	११७)

- ४४—जव अग्रेज आये (जव्त) १।८)
- ४५—जीवन विकास १।१)
- ४६—किसानो का त्रिगुल ८)
- ४७—फार्मी । १।८)
- ४८—अनासकिनयोग—गीतावोत्र
(दे० नवजीवन माला)
- ४९—स्वर्ण विज्ञान (जव्त) १।८)
- ५०—मराठो का उत्थान-पतन २।१।)
- ५१—भाई के पत्र १।१)
- ५२—स्वगत (अप्राप्य) १।८)
- ५३—युगधर्म (जव्त) १।८)
- ५४—स्त्री-समस्या १।१।।)
- ५५—विदेशी कपडे का
मुकाबला (अप्राप्य) १।८)
- ५६—चित्रपट १।८)
- ५७—राष्ट्रवाणी (अप्राप्य) १।८)
- ५८—इंग्लैण्ड मे महात्माजी १।१।।)
- ५९—रोटी का सवाल १।१)
- ६०—दैवी सम्पद् १।८)
- ६१—जीवन-सूत्र १।१।।)
- ६२—हमारा कलक १।८)
- ६३—बुदबुद १।१।।)
- ६४—सघर्ष या सहयोग ? १।१।।)
- ६५—गाधी-विचार-दोहन १।१।।)
- ६६—एशिया की क्रान्ति
(जव्त)
- ६७—हमारे राष्ट्र-निम
- ६८—स्वतंत्रता की ओ
- ६९—आगे बढ़ो ।
- ७०—बुद्ध-वाणी
- ७१—कांग्रेस का इतिहास
- ७२—हमारे राष्ट्रपति
- ७३—मेरी कहानी (ज०ने
- ७४—विश्व-इतिहास की
(जवाहरलाल नेहरू
- ६५—(दे० नवजीवन माला
- ७६—नया शासन विधान-
- ७७—(१) गाँवो की कहा
- ७८—(२) महाभारत के
- ७९—सुवार और सगठन
- ८०—(३) सतवाणी
- ८१—विनाश या इलाज
- ८२—(४) अग्रेजी राज्य मे
हमारी आर्थिक दशा
- ८३—(५) लोक-जीवन
- ८४—गीता मथन
- ८५—(६) राजनीति प्रवेशि
- ८६—(७) अधिकार और कृ

